VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

जुलाई - 2018

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान (Polity and Constitution) 5

1.1. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) 5

1.2. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 7

1.3. भारत में खेल संबंधी सट्टेबाजी की वैधता 9

1.4. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB), 2018 11

1.5 केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 12

1.6. गैर निष्पादक एनजीओ 14

1.7. व्यावसायिक अदालतों, व्यावसायिक डिवीजन और उच्च न्यायालयों के व्यावसायिक डिवीजन (संशोधन) विधेयक 2018 16

2. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 18

2.1. प्रवासन हेतु वैश्विक समझौता 18

2.2. 10वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मलेन 19

2.3. सार्क विकास कोष 21

2.4. भारत-आप्टा शुल्क संबंधी रियायतें 23

2.5. भारत-दक्षिण कोरिया (India-South Korea) 24

2.6 प्रधानमंत्री की अफ्रीका यात्रा 25

2.7 भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह 27

2.8. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) 27

2.9. दिल्ली संवाद का 10 वां संस्करण 28

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 29

3.1. चीन में बनी वस्तुओं का भारतीय उद्योग पर प्रभाव 29

3.2. प्रोजेक्ट सशक्त 33

3.3 म्युनिसिपल बॉण्ड 34

3.4. बॉण्ड बाजार के विकास हेतु फ्रेमवर्क 36

3.5. सीमित देयता भागीदारी 37

3.6 ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी 38

3.7. ग्लोबल डिजिटल टैक्स रूल्स 40

3.8. राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 42

3.9. रयथू बंधु योजना 43

3.10 आर्थिक संकेतकों के लिए साझा डेटाबेस 44

3.11. लॉजिस्टिक क्षेत्रक 45

3.12 कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) और 'खान प्रहरी' ऐप 47

3.13. 'पेट्रोलियम' की परिभाषा में संशोधन 48

VISION IAS

3.14. क्रिसिल ड्रिप इंडेक्स 48
4. सुरक्षा (Security) **50**
4.1. डेटा प्रोटेक्शन 50
4.2. सोशल मीडिया की निगरानी 53
4.3. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 55
4.4. रणनीतिक साझेदारी मॉडल 56
4.5. पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति 58
4.6. दिल्ली के लिए मिसाइल शील्ड 58
4.7. बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक 59
5. पर्यावरण (Environment) **60**
5.1. ग्रीन बॉन्ड (Green Bonds) 60
5.2. वन्यजीव संरक्षण हेतु निजी भागीदारी 61
5.3. वायु प्रदूषण से निपटने करने के लिए कार्य-योजना 63
5.4. जलवायु परिवर्तन और भारतीय तट-रेखा 65
5.5. भारत के भूमिगत जल में यूरेनियम संदूषण 67
5.6. वैश्विक पर्यावरण सुविधा 68
5.7. मेघालय युग (Meghalayan Age) 69
5.8. सभी जीवों को विधिक इकाई का दर्जा 70
5.9. वन्यजीव प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम 71
5.10. गांगेय डॉल्फिन (Gangetic Dolphin) 72
5.11. नीलगिरि तहर (Nilgiri Tahr) 73
5.12. हैरियर पक्षी (Harrier Birds) 74
5.13. रेड सैंडर्स इंडेंजर्ड श्रेणी से बाहर 74
5.14 कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व 75
5.15. गंगा वृक्षारोपण अभियान 76
5.16. सागर निधि (Sagar Nidhi) 77
5.17. डीप ओशन मिशन 78
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology) **80**
6.1. RBI द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध 80
6.2. नेट न्यूट्रैलिटी 82
6.3. WIPO संधियां 83
6.4. अंतरिक्ष में न्यूट्रिनो के नए स्रोत की खोज 84
6.5. नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 84
6.6. मानव पर रंगीन एक्स-रे 86

VISION IAS

6.7. 'P NULL' फीनोटाइप 86
6.8. फॉर्मलीन 87
7. सामाजिक (Social) **88**
7.1. मॉब लिंचिंग 88
7.2. व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 89
7.3.घरेलू कामगारों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति 92
7.4. जनजातीय समूहों का विकास प्रेरित विस्थापन 93
7.5. नेशनल हेल्थ स्टैक 96
7.6. पंजाब में बढ़ता मादक पदार्थों का खतरा 97
7.7. उत्कृष्ट संस्थान 99
8. संस्कृति (Culture) **102**
8.1.रामानुजाचार्य की प्रतिमा 102
8.2. तंजौर चित्रकला 102
8.3. बेदीनखलम महोत्सव 103
9. नीतिशास्त्र (Ethics) **105**
9.1. लॉबिंग एवं नीतिशास्त्र 105
10. विविध (Miscellaneous) **106**
10.1.मिशन सत्यनिष्ठा 106
10.2. पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 106
10.3. ई-गवर्नमेंट इंडेक्स 106
10.4. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 107
10.5. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व ग्राम का दर्ज़ा 108
10.6. नीलकुरिंजी पुष्प 108

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और संविधान

(Polity and Constitution)

1.1. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

{National Register of Citizens (NRC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, असम द्वारा अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के अंतिम मसौदे को प्रकाशित किया गया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- असम में जनसांख्यिकीय परिवर्तन **19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ जब अंग्रेजों द्वारा बागानों में कार्य करने हेतु बिहार और छोटा नागपुर से जनजातीय श्रमिकों** को असम लाया गया। इसने **बंगाल के मुस्लिम किसानों के प्रवासन को भी प्रोत्साहित किया** जो स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात् भी जारी रहा।
- प्रथम NRC स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अवैध आप्रवासन के मुद्दे से निपटने हेतु 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। किन्तु वोट बैंक की राजनीति के कारण यह प्रक्रिया अप्रभावी रही।
- **1979 में, अखिल असम छात्र संघ** ने अवैध रूप से प्रवासित लोगों के निर्वासन हेतु आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जो 1985 में **असम समझौते** पर हस्ताक्षर के पश्चात् समाप्त हुआ।
- असम समझौते के बाद नागरिकता अधिनियम, 1955 को, **1 जनवरी, 1966 से पूर्व बांग्लादेश से आए सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिक का दर्जा देने हेतु, संशोधित किया गया। 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के मध्य भारत आए व्यक्ति को पंजीकरण कराने और 10 वर्षों तक राज्य में निवास करने के पश्चात् नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया इसके अतिरिक्त 25 मार्च, 1971 के बाद प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को निर्वासित करने के प्रावधान किया गए थे**। हालांकि, अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है।
- **2014 में,** सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर **1951 के NRC को अद्यतन(अपडेट) करने का निर्देश दिया।** वर्तमान प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संचालित की जा रही है।

NRC क्या है?

- यह असम के सभी प्रमाणित भारतीय नागरिकों की एक सूची है, असम NRC तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है।
- NRC को **नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार** अद्यतन किया जा रहा है
- इसमें, 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि से पूर्व किसी निर्वाचन सूची या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 में शामिल व्यक्तियों और उनके वंशजों को सम्मिलित किया जायेगा।
- सत्यापन की प्रक्रिया में हाउस-टू-हाउस फील्ड वेरिफिकेशन, दस्तावेजों की प्रामाणिकता का निर्धारण, माता-पिता के फर्जी दावों को रद्द करने हेतु परिवार के वंशावली की जांच और विवाहित महिलाओं के लिए संबद्ध एवं पृथक सुनवाई शामिल है।

इस प्रक्रिया के लाभ

- यह असम में होने वाले अवैध प्रवासन के प्रसार के संबंध में एक आवश्यक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जो इनकी वास्तविक संख्या के संबंध में राजनीतिक दलों द्वारा अपने लाभ हेतु लगाए जा रहे निराधार अनुमानों पर रोक लगाने में सहायक होगा।
- अवैध आप्रवासियों द्वारा राज्य की **जनसांख्यिकी में परिवर्तन करने** और राज्य की राजनीति को प्रभावित करने का भय भी समाप्त होगा।
- एक अद्यतन NRC के प्रकाशन से भविष्य में बांग्लादेश से असम आने वाले प्रवासियों के अवैध प्रवेश को नियंत्रित करने की संभावना है ,क्योंकि मसौदे के प्रकाशन ने स्वयं में यह धारणा स्थापित किया है कि वैध दस्तावेज के बिना असम में रहना जेल और निर्वासन का कारण बन सकता है ।
- NRC में नामों को शामिल करने से उन सभी बंगाली बोलने वाले लोगों को राहत मिलेगी जो अब तक बांग्लादेशियों के रूप में संदिग्ध हैं।
- यह प्रक्रिया अवैध आप्रवासियों की पहचान कर, उन्हें अपने मूल देश में वापस भेजने तथा **वैध नागरिकों के लिए देश के संसाधनों को सुरक्षित करने** में सहायक होगी और अवैध प्रवासन के कारण उत्पन्न **आंतरिक सुरक्षा** सम्बन्धी चिंताओं को कम करेगी।

VISION IAS

NRC के समक्ष विद्यमान मुद्दे

- **बहिष्करण :** 32.9 मिलियन आवेदकों में से केवल 29 मिलियन को रजिस्टर में शामिल करने योग्य पाया गया है, शेष **4 मिलियन** को अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किया गया।
- **1971 के पूर्व के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता:** देश में दस्तावेज़ रिकॉर्ड की स्थिति को देखते हुए, यह एक **कठिन शर्त** है और अनेक व्यक्तियों के लिए इस अवधि से पूर्व के दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है। नागरिकता प्रदान करने सम्बन्धी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के विपरीत, **साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व NRC आवेदक पर** है।
- **गलत सूचना :** माता-पिता के संबंधों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। अनेक व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग नामों से दर्ज हैं जिससे डूप्लिसिटी या सूची से गलत बहिष्करण की संभावना उत्पन्न होती हैं।
- **पूर्ण करने पर बल:** उच्चतम न्यायालय, केंद्र और असम सरकार द्वारा बहिष्करण से असंतुष्ट व्यक्तियों के लिए एक व्यवस्थित तंत्र के निर्माण पर विचार किए बिना ही इस **प्रक्रिया को पूरा करने की प्रमुखता** दी गयी थी।
- **नागरिकता संबंधी मुद्दे**
  - एक मुख्य विवाद यह है कि **अवैध आप्रवासियों के बच्चों और पोते-पोतियों को किस देश की नागरिकता प्राप्त होगी।**
  - जबकि देश के नागरिकता सम्बन्धी कानून माता-पिता की नागरिकता के बिना भी जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करते हैं, NRC के नियम इसे मान्यता प्रदान नहीं करते।
  - **नागरिकता (संशोधन) विधेयक,** जो हिंदू अवैध प्रवासियों और अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता हेतु पात्रता प्रदान करता, इस प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों के अलगाव के संबंध में आशंका उत्पन्न करता है।
- **डी-वोटर्स संबंधी मुद्दा:** 40 लाख बहिष्कृत व्यक्तियों में से लगभग **2.5 लाख व्यक्ति डी-वोटर्स**(संदिग्ध मतदाता-doubtful voters), उनके वंशज और ऐसे व्यक्ति है जिनके मामले असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित हैं।
  - डी-वोटर्स(D-voters) वे मतदाता हैं जो सरकार द्वारा उचित नागरिकता प्रमाण-पत्रों के कथित अभाव के कारण मताधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं और उनका अंतर्वेशन **फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल** के निर्णय पर निर्भर करेगा।
- **प्रकाशन के पश्चात् उत्पन्न होने वाले मुद्दे**
  - **दावों और आपत्तियां:** यदि बाहर हुए व्यक्ति एक ही दस्तावेज को दूसरी बार जमा करते हैं तो उन्हें पुनः अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है।
  - **निर्वासन संबंधी मुद्दा:** कोई भी राज्य अवैध आप्रवासन पर एकतरफा कार्य नहीं कर सकता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य अभी तक इस सम्बन्ध में कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ है, जिससे अंततः उन लोगों के भविष्य हेतु अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी।
- **मानवीय चिंताएं:** इस देश में लंबे समय से निवास करने वाले व्यक्तियों की चिंताओं की उपेक्षा करने से देश के लोकतांत्रिक सामाजिक मूल्य का ह्रास होगा।

बहिष्कृत व्यक्तियों के समक्ष विद्यमान विकल्प

- जारी की गई **सूची केवल एक मसौदा है, न कि अंतिम सूची। अंतिम सूची दिसंबर 2018 तक** प्रकाशित होने की संभावना है।
- दावों और आपत्तियों को दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है, जिसके लिए विभिन्न NRC सेवा केंद्रों पर सुधार हेतु फार्म प्राप्त होंगे।
- क्रमिक अपील की प्रक्रिया संबंधी विकल्प: व्यक्ति चरणबद्ध प्रक्रिया से - NRC सेवा केंद्र , जिला मजिस्ट्रेट, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

आगे की राह

- **अंतिम रूप से सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों के संबंध में:** ये आधिकारिक तौर पर नागरिक नहीं होंगे लेकिन भारत में "स्टेटलेस" व्यक्तियों से संबंधित कोई निश्चित नीति नहीं है। निश्चित रूप से, उनके पास मतदान के अधिकार नहीं होंगे लेकिन उन्हें "मानवतावादी आधार" पर कुछ सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं जैसे कि काम का अधिकार इत्यादि।
- **नागरिकता प्रदान करने के नियमों में छूट प्रदान करना:** देशीयकरण की प्रक्रिया के माध्यम से घोषित अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है लेकिन इसका कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जा सकता है।

VISION IAS

- **अवैध प्रवासन के मुद्दे को व्यापक रूप से हल करना:** असम में अवैध प्रवासियों के मुद्दे को हल करने से संपूर्ण मुद्दे का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वे पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के माध्यम से पुनः प्रवेश कर सकते हैं और देश के अन्य हिस्सों में जा सकते हैं। अतः, निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:
  - **व्यापक सीमा प्रबंधन:** बाड़बंदी सहित, 24x7 पूर्ण निगरानी, नई इमेजिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग इत्यादि।
  - **वर्क परमिट:** विदेशियों को पारदर्शी वर्क परमिट के विकल्पों की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।
  - **भ्रष्ट व्यक्तियों को दंडित करना:** अवैध प्रवेश और निवास आदि सुनिश्चित करने में विदेशियों का सहयोग करने वाले अधिकारी और अन्य व्यक्तियों को इस तरह के व्यवहार हेतु दंडित किया जाना चाहिए।
  - **पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करना:** इसके माध्यम से दूसरे देश में अवैध रूप से रहने वाले नागरिकों को उचित सत्यापन के पश्चात् मूल देश द्वारा वापस स्वीकार करने हेतु उचित व्यवस्था की जा सकती है।
  - **अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहायता:** जैसे यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी(UNHCR), इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन(IOM) और इस तरह के जटिल मुद्दे में अनुभव रखने वाली अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है ।
  - **सार्क अभिसमय का निर्माण:** भारत को सार्क अभिसमय या शरणार्थियों संबंधी घोषणा हेतु सार्क क्षेत्र के अन्य देशों को प्रोत्साहन के लिए पहल करना चाहिए जिससे सदस्य राज्य 1951 के शरणार्थी सम्मेलन को अभिपुष्टि हेतु सहमत होगें ।

1.2. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018

(Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित किया गया है, यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, सार्वजनिक अधिकारियों की भ्रष्ट गतिविधियों से संबंधित अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 द्वारा विनियमित किए जाते हैं।
- 2007 में, **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** द्वारा अपनी चौथी रिपोर्ट में रिश्वत देने को अपराध के रूप में शामिल करने, कुछ मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी प्रावधान में छूट प्रदान करने और भ्रष्टाचार के आरोपी सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने संबंधी प्रावधान, शामिल करने हेतु इस अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की गयी थी।
- 2011 में, भारत द्वारा **यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन** की पुष्टि की गई और अपने घरेलू कानूनों को इस सम्मेलन के अनुरूप बनाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। इसके तहत एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध तरीके से धन एवं संपत्ति प्राप्त करने और रिश्वत देने एवं लेने को अपराध की श्रेणी में शामिल करना, विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने और निजी क्षेत्र में रिश्वत संबंधी गतिविधियों को संबोधित करना आदि शामिल हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

- इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है।
- इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन **विशेष न्यायाधीशों** को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।
- इस अधिनियम में **साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभियोजन पक्ष से अभियुक्त पर स्थानांतरित किया गया है।**
- इस अधिनियम के अंतर्गत, सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला और सरकारी सेवा में कार्यरत या सरकारी विभाग, कंपनियों या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी भी उपक्रम में कार्यरत किसी व्यक्ति को **'लोक सेवक'** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत अवैध परितोषण लेना, आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग, आर्थिक लाभ प्राप्त करना आदि को अपराध की श्रेणी में रखा गया है

- **सांसदों और विधायकों** को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है।
- यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो उसे **कारावास की सजा, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी और जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान किया गया है।**

संशोधन के लाभ

- **भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को कम करने में सहायक:** भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स), 2017 में भारत के रैंक में गिरावट (180 देशों की सूची में 81वां स्थान), ऐसे मामलों में वृद्धि को दर्शाती है। अधिनियम के प्रभावी एवं कठोर कार्यान्वयन के माध्यम से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट प्रक्रियाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है।
- **ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा:** यह सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को बिना किसी भय के और योग्यता के आधार पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे निर्णयन प्रक्रिया की गतिहीनता को समाप्त किया जा सकता है।
- **भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्यवाही(trial) सुनिश्चित करना:** ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्यवाही(trial) से भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई में होने वाली अत्यधिक विलंब की समस्या कम होगी।
- **रिश्वत देने वाले को शामिल करना:** इस अधिनियम में रिश्वत देने वाले को भी अपराधी के रूप में शामिल किया गया है। यह कदम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और नकदी या अन्य प्रकार के प्रलोभन देने हेतु एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। इससे पूर्व, रिश्वत देने वाले को शामिल नहीं किया गया था जिससे भ्रष्टाचार में निरंतर वृद्धि हुई ।

संशोधित अधिनियम से संबंधित चिंताएं

- **बाध्यतापूर्वक रिश्वत देने वाले' के मुद्दे का आंशिक समाधान:** हालांकि यह अधिनियम मामले की शिकायत करने हेतु सात दिन का समय प्रदान करता है, लेकिन यह उस स्थिति की उपेक्षा करता है जहां उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों में शिकायत न करने के लिए धमकी दी जा सकती है।
- **रिश्वत देने वाले को गवाह के रूप में अदालत में उपस्थित होने से रोकना:** भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के दौरान रिश्वत देने वाले के द्वारा दिए गए किसी भी बयान के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से उन्हें संरक्षण प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रावधान को इस अधिनियम में हटा दिया गया है। यह उन्हें गवाह के रूप में उपस्थित होने से रोक सकता है।
- **अवैध संपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी अवसरों में वृद्धि:** आपराधिक दुर्व्यवहार को पुनःपरिभाषित करने के बावजूद भी अवैध संपत्तियों के अधिग्रहण के अतिरिक्त सम्पति अधिग्रहण के 'प्रयोजन' को सिद्ध करने की आवश्यकता है।
- **रिश्वत लेने सम्बन्धी मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व केवल आरोपी पर:** 1988 के अधिनियम के तहत, रिश्वत लेने, आदतन अपराध एवं उकसाने के मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व आरोपी पर था। हालांकि, संशोधित अधिनियम केवल रिश्वत लेने सम्बन्धी अपराध के मामले में आरोपी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व डालता है।
- **यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के कुछ प्रावधानों को इसके तहत शामिल नहीं किया गया है:** विदेशी सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने सम्बन्धी मामलों, निजी क्षेत्र में रिश्वत और क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजे के संबंध में संशोधित अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- **पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों की कठोरता को कम करना:** पूर्व स्वीकृति (जांच के चरण से पहले भी) के प्रावधान को शामिल करके यह अधिनियम कमजोर कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के वास्तविक मामलों में अनुचित विलंब हो सकता है। यह **दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा 6A** को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पूर्व अनुमति की आवश्यकता को अधिक सशक्त करता है, जिसके लिए सरकार से समान स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- **'आय के वैध स्रोत' जैसे अस्पष्ट शब्दों** को परिभाषित नहीं किया गया हैं जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं कि क्या किसी अज्ञात और अवैध स्रोत से प्राप्त आय पर कर का भुगतान करने से ऐसी आय वैध हो जाती है।
- उचित प्रयोजन से संशोधन किए जाने के बावजूद, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सैद्धांतिक एवं तात्विक दोनों स्वरूपों में अधिनियम का कार्यान्वयन किया गया हो। CVC द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि प्रावधान की शुचिता बनाए रखी जा सके और इसे राजनीतिक प्रभाव से संरक्षित किया जा सके। संशोधित अधिनियम को चुनाव सुधारों, राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने, लोक सेवाओं के वि-राजनीतिकरण, पुलिस सुधार, न्यायाधीशों की नियुक्तियों, CBI और लोकपाल के सदस्यों की प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति, जैसे समग्र सुधारों के साथ अनुपूरित करने की भी आवश्यकता है।

VISION IAS

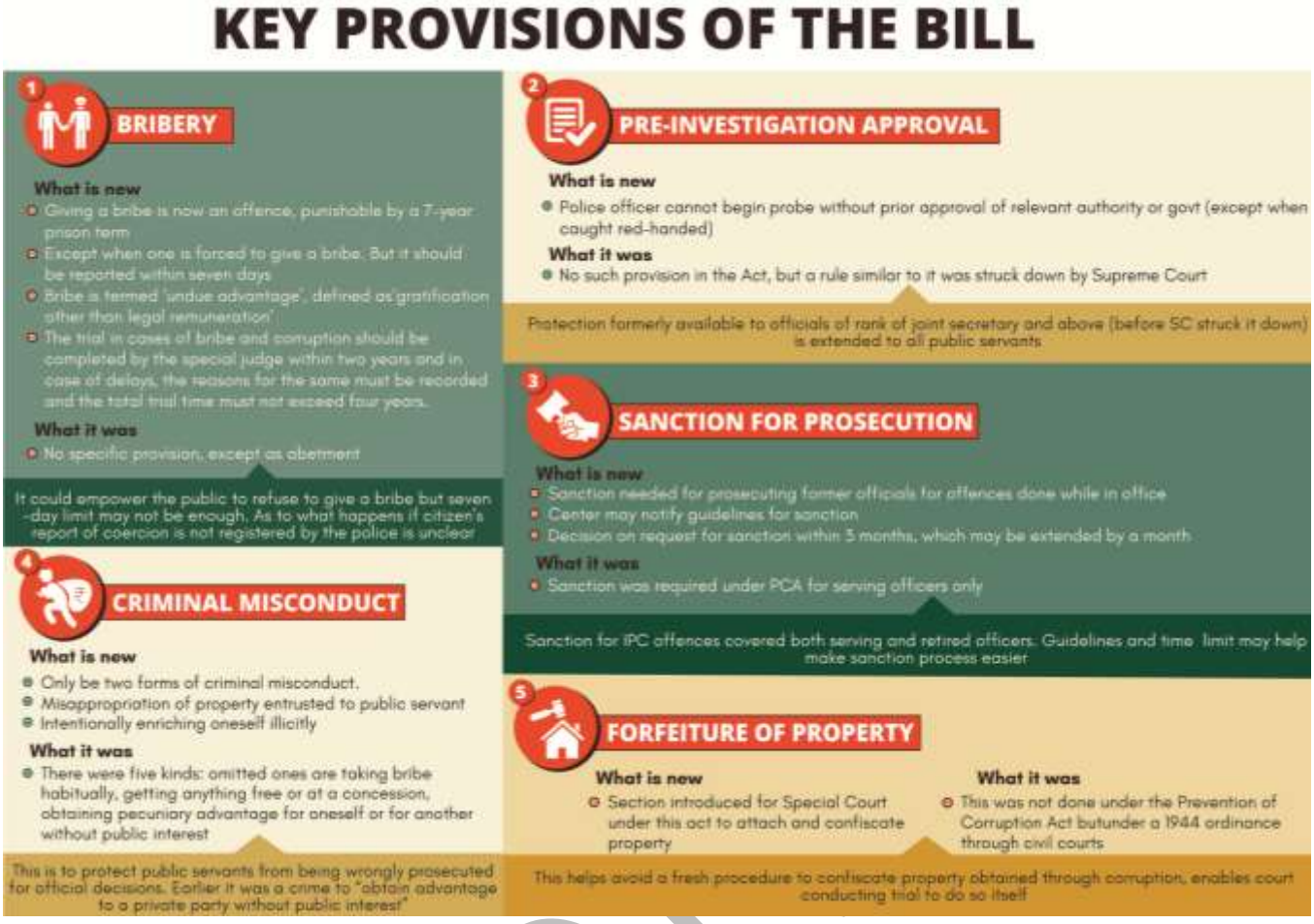

1.3. भारत में खेल संबंधी सट्टेबाजी की वैधता

(Legalising Sports Betting in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के विधि आयोग ने सरकार को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि अवैध सट्टेबाजी एवं जुए को रोकना संभव नहीं है, इसलिए खेल संबंधी सट्टेबाजी को "विनियमित" करना एकमात्र व्यवहार्य विकल्प हो सकता है।

भारत में सट्टेबाजी

- 'जुआ और सट्टेबाजी' संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) में शामिल है जो इन गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार देता है।
- स्वतंत्रता से पूर्व इस प्रकार के भेद नहीं किए गए थे और सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867, देश में जुआ और सट्टेबाजी की गतिविधियों को अधिनियमित करता था।
- सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867, लॉटरी को छोड़कर किसी भी गतिविधि के अवसर और संभावना को प्रतिबंधित करता है। अधिनियम एक कॉमन गेमिंग हाउस को संचालित करने, स्वामित्व रखने और उसमे संलिप्त पाया जाने को प्रतिबंधित करता है, हालांकि, अधिनियम के दायरे में "गेम ऑफ़ स्किल्स" को शामिल नहीं किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ऑनलाइन जुए को प्रतिबंधित करता है और इसके लिए, ऑफ़लाइन जुआ संचालन हेतु निर्धारित दंड से भी अधिक कठोर दंड का प्रावधान करता है।

भारत के विधि आयोग

- यह भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक **कार्यकारी निकाय** है।
- इसका मुख्य कार्य विधिक सुधारों हेतु अनुशंसा प्रदान करना है।
- प्रथम विधि आयोग की स्थापना ब्रिटिश सरकार दवारा 1834 में **लार्ड मैकॉले** की अध्यक्षता में की गयी थी।
- आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।

सट्टेबाजी/जुआ को वैधता क्यों प्रदान की जानी चाहिए?

- इससे प्राप्त धन का उपयोग **जन कल्याण संबंधी गतिविधियों** के लिए किया जा सकता है।
- विनियमन प्राधिकृत एजेंसियों को नाबालिगों और 'प्रॉब्लम -गैम्बलर्स' द्वारा जुए की घटनाओं की पहचान और उसके रोकथाम हेतु सशक्त करेगा।
- **मैच-फिक्सिंग के खतरे** को रोकने के लिए विनियमित सट्टेबाजी की अनुमति दी जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एंटी-करप्शन यूनिट के अनुसार, एक विनियमित बाजार में अवैध सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों की निगरानी करना सरल है।
- अन्य सकारात्मक परिणामों में अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्ति, रोजगार सृजन, पर्यटन का विकास जैसे कई कार्य एक सम्मानजनक उद्योग के रूप में विकसित हो सकते है; और कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के द्वारा किसी भी प्रकार की असुविधा को रोकना, आदि शामिल हैं।
- यह मनी लॉनड्रिंग संबंधी व्यवसाय को नियंत्रित करने में सहायक होगा। वर्तमान में सट्टेबाजी की गतिविधियां अंडरवर्ल्ड द्वारा संचालित की जाती है और अत्यधिक धनराशि को हवाला लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है जिसका प्रयोग आतंकवाद के वित्त पोषण में किया जाता है।

संविधान और सट्टेबाजी

- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत **सूची I की प्रविष्टि 40** के अनुसार, भारत सरकार और किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित है।
- **सूची II की प्रविष्टि 34** के अंतर्गत जुआ के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति राज्य सरकारों को प्रदान की गयी है। अतः, अपने क्षेत्राधिकार में जुए को प्रतिबंधित और विनियमित करने सहित इस विषय पर विधि निर्माण की अनन्य शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि "सट्टेबाजी और जुआ" की अभिव्यक्ति में लॉटरी संबंधी आचरण शामिल है एवं इसे सदैव इसके अंतर्गत शामिल समझा जाना चाहिए।
- चूंकि 'भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी' को संसद की अनन्य विधायी अधिकारिता में एक विषय के रूप में प्रावधानित किया गया है, इसलिए कोई भी राज्य विधानमंडल लॉटरी से संबंधी विधि का निर्माण नहीं कर सकता है।

सट्टेबाजी/जुआ को वैधता क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए?

- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत सामाजिक मानदंडों और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।
- 'नैतिकता पर राजस्व' को प्रभावी करने संबंधी तर्क स्वीकार्य नहीं है। गुजरात, बिहार, मणिपुर, नागालैंड इत्यादि जैसे राज्य, समाज पर इसके दुष्प्रभावों के कारण राजस्व संग्रह के बजाए सामाजिक नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं।
- जुआ व्यक्ति की वित्तीय क्षति का कारण सिद्ध हुआ है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी गतिविधियां समाज के कमजोर वर्गों को प्रायः अकल्पनीय और अपूरणीय तरीके से प्रभावित करती हैं।
- इसका एक प्रमुख दोष **लोन-शार्किंग** है अर्थात जुए के लिए अत्यधिक दरों पर ऋण लेना।
- सरकार की वर्तमान नीति (राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011, आदि), देश का वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिवेश और प्रचलित सामाजिक एवं नैतिक मूल्य सट्टेबाजी एवं जुए को प्रोत्साहित नहीं करते हैं।

सट्टेबाजी पर लोढा समिति

- सट्टेबाजी, (BCCI और IPL नियमों द्वारा नियंत्रित सट्टेबाजी को छोड़कर) को वैधता प्रदान करने की सिफारिश की है।
- विनियामक ढांचा सरकार को मैच फिक्सिंग से सट्टेबाजी को पृथक करने में सक्षम बनाएगा।
- खेल के साथ निकटता से जुड़े खिलाड़ियों, प्रशासकों और अन्य लोगों को पारदर्शिता हेतु अपनी आय और परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- आयु एवं पहचान संबंधी दर्ज किए गए विवरण के आधार पर सट्टा लगाने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किया जायेगा।

अनुशंसाएँ

- **आदर्श विधि:** संसद द्वारा जुए को विनियमित करने हेतु एक आदर्श विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसे राज्यों द्वारा लागू किया जा सकता है।
- **लाइसेंस द्वारा संचालन:** जुआ और सट्टेबाजी, यदि कोई हो, तो उसे केवल गेम लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त भारत के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों द्वारा ही संचालित की जानी चाहिए।

VISION IAS

- **जुआ को परिभाषित किया जाना:** जुआ को दो श्रेणियों, अर्थात् 'प्रॉपर गैंबलिंग' और 'स्माल गैंबलिंग' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्रॉपर गैंबलिंग अमीर वर्ग के लिए होगी जो उच्च लाभ के लिए खेलते हैं, जबकि स्माल गैंबलिंग निम्न-आय वर्गों के लिए होगी।
- **जुए की सीमा का निर्धारण:** सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मासिक, अर्द्ध -वार्षिक और वार्षिक आधार पर जुए के लेनदेन की संख्या पर एक निश्चित सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
- **सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा:** नियमों द्वारा सुभेद्य वर्गों, अवयस्क और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की जुए के माध्यम से किए जाने वाले शोषण से सुरक्षा करने की आवश्यकता है।
- **जोखिम के संबंध में जागरूकता:** जुए/सट्टेबाजी से संबंधित जोखिमों और इन्हें जिम्मेदारी पूर्वक कैसे खेलना है, के संबंध में जानकारी सभी जुआ और सट्टेबाजी के पोर्टल/प्लेटफार्मों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- **विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करना:** कैसीनो/ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी कानूनों और नीतियों में संशोधन किया जाना चाहिए। यह पर्यटन और रोजगार को प्रेरित करेगा।
- **लेनदेन की विधि:** ऑपरेटरों और खिलाड़ियों के मध्य किए गए लेनदेन को अनिवार्य रूप से 'नकद रहित' बनाया जाना चाहिए। यह अधिकारियों को प्रत्येक लेनदेन पर निकटता से नजर रखने में सहायता करेगा ।
- **कराधान:** ऐसी गतिविधियों से अर्जित किसी भी आय को आयकर अधिनियम, 1961, वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 और अन्य सभी प्रासंगिक कानूनों के तहत कर योग्य बनाया जाना चाहिए।
- **दंड:** मैच फिक्सिंग और खेल संबंधी धोखाधड़ी को विशेष रूप से कठोर दंडात्मक प्रावधान के साथ दंडनीय अपराध के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

1.4. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB), 2018

[Fugitive Economic Offenders Bill (FEOB), 2018]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB), 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है ।

पृष्ठभूमि

- आर्थिक अपराधियों से संबंधित ऐसे अनेक मामले घटित हुए हैं जिनमे आपराधिक मामलों की शुरूआत की संभावना के कारण अथवा आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही आर्थिक अपराधी भारतीय न्यायालयों के न्याय क्षेत्र से सुरक्षित भाग जाते है। भारतीय न्यायालयों में ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति के कारण अनेक विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे
  - इससे आपराधिक मामलों में जांच में गतिरोध उत्पन्न होता है, न्यायालयों के बहुमूल्य समय की हानि होती है, और भारत में विधि के शासन का अवमूल्यन होता है।
  - आर्थिक अपराध के ऐसे अधिकांश मामलों में बैंक ऋणों की गैर-अदायगी शामिल होती है, जिससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बदतर हो जाती है।
- इस समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए कानून के मौजूदा सिविल और आपराधिक प्रावधान अपर्याप्त हैं। अतएव, ऐसी गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी, त्वरित और संवैधानिक दृष्टि में मान्य प्रावधानों का होना आवश्यक है।
- उपर्युक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को, प्रचलित विधियों की कमियों को समाप्त करने और आर्थिक अपराधियों द्वारा भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि की प्रक्रिया से बच निकलने की प्रवृतियों पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपायों को निर्धारित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम के द्वारा प्रचलित विधियों के अंतराल को समाप्त करके विधि के शासन को पुनःस्थापित करने की अपेक्षा की गयी है जिससे आर्थिक अपराधियों पर उच्च निवारक प्रभाव आरोपित किया जा सके।
- यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भगोड़ा आर्थिक अपराधियों द्वारा की गयी वित्तीय धोखा-धडी की क्षतिपूर्ति हेतु उच्च वसूली प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा जिससे ऐसे संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार होगा।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम किसी व्यक्ति को एक **भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) के रूप में** घोषित करने की अनुमति प्रदान करता है **यदि**:
  - किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो जहां मामला 100 करोड़ रुपये से अधिक का हो, और
  - उसने देश छोड़ दिया हो और अभियोजन का सामना करने हेतु वापस लौटने से इंकार कर दिया हो।

- यह न केवल लोन डिफॉल्टर और फ्रॉड्सटर को शामिल करता है, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो कर, काले धन, बेनामी संपत्तियों और वित्तीय भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
- **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** विधि प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च एजेंसी होगी।
- किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिए, **एक विशेष अदालत (धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के तहत नामित)** में एक आवेदन दायर किया जाएगा जिसमें जब्त की जाने वाली संपत्ति का विवरण, और व्यक्ति के अता-पता से संबंधित कोई जानकारी शामिल होगी।
- विशेष अदालत को व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने से कम से कम छह सप्ताह का समय दिया जाएगा । यदि व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी।
- यह अधिनियम विशेष अदालत के समक्ष आवेदन लंबित होने की स्थिति में अधिकारियों को **अस्थायी रूप से आरोपी की सम्पत्ति को कुर्क करने** की अनुमति प्रदान करता है।
- FEO के रूप में घोषित होने पर, किसी व्यक्ति की **संपत्ति को जब्त किया जा सकता है** और ऋणभार(संपत्ति से संबंधित अधिकारों और दावों) से मुक्त संपत्ति को केंद्र सरकार से संबद्ध(vested in) किया जा सकता है,।
- भगोड़े के रूप में वर्गीकृत व्यक्ति ,जबतक भारत वापस नहीं आते हैं और अभियोजन का सामना नहीं करते हैं , वे भारत में **कोई भी सिविल केस दायर करने में सक्षम नहीं होंगे** ।

अधिनियम से संबंधित मुद्दे

- **यह न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है:** प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों जैसे -निष्पक्ष व्यवहार, दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष होने , न्याय तक पहुंच आदि का इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों द्वारा उल्लंघन होता है जैसे:
  - किसी व्यक्ति को केवल भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने और उचित सुनवाई(trial) के बिना उसकी संपत्ति की बिक्री।
  - एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी से संबंधित सभी संपत्तियों को जब्त करना, न कि केवल आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त संपत्तियों को ।
- **इसके तहत अधिकारियों को जाँच से पूर्व एक सर्च वारंट प्राप्त करने** या गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने **की आवश्यकता नहीं होती है**। ये सुरक्षा उपाय साक्ष्य से छेड़छाड़ करने और उन्हें विकृत करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- यह अधिनियम एक मनमाना और भेदभावपूर्ण विभेद भी उत्पन्न करता है जिसके आधार पर केवल 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के अपराध पर ही FEOBs के प्रावधानों लागू होंगे।
- अधिनियम के अधिकांश प्रक्रियात्मक आयाम **प्रचलित कानूनों** जैसे CrPC 1973 और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 **के समान** हैं। उदाहरण के लिए, CrPC 1973 भी भगोड़े अपराधी की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की अनुमति प्रदान करता है।
- **जब्त संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग स्पष्ट नहीं किया गया है:** अधिनियम निर्धारित करता है कि एक FEO की संपत्ति जब्त की जाएगी और केंद्र सरकार में संबद्ध (vested in) की जाएगी। केंद्र सरकार **90** दिनों के बाद संपत्तियों का निपटान कर सकती है। हालांकि, अधिनियम यह निर्धारित नहीं करता है कि केंद्र सरकार बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग कैसे करेगी अर्थात क्या सरकार बिक्री से प्राप्त आय उन लोगों के साथ साझा करने के लिए बाध्य होगी जिन्होंने FEO के विरुद्ध दावा किया है।

1.5 केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964

[Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964]

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964 [CCS (conduct) rules,1964] के कई प्रावधानों का प्रयोग प्रायः लोक सेवकों के विरुद्ध किया जाता है, जिससे उनके मौलिक अधिकार बाधित होते हैं।

नियमावली से संबंधित पृष्ठभूमि

- **यह नियमावली 'क्या करें तथा क्या न करें' संबंधी नियमों के एक समूह की व्यवस्था करती है:** ये नियम सिविल सेवकों से पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने, कर्तव्यपरायणता तथा राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की मांग करती हैं जो किसी भी लोक सेवक हेतु अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। परन्तु कुछ प्रतिबन्धों एवं उनके मौलिक अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न हो सकता हैं। उदाहरणार्थ -
  - लोक सेवकों के किसी समाचार-पत्र या पत्रिका के संपादन या प्रबंधन में भाग लेने पर प्रतिबन्ध।
  - स्टॉक ब्रोकर्स के माध्यम से किए गए यदा-कदा निवेशों को छोड़कर स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में सट्टेबाजी पर निषेध।
  - लोक सेवकों के उपहार प्राप्त करने, सम्पत्ति खरीदने व बेचने, वाणिज्यिक निवेश करने, कंपनियों को प्रोत्साहन देने तथा सेवानिवृति के पश्चात् व्यावसायिक नियोजन प्राप्त करने पर प्रतिबंध।

वर्ष 1964 में, भ्रष्टाचार की रोकथाम पर समिति (**संथानम समिति)** की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए इन नियमों को वृहद् पैमाने पर अभिवर्द्धित किया गया।

नियमावली के नियम 9 से संबंधित मुद्दे:

- **नियम 9** किसी भी लोक सेवक को तथ्य या मत, जो केंद्र सरकार या एक राज्य सरकार की किसी प्रचलित या नवीन नीति अथवा कार्यवाही की एक **प्रतिकूल आलोचना** का प्रभाव रखता है, के किसी व्यक्तव्य को अपने नाम या अनामिता या छद्मनाम से प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करता है।
- निगरानी तथा अनुशासनात्मक दृष्टिकोण लोक सेवक से बिना आलोचना और समान एवं संदेह रहित आज्ञा पालन की मांग करते हैं। यह संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत प्रत्याभूत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करता है।

अनुच्छेद 19(1)(a): भारत के सभी नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रत्याभूत करता है। यह अधिकार **अनुच्छेद 19(2)** के तहत युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है।

अनुच्छेद 19(2) निम्नलिखित निर्बंधनों को शामिल करता है: भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन।

नियम 9 की पक्ष में तर्क

- लोक सेवक **स्थायी कार्यपालक** होते हुए भी विभिन्न चयनित कार्यपालकों के साथ कार्य करते हैं। इस मामले में उनकी राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। अतः यह लोक सेवकों की राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करता है, तथा इसके उल्लंघन के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाहियां न्यायोचित हैं।

नियम 9 के विपक्ष में तर्क

- **एक लोक सेवक का पद प्राप्त करने से कोई अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं करता:** उच्चतम न्यायालय ने **कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, 1962** के वाद में निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों पर लागू होता है तथा लोक सेवक भी अन्य सभी नागरिकों के साथ सम्मिलित रूप से सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है।
- उच्चतम न्यायालय ने **विजय शंकर पाण्डेय बनाम भारत संघ वाद, 2014** में दोहराया कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकार लोक सेवा का सदस्य बनने के पश्चात् कम नहीं होते।
- सरकार द्वारा लोक सेवकों में अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु प्रमुखता से प्रयुक्त, अनुच्छेद 19(2) के तहत वर्णित युक्तियुक्त निर्बंधन **'लोक व्यवस्था'** को अनेक न्यायिक निर्णयों में परिभाषित किया गया है। **केन्द्रीय कारागार अधीक्षक बनाम राम मनोहर लोहिया,1960** के वाद में यह निर्णय दिया गया था कि लोक व्यवस्था लोक सुरक्षा तथा शांति का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ अव्यवस्था(स्थानीय हित के उल्लंघन सहित) की अनुपस्थिति है। हालांकि अनुच्छेद 19(2) केवल तब प्रभावी होता है जब व्यक्त विचार लोक अव्यवस्था उत्पन्न करने योग्य उत्तेजना के स्तर तक पहुंच जाते हैं।
- वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार में आलोचना अंतर्निहित है, जबकि नियम 9 एक आधारभूत पूर्वधारणा का निर्माण करता है कि सरकार की कोई भी आलोचना अनुशासनहीनता तथा अधीनता की पर्यायवाची है। आलोचना का अर्थ अवज्ञा नहीं होता तथा सरकार की आलोचना करना सरकार के आदेशों की अवमानना के समतुल्य नहीं है।
- **औपनिवेशिक उत्पत्ति:** ये नियम जो देश में सभी लोक सेवकों पर लागू होते हैं औपनिवेशिक काल के हैं तथा औपनिवेशिक मनोभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। साथ ही ये, निगरानी और आदेश के द्वारा निर्देशित होते हैं तथा मानसिकता को नियंत्रित करते हैं।

VISION IAS

लोक सेवक और मौलिक अधिकार

- अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों तथा पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को संशोधित करने की अधिकारिता संसद में निहित की गयी है। संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार सभी नागरिकों, जिनमे स्पष्टत: लोक सेवक शामिल हैं, को प्राप्त हैं।
- यद्यपि लोक सेवक एक नागरिक की ही भांति मौलिक अधिकार प्राप्त करता है तथा राज्य को भी अनुच्छेद 309 के तहत 'उनकी सेवा शर्तों' को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
- **वर्तमान में,** राज्य के अधीन सेवा के हित लोक सेवा के पक्ष में दक्षता, ईमानदारी, निष्पक्षता और अनुशासन तथा अन्य संबंधित गुणों की मांग करते हैं। इस प्रकार राज्य को यह सुनिश्चित करने की कि प्रत्येक लोक सेवक इन गुणों को धारण करे तथा किसी व्यक्ति को जिसमें इन गुणों का अभाव है उसे लोक सेवा में शामिल होने से रोकने की अधिकारिता प्राप्त है।
- अत:, लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित राज्य विनियमन के माध्यम से उनके मौलिक अधिकारों पर आरोपित निर्बंधन केवल उस सीमा तक ही वैध होंगे जिस सीमा तक ये दक्षता, अखंडता, निष्पक्षता, अनुशासन, उत्तरदायित्व और अन्य समान गुणों के हित में उचित रूप से अनिवार्य हैं। साथ ही, इन गुणों का लोक सेवा शर्तों के साथ-साथ सामान्य आधारों के साथ 'प्रत्यक्ष, निकटवर्ती और तर्कसंगत' होना भी अनिवार्य है। सामान्य आधारों के अंतर्गत ऐसे आधार शामिल हैं जिन पर सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त लोक व्यवस्था।

सरकार द्वारा किए गए उपाय

- **वर्ष 1957** में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने लोक सेवाओं हेतु एक **नैतिक संहिता** तैयार की थी, जिसके अंतर्गत सत्यनिष्ठा और आचारण के मानकों को निर्धारित किया गया था। हालाँकि इसे कभी जारी नहीं किया गया।
- वर्ष **2006** में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा सभी लोक सेवकों हेतु राजनीतिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आदि पर बल देते हुए एक **लोक सेवा विधेयक** का मसौदा तैयार किया था परन्तु इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** ने अपनी **चौथी रिपोर्ट (2007)** में लोक सेवकों हेतु एक नैतिक संहिता लागू करने की अनुशंसा की थी तथा सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, पारदर्शी उत्तरदायित्व, कर्तव्यनिष्ठा और आदर्श व्यवहार जैसे **'सिविल सेवा मूल्यों'** के एक संग्रह पर बल दिया था, जिसके उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया गया था।

आगे की राह

- केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964 को अन्य देशों की भांति स्व-विनियमन, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता पर आधारित **'नैतिक संहिता'** के एक वृहद् संग्रह द्वारा विस्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ यूके में सिविल सर्विसेज वैल्यूज (2006) तथा एक विधिक रूप से प्रवर्तनीय आचार संहिता के अनुसार सिविल सेवकों से सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठा तथा निष्पक्षता के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। यूएस में लोक सेवक 1958 में तैयार की गई एक नैतिक संहिता का अनुसरण करते हैं। यूएस ऑफिस ऑफ़ गवर्नमेंट एथिक्स कर्मचारियों के लिए उच्च नैतिक मानदंडों को प्रोत्साहित करने हेतु एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट,1978 के तहत स्थापित किया गया था। इसी प्रकार, OECD परिषद तथा यूरोपीय संघ दोनों ने लोकसंस्थाओं में कर्मचारियों के नैतिक आचरण को शासित करने के सिद्धांतों का एक विस्तृत संग्रह निर्धारित किया है।
- लोक सेवकों का नागरिकों के प्रति अग्रसक्रिय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु वरीयता के आधार पर लोक सेवा विधेयक अनिवार्य रूप से अधिनियमित किया जाना चाहिए।

1.6. गैर निष्पादक एनजीओ

(Non Performing NGOs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास विभाग ने ब्लैकलिस्टेड एनजीओ (blacklisted NGOs) की सूची जारी की है। इससे लोगों को अपने क्षेत्र में निष्पादक (performing) और गैर निष्पादक (non-performing) संगठनों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी।

ब्लैकलिस्टेड नॉन-परफॉर्मिंग NGOs वाले राज्य		
राज्य	**सक्रीय**	**निष्क्रिय**
ओडिशा	70	289
आंध्रप्रदेश	41	149
उत्तर प्रदेश	78	78
तमिलनाडु	49	66
दिल्ली	158	43
तेलंगाना	18	42

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- वे गैर-सरकारी संगठन(NGO) जिनके पास **दर्पण पोर्टल** पंजीकरण संख्या नहीं है उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाला गया है। ज्ञातव्य है कि इस पोर्टल पंजीकरण सुविधा को सरकार हेतु प्रमाणित निकायों को सूचीबद्ध करने के लिए नीति आयोग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त यह पोर्टल **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) पंजीकरण संख्या** प्राप्त या **किसी अन्य मंत्रालय** या नाबार्ड (NABARD), राष्ट्रीय महिला आयोग आदि जैसे **स्वायत निकायों द्वारा ब्लैकलिस्टेड** निकायों को सूचीबद्ध करने में भी सहायक हैं।
- हालाँकि NGOs का मानना है कि मानदंड पारदर्शी नहीं हैं तथा निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने से पूर्व उन्हें कोई सूचना या नोटिस उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

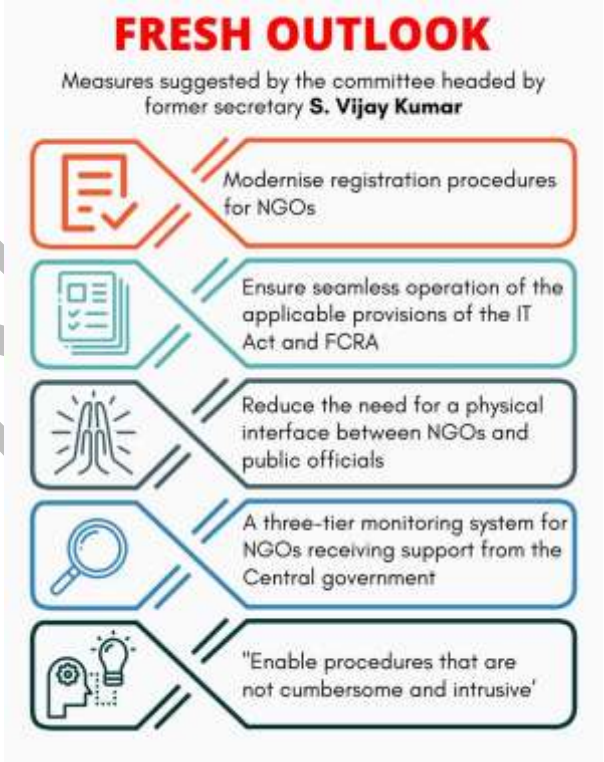

पृष्ठभूमि

- CBI तथा IB की रिपोर्ट सहित विभिन्न रिपोर्टों ने दर्शाया है कि अधिकांश NGOs द्वारा प्राप्त अंशदान का दुर्विनियोजन किया गया है। ऐसे NGOs के कारण भारत को अपनी जीडीपी के 2-3% तक की क्षति उठानी पड़ी है।
- इसीलिए वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से NGOs के लिए सरकारी अंशदान के विनियमन हेतु एक विधि प्रवर्तन की जांच करने तथा अंशदान के दुरुपयोग व दुर्विनियोजन या वार्षिक विवरण के मामले में उन्हें अभियोजित करने के लिए निर्देश दिया था।
- इस प्रतिक्रिया में केंद्र द्वारा **ऐसे पथ भ्रष्ट NGOs को ब्लैकलिस्टेड करने हेतु दिशा-निर्देशों** जारी किए गए।
- ग्रीनपीस, एमनेस्टी तथा कोरडेड सहित विभिन्न NGOs पर्यावरण संरक्षण या मानवाधिकार समर्थन हेतु अभियानों को प्रायोजित करके पश्चिमी सरकारों के विदेशी नीतिगत हितों के लिए उपकरणों के रूप में कार्य करने के दोषी थे।

NGOs की वैधता से संबंधित अन्य मुद्दे

- NGOs की संगठनात्मक संरचना की **स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता:** उदाहरणार्थ बोर्ड की भूमिका एवं संरचना, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन संरचना इत्यादि के संदर्भ में निरंतर प्रश्न किए जा रहे हैं।
- एक NGO के **व्यक्तियों से संबंधों, उद्देश्य की पारदर्शिता तथा अनुपालन,** प्रतिनिधित्व स्थिति (यह किसका प्रतिनिधित्व करता है?), सेवित समुदाय से संबंध आदि से संबंधित प्रश्न भी किए जा रहे हैं।
- **एक समाज सेवा आपूर्ति अभिकर्ता के रूप में NGOs** की प्रभावशीलता: सामान्य रूप से इसका तात्पर्य प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता एवं मात्रा से है जैसे कि दवाओं, खाद्य पदार्थों आदि का वितरण। अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी, निधियों का अभाव आदि भी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

NGOs का विनियमन

- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) 2010 में प्रावधानित किया गया था। इसके तहत सभी NGOs को विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी NGOs को अब उनके FCRA लाइसेंस हेतु पुन:पंजीकरण करवाना होगा। स्थाई FCRA लाइसेंस से युक्त संगठनों को अब अपने लाइसेंस को प्रत्येक पांच वर्षों में नवीकृत करवाना आवश्यक होगा।
    - यह अनुमान लगाया गया है कि विदेशी अंशदान प्राप्ति हेतु आवश्यक कम से कम 10000 FCRA लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया है।
    - सरकार ने कई प्रमुख NGOs को पांच क्रमागत वर्षों के उनके वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में असफल होने के पश्चात् विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
    - मंत्रालय ने सम्पूर्ण देश के NGOs को उनके बैंक खातों जिनमें वे विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं को सत्यापित करवाने का निर्देश दिया था। वर्ष 2017 में जारी एक परिपत्र (circular) में गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि FCRA के तहत पंजीकृत सभी NGOs को एक एकल निर्दिष्ट बैंक खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करना चाहिए।

आगे की राह

- सरकार को NGOs द्वारा अंशदान के दुरुपयोग की जांच हेतु आयोगों या पुन:जांच हेतु समितियों को नियुक्त करना चाहिए। समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर NGOs की गतिविधियों का निरिक्षण एवं निगरानी भी की जानी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा **एस. विजय कुमार समिति** की अनुशंसाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- भारत में NGOs राजनेताओं को उत्तरदायी बनाने हेतु अनेक चुनावी सुधार कराने में सफल हुए हैं। साथ ही NGOs द्वारा सरकारी व्यवस्था को उत्तरदायी बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि, वर्तमान समय में भारत में कार्यरत NGOs को अपनी ऊर्जा को अपने स्वयं के उत्तरदायित्व में वृद्धि करने हेतु केन्द्रित करना चाहिए।

पूर्व सचिव एस.विजय कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुझाए गए कुछ उपाय:

- NGOs हेतु आधुनिकीकृत पंजीकरण प्रक्रियाएं।
- IT अधिनियम तथा FCRA के प्रयोज्य प्रावधानों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना।
- NGOs तथा सरकारी अधिकारियों के मध्य एक भौतिक इंटरफ़ेस की आवश्यकता को कम करना।
- केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले NGOs हेतु एक तीन स्तरीय निगरानी प्रणाली।
- उन प्रक्रियाओं को सक्षम बनाना जो बोझिल और अनुचित हस्तक्षेपकारी नहीं हैं।

1.7. व्यावसायिक अदालतों, व्यावसायिक डिवीजन और उच्च न्यायालयों के व्यावसायिक डिवीजन (संशोधन) विधेयक 2018

(Commercial Courts, Commercial Division And Commercial Appellate Division Of High Courts (Amendment) Bill, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा द्वारा व्यावसायिक अदालत (संशोधन) विधेयक 2018 पारित किया गया था।

विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान

- व्यावसायिक अदालतों और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक विभागों की व्यावसायिक विवादों को स्वीकार करने हेतु **निर्दिष्ट मूल्य संबंधी सीमा** को एक करोड़ रुपये से घटाकर **तीन लाख रुपये** कर दिया गया है।
    - हालांकि चिंता का विषय यह है कि तीन लाख रूपए से ऊपर के सभी व्यावसायिक विवादों का व्यावसायिक अदालतों में स्थानान्तरण उन पर **अतिरिक्त भार** डाल सकता है तथा इन अदालतों की स्थापना के उद्देश्यों को निष्फल कर सकता है।
- **यह राज्य सरकार को जिला स्तर पर,** उन क्षेत्रों में भी जहाँ उच्च न्यायालयों का सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकार विस्तारित है (चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा हिमाचल प्रदेश राज्य) में भी, संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के पश्चात् **व्यावसायिक अदालतों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना।**

- **व्यावसायिक अपीलीय न्यायालय:** उन क्षेत्रों में जहाँ उच्च न्यायालयों का मूल दीवानी क्षेत्राधिकार विस्तारित नहीं है, राज्य सरकार जिला स्तर पर व्यावसायिक अपीलीय अदालतों की स्थापना कर सकती है। ये अदालतें जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे की व्यावसायिक अदालतों से अपीलों पर विचार करने हेतु प्राधिकृत होंगी।
- विधिक सेवा प्राधिकरण,1987 के तहत गठित प्राधिकरणों के माध्यम से न्यायालयों के बाहर व्यावसायिक विवादों के समाधान हेतु पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए **संस्थान पूर्व मध्यस्थता (PIM) प्रक्रिया प्रारम्भ करने** का प्रावधान किया गया है। मध्यस्थता प्रक्रिया को तीन माह (अन्य दो माह हेतु बढ़ाया जा सकता है) की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है।
- **नियम-निर्माण शक्ति केंद्र में निहित होगी:** यह एक नई धारा 21A को प्रस्तावित करता है, जो PIM हेतु नियमों और प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए केंद्र को सक्षम बनाता है।

लाभ

- यह निम्न मूल्यों के व्यावसायिक विवादों के समाधान में **लगने वाले समय** (वर्तमान में 1445 दिन) **को कम करेगा**।
- यह अनेक विवादों को व्यावसायिक अदालतों के दायरे में लाएगा जिससे **विश्व बैंक की ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नस रिपोर्ट में** अनुबंधों की प्रवर्तनीयता संबंधी मापदंडों में भारत के रैंकिंग में सुधार होगा।
- पूर्व-संस्थान मध्यस्थता का विश्वव्यापी अनुभव सकारात्मक है अतः यह भारत में भी मुकदमेबाजी कम हो सकती है।
- यह व्यावसाय की स्थापना और संचालन हेतु निवेशकों के लिए एक हितकर विनियामक परिवेश के सृजन में सहायता करेगा।

व्यावसायिक अदालतों, व्यावसायिक डिवीजन और उच्च न्यायालयों के व्यावसायिक डिवीजन अधिनियम 2015

- 'व्यावसायिक विवाद' शब्द को समावेशी और व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह अधिनियम अनिवार्य रूप से व्यावसायिक विवादों से निपटने हेतु सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय में एक 'व्यावसायिक डिवीज़न तथा जिला स्तर पर एक 'व्यावसायिक अदालत की स्थापना का प्रावधान करता है।
- उच्च न्यायालय की व्यावसायिक डिवीज़न के आदेश तथा व्यावसायिक अदालतों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने हेतु प्रत्येक उच्च न्यायालय में व्यावसायिक अपीलीय डिवीज़न्स स्थापित किए जायेंगे।
- यह विधेयक प्रावधानित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक मध्यस्थता से संबंधित आवेदन और अपील संबंधित उच्च न्यायालय के व्यावसायिक डिवीज़न द्वारा सुनी जाएगी।
- यह व्यावसायिक विवादों तथा अपीलों के समयोचित निपटान को सुनिश्चित करता है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

(International Relations)

2.1. प्रवासन हेतु वैश्विक समझौता

(Global Compact For Migration)

सुर्ख़ियों में क्यों

- संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों (यू.एस. और हंगरी को छोड़कर) ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए प्रवासन हेतु वैश्विक समझौते पर सहमति व्यक्त की है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रेफ्यूजीज़ एंड माइग्रेंट्स** (शरणार्थियों एवं प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा) को अपनाया गया था। इस घोषणा में सदस्य राष्ट्रों से यह आग्रह किया गया है कि:
  - उनकी प्रवास संबंधी स्थिति के बावजूद, सभी प्रवासियों की सुरक्षा, गरिमा, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए;
  - देशों को बड़ी संख्या में शरणार्थियों और प्रवासियों को बचाने, अपने देश में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति देने और उन्हें शरण प्रदान करने में सहायता प्रदानकी जाए;
  - मानवीय एवं विकास सहायता ढांचा और योजना के सन्दर्भ में प्रवासियों तथा ही उन्हें शरण देने वाले देश के समुदायों, दोनों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर विचार करते हुए प्रवासियों को एकीकृत किया जाए;
  - सभी प्रवासियों के प्रति स्थानीय लोगों में भय की भावना (xenophobia), नस्लवाद और भेदभाव को समाप्त करना चाहिए;
  - सुभेद्य परिस्थितियों में प्रवासियों की सहायता करने हेतु राज्य द्वारा संचालित प्रक्रिया, गैर-बाध्यकारी सिद्धांतों और स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों का विकास किया जाए; तथा
  - संयुक्त राष्ट्र में प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना और **सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते** के विकास के माध्यम से प्रवासन के वैश्विक शासन को सुदृढ़ बनाया जाए।
- परिणामतः, इस बात की आशा की जा रही है कि दिसम्बर में सदस्य राष्ट्र मोरक्को में **प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते** को औपचारिक रूप से अपना लेंगे।
- न्यूयॉर्क घोषणा द्वारा **शरणार्थियों पर वैश्विक समझौते** के लिए एक अलग वार्ता प्रक्रिया भी स्थापित की गयी है जिसका लक्ष्य है:
  - मेजबान देशों पर दबाव को कम करना
  - शरणार्थियों की आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना
  - थर्ड कंट्री सॉल्यूशन तक पहुंच का विस्तार करना
  - शरणार्थियों की सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण वापसी के लिए मूल देशों में परिस्थितियों को बेहतर बनाने में सहायता करना

प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते के विषय में

- यह **SDG के लक्ष्य 10.7 के अनुरूप निर्मित किया गया है** जिसके अंतर्गत सदस्य राष्ट्र सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- यह वैश्विक समझौता एक सामान्य समझ, साझा उत्तरदायित्वों और प्रवासन संबंधी उद्देश्य की एकता निर्धारित करता है, जिससे यह सभी के लिए कार्य कर सके।
  - यह भी आवश्यक है कि वर्तमान एवं संभावित प्रवासियों को अधिकारों के संबंध में पूर्ण जानकारी और अनियमित प्रवासन के जोखिमों के संबंध में जागरूकता होनी चाहिए
  - साझा उत्तरदायित्व का होना क्योंकि कोई भी देश अकेला प्रवासन की चुनौतियों और अवसरों का समाधान नहीं कर सकता है
  - उद्देश्य की एकता के रूप में समझौते की सफलता पारस्परिक विश्वास, दृढ़ संकल्प और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रों के समन्वय पर निर्भर है

प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते के सिद्धांत

- **जन केंद्रित दृष्टिकोण:** यह प्रवास, पारगमन और गंतव्य देशों में प्रवासियों एवं समुदायों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय संप्रभुता:** यह स्वयं की प्रवास नीति निर्धारित करने के लिए राष्ट्रों के संप्रभु अधिकार की रक्षा करता है।
- **विधि का शासन एवं सम्यक प्रक्रिया।**

VISION IAS

- **सतत विकास:** सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रवासन की क्षमताओं का लाभ उठाना।
- **मानवाधिकार:** गैर-प्रतिगमन (non-regression) और गैर-भेदभाव(non discrimination) के सिद्धांतों को बनाए रखता है।
- **जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस (लैंगिक अनुक्रियात्मकता)।**
- **बच्चों के प्रति संवेदनशील।**
- **सरकार के स्तर पर एकीकृत दृष्टिकोण:** सरकार के सभी क्षेत्रों और स्तरों पर नीतिगत सामंजस्य स्थापित करना।
- **समाज के स्तर पर दृष्टिकोण:** बहु-हितधारक साझेदारी को बढ़ावा देता है।

- **समझौते के प्रमुख उद्देश्य:**
  - लोगों को अपने मूल देश छोड़ने के लिए विवश करने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों और संरचनात्मक कारकों को कम करना।
  - नियमित प्रवासन के लिए मार्गों की उपलब्धता और सुगमता को बढ़ावा देना तथा प्रवासन से संबंधित सुभेद्यता को कम करना।
  - एक एकीकृत, सुरक्षित और समन्वित तरीके से सीमाओं का प्रबंधन करना।
  - प्रवासन पर रोक का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में अपनाना तथा अन्य विकल्पों को तलाशना।
  - पूर्ण समावेशन और सामाजिक सामंजस्य की प्राप्ति हेतु प्रवासियों और समाजों को सशक्त बनाना।
  - सामाजिक सुरक्षा अधिकारों (social security entitlements) और अर्जित लाभों की सहजता के लिए तंत्र स्थापित करना।

समझौते का महत्व

- यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है**। यह न तो कोई आदेश और न ही कोई आरोपण लागू करता है। यह राष्ट्रों की संप्रभुता का पूर्णतः सम्मान करता है।
- यह जटिल और विवादास्पद मुद्दों पर बहुपक्षवाद (वैश्विक सहयोग की मांग करने वाले मुद्दों पर एकजुट होने की हमारी क्षमता) की संभावना को प्रदर्शित करता है अर्थात्
- यह **प्रवासन के कारण के रूप में जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करता** है और इस चुनौती के समाधान हेतु एक दृष्टिकोण विकसित करता है।
- यह सुभेद्य जनसंख्या के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, जिन्हें प्रवासन के दौरान प्राय: आतंक एवं हमलों का सामना करना पड़ता है।

चुनौतियां

- **समन्वय**: संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त उत्तर-दक्षिण विभाजन की भू-राजनीति एवं प्रवासन नीति के मध्य भी द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है।
- **प्रवासन हेतु वैश्विक समझौते के उद्देश्यों का परिचालन:** इस सम्बन्ध में कोई समयसीमा या रोडमैप प्रदान नहीं किया गया जिसके कारण विभिन्न देशों द्वारा इसके क्रियान्वयन में अत्यधिक अंतर आ सकता है। इसके साथ ही प्रत्येक उद्देश्य के परिचालन में, सर्वोत्तम प्रवासन नीतियों के संबंध में नेपथ्य में चल रहे महत्वपूर्ण विवाद भी अपनी भूमिका निभायेंगे।
- **निगरानी संबंधी कार्यान्वयन:** वर्तमान में, निगरानी तंत्र मुख्य रूप से इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यु फोरम में ही अन्तर्निहित हैं।इस फोरम की बैठक चार वर्षों में एक बार होती है अतः स्वाभाविक रूप से राज्य नीतियों पर इसका अत्यल्प प्रभाव देखने को मिलता है।
- **वित्त पोषण:** समझौते का *कॉन्सेप्ट नोट* परियोजना के लिए सीड-फंडिंग उपलब्ध कराने हेतु स्टार्ट-अप फंड का प्रावधान भीं करता है किन्तु इस वित्त पोषण के पैमाने और परिचालन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं देता है।
- स्वैच्छिक गैर-बाध्यकारी समझौता होने के कारण इस समझौते की प्रभावकारिता पर प्रश्न उठाया गया है।

निष्कर्ष

- प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता विश्व के प्रवासियों की सहायता करने का एक अवसर है, परन्तु इस समझौते का स्वत: ही क्रियान्वयन नहीं होगा। इस समझौते की प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने और अभिकर्ताओं का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु इसे समग्र रूप से और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। GCM द्वारा पांच परिचालन घटकों को निर्धारित किया गया हैं- क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यवाही, अनुसंधान और सूचना केंद्र, क्षमता निर्माण तंत्र, प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क तथा समीक्षा मंच। किन्तु इस समझौते के कार्यान्वयन हेतु मुख्य हितधारकों, विशेष रूप से सदस्य राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों एवं नागरिक समाज को संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी चाहिए।

2.2. 10वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मलेन

(10th BRICS Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 10वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25 से 27 जुलाई तक हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की विषय-वस्तु - '**अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग**' थी।

ब्रिक्स (BRICs) संबंधी तथ्य

- **ब्रिक्स** 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ' नील द्वारा विकसित संक्षिप्त शब्द है। आधिकारिक रूप से 2006 में गठित इस संगठन में मूल रूप से चार उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थीं। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। तदुपरांत 2010 में, दक्षिण अफ्रीका समूह का 5वाँ सदस्य बना।

नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी (PartNIR)

- इसका लक्ष्य अवसरों को अधिकतम करने हेतु डिजिटलीकरण, औद्योगीकरण, नवाचार, समावेशिता और निवेश के लिए ब्रिक्स सहयोग को सुदृढ़ बनाना तथा चौथी औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है।
- यह तुलनात्मक लाभ, आर्थिक विकास में वृद्धि, ब्रिक्स देशों का आर्थिक रूपांतरण को बढ़ावा, सतत औद्योगिक उत्पादन क्षमता को मजबूत, विज्ञान पार्कों एवं टेक्नोलॉजी बिज़नस इनक्यूबेटर के नेटवर्क की निर्माण तथा प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करेगा।

जोहान्सबर्ग घोषणा से संबंधित तथ्य

इसमें लोकतंत्र, समावेशिता के सिद्धांतों की पुन: पुष्टि की गई तथा एकपक्षीयता और संरक्षणवाद से निपटने को लेकर सहमति व्यक्त की गई है। जोहान्सबर्ग घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली:** इसमें विश्व व्यापार संगठन आधारित "पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण, नियम-आधारित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार की केंद्रीयता" पर बल दिया गया है।
- **संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता:** यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। इसके साथ ही यह निष्पक्ष, न्यायोचित एवं समान वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान, लोकतंत्र के प्रोत्साहन और विधि के शासन का समर्थन करता है।
- **चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्व:** यह चौथी औद्योगिक क्रांति के संचालकों में से एक के रूप में संस्कृति के महत्व और भूमिका को मान्यता प्रदान करता है और इसके द्वारा प्रस्तुत आर्थिक अवसरों को स्वीकार करता है। **यह नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी (PartNIR) की स्थापना की अनुसंशा करता है।**
- **काउंटर टेररिज्म के संबंध में:** यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वास्तविक रूप में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी गठबंधन स्थापित करने और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वयकारी भूमिका का समर्थन करता है। यह संयुक्त राष्ट्र से **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय** (Comprehensive Convention on International Terrorism:CCIT) को अतिशीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने की मांग करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर सहयोग को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता** के साथ ही **वाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्धा** संबंधी चिंताएं भी विद्यमान हैं। अत: यह बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के कठोर अनुपालन की मांग करता है।
- **ब्राजील में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना:** घोषणापत्र के अंदर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फण्ड के निर्माण और साओ पाउलो (ब्राजील) में NDB के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है, जो अफ्रीकी क्षेत्रीय केंद्र के साथ-साथ इन महाद्वीपों में NDB की उपस्थिति को समेकित करने में सहायक होगा।

ब्रिक्स का महत्व

- **यह समूह पांच देशों और चार महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है:** यह विश्व की जनसंख्या के 43%, कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 22% और वैश्विक व्यापार के 17% का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिक्स देशों का संयुक्त उत्पादन वर्ष 2020 तक अमेरिका, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो जाएगा।
- **प्रभावशाली समूह :** इसमें चार विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ रूस भी शामिल है जो एक बहु-ध्रुवीय विश्व के निर्माण को बढ़ावा देता है। ब्रिक्स ने अपने हितों की सीमाओं का विस्तार किया है और नए संस्थानों एवं साझेदारी की स्थापना की है। उदाहरण के लिए, **न्यू डेवलपमेंट बैंक** जैसे संस्थानों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए तंत्र की अग्रणी भूमिका हेतु नवीन प्रेरक बलों को बढ़ावा दिया है।
- यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में IMF सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसे **वैश्विक मुद्दों का समाधान करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।** ब्रिक्स राष्ट्र समानता, वार्ता और व्यावहारिक सहयोग के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।

VISION IAS

- यह सदस्यों से संबंधित **द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने हेतु एक मंच प्रदान** करता है। उदाहरण के लिए भारत ने चीन के साथ अविश्वास और समस्याओं को हल करने के लिए शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठकों का उपयोग करने का प्रयास किया है।
- **'अफ्रीका तक ब्रिक्स की पहुंच' और 'ब्रिक्स प्लस' प्रारूप:** 2017 में ज़ियामेन शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स प्लस को आरंभ किया गया था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कुछ देश भी सम्मिलित थे। इसे जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान भी अपनाया गया था। यह विभिन्न नेताओं के मध्य नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है।
- **ब्रिक्स के अंतर्गत विविध एजेंडे:** यह वैश्विक शासन सुधार, ब्रिक्स जेंडर एंड वीमेन फोरम की स्थापना के प्रस्ताव द्वारा महिला सशक्तिकरण और नई टीकों की खोज के लिए अनुसंधान, विकास एवं टीकाकरण हेतु एक वैक्सीन रिसर्च सेंटर की स्थापित की दिशा में कार्य कर रहा है।
- अर्थव्यवस्था और व्यापार, वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति, थिंक टैंक्स और ट्विंड (twinned) सिटी जैसे क्षेत्रों में **बहु-स्तरित व्यावहारिक सहयोग** स्थापित किया गया है जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

संबंधित चिंताएँ

- **यह अभी भी अपने प्रारंभिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है**, जैसे a) वैश्विक वित्तीय शासन में सुधार; b) संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) के विस्तार संबंधी कार्य में धीमी प्रगति।
- **सदस्यों के विरोधाभासी विचार:** उदाहरण के लिए चीन द्वारा भारत के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों की घोषणा करने के कदम का विरोध किया गया है। चीन भारत के UNSC और NSG में सदस्यता प्राप्त करने के प्रयासों के विरुद्ध भी है। भारत द्वारा समर्थित **ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी** पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- **सदस्यों के मध्य समानता का अभाव:** चीन तथा रूस को छोड़कर ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश हैं। ब्राजील और रूस हाइड्रोकार्बन का निर्यात करते है, वहीँ चीन और भारत हाइड्रोकार्बन के शुद्ध आयातक हैं। चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जबकि अन्य देश इसके सदस्य नहीं हैं। वित्तीय प्रणालियों की संरचना, आय, शिक्षा, असमानता, स्वास्थ्य के स्तर संबंधी चुनौतियों में भी ब्रिक्स देशों के मध्य काफी असमानता है जो उनके लिए एकीकृत होने और समन्वित कार्रवाई करने को कठिन बनाती है।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अभी तक सदस्य देशों से बाहर ऋण प्रदान नहीं किया है:** अभी तक कुल ऋण 5.1 बिलियन डॉलर केवल सदस्य देशों को ही प्रदान किया गया हैं। अफ्रीकी देशों जैसे अन्य विकासशील देश अपने बुनियादी ढांचे के लिए NDB की सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

आगे की राह

- **समूह के भीतर शक्ति असंतुलन** को दूर करने और वैश्विक शासन के लिए उन्हें एक बहु-ध्रुवीय विश्व के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुन: पुष्टि करनी चाहिए। यह बहुध्रुवीयता संप्रभु समानता और लोकतांत्रिक निर्णय-निर्माण में सहायता होगी।
- NDB की सफलता के लिए इसे **अतिरिक्त संस्थानों में निवेश** करना चाहिए, उदाहरण के लिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुरूप एक संस्थागत अनुसंधान शाखा (इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च विंग) की स्थापना जो पश्चिमी द्वारा संचालित ज्ञान प्रतिमानों से पृथक समाधान प्रदान कर सकता है और यह विकासशील विश्व के लिए अनुकूल भी होगा।
- ब्रिक्स को **ब्रिक्स एनर्जी एलायन्स और एनर्जी पालिसी इंस्टीट्यूट की स्थापना** के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते तथा संयुक्त राष्ट्र के SDGs के तहत निर्धारित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- ब्रिक्स सदस्यों को डिजिटल युग में अपने **घटकों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए**। लोगों, व्यवसायों एवं अकादमिक जगत के मध्य निर्बाध संवाद पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे संवादों के द्वारा किसी भी प्रकार के सरकारी प्रयासों की तुलना में इस गठबंधन के भविष्य को अधिक सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है।

2.3. सार्क विकास कोष

(SAARC Development Fund: SDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सार्क विकास कोष (SDF) के भागीदारी सम्मेलन-2018 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।

इससे संबंधित अन्य तथ्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में परियोजना सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से रणनीतिक विकास को बढ़ावा देना है जिसके लिए यह निम्नलिखित को प्रस्तावित करता है:

- सार्क सदस्य देशों में SDF के लिए सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना के तहत सीमा-पार परियोजनाओं के सह-वित्तीयन की मांग करना।
- सार्क सदस्य देशों में कोष संग्रहण और निवेश के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) तथा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसे विभिन्न संगठनों के साथ भागीदारी का निर्माण करना।

- इसका मुख्य उद्देश्य SDF के क्रेडिट पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाकर इसे **एक क्षेत्रीय बैंक के रूप में परिवर्तित** करना है ताकि यह एक ऋण प्रदाता बन सके। यह बॉन्ड जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से पूंजी बाजार से धन जुटाने में सहायता करेगा।

SDF के बारे में

- इसकी स्थापना सार्क के सभी 8 सदस्य देशों के प्रमुखों द्वारा अप्रैल 2010 में **थिम्पू (भूटान) में आयोजित 16वें सार्क शिखर सम्मलेन** के दौरान की गई थी।
- इसका **सचिवालय** भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थित है। इसकी शासी परिषद् **(गवर्निंग काउंसिल)** में सभी सार्क देशों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
- इसका गठन सार्क के सभी देशों की विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु एक अम्ब्रेला वित्तीय तंत्र के रूप में किया गया था।
- इसका **मुख्य उद्देश्य** सार्क क्षेत्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रयासों में तीव्रता लाना हैं।
- यह तीन क्षेत्रों जैसे - सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और अवसंरचना क्षेत्र के माध्यम से **दक्षिण एशिया क्षेत्र में परियोजनाओं का वित्तीयन** करेगा।
- वर्तमान के 497 मिलियन डॉलर की कुल पूंजी-आधार के साथ SDF का कुल कोष 1.5 बिलियन डॉलर है। इसमें से 100 मिलियन से अधिक राशि को प्रतिबद्ध राशि के रूप में रखा गया है।

SDF के लिए अवसर

- **दक्षिण एशिया का आर्थिक एकीकरण:** विश्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा, विद्युत, परिवहन, दूरसंचार और पर्यावरण के क्षेत्र में विद्यमान अवसंरचना संबंधी अंतर को कम करने हेतु 1.7 ट्रिलियन डॉलर से 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक का निवेश करना आवश्यक है।
- **SDF** भौतिक तथा वित्तीय कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार, आसियान टाइगर्स कहे जाने वाले देशों के अनुरूप ही इस क्षेत्र के क्षेत्रीय मूल्य को विकसित किया जाएगा।
- **एक समर्पित प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एजेंसी:** यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में परियोजनाओं के विकास लिए एक समर्पित एजेंसी की कमी (जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब का एक प्रमुख कारण है) को पूरा कर सकता है।
- **वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधारना:** यह विश्व के समक्ष विकास के एक समावेशी मॉडल को प्रस्तुत करते हुए वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार हेतु भारत के सतत प्रयासों को शामिल कर सकता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अवसर:** SDF भी ADB तथा अन्य बहुपक्षीय वित्तीय एजेंसियों के समान दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में निवेश को बढ़ावा दे सकता है। यह भारत को ग्लोबल साउथ के एक अग्रणी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने हेतु अवसर प्रदान कर सकता है।

चुनौतियाँ

- **वित्तीय संसाधनों का अभाव :** SDF के अंदर ADB, AIIB जैसी अन्य बहुपक्षीय वित्तीय एजेंसियों के समान चीन, जापान तथा अमेरिका जैसे प्रमुख आर्थिक रूप से समृद्ध सदस्यों की कमी हैं।
- **भारत एवं अन्य पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति असंतुलन**: भारत, क्षेत्रीय विस्तार और आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति दोनों के परिप्रेक्ष्य में अन्य सार्क सदस्यों की तुलना में शक्तिशाली है, जिसके कारण पड़ोसी देशों के मध्य भय की भावना बनी रहती है।
- भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद एवं नदी जल विवाद जैसे कई अनसुलझे मुद्दे विद्यमान हैं। इन मुद्दों के परिणामस्वरूप इन देशों से दीर्घकालीन सहयोग नहीं मिल पा रहा है।
- सीमा पार आतंकवाद एवं सशस्त्र विद्रोह जैसी **सुरक्षा संबंधी चुनौतियां** भी निवेश के समक्ष समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं।
- इस क्षेत्र में **चीन की उपस्थिति** (आर्थिक रूप से) भारत के लिए विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों में और सामान्यतः विकासशील विश्व में निवेश के अवसरों को सुरक्षित करने हेतु एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही है।

VISION IAS

आगे की राह

- **सार्क माइनस X मॉडल:** उप-क्षेत्रीय स्तर पर छोटे मॉडल को आदर्श के रूप में विकसित करना ताकि सार्क देशों के स्तर पर व्यापक रूप से ऐसे मॉडलों का नुकरण किया जा सके उदाहरण के लिए - पाकिस्तान का सहयोग प्राप्त किए बिना बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN), मोटर वाहन समझौता (MVA), दक्षिण एशियाई उपग्रह इत्यादि को विकसित किया गया हैं।
- **गुजराल सिद्धांत:** पारस्परिक सहयोग प्राप्ति की अपेक्षा किए बिना छोटे पड़ोसी देशों को एकपक्षीय सहयोग प्रदान करना। यह उनमें विश्वास को बढ़ाने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो उनसे क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने में सहायता करेगा। इससे सभी पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा विवादों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण भी किया जा सकेगा।
- बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम (BIMSTEC), दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) जैसे **अन्य क्षेत्रीय समूहों के प्रयासों को समेकित करना**।

2.4. भारत-आप्टा शुल्क संबंधी रियायतें

(India- APTA Tariff Easing Measures)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एशिया- प्रशांत व्यापार समझौते (Asia Pacific Trade Agreement:APTA) के अंतर्गत वार्ताओं के चतुर्थ दौर के परिणामों को प्रभावी रूप से 1 जुलाई, 2018 से क्रियान्वित किया गया।

चतुर्थ दौर से संबंधित अन्य तथ्य

- चतुर्थ दौर के संपन्न होने के साथ ही प्रत्येक सदस्य के लिए कुल वस्तुओं की वरीयता का कवरेज बढ़कर 10677 वस्तुओं के स्तर पर पहुँच जाएगा (जो तीसरे दौर के समापन पर 4270 वस्तुओं के स्तर पर था)।
- इसके साथ ही समझौते के अंतर्गत उपलब्ध **औसत वरीयता मार्जिन** (Margin of Preference:MoP) बढ़कर 31.52 प्रतिशत हो जाएगा परंतु **अल्प विकसित सदस्य देश (LDC) 81 प्रतिशत की औसत MoP के साथ 1249 वस्तुओं पर अपेक्षाकृत अधिक रियायतें प्राप्त करने के हकदार हैं**।
- भारत ने आप्टा को 3142 वस्तुओं पर शुल्क संबंधी रियायतें तथा LDCs, बांग्लादेश और लाओस को 48 वस्तुओं पर विशेष रियायतें प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
- चीन ने भी भारत, बांग्लादेश, लाओस, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका में उत्पादित कुल 8,549 वस्तुओं पर **शुल्क में कटौती करने अथवा पूर्णतः समाप्त करने** पर सहमति व्यक्त की है।
- हाल ही में, अमेरिका द्वारा प्रारंभ किए गए व्यापार युद्धों की पृष्ठभूमि में ये रियायतें **मूल्यों के संदर्भ में नहीं बल्कि सांकेतिक संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हैं**।
- हालांकि, कृषि उत्पादों तथा फार्मा वस्तुओं की बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे भी चुनौती बने हुए हैं।

आप्टा (APTA)

- एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (APTA) का पूर्ववर्ती नाम **बैंकॉक समझौता** था। यह समझौता UNESCAP (यूनाइटेड नेशंस इकनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक) की एक पहल है। इस पर **1975** में हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों के मध्य सबसे पुराना **वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA)** है, जिसके तहत विभिन्न वस्तुओं की बास्केट के साथ-साथ शुल्क रियायतों की सीमा को भी समय-समय पर होने वाली व्यापार वार्ताओं के दौरान बढ़ाया जाता है।
- वर्तमान में, निम्नलिखित **छह** प्रतिभागी देश APTA के सदस्य हैं: 1. बांग्लादेश 2. चीन 3. भारत (संस्थापक सदस्य) 4. लाओस 5. दक्षिण कोरिया 6. श्रीलंका (मंगोलिया के 7वां सदस्य बनने की सम्भावना है)।
- यह सभी विकासशील सदस्य देशों के लिए खुला हुआ है।
- इसका उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार उदारीकरण संबंधी उपायों को अपनाने के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये उपाय अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को विस्तार करने में सहयोग देंगे और व्यापार वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा व्यापार सुगमता के कवरेज के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को सुनिश्चित करेगा।
- विशेष रूप से, यह ऐसा एकमात्र परिचालित व्यापार समझौता है जो की चीन एवं भारत को एकसाथ जोड़ता है।

वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA) बनाम मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के अंतर्गत कोई देश व्यापार संबंधी सेवाओं तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाने के अतिरिक्त एक-दूसरे के साथ व्यापार की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं के शुल्कों में कटौती या समाप्त कर सकता है। परंतु

VISION IAS

PTA के अंतर्गत निश्चित संख्या में चिन्हित वस्तुओं पर शुल्कों को समाप्त किया जाता है।

औसत वरीयता मार्जिन

इसका तात्पर्य किसी वस्तु की मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) की शुल्क दर और वरीयता प्राप्त शुल्क दर के मध्य अन्तर से है।

2.5. भारत-दक्षिण कोरिया (India-South Korea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई ने गत वर्ष राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा की। दृष्टव्य है कि यह उनकी पहली यात्रा थी।

हस्ताक्षर किए गए महत्वपूर्ण समझौते:

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जेई की भारत यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापार, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों सहित **11 समझौतों** पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते निम्नलिखित हैं-

- **व्यापार उपाय पर:** इसका उद्देश्य व्यापार उपाय के क्षेत्र में सहयोग करना है। उदाहरण के लिए एंटी-डंपिंग, सब्सिडी, काउंटरवेलिंग।
- चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने के लिए व्यावसायीकरण हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग करने के लिए **फ्यूचर स्ट्रेटेजिक ग्रुप हेतु।**
- वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग हेतु।
- जैव प्रौद्योगिकी और जैव-अर्थशास्त्र, ICT एवं दूरसंचार आदि के क्षेत्र में सहयोग हेतु।

यात्रा से संबंधित प्रमुख तथ्य

- मून द्वारा **लोग (पीपुल), समृद्धि (प्रॉस्पेरिटी) और शांति (पीस)** के लिए सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक **'3P प्लस'** की संकल्पना प्रस्तुत की गई।
- भारतीय प्रधानमंत्री के साथ कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नोएडा में विश्व में सैमसंग के सबसे बड़े मोबाइल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
- दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने वर्तमान के 20 बिलियन डॉलर **व्यापार लक्ष्य को बढ़ाकर 2030 तक 50 बिलियन डॉलर** करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया।
- चीन के बाद दक्षिण कोरिया दूसरा देश होगा जिसके साथ भारत द्वारा अफगानिस्तान में संयुक्त परियोजना का निर्माण किया जाएगा।
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) उन्नयन के अंतर्गत अर्ली हार्वेस्ट पैकेज पर संयुक्त वक्तव्य**: इसका उद्देश्य व्यापार उदारीकरण (झींगा, मोलस्क और प्रसंस्कृत मछली सहित) के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करके भारत-दक्षिण कोरिया CEPA का उन्नयन हेतु चल रही वार्ता को सुविधाजनक बनाना है।

नई दक्षिणी नीति

- नई दक्षिण कोरियाई सरकार अपने चार पारंपरिक, प्रमुख राजनयिक भागीदारों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस के समान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने हेतु प्रयास कर रही है।
- यह 'नार्थ ईस्ट एशिया प्लस कम्यूनिटी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी (NEAPC)' को बढ़ावा देने की सरकार की व्यापक रणनीति के तहत अनुसरण किये जाने वाले नए नीतिगत दिशा-निर्देश हैं।
- नई दक्षिणी नीति, NEAPC के 3 भागों में से एक है जिसमें आर्थिक क्षेत्र सहित भारत के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ मजबूत संबंध सम्मिलित है।
- मून की नई दक्षिणी नीति का लक्ष्य आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना तथा समृद्ध एवं जन-केंद्रित शांतिपूर्ण समुदाय का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गयी भारत की "एक्ट ईस्ट पालिसी" का मुख्य लक्ष्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़े संबंधों को पुनर्जीवित करना तथा द्विपक्षीय के साथ-साथ बहुपक्षीय स्तर पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ नई सामरिक साझेदारी विकसित करना। ये दोनों नीतियां अपने उद्देश्यों में समेकन को प्रदर्शित करती हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से भारत एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिए।

VISION IAS

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

- 1945 में कोरिया की स्वतंत्रता के पश्चात **राजनीतिक** रूप से भारत ने कोरियाई मामलों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई।1962 में द्विपक्षीय दूतावास संबंध स्थापित किए गए थे। इन्हें 1973 में राजदूत स्तर तक उन्नयन किया गया था। तभी से दोनों के मध्य कई उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन हो चुका है।
- **वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में**, समय के साथ कोरिया गणराज्य (RoK's) की खुले बाजार की नीतियों का भारत के आर्थिक उदारीकरण और 'लुक ईस्ट पालिसी' के साथ-साथ 'एक्ट ईस्ट पालिसी' के साथ समेकन हुआ है। 2010 में CEPA के कार्यान्वयन के बाद व्यापार और आर्थिक संबंधों में तीव्रता आई है और 2011 में द्विपक्षीय व्यापार दो वर्ष की अवधि के दौरान 70% की वृद्धि के साथ 20.5 बिलियन डालर से अधिक हो गया था। आर्थिक सहयोग हमारे संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करता है।
  - भारत और दक्षिण कोरिया ने भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए जून 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित एक पहल **'कोरिया प्लस'** का आरम्भ किया गया था।
  - सैमसंग, हुंडई मोटर्स और LG जैसे प्रमुख कोरियाई समूहों द्वारा भारत में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। दोनों देशों के मध्य अनुमानित रूप से 4.43 बिलियन डॉलर (मार्च 2017 तक) का निवेश हुआ है।
  - **दक्षिण कोरिया के पक्ष में अधिक व्यापार घाटे** ने भारत को अपने बाज़ारों को कोरिया के लिए और अधिक उदार बनाने के प्रति सावधान कर दिया है। इसके विपरीत, 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्थापित एक विशेष "कोरिया प्लस" डेस्क के बावजूद कोरियाई कंपनियों द्वारा भारत में व्यवसाय के दौरान आने वाली समस्याओं को उठाया गया हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध-** भारत और कोरिया के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, सियोल, बुसान आदि में विभिन्न सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- **अन्य क्षेत्र**- दोनों देशों के मध्य **पर्यटन** के क्षेत्र में सदैव निम्न प्रगति रही है जबकि **रणनीतिक** रूप से नई दिल्ली और सियोल दोनों ही अपने पड़ोसी देशों में विद्यमान तनाव को लेकर चिंतित हैं।

आगे की राह

- **व्यापार: 2010 के CEPA के "अर्ली हार्वेस्ट"** उपबंध को बढ़ावा देने संबंधी समझौता, दोनों देशों के मध्य 11 क्षेत्रों में प्रशुल्को को समाप्त करेगा। यह समझौता भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के साथ-साथ दक्षिण कोरियाई पेट्रोरसायन कंपनियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
- **निवेश:** स्टील कंपनी पॉस्को द्वारा ओडिशा में संयंत्र की स्थापना की विफलता के प्रत्युत्तर में और अधिक कोरियाई कंपनियों को निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रगति क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से सम्बंधित वार्ताओं पर निर्भर करेगी।
- **रणनीतिक मोर्चा**: रणनीतिक क्षेत्र में **भारत ने कोरियाई शांति प्रक्रिया में एक "हितधारक" के रूप में अपने स्थान की सुनिश्चित्ता पर बल दिया है,** जबकि दक्षिण कोरिया ने पहली बार भारत-प्रशांत नीति के संबंध में वार्ता करने में रूचि दिखाई है।
- अल्पावधि में दोनों देशों के मध्य साझा हितों को अफगानिस्तान में **संयुक्त "क्षमता निर्माण" कार्यक्रम** में देखा सकता है।

निष्कर्ष

- दक्षिण कोरिया भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक अनिवार्य भागीदार बन सकता है।
- दक्षिण कोरिया की तकनीकी उन्नति और विनिर्माण क्षमताएं भारत की आर्थिक संवृद्धि और मानव संसाधन विकास में सहायक हो सकती हैं।
- ऐसे समय में जब अमेरिकी विदेश नीति अस्थिर और अप्रत्याशित है और चीन वैश्विक प्रभुत्व की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ा रहा है, तो यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु दक्षिण कोरिया-भारत भागीदारी उन्नत और सुदृढ़ हो।

2.6 प्रधानमंत्री की अफ्रीका यात्रा

(PM Visit to African Nation)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने जोहान्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान तीन अफ्रीकी राष्ट्रों (रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका) की यात्रा पर रहे।

गिरिंका कार्यक्रम (Girinka Programme) के संबंध में

- यह रवांडा द्वारा चलायी जा रही अपनी तरह की पहली सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र में निवास करने वाले सर्वाधिक गरीब लोग सरकार से गाय प्राप्त करते हैं और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने पड़ोसी को पहली

VISION IAS

मादा बछिया उपहार स्वरुप प्रदान करते हैं।

- इसका उद्देश्य आजीविका में सुधार करना, समुदायों में सामंजस्य स्थापित करना और उर्वरक के रूप में गोबर के उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।
- इससे रवांडा में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन और सम्बंधित उत्पादों में वृद्धि हुई है, कुपोषण की समस्या में कमी आई है और आय में वृद्धि हुई है।
- भारत ने गिरिंका के तहत रुवरू गांव के निवासियों को 200 स्थानीय रूप से खरीदी गयी गायें उपहार स्वरुप प्रदान कीं।

यात्रा के दौरान रवांडा के साथ हस्ताक्षरित समझौते

- कृषि और पशु संसाधन, रक्षा, डेयरी, चमड़ा एवं संबद्ध क्षेत्र तथा व्यापार के सहयोग के क्षेत्रों में आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत द्वारा 100 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता हेतु दो लाइन ऑफ़ क्रेडिट भी प्रदान किये गए जो क्रमशः औद्योगिक पार्कों के विकास और **किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र** (SEZ) के विस्तार तथा कृषि सिंचाई योजना के विकास के लिए हैं।
- रवांडा में एक भारतीय उच्चायोग खोला जाएगा जो देशों के मध्य दूतावास और पासपोर्ट / वीज़ा से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा।

भारत और युगांडा के मध्य हस्ताक्षरित समझौते

- भारत और युगांडा ने निम्नलिखित चार समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए:
  - रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन
  - कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट पर समझौता ज्ञापन
  - सांस्कृतिक आदान – प्रदान कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन
  - जांच प्रयोगशालाओं पर समझौता ज्ञापन
- युगांडा में, भारत ने 141 मिलियन डॉलर मूल्य की बिजली लाइनों और सब -स्टेशनों के निर्माण तथा 64 मिलियन डॉलर के डेयरी उत्पाद के लिए **दो लाइन ऑफ़ क्रेडिट प्रदान** किये।
- युगांडा की संसद के एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने **अफ्रीका के साथ भारत के सहयोग को प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए 10 निर्देशात्मक सिद्धांतों को सूचीबद्ध** किया है जो आर्थिक विकास और आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना में सहायता करेंगे।

इन यात्राओं का महत्व

- हालाँकि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा **रवांडा की पहली यात्रा थी** साथ ही यह 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गयी युगांडा की प्रथम द्विपक्षीय यात्रा भी थी। इस यात्रा से भारत के दक्षिण-दक्षिण नेतृत्व को मजबूती मिली है।
- **वर्तमान में रवांडा अफ्रीकी यूनियन का अध्यक्ष है** और इसके गृहयुद्ध (1994) की समाप्ति के पश्चात पुनर्प्राप्ति और राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया की दिशा में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है और यह अफ्रीका की तीव्रतम दर से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- इसी प्रकार, वर्तमान में युगांडा **ईस्ट अफ्रीकी कम्युनिटी** का अध्यक्ष है जो छह साझेदार (बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिणी सूडान, तंजानिया और युगांडा) देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है।

अफ्रीका के संबंध में चीन और भारत के दृष्टिकोण में अंतर

अफ्रीका के संबंध में भारत का दृष्टिकोण	अफ्रीका के संबंध में चीन का दृष्टिकोण
भारतीय सहयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों पर बल देता है जैसे अफ्रीका की उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने, कौशल और ज्ञान को विविधता प्रदान करने तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों में निवेश।	चीन का दृष्टिकोण अधिक पारंपरिक है - संसाधन निष्कर्षण, अवसंरचना विकास और उच्च वर्गीय संपत्ति का निर्माण।
बॉटम-अप एप्रोच का अनुसरण करना, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओ के अनुरूप विकास को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए, AAGC तीन समान भागीदारों (भारत, जापान	विकास हेतु टॉप-डाउन एप्रोच का अनुसरण करना, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओ के विपरीत थोपा गया विकास। उदाहरण के लिए,

VISION IAS

और अफ्रीका) के मध्य एक परामर्शकारी पहल है।	BRI चीनी हितों को सुरक्षित करने हेतु एक टॉप-डाउन, एकपक्षीय एप्रोच है।
भारत बड़े पैमाने पर अफ्रीकी देशों के साथ अपने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के भाग के रूप में सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।	आंतरिक सुरक्षा, घरेलू पुलिस बलों को मजबूत करने, कानून प्रवर्तन कूटनीति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्यात करने,अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बिग डेटा सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में चीन अफ्रीका के साथ अपने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को विविधता प्रदान कर रहा है।

2.7 भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह

(UN Military Observer Group In India And Pakistan:UNMOGIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उरुग्वे सेना के अनुभवी आर्मी जनरल, मेजर जनरल जोस एलाडियो एल्केन को UNMOGIP के मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

विवरण

- भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्धविराम की निगरानी के लिए असैन्य पर्यवेक्षकों के प्रथम दल के जम्मू-कश्मीर पहुंचने के साथ ही जनवरी, 1949 में UNMOGIP का गठन किया गया। यह वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित भारत और पाकिस्तान के लिए **संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN Commission** for India and Pakistan: UNCIP) **के सैन्य सलाहकार को सहायता प्रदान करता है**।
- UNMOGIP के कार्यों में 17 दिसंबर,1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध और एक उत्तरवर्ती युद्धविराम समझौते के पश्चात 1971 के युद्धविराम का यथासंभव पर्यवेक्षण, सख्त पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में की गयी प्रगति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इस संबंध में रिपोर्ट करना सम्मिलित है।
- इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया कि मिशन के पास नियंत्रण रेखा (LOC) के पार किसी प्रकार का अधिदेश प्राप्त नहीं है एवं इसके दायरे में सम्पूर्ण कश्मीर सम्मिलित नहीं है।
- दूसरी ओर भारत का मानना है कि UNMOGIP अपनी उपयोगिता खो चुका है। शिमला समझौते और इसके परिणामस्वरूप नियंत्रण रेखा की स्थापना के पश्चात् यह अप्रासंगिक हो चुका है।

2.8. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सीमावर्ती हाटों पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त समिति की पहली बैठक 22 और 23 जुलाई, 2018 को अगरतला में आयोजित की गयी।

विवरण

- बैठक में दोनों पक्षों ने सीमावर्ती हाटों के आस-पास के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की आजीविका पर हाटों के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया।
- सीमा पर रहने वाले लोगों की आजीविका में सुधार हेतु भारत और बांग्लादेश, मौजूदा **चार हाटों के अतिरिक्त छह नए सीमावर्ती हाट (बाजार) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं**।

भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती हाट

- यह एक सीमावर्ती व्यापार बाज़ार है जो दोनों देशों द्वारा सप्ताह में एक दिन आयोजित किया जाता है।
- सीमावर्ती हाटों का उद्देश्य **स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उपज के विपणन की परंपरागत प्रणाली** को स्थापित कर सीमा के आर-पार सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
- दो सीमावर्ती हाट मेघालय के कालीचार और बालाट में स्थित हैं और शेष दो हाट त्रिपुरा के श्रीनगर तथा कमलासागर में स्थित हैं।
- भारत और बांग्लादेश ने 23 जुलाई, 2011 को **मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले** में **भारत-बांग्लादेश सीमा पर कालीचर** में पहले सीमावर्ती हाट की स्थापना के माध्यम से लगभग 40 वर्षों के पश्चात अपने पारंपरिक सीमा-पार व्यापार को पुनर्जीवित किया।

VISION IAS

2.9. दिल्ली संवाद का 10 वां संस्करण

(Delhi Dialogue X)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत में दिल्ली संवाद के 10 वें संस्करण का आयोजन किया गया जिसका विषय था - **"भारत-आसियान समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाना (Strengthening India-ASEAN Maritime Cooperation)"**।

दिल्ली संवाद के मुख्य बिंदु

- दिल्ली संवाद भारत और आसियान के मध्य राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बद्धता पर चर्चा के लिए एक **प्रमुख वार्षिक ट्रैक 1.5 (कूटनीति का एक प्रकार) कार्यक्रम** है।
- इसका **आयोजन वर्ष 2009 से वार्षिक तौर पर विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली** (Research and Information System for Developing Countries:RIS) के सहयोग से किया जा रहा है।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (Research and Information System for Developing Countries:RIS)

- यह नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में विशेषज्ञ हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना तथा विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ता में विकासशील देशों के साथ सहयोग करना है।

जब विभिन्न आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक अभिकर्ता विवादों का समाधान करने हेतु एकजुट होकर कार्य करते हैं तो उसे **ट्रैक 1.5 कूटनीति** कहा जाता है।

3.अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. चीन में बनी वस्तुओं का भारतीय उद्योग पर प्रभाव

(Impact of Chinese Goods on Indian Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति ने राज्यसभा में "चीन में बनी वस्तुओं का भारतीय उद्योग पर प्रभाव" नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- चीन के विरुद्ध डंपिंग रोधी मामलों से संबंधित अनेक जांचे आरम्भ की गई हैं; साथ ही अधिकांश (अर्थात् 102/144) **डंपिंग रोधी शुल्क** चीनी उत्पादों के संदर्भ में आरोपित किए गए हैं।
- आवेदन की उच्च लागत के कारण डंपिंग से प्रभावित सभी उद्योग डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय (DAGD) तक पहुँचने में सक्षम नहीं हैं।
- DAGD द्वारा कार्यवाही में किए गए विलम्ब के कारण उद्योगों को स्थायी क्षति पहुँच सकती है, इससे उपचारात्मक उपायों की बहुत कम या बिलकुल भी संभावना नहीं रहती है।
- सरकार द्वारा डंपिंग रोधी/काउंटर-वेलिंग शुल्क का प्रभाव आकलन नहीं किए जाने के कारण इन शुल्कों की समीक्षा नहीं होती है नतीज़तन भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र अप्रभावी हो जाता है।
- ऐसा अनुमान है कि चीनी सौर पैनलों की डंपिंग के कारण, लगभग दो लाख नौकरियां समाप्त हुई हैं क्योंकि हमारी घरेलू उद्योग क्षमता का लगभग आधा भाग निष्क्रिय रहता है।
- चीनी उत्पाद, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा आसानी से प्रमाणित / पंजीकृत कर दिए जाते हैं। इसके विपरीत, चीन में निर्यात करने हेतु भारतीय उत्पादों को चीनी प्राधिकरणों के द्वारा प्रमाणित / पंजीकृत होने के लिए अत्यधिक विलम्ब और उच्च शुल्क का सामना करना पड़ता है।

किस प्रकार चीनी वस्तुएं भारतीय बाजारों में प्रवेश कर रही हैं?

- सस्ते चीनी उत्पादों की डंपिंग।
- चीनी वस्तुओं की **अंडर-इनवॉइसिंग**: यह सरकार के राजस्व हानि का कारण बनती है और समान वस्तुओं की कीमतों के संदर्भ में घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचाती है।
- **उन देशों के माध्यम से उत्पादों का पुनःप्रवेश** जिनका भारत के साथ FTA समझौता है।
- मूल देश नियमों (Rules of Origin) के मापदंडों अवहेलना करना, उदाहरण के लिए- कर मुक्त शुल्क वरीयता (**ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेरीफेरेंस-DFTP) के तहत** अल्प विकसित देशों में दुकानें खोलना।
- प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में भ्रामक ब्यौरा और भ्रामक वर्गीकरण।
- **निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी:** अप्रैल से दिसंबर 2017-18 में, भारत द्वारा तस्करी के 1,127 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 5.4 बिलियन मूल्य की चीनी वस्तुएं ज़ब्त की गई हैं।
- भारतीय अधिनियमों के मंद कार्यान्वयन के कारण शुल्क चोरी।

आंकड़ों का विश्लेषण: भारत-चीन व्यापार परिणाम

- चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। 2007-08 में 38 बिलियन डॉलर से यह द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 89.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
- वित्त वर्ष 2017-18 में भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में चीन की हिस्सेदारी 16.6% है।
- चीन के साथ होने वाला 63 बिलियन डॉलर का 'व्यापार घाटा' भारत के कुल व्यापार घाटे के लगभग 40% से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2007-08 और वित्त वर्ष 2017-18 के बीच, चीन में भारतीय निर्यात 2.5 अरब डॉलर तक बढ़ा, वहीं चीन से भारत में आयात में 50 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हुई।
- चीन ने पिछले दो वर्षों में बल्क फार्मा दवाइयों की कीमतों में 1200% की वृद्धि की है, जिससे भारतीय दवा उद्योग द्वारा 'तैयार उत्पाद' की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।

VISION IAS

- चीनी उत्पादों को अधिमानी व्यवहार प्रदान करने हेतु दोनों के मध्य कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं है।

भारत में अत्यधिक चीनी वस्तुओं के आयात की अधिकता का कारण:

चीनी उत्पाद की अधिकता का मुख्य कारण भारतीय बाज़ार के विशाल आकार तथा मांग की अधिकता और साथ ही इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धी कीमतें हैं। इस घटना हेतु उत्तरदायी कारण हैं:

- **उद्योगों के अनुकूल ऋण दरें, भारत की तुलना में लॉजिस्टिक और ऊर्जा लागत का कम होना:** महंगी ऊर्जा, वित्त और लॉजिस्टिक के कारण वैश्विक बाजार में भारतीय सामान लगभग 9% महंगा है। चीनी उद्योगों को 6 % पर ऋण मिलता है जबकि भारत में यह दर 11-14% के बीच है। लॉजिस्टिक लागत भारत में 3% है वहीं चीन में यह व्यापार की मात्र 1% है।
- चीन वृहद् स्तर पर दूरसंचार और बिजली जैसे **विस्तारशील क्षेत्रों** में विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करता है (जबकि भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित हैं)।
- **चीनी सरकार द्वारा प्राप्त समर्थन,** जैसे निर्यात में दी जाने वाली छूट, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, प्रांतों के अन्दर कर संबंधित छूट।
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए **मुद्रा का अनुचित परिचालन**।
- गैर-पारदर्शी व्यापार नीति, WTO के नियमों के विरुद्ध प्रदत्त निर्यात सब्सिडी जैसी अनुचित व्यापार प्रथाएँ।
- *इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल* का लाभ उठाने के साथ **मजबूत और एकीकृत वैश्विक मूल्य श्रृंखला।**
- गुणवत्ता से संबंधित जांच की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा अपर्याप्त है।
- व्यवसाय से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) में विलंब के कारण चीनी उद्योग को भारतीय बाजार में अपने निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं का एकाधिकार स्थापित करने में मदद मिलती है जैसे- खिलौने, कम गुणवत्ता वाले LED आदि।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ:

- चीनी आयात ने भारत के वस्त्र, सोलर, पटाखे इत्यादि जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को अत्यधिक प्रभावित किया है।
- स्टेनलेस स्टील उद्योग में कई सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) बंद हो चुके हैं।
- तस्करी, अंडर-इनवॉइसिंग आदि के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह प्रभावित हुआ है। परिणामस्वरूप भविष्य में घरेलू उत्पादकों की संख्या घट जाएगी या समाप्त हो जाएगी।
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हानि पहुँची है।
- पहले से ही NPAs के कुचक्र में फंसा बैंकिंग क्षेत्र, अत्यधिक दबाव का सामना कर रहा है।
- चीन से आयातित निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग में परिवर्तित होने लगे हैं, इससे रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- थोक दवाओं जैसे प्रमुख उत्पादों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता के अन्य कई उत्पादों एवं रोज़गार आदि पर कैस्केडिंग प्रभाव हो सकते हैं तथा साथ ही इससे आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय महत्व और सुरक्षा के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न होगी।

रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं :

- व्यापार से संबंधित उपचारात्मक उपाय हेतु MSMEs /SSIs की पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार को मान्यता प्राप्त उद्योग मंचों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- उन सब्सिडियों के संदर्भ में भारतीय उद्योग के साथ निरंतर संवाद के लिए **संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (Directorate General Allied Duties: DGAD) मंच** की स्थापना करना जो WTO के प्रावधानों अनुरूप नहीं हैं।
- जांच और अधिसूचनाओ से संबंधित समय अंतराल को कम करना।
- तस्करी, अनुचित वर्गीकरण और अन्य व्यापार भ्रष्टाचार की जांच हेतु डंपिंग रोधी तंत्र का कठोर कार्यान्वयन।
- राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) के कार्यबल में वृद्धि करना एवं इसे सशक्त बनाना।
- भारतीय सीमा शुल्क प्रबंधन हेतु, अंडर-वॉइसिंग के तहत संदिग्ध आयातों के मूल्य एवं अन्य संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए चीन के साथ औपचारिक समझौता करना।
- साझेदार देशों के साथ संयुक्त सत्यापन /प्रमाणन के माध्यम से FTAs और मूल-स्थान संबंधी नियमों (Rules of Origin) के मापदंडों का बेहतर प्रवर्तन।
- भारतीय उद्योगों पर शून्य लागत सुनिश्चित करने के लिए, हमारे घरेलू उद्योग के सम्बन्ध में जारी **RCEP वार्ताओं** के तहत शुल्क (tariff) रियायतों के संभावित प्रभावों का अध्ययन करना।

- भारतीय उद्योग द्वारा सार्वजनिक निविदाओं और **सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया के लिए वरीयता) आदेश, 2017** के कार्यान्वयन के दौरान सामना किये जाने वाले प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण उपबंधों को सरल बनाना। इस संबंध में राज्य सरकारों को भी संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा और उत्तर-पूर्वी सीमा में स्थल पत्तनों (लैंड पोर्ट्स) पर निगरानी करना।
- तकनीक कुशल मानवशक्ति और आधारभूत संरचना की उपलब्धता के संदर्भ में **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** को समर्थन दिया जाना और इसके अनुपालन हेतु निर्दिष्ट तकनीकी नियमों के तहत अधिक उत्पादों को शामिल करना।
- स्विफ्ट (SWIFT) पर BIS का निरूपण भविष्य में BIS की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा।
- नियामकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु सीमा शुल्क प्राधिकरणों, राज्य सरकारों आदि जैसी प्रवर्तन एजेंसियों को जागरूक बनाना।
- मौजूदा **इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS)** की आवश्यक और तत्काल समीक्षा।
- जिस प्रकार चीन अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को सहायता प्रदान करता है उसी प्रकार उत्पादन सब्सिडी या प्रोत्साहनों को सरकारी प्रशुल्क संरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमारे घरेलू उत्पादन को वास्तविक रूप से बढ़ावा मिल सके।
- **API (Active Pharmaceutical Ingredients) उद्योग** के पुनरुद्धार के पर्यवेक्षण हेतु **संचालन समिति का गठन,** जिसमें IDPL और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स जैसे PSUs को पुनर्जीवित करना सम्मिलित है, विशेषकर ऐसे समय में जब चीन में कई API इकाइयां कठोर पर्यावरण मानदंडों के कारण बंद की जा रही हैं।
- सौर उद्योग की रक्षा के लिए, ADD पर विभेदकारी करारोपण किया जा सकता है जिससे घरेलू उद्योगों हेतु लेवल पेगिंग (level pegging) को सुगम बनाया जा सके।
- सौर ऊर्जा उद्योग को CVD के तहत सुरक्षा के मार्गों का पता लगाना चाहिए क्योंकि चीनी सौर उद्योग चीनी सरकार द्वारा प्रदत्त WTO गैर-अनुपालक सब्सिडियों से लाभान्वित होता है।
- चीन से खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि इससे घरेलू खिलौने उद्योग का 50% तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है और शिल्पकारों के अन्य व्यवसायों में स्थानान्तरण के कारण पारंपरिक कौशल भी विलुप्त हो रहे हैं।
- अनैतिक तत्वों के प्रति प्रभावपूर्ण निवारण हेतु कठोर दंडात्मक प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए।
- इस प्रकार के आयातित निम्न गुणवत्ता उत्पादों को हतोत्साहित करने के लिए जन-मत का निर्माण किया जाना चाहिए और इसमें घरेलू उद्योगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस संबंध में **'स्वदेशी अपनाओ'** (भारत में निर्मित उत्पादों को खरीदना) को लोकप्रिय बनाना महत्वपूर्ण होगा।

VISION

अन्य महत्वपूर्ण कदम :

चूंकि भारत और चीन WTO के सदस्य हैं, WTO-अनुपालक व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि इस रिपोर्ट के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, तथापि घरेलू उद्योगों की रक्षा और चीनी वस्तुओं के अत्यधिक आयात को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जा चुके हैं जिनमें सम्मिलित हैं:

- चीन और मलेशिया से आयातित सौर सेल (solar cell) पर दो वर्षों के लिए (जुलाई 2020 तक) सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गयी है।
- DGAD ने हाल ही में MSME क्षेत्र की सहायता हेतु एक सहायता काउंटर (assistance counter) का उद्घाटन किया है।
- हाल ही में एकीकृत एकल अम्ब्रेला राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका नाम "व्यापार समाधान महानिदेशालय"(Directorate General of Trade Remedies: DGTR) है। यह भारत में तीव्र एवं विस्तृत प्रभावशाली उपाय प्रदान करेगा।
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली (RMS) की प्रभावकारिता को बढ़ाने संबंधित उपाय जिससे प्रवेश मार्गों पर निगरानी तंत्र को अत्यधिक कठोर किया जा सकेगा।
- GST के लागू होने से व्यापारिक दक्षता, बेहतर रिकॉर्ड रखने के आधारभूत ढांचे, सरल लेखा परीक्षा और नियंत्रण तथा पूरे देश में एकीकृत बाजार के निर्माण में मदद मिलेगी।
- भारत को अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु WTO में चीन को MES का दर्जा न दिए जाने के अपने मत पर दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है।

प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी: CVD)

- सब्सिडीज के नकारात्मक प्रभावों को प्रभावहीन बनाने हेतु आरोपित अतिरिक्त आयात शुल्क।

सेफगार्ड ड्यूटी (Safeguard duty)

- अस्थायी रूप से (सुरक्षा की दृष्टि से) किसी उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए लगाया गया शुल्क, यदि उस वस्तु के आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।

डंपिंग रोधी शुल्क (Anti-dumping duty: ADD)

- डंपिंगरोधी शुल्क (ADD) एक संरक्षणवादी शुल्क है जिसे सरकार उन विदेशी आयातों पर आरोपित करती है जिनका मूल्य उनके घरेलू बाजार में उनके वास्तविक मूल्य से कम है।

प्रतिलोमित शुल्क ढांचा (Inverted Duty Structure: IDV)

- आम तौर पर यही माना जाता है कि प्रतिलोमित शुल्क ढांचे (IDV) की स्थिति तब बनती है जब किसी कच्चे माल पर देय आयात शुल्क उसी कच्चे माल से तैयार उत्पाद पर देय आयात शुल्क से कहीं अधिक होता है।
- अन्य देशों से आयात की तुलना में घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं अत्यधिक महँगी हो जाती हैं।

स्विफ्ट- व्यापार को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (SWIFT – Single Window Interface for Facilitating Trade)

- यह प्रमुख एजेंसियों जैसे पादप संगरोध (प्लांट क्वारंटाइन), जंतु संगरोध (एनीमल क्वारंटाइन), औषधि नियंत्रक, वन्य जीव, FSSAI और वस्त्र उद्योग समिति आदि को वस्तुओं को बंदरगाहों से आतंरिक भाग तक जारी करने से पहले आवश्यक निकासी और प्रमाणन प्रदान करने हेतु एकल मंच प्रदान करता है।
- स्विफ्ट का इष्टतम उपयोग QCO/तकनीकी विनियमों के तहत आयात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण (QC) सुनिश्चित कर सकता है।

सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients: API)

- ये दवाओं के वैसे घटक हैं जो दवाओं द्वारा उत्पन्न प्रभावों के लिए उत्तरदायी हैं। एक्सीपिएंट (excipients) कहे जाने वाले दवाओं के अन्य घटक रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, जो शरीर तंत्र या लक्षित अंग आदि तक APIs को पहुँचाने में मदद करते हैं।

VISION IAS

WTO द्वारा प्रदान किए जाने वाले मार्केट इकोनॉमी स्टेटस (MES)

- WTO द्वारा उन देशों को MES (प्रमाणन) का दर्जा दिया जाता है जहां अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों और वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पूरी तरह से खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्देशित किये जाते हैं, और इस संबंध में सरकारी हस्तक्षेप या केंद्रीय नियोजन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होता है।
- इस दर्जे (status) को प्राप्त करने के लिए चीन के प्रयास का विरोध अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत और अन्य पक्षों द्वारा किया गया है।
- यदि इस दर्जे को स्वीकृत किया गया, तो ऐसे राष्ट्रों के विरुद्ध डंपिंग-रोधी शुल्कों और अन्य व्यापारिक सुरक्षा मानकों को लागू करना कठिन हो जाएगा।

3.2. प्रोजेक्ट सशक्त

(Project Sashakt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक व्यापक परियोजना 'प्रोजेक्ट सशक्त' की घोषणा की।

गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) की वर्तमान स्थिति

- बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPAs) मार्च 2018 में उच्चतम स्तर 11.6% तक पहुंच गई।
- इन ऋणों में से लगभग 85% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के थे। PSBs के लिए GNPA 15.7% है। निजी बैंकों की तुलना में PSBs की स्थिति विशेष रूप से खराब है, क्योंकि उन्हें विभिन्न सरकारी उद्देश्यों और सामाजिक बैंकिंग की अनिवार्यताओं के तहत उधार देना होता है।
- RBI ने पूर्व में ही चेतावनी दी थी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल NPA अनुपात में मार्च 2019 तक 12.2% तक वृद्धि हो सकती है।

प्रोजेक्ट सशक्त से संबंधित तथ्य

- इसका उद्देश्य **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की क्रेडिट क्षमता, ऋण व्यवस्था (क्रेडिट कल्चर) और क्रेडिट पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करना है।**
- यह दबावग्रस्त संपत्तियों के समाधान की दिशा में **सुनील मेहता समिति** द्वारा अनुशंसित **पांच-सूत्री रणनीति** है।
  - **लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) समाधान दृष्टिकोण**
    - यह 50 करोड़ रुपये तक के ऋण पर लागू होता है।
    - इसके लिए, दबाव का पता लगाने के 90 दिनों के भीतर प्रत्येक बैंक द्वारा साधारण आव्यूह और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर आधारित एक समाधान योजना प्रस्तुत की जाएगी।
    - बैंकों द्वारा अतिरिक्त फण्ड के प्रावधान सहित इन योजनाओं को तैयार और अनुमोदित करने के लिए आंतरिक SME स्टीयरिंग पैनल स्थापित किए जाने चाहिए।
  - **बैंक-संचालित समाधान दृष्टिकोण**
    - यह उधारदाताओं के एक संघ के नेतृत्व में 50 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक के ऋण हेतु प्रस्ताव है। इनका 180 दिनों के भीतर पूरा होना आवश्यक है, जिसके असफल होने पर संपत्ति को कार्यवाही के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को भेजा जाएगा।
    - इसके तहत, बैंक इंटर क्रेडिटर समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते के अनुसार दबावग्रस्त खातों से संबंधित ऋणदाता एक प्रस्ताव योजना तैयार करने हेतु एक लीड बैंक को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त करेंगे।
    - इस समाधान योजना को ऋण का कम से कम 66 प्रतिशत धारित करने वाले ऋणदाताओं द्वारा मतदान करके अनुमोदित किया जाना होगा।
    - इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) द्वारा नियुक्त स्वतंत्र संचालन समिति को 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया को प्रमाणित करना होगा।
  - **संपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC)/वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) संचालित समाधान दृष्टिकोण**
    - इसके तहत, 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों का समाधान एक स्वतंत्र संपत्ति प्रबंधन कंपनी के माध्यम से किया जाएगा, जिसे वैकल्पिक निवेश फण्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

VISION IAS

- AIF द्वारा विदेशी और संस्थागत निवेशकों से धन जुटाया जाएगा। बैंक भी (यदि इच्छुक हों तो) निवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, AIFs, NCLT में संपत्ति के लिए बोली भी लगा सकते हैं।
- इन NPAs के मूल्य का प्रकटीकरण लीड बैंक द्वारा खुली नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इसमें संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (ARCs), AMCs और अन्य निवेशक भाग ले सकते हैं।

- **NCLT/ IBC दृष्टिकोण:** यदि अन्य विकल्प विफल होते हैं तो यह दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के उपयोग की परिकल्पना भी करता है। यह मार्ग, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के समक्ष पहले से ही मौजूद वृहद संपत्तियों पर और उन संपत्तियों पर लागू होता है जिनका समाधान अभी भी लंबित है।
- **एसेट-ट्रेडिंग प्लेटफार्म:** निष्पादित और गैर-निष्पादित दोनों संपत्तियों के व्यापार के लिए का इसका निर्माण किया जाना चाहिए।

लाभ

- यह बैंकों और दबावग्रस्त कंपनियों का परिचालन संबंधी परिवर्तन सुनिश्चित करेगा और परिसंपत्ति मूल्य को बनाए रखने और पुनर्प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- इस योजना में सरकारी हस्तक्षेप शामिल नहीं है क्योंकि यह पूर्णत बैंकों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसे लागू करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रावधान बैंकिंग क्षेत्र के मौजूदा विनियमन का अनुपालन करते हैं। इसलिए यह समाधान की प्रक्रिया को तेज करेगा।
- इसे महत्वपूर्ण संपत्तियों के लिए बाजार निर्माण के प्रयास के रूप में देखा जाता है। यह सराहनीय है।
- इंटर क्रेडिटर समझौता, ऋणदाता बैंकों के मध्य निर्णय निर्माण से पूर्व होने वाले विलम्ब को समाप्त करेगा और समाधान योजना को तेजी से कार्यान्वित करेगा।
- समाधान प्रक्रिया विश्वसनीय दीर्घकालिक बाह्य पूंजी लाने में सहायता करेगी और घरेलू बैंकिंग क्षेत्र के भार में कमी करेगी।
- यह भविष्य में गैर-निष्पादित ऋणों को बढ़ने से रोकने के लिए सुदृढ़ गवर्नेंस और ऋण संरचना भी सुनिश्चित करता है।

चुनौतियां

- रणनीति धीमी गति से बढ़ती हुई प्रतीत होती है क्योंकि कोई भी दृष्टिकोण बैंकों में NPA के प्रारम्भिक समाधान का प्रयास नहीं करता है।
- इस समाधान योजना में कुछ भी नया नहीं है। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए केंद्रित वर्टिकल (focused verticals) स्थापित करने, SME संचालन समिति जैसे सभी दृष्टिकोण अधिकांश बैंकों में किसी न किसी रूप में संचालित है। इसके अलावा, NPA समाधान के लिए 26 ARCs और कुछ समाधान परामर्शदात्री सेवा कंपनियां (resolution advisory service companies) पहले से ही संचालन में हैं।
- अतीत में बैंक-संचालित समाधान दृष्टिकोण असफल रहा है। इसके अलावा, यहां मुख्य चुनौती आम सहमति पर पहुंचने की होगी, क्योंकि NPA खातों में फँसे कर्ज में कई बैंकों/ऋणदाताओं द्वारा प्रदत्त ऋण सम्मिलित होंगे।
- ARCs कम पूंजी वाले संस्थान हैं। उन्हें व्यापक पैमाने पर NPA समाधान के लिए संसाधनों को एकत्रित करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक केवल कुछ निवेशक ही शामिल हुए हैं।
- बैंकों की तुलना में ARCs छोटे संस्थान हैं और लोगों के निवेश पर निर्भर होते हैं। यदि निवेशित धन का उपयोग दबावग्रस्त संपत्ति को क्रय करने के लिए किया जाता है तो वे जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी होंगे।
- वह कीमत जिस पर बैंकों द्वारा ARCs को संपत्ति हस्तांतरित की जानी चाहिए, एक विवाद का मुद्दा बना रहा है। बैंक और ARCs द्वारा निर्धारित कीमतें प्रायः अलग-अलग होती हैं।

3.3 म्युनिसिपल बॉण्ड

(Municipal Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही इंदौर नगर निगम ने 100 करोड़ रुपये के बॉन्ड सूचीबद्ध किए और 1.26 गुना ओवरसबस्क्रिप्शन प्राप्त किया। विगत एक वर्ष में हैदराबाद और पुणे के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बाद यह इस प्रकार की तीसरी लिस्टिंग है।

म्युनिसिपल बॉण्ड के बारे में

- म्युनिसिपल बॉण्ड प्रत्यक्ष रूप से ULBs द्वारा या किसी भी मध्यवर्ती साधन (कॉर्पोरेट नगर इकाई / सांविधिक निकाय / स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) के माध्यम से जारी विपणन योग्य ऋण उपकरण होते हैं। इनका उद्देश्य ULBs द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना है।

- संबंधित नगरपालिका विधि के तहत ULBs के लिए निर्धारित शक्तियों के आधार पर प्राप्त किये गए धन का उपयोग पूंजीगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, मौजूदा ऋणों के पुनर्वित्त, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने आदि के लिए किया जा सकता है।
- **1997** में भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाला **पहला ULB** बैंगलौर नगर निगम था।

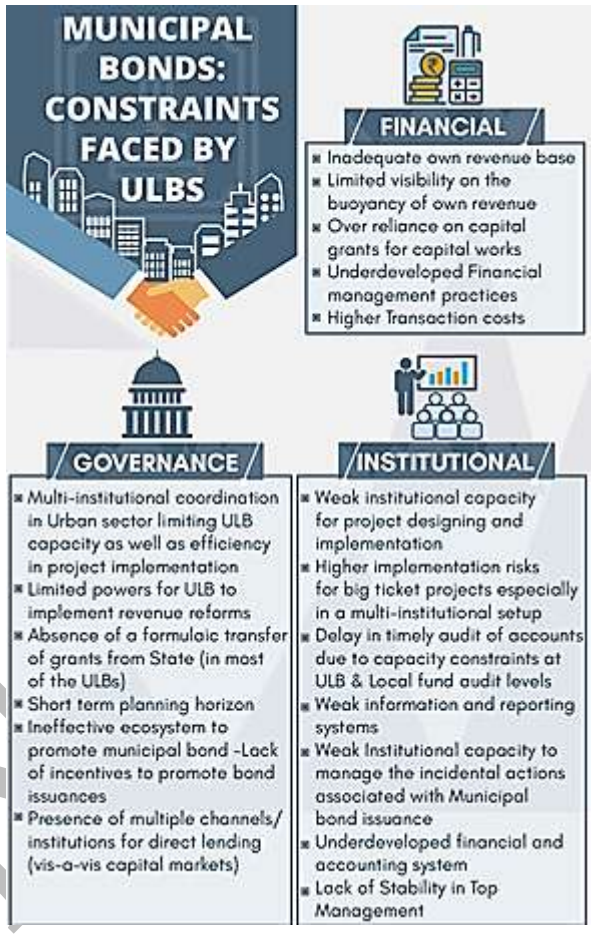

म्युनिसिपल बॉण्ड का महत्व

- **भारतीय शहरों की वित्तीय समस्याओं को हल करने में सक्षम:** ये भारतीय शहरों के वित्तीय समस्याओं के समाधान हो सकते हैं, 2011 में गठित इशर जज अहलूवालिया समिति के अनुसार, अगले 20 वर्षों में स्थिर कीमतों पर लगभग 40 ट्रिलियन रूपए की आवश्यकता होगी।
- **पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण हेतु भावी नकद आपूर्ति का लाभ:** CARE रेटिंग अनुमानों के अनुसार, भारत में बड़ी नगरपालिकाएं म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करके प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ रुपये से 1500 करोड़ रुपये तक संग्रहित कर सकती हैं।
- **शहरी परियोजनाओं के लिए नए दीर्घकालिक निवेशकों और संसाधनों की सुनिश्चितता:** इसके अंतर्गत बीमा निधि, म्यूचुअल फंड और विदेशी फंड सम्मिलित हैं। यह राजस्व और पुनर्भुगतान विकल्पों के मामले में अधिक लचीलापन भी प्रदान करता है।
- **आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक प्रभावी साधन (force multiplier) के रूप में:** ULBs के लिए आवश्यक है कि एक सुदृढ़ रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण मानकों को लागू करें जो नागरिकों के प्रति अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हो।
- **शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार:** म्युनिसिपल बॉण्ड से प्राप्त धन शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, उस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि कर सकता है और निवेशकों के लिए एक बेहतर निवेश विकल्प भी सिद्ध हो सकता है।

2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 'म्युनिसिपल बॉण्ड के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश' के अनुसार प्रभावी निर्गमन हेतु पूर्व शर्त:

- **वित्तीय अनुशासन और सूचना का प्रकटीकरण:** लेखांकन अनुशासन, वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और ULBs द्वारा सूचना का प्रसार एवं प्रकटीकरण की आवधिकता, लंबे समय से निवेशकों की महत्वपूर्ण मांग रही है।
- **रिंग फेन्स्ड प्रोजेक्ट (Ring Fenced Projects):** यह अनुमोदित DPRs के साथ निवेशक का विश्वास बढ़ाने में सहायता करता है।
- **सतत वित्त पोषण के लिए परियोजना का शेल्फ:** ULBs द्वारा म्युनिसिपल बॉण्ड को एक बंद पहल के स्थान पर एक जारी वैकल्पिक वित्तपोषण चैनल के रूप में देखना आवश्यक है। भावी बॉन्ड के निर्गमन के द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के वरीयता प्राप्त शेल्फ के साथ एक बहु-वर्षीय योजना तैयार की जानी चाहिए।
- **एस्क्रो राजस्व:** निवेशकों के जोखिम संबंधी दृष्टिकोण के समाधान हेतु डेट सर्विसिंग (debt servicing) के लिए एस्क्रोइंग (escrowing) के माध्यम से ULBs की विशिष्ट राजस्व प्राप्ति को अलग रखा जा सकता है ताकि निवेशकों तक नकदी प्रवाह की स्पष्टता और निश्चितता में सुधार किया जा सके इससे क्रेडिट गुणवत्ता में और बांड की रेटिंग में सुधार होगा।

आगे की राह

- चूंकि बांड का पुनर्भुगतान नकद रूप में किया जाना है, इसलिए शहरी सरकारों को अन्य स्रोतों के माध्यम से अपने राजस्व आधार को मजबूत करना चाहिए, जैसे संपत्ति कर में सुधार और उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से।
- बॉन्ड से प्राप्त धन का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि पूर्व में कई राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के लिए किया गया था।

VISION

- भारत को म्युनिसिपल बॉण्ड से संबंधित जोखिम को कम करने हेतु नीतियों की आवश्यकता होगी, इसके लिए निम्नलिखित मॉडल को अपनाया जा सकता है:
  - जापान द्वारा नगरपालिका के वित्तपोषण के लिए जापान फाइनेंसियल कारपोरेशन को संप्रभु गारंटी प्रदान की गयी है।
  - दक्षिणी अफ्रीकी विकास बैंक, म्युनिसिपल बॉण्ड निर्गमन का समर्थन करने हेतु इसके बैलेंस शीट का प्रयोग करता है।
  - डेनमार्क द्वारा पूल के एक शहर के डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, बांड धारकों की सुरक्षा के लिए पूल फाइनेंस/संयुक्त बॉन्ड निर्गमन तंत्र का उपयोग किया जाता है। (तमिलनाडु और केरल के कुछ शहरों ने इसका प्रयोग किया गया है)

म्युनिसिपल बॉण्ड पर सेबी के दिशा-निर्देश, 2015:

- सेबी विनियम, 2015 के अनुसार, नगरपालिका या कॉर्पोरेट नगर इकाई (CME) को कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- ULB की विगत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में भी नकारात्मक नेट वर्थ नहीं होनी चाहिए।
- नॉन-डिफ़ॉल्ट: नगरपालिका को विगत 365 दिनों के दौरान ऋण प्रतिभूतियों या बैंकों या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट नहीं किया जाना चाहिए।
- नॉन-विल्फुल डिफॉल्टर: कॉर्पोरेट नगरपालिका इकाई, इसके प्रमोटर, समूह कंपनी या निदेशक का नाम RBI द्वारा प्रकाशित विल्फुल डिफॉल्टर्स की सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।
- सार्वजनिक निर्गम के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड की रेटिंग अनिवार्य रूप से निवेश ग्रेड से ऊपर होनी चाहिए। इन बांडों की परिपक्वता अवधि तीन वर्ष की होनी चाहिए तथा बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों को मौद्रिक एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
- नगरपालिकाओं द्वारा परियोजना की कुल लागत का कम से कम 20% योगदान करना आवश्यक है।
- सेबी ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को राजस्व बांड (revenue bonds) के निर्गमन के माध्यम से भी धन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है। जब म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन को किसी एक परियोजना के लिए रखा जाता है तो ऐसे म्यूनिसिपल बॉन्ड को **राजस्व बांड** कहा जाता है। इन बॉन्ड का भुगतान परियोजना से अर्जित राजस्व से किया जा सकती है।

3.4. बॉण्ड बाजार के विकास हेतु फ्रेमवर्क

(Framework For Bond Market Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सेबी द्वारा भारत में बॉन्ड मार्केट के विकास हेतु एक नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया है।

संबंधित तथ्य

- 2018-19 के बजट में इस प्रस्ताव की घोषणा की गई थी कि 'सेबी इस आशय से संबंधित आदेश जारी करने पर विचार करेगी कि कंपनियों को अपनी वित्त पोषण आवश्यकताओं के लगभग एक चौथाई भाग का वित्त पोषण बॉण्ड बाजार के माध्यम से करना अनिवार्य है,' इसकी शुरूआत बड़े निगमों से होगी।
- समय के साथ सरकार ने बॉण्ड बाजार को सुदृढ़ बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - बांड के ओवर द काउंटर (OTC) लेनदेन की अनिवार्य रिपोर्टिंग को आवश्यक बनाना तथा डेटा को पब्लिक डोमेन में रखना।
  - एक्सचेंजों पर समर्पित ऋण अनुभागों की स्थापना।
  - निजी प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफार्म।
- परिणामस्वरूप, बैंक वित्तीयन की तुलना में बॉन्ड बाजार के हिस्से में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2016-17 एक निर्णायक वर्ष था जब बॉन्ड बाज़ार वित्तीयन ने बैंक वित्तीयन को पीछे छोड़ दिया था।

प्रस्तावित नया बॉण्ड बाजार फ्रेमवर्क

- अगले वर्ष 1 अप्रैल से फ्रेमवर्क को लागू करना प्रस्तावित है।
- यह बड़े निगमों के लिए लागू किया जाएगा, अर्थात्, जिन पर कम से कम **1 बिलियन** का दीर्घकालिक ऋण बकाया है, AA या अधिक की क्रेडिट रेटिंग है और जो दीर्घकालिक ऋण (1 वर्ष से अधिक का ऋण) के साथ स्वयं को वित्तपोषित करना चाहता है।
  - सेबी कम मूल्य वाले निर्गम को शामिल करने हेतु भी बॉन्ड बाज़ार की क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् रेटिंग फ्रेमवर्क की सीमा को "AA" से "A" तक कम करने का निर्णय ले सकता है।
- बड़े निगमों को 2019-20 में प्राप्त किए गए ऋण के कम से कम 25 प्रतिशत भाग की पूर्ति बॉन्ड बाज़ार के माध्यम से करनी होगी।

VISION IAS

- कार्यान्वयन के प्रारंभिक दो वर्षों में दृष्टिकोण का अनुपालन करना।
    - बाजार ऋण की आवश्यकता की पूर्ति न होने के मामले में, इसके कारणों को "निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं" के भाग के रूप में प्रकट करना होगा।
    - दो वर्ष पश्चात् यदि अनुपालन संबंधी कोई कमी पाई जाती है, तो इस कमी के 0.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक का मौद्रिक दंड आरोपित किया जाएगा।

लाभ

- यह कदम भावी ऋण के लिए एक बेहतर संरचना का निर्माण करेगा और वित्तीय प्रणाली पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ बन सकेगी।
- यह निगम के वित्तपोषण के लिए बैंकों पर निर्भरता को कम करेगा जो बैड लोन की समस्या से जूझ रहे हैं और साथ ही साथ एक चल (liquid) एवं जीवंत कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का निर्माण करेगा।
- AA रेटिंग की कंपनियों से आरंभ करते हुए सेबी ने यह सुनिश्चित किया है कि डिफ़ॉल्ट होने का जोखिम न्यूनतम है।
- यह भारत को वैश्विक कार्यप्रणाली के समान बना देगा जहां बॉन्ड बाजारों का प्रभुत्व होगा और बैंक इस बाजार में निवेशक के रूप में होंगे।
- बॉन्ड दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक आदर्श साधन हैं और इस प्रकार यह क्षेत्र के अवसंरचना निवेश अंतराल को कम करने में सहायता कर सकते हैं।

अवसंरचना परियोजनाओं में बॉन्ड द्वारा वित्तपोषण संबंधी मुद्दे:

- घरेलू स्थानीय मुद्रा संबंधी बॉन्ड बाजारों की पहुँच और तरलता की कमी बॉन्ड वित्तपोषण को कठिन बनाती है।
- क्रेडिट रेटिंग अंतराल भी अनेक समस्याओं में से एक है। तीन अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के अनुसार, यूरोपीय संघ में AA या उससे ऊपर रेटिंग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का हिस्सा लगभग 52% है, लेकिन एशिया में यह केवल 16% ही है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, निगम जारीकर्ताओं के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग सरकारों की तुलना में कम होती है। इससे ऋण वित्तपोषण की लागत में वृद्धि हो जाती है।

3.5. सीमित देयता भागीदारी

(Limited Liability Partnerships)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा कम से कम लगातार दो वर्षों तक वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने के लिए 7,775 सीमित देयता भागीदारी (LLPs) को नोटिस जारी किया गया है।

सीमित देयता भागीदारी

- यह एक वैकल्पिक निगम व्यवसाय साधन है जो किसी कंपनी की सीमित देयता के लाभ प्रदान करता है, लेकिन भागीदारी कंपनी के समान, यह पारस्परिक समझौते के आधार पर इसके सदस्यों को आंतरिक प्रबंधन को व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- एक पृथक कानूनी इकाई के रूप में LLP, अपनी परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है लेकिन भागीदारों की देयता LLP में उनके सहमत योगदान तक ही सीमित है।
    - जहां तक सिविल मामलों का संबंध है, यह भागीदारों की देयता को सीमित करता है।
    - इस प्रकार की भागीदारी में, भागीदारों को किसी और के दुर्व्यवहार या लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- LLP में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति है और यह पूंजीगत योगदान के रूप में या लाभकारी शेयरों के अर्जन के माध्यम से हो सकता है।
- इसकी संरचना और परिचालन में लचीलेपन के कारण, यह सामान्य रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए तथा विशेष रूप से सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए उपयोगी है।
- यह सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों द्वारा शासित है।
- LLP अधिनियम 2008, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को उचित रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यकतानुसार सक्षम इंस्पेक्टर की नियुक्ति के माध्यम से केंद्र सरकार को LLP से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति भी प्राप्त है।

- कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) को कंपनी अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है और यह कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधीन है।
- इसका प्राथमिक कर्तव्य संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत कंपनियों और LLPs को पंजीकृत करना तथा उनके द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

- चूंकि LLPs से संबंधित कानून कम कठोर हैं, इसलिए यह व्यवसायों के लिए एक अधिमान्य विकल्प है। अप्रैल-नवंबर 2017 के दौरान 50,000 से अधिक निजी कंपनियां LLPs के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, क्योंकि-
  - इसकी पंजीकरण की लागत कम है।
  - इसकी अनिवार्य लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
- LLPs भी कर कुशल हैं क्योंकि उन्हें लाभांश वितरण कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट प्रदान की गयी है।
- हालांकि, शेल कंपनियों के समान, निष्क्रिय LLPs का उपयोग कर अपवंचन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। इसलिए, वर्तमान में सरकार काले धन की वृद्धि रोकने के लिए निष्क्रिय LLPs का पंजीकरण निरस्त करने हेतु कदम उठा रही है।

3.6 ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी

(Draft E-Commerce Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता** में गठित टास्क फोर्स द्वारा तैयार मसौदा ई-कॉमर्स पॉलिसी जारी की है।

ई-कॉमर्स पॉलिसी की आवश्यकता

निम्नलिखित कारक, सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर एवं स्पष्ट नीति प्रतिक्रिया और समन्वय को आवश्यक बनाते हैं:

- **ई-कॉमर्स में तीव्र वृद्धि:** वर्तमान में, भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर के लगभग **25 अरब डॉलर** के होने का अनुमान है, जिसके **2020 तक 200 अरब डॉलर** तक वृद्धि करने की सम्भावना है। वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 2022 तक $1 ट्रिलियन होगा और यह **2030 तक कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 50% होगा।**
- **निवेश में वृद्धि:** बाजार की संभावना ने इस क्षेत्र में अमेज़ॅन, वॉलमार्ट, अलीबाबा, सॉफ्टबैंक और उबर जैसे दिग्गजों (giants) को प्रमुख अभिकर्ता बनने के लिए लाखों डॉलर निवेश करने हेतु आकर्षित किया है। महानगरों और बड़े नगरों को कवर करने के बाद, बड़े ई-कॉमर्स फर्म अगले चरण में **टियर-2 और टियर-3 नगरों में विस्तार** के लिए तैयार हैं, जहां 3G और 4G नेटवर्क के विस्तार ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रखा है।
- **अंतरराष्ट्रीय पटल पर बेहतर स्थिति:** एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति, विश्व व्यापार संगठन के साथ बहुपक्षीय मुद्दों पर स्वस्थ बातचीत को सक्षम बनायेगी।

ड्राफ्ट के अंतर्गत प्रमुख प्रस्ताव

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना:** यह ई-कॉमर्स नीतियों पर अंतर सरकारी समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और जनता एवं ई-कॉमर्स कंपनियों दोनों की ही शिकायतों की सुनवाई करेगा।
- **अनिवार्य पंजीकरण:** यह सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए प्रावधान करता है, चाहे वे घरेलू हों या विदेशी।
- **एकसमान कानून:** यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए एकसमान कानून का प्रस्ताव करता है।
- **ई-कॉमर्स के लिए FDI नीति:** यह एक इन्वेंट्री मॉडल (inventory model) के तहत फर्मों के लिए उनके ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर स्थानीय रूप से उत्पादित सामान बेचने के लिए 49% FDI प्रस्तावित करता है। इसलिए, ऐसी फर्मों का नियंत्रण भारतीयों के पास रहेगा। वर्तमान में बाजार मॉडल का पालन करने वाले ऑनलाइन स्टोर में 100% FDI की अनुमति है; निम्नलिखित इन्वेंट्री मॉडल का अनुसरण करने वाली फर्मों में किसी भी FDI की अनुमति नहीं है।
  - ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रवर्तन निदेशालय में एक अलग संभाग स्थापित किया जाएगा।
  - न्यून हिस्सेदारी वाले भारतीय संस्थापकों/निर्माताओं को अधिक नियंत्रण देने के साथ **विभेदकारी वोटिंग** अधिकार होना चाहिए।
- **डेटा स्थानीयकरण :** यह डेटा के स्थानीयकरण की दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करता है जिसे आवश्यक रूप से भारत में स्थित होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न सुझाव दिए गए हैं:

- डेटा सेंटर्स को **बुनियादी ढांचे का दर्जा** देने के साथ-साथ ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए भौतिक आधारभूत संरचना की आसान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- नियमों को अनिवार्य बनाने से पहले या उनसे तालमेल बैठाने के लिए उद्योग को **दो वर्ष की सनसेट अवधि** प्रदान करने का प्रावधान है।
- "सार्वजनिक स्थानों" में "इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT)" उपकरणों द्वारा एकत्रित **केवल व्यक्तिगत डेटा या सामुदायिक डेटा** को भारत में संग्रहीत करने की आवश्यकता होगी।

मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री-बेस्ड मॉडल क्या है?

- मार्केटप्लेस आधारित ई-कॉमर्स मॉडल का अर्थ है कि एक खरीददार और विक्रेता के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु ई-कॉमर्स इकाई द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म प्रदान करना।
- ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-बेस्ड मॉडल से आशय ई-कॉमर्स गतिविधियों से है जहां वस्तुओं और सेवाओं की सूची ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में होती है और वे उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाती है।

- **MSMEs के लिए**
  - MSMEs को स्थानीय रूप से उत्पादित सामानों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बेचने के लिए इन्वेंट्री-बेस्ड मॉडल का अनुसरण करने दिया जाए।
  - **GST से छूट:** वर्तमान में, सालाना 20 लाख रुपये से कम राजस्व् वाले MSMEs को GST से छूट प्राप्त हैं, यदि वे सामान की ऑफ़लाइन बिक्री करते हैं, जबकि यदि वे ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर सामान की बिक्री करते हैं, तो उन्हें GST का भुगतान करना पड़ेगा।
  - ऐसी कंपनियों को 49% FDI की अनुमति भी दी जा सकती है।
- **विलय और अधिग्रहण के लिए**
  - **प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)** प्रतिस्पर्धा को विरूपित करने वाले एवं मौजूदा नियम कानूनों के विरूद्ध विलय और अधिग्रहण की **अनिवार्य रूप से जांच** करेगा । अमेरिका की प्रमुख खुदरा कम्पनी वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के हालिया अधिग्रहण के प्रकाश में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
  - **अधिक छूट के लिए समय-सीमा :** "विभेदकारी मूल्य-निर्धारण रणनीतियों" के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित की जानी चाहिए। CCI और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) इस प्रस्ताव का निरीक्षण करेंगे।
- **कर संबंधित प्रस्ताव**
  - GST उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों का **स्थानीय पंजीकरण के बजाय केंद्रीकृत पंजीकरण होना चाहिये।**
  - वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन डिलीवरी के बीच एक समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रासंगिक GST प्रावधानों को संशोधित करना।
  - कर निर्धारण हेतु 'स्थायी प्रतिष्ठान' के लिए **'महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति'** संबंधी सिद्धांत का उपयोग।
- **मूल्य विकृतियों को विनियमित करना**
  - ई-कॉमर्स अभिकर्ताओं द्वारा बिक्री मूल्यों को **"प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष"** रूप से प्रभावित करने से रोकता है।
  - ब्रांडेड सामानों जैसे मोबाइल फोन, फैशन आइटम्स जो मूल्य विकृति का कारण बनते है, उनकी थोक खरीद को रोकना।

लाभ

- ई-कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट अत्यधिक व्यापक है, जो व्यवसाय, डेटा गोपनीयता और कराधान के सभी पहलुओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सर्वर के स्थानीयकरण और कनेक्टिविटी मुद्दों जैसे कई तकनीकी पहलुओं को शामिल करता है।
- नियामक, ऑनलाइन धोखाधड़ी से उपभोक्ता का संरक्षण सुनिश्चित करेगा और ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश की सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा |
- डेटा स्थानीयकरण का कदम डेटा स्थानीयकरण पर गठित श्रीकृष्णा समिति के अनुरूप निजी क्षेत्र की कंपनियों को देश में **उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति संग्रहित** करने संबंधी मानकों के अनुपालन में मदद करेगा।
- यह नीति में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से MSMEs को भी बढ़ावा देगा जो राजस्व के साथ-साथ रोजगार सृजन भी करेगा।

VISION IAS

- वास्तव में डेटा स्थानीयकरण के लिए 2 वर्ष की समय-सीमा घरेलू उद्योग को कानून लागू करने से पहले डेटा संग्रहण प्रक्रियाओं के लिए तैयार होने के लिए समय प्रदान करेगी।
- यह भारतीय बाजार में विदेशी और घरेलू अभिकर्ताओं के लिए एक समान अवसर वाला परिवेश निर्मित करने में समर्थ होगी।

चुनौतियाँ/मुद्दे

- धनाड्य विदेशी दिग्गजों के खिलाफ घरेलू उद्योग के संरक्षण का तर्क **उदारीकरण के सिद्धांत के खिलाफ है।**
- डेटा साझाकरण और स्थानीयकरण, कंपनियों के **बौद्धिक संपदा अधिकार सम्बन्धित मुद्दे** उत्पन्न करेगा और उनके व्यवसाय करने के तरीके पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।
- **छूट सम्बन्धी मुद्दे**
  - भारत के खुदरा बाज़ार में किराना सामान और खाद्य बाजार की हिस्सेदारी लगभग आधी है, ऑनलाइन विक्रेताओं की बाजारगत हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है। इसे देखते हुए ऑफ़लाइन विक्रेताओं के संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स विक्रेताओं द्वारा प्रदत्त छूट पर प्रतिबंध को एक बड़ा कदम बताना अत्युक्ति के समान है।
  - एक मूल्य स्तर निर्धारित करने से स्थानीय विक्रेताओं को आकर्षक डील्स की पेशकश करने में बाधा आ सकती है।
  - छूट पर रोक के संबंध में पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं, और शायद इसे आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है।
  - अनावश्यक विनियमन को लागू करना किसी अन्य क्षेत्र को मंद कर सकता है।
  - ऑनलाइन छूट के खत्म होते ही उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर कम होती चली जाएगी।
  - यह ई कॉमर्स कंपनियों की खुदरा रणनीतियों पर प्रतिबंध लगाएगा।
- कुछ राज्यों ने खुदरा बिक्री के लिए केंद्र द्वारा कानून तैयार करने को अतिक्रमण मानते हुए इसका विरोध किया है। खुदरा बिक्री राज्य सूची का विषय है।
- इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकस एवं आईटी मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के विरोधाभासी विचारों के कारण उनके बीच समन्वय एक मुद्दा बना हुआ है।

आगे की राह

- नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक रूप से राज्य सरकार को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- ई-कॉमर्स लेन-देन का विनियमन अस्पष्ट नियमों द्वारा करने के बजाय भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अस्पष्ट नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है।
- नीति में न्यूनतम विनियमन के साथ **'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' की सुविधा** मिलनी चाहिए और **विदेशी और घरेलू अभिकर्ताओं को एकसमान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।**

3.7. ग्लोबल डिजिटल टैक्स रूल्स

(Global Digital Tax Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जुलाई 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों की एक बैठक में यूरोपीय वित्त नेताओं द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर के वैश्विक नियमों में प्रगति की मांग की गयी है।

ग्लोबल डिजिटल कराधान संबंधी मुद्दे

- **डिजिटलीकरण** अपेक्षाकृत अधिक पारंपरिक बिजनेस मॉडल (जैसे- ई-कॉमर्स) को उपभोक्ताओं के अधिकार क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति के बिना ही उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता को किसी भी प्रकार की पारंपरिक बिक्री किए बिना ही आय सृजन करने के लिए उपयोगकर्ता सहभागिता पर आधारित नए बिजनेस मॉडल का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे-सोशल मीडिया व्यवसाय, जो विज्ञापन बिक्री के माध्यम से राजस्व सृजन करते हैं।
- वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतिम उपयोगकर्ता आधारित कराधान (end user based taxation) की बजाय कंपनियों की भौतिक उपस्थिति वाले अधिकार क्षेत्र में उन पर कर लगाने का प्रावधान करते हैं। हालांकि, डिजिटल बिजनेस किसी देश में बिना किसी महत्वपूर्ण भौतिक उपस्थिति के बाजारों से राजस्व प्राप्त करते हैं परन्तु वे उस देश में करों का भुगतान नहीं करते हैं।
- ये दुर्बलताएं बेस इरोज़न और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) के लिए अवसर उत्पन्न करती हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि जहां आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं और मूल्य सृजन होता है वहाँ लाभ पर कर लगाया जाता है।
- **कर मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति** ने अक्टूबर 2017 की अपनी रिपोर्ट **'टैक्स चैलेंजेज ऑफ डिजिटाईजेशन'** में कठोर कार्रवाई पर बल दिया है। समिति की मत इस तथ्य पर आधारित था कि प्रायः विकासशील देश डिजिटल

अर्थव्यवस्था में कर राजस्व हानि का मुख्य स्रोत होते हैं, क्योंकि वे पर्याप्त उपभोक्ता और उपयोगकर्ता आधार प्रदान करते हैं, परन्तु इनमें डिजिटल अर्थव्यवस्था बिजनेस की मेजबानी करने की संभावना कम होती है।

- एक OECD रिपोर्ट **उच्च डिजिटलीकृत बिजनेस की तीन सामान्य विशेषताओं की पहचान करती है:** बिना जन समुदाय के पार-क्षेत्राधिकार पैमाना (cross-jurisdictional scale without mass); अमूर्त परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा (IP) पर अत्यधिक निर्भरता; और डेटा का महत्व, उपयोगकर्ता भागीदारी और उनका IP के साथ समन्वय।

हालिया डिजिटल कर विवादों का मामला

- आयरलैंड में, यूरोपीय आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐप्पल ने 2014 में आयरिश कर अधिकारियों को 0.005% का भुगतान किया था, जो 12.5% की निगम कर दर से बहुत कम था, जिसके कारण इन दोनों के मध्य कर विवाद हुआ।

इस कदम का महत्व

- सीमापार संचालित होने वाली डिजिटल कंपनियों को केवल उनकी भौतिक उपस्थिति वाले स्थान पर कर देने के बजाय उन स्थानों पर भी करों का भुगतान करना होगा जहां उनके उपयोगकर्ता अवस्थित हैं।
- मार्च 2018 में यूरोपीय आयोग ने नए नियम प्रस्तावित किए थे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरोपीय संघ में एक उचित एवं विकास अनुकूलित तरीके से डिजिटल बिजनेस गतिविधियों पर कर लगाया जा सके। प्रस्तावित नियमों के तहत, यूरोप में महत्वपूर्ण डिजिटल राजस्व वाली बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं पर अपने टर्नओवर का 3% कर देना होगा।
- विभिन्न देशों (अधिकार क्षेत्रों) ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर के लिए **एकपक्षीय नियम** को अपनाना प्रारंभ कर दिया है, उदाहरण के लिए:
  - 2016 में, **फ्रांस** ने ऑनलाइन वीडियो-ऑन-डिमांड सेवाओं को शामिल करने के लिए ऑडियो-विज़ुअल सामग्री के वितरण पर अपने कर को बढ़ाया। ऑनलाइन वीडियो-ऑन-डिमांड सेवाओं मुफ़्त में उपलब्ध कराया जाता है परन्तु दर्शकों को दिखाए गए विज्ञापनों के माध्यम से इन्हें मुद्रीकृत किया जाता है।
  - **इटली** ने डिजिटल ट्रांजेक्शन पर एक करारोपण (लेवी) को अपनाया है जिसके 2019 से प्रभावी होने की सम्भावना है। इसका लक्ष्य डिजिटल और पारंपरिक बिजनेस के मध्य समान स्तर को सुनिश्चित करना है और वर्तमान में कॉर्पोरेट टैक्स नियमों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गयी गतिविधियों को सम्मिलित करना है।
  - **सऊदी अरब और कुवैत** में कर अधिकारियों ने 'वर्चुअल सर्विस परमानेंट एस्टैब्लिशमन्ट' की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसे देशों में बिना किसी भौतिक उपस्थिति के भी अस्तित्व में समझा जाता है।
  - ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, तुर्की, न्यूजीलैंड, हंगरी इत्यादि जैसे अन्य देशों द्वारा इसी प्रकार के अंतरिम उपायों को अपनाया गया है।
- OECD और जी-20 राष्ट्रों द्वारा BEPS परियोजना का निर्माण किया गया, जो सामान्यतः उन कर रणनीतियों को लक्षित करता है जो लाभ को कृत्रिम रूप से कम कर वाले या कर रहित क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित करती हैं। इस परियोजना का **एक्शन प्लान 1** डिजिटल अर्थव्यवस्था के कर पहलुओं से संबंधित है।
- OECD जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय डिजिटल आय पर कराधान के संदर्भ में दीर्घकालिक विचारों पर कार्य कर रहे हैं और इस मुद्दे पर 2020 तक वैश्विक सहमति बनायी जाएगी ।

भारत की स्थिति

- भारत में, डिजिटल अर्थव्यवस्था लगभग $ 450 बिलियन पर पहुंच गई है और आगामी 3-4 वर्षों में इसके $ 1 ट्रिलियन से अधिक होने की सम्भावना है। विस्तारशील डिजिटल विश्व ई-कॉमर्स, ऐप स्टोर, क्रिप्टोकरेंसी, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IOT), बिग डेटा और अन्य देशों के मध्य क्लाउड कंप्यूटिंग को शामिल करेगा।
- बजट 2015-16 में, ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं के लिए कर भुगतान को प्राप्त करने के लिए **6% इक्वलाइजेशन लेवी** लागू की गई थी।
- 2018-19 बजट ने डिजिटल फर्मों पर कर लगाने के लिए आयकर अधिनियम में उचित रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, क्योंकि मौजूदा दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAAs) प्रस्तावित परिवर्तनों के तहत शामिल नहीं हैं, अतः भारत को कर संधि पर पुनर्वार्ता करने की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

- बजट में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, IT अधिनियम "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (significant economic presence)" प्रदान करेगा जिसके तहत भारत में डेटा अथवा सॉफ्टवेयर का डाउनलोड शामिल होगा या डिजिटल साधनों के माध्यम से भारत में निर्धारित संख्या में उपयोगकर्ताओं से वार्ता करना शामिल है।
- भारत ने तकनीकी रूप से **बहुपक्षीय उपकरण (MLI)** कहे जाने वाले वैश्विक तंत्र के लिए समर्थन किया है। यह उन कर डिजिटल कंपनियों के लिए स्थायी उपाय होगा, जो देश में बड़े उपयोगकर्ता आधार से राजस्व अर्जित करते हैं। डिजिटल व्यापार के लिए कराधान प्रावधानों को शामिल करने के लिए यह स्वचालित रूप से द्विपक्षीय कर संधि में संशोधन करेगा।

मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेशर्ज़ टू प्रिवेंट बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (MLI) के बारे में

- यह विश्व भर में OECD/ जी-20 BEPS परियोजना से प्राप्त परिणामों को द्विपक्षीय कर संधियों में स्थानांतरित करके मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कर नियमों में अंतराल को समाप्त करने हेतु सरकारों के लिए मजबूत समाधान प्रदान करता है।
- यह विशिष्ट कर संधि नीतियों को समायोजित करने के लिए नम्यता प्रदान करने के साथ-साथ संधि के दुरुपयोग का मुकाबला करने और विवाद समाधान तंत्र में सुधार के लिए स्वीकृत न्यूनतम मानकों को भी लागू करता है।

चिंताएं

- **नीतिगत चुनौतियां:** डिजिटलीकरण बड़ी संख्या में सार्वजनिक नीति संबंधी चुनौतियों को उत्पन्न करता है और नीति निर्माण की प्रकृति को भी परिवर्तित कर रहा है।
- **कुछ यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा उठाए गई चिंताएं:** चूंकि ये उपाय उनकी कुछ कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय भागीदार प्रतिकारी उपायों के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी चिंतित है कि करारोपण की दिशा में होने वाला एक बदलाव जहां कंपनी की भौतिक उपस्थिति वाले स्थान के बजाय कंपनी की सेवाओं के उपभोग वाले स्थान पर कंपनी पर कर लगाया जाएगा, दीर्घ काल में इसकी लाभकारी कार निर्माता कम्पनियों को नुकसान पहुंचा सकता है।
- आयरलैंड और लक्समबर्ग जैसे **कम कर वाले यूरोपीय संघ के सदस्यों** को उनके कम कर अधिकार क्षेत्र में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खोने का भय है।
- **भेदभावपूर्ण प्रतीत हो सकता है:**अमेरिका इन उपायों को अपनी डिजिटल कंपनियों को एक किनारे करने के कदम में रूप में देखता है क्योंकि प्रमुख डिजिटल कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं।
- **यूरोपीय संघ की अंतरिम डिजिटल कर योजना कंपनी के लाभ के बजाय उसके राजस्व को लक्षित करती है:** यह कॉर्पोरेट कराधान पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति के विरुद्ध है।
- विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए असंगत एकपक्षीय नियम **डिजिटल फर्मों के कर बोझ को बढ़ा सकते** हैं।

आगे की राह

विश्व भर में, नीति निर्माताओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था लेनदेन पर कर आरोपण संबंधी मुद्दे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विभिन्न देशों ने इन लेन-देन में से कुछ करों के प्रावधान प्रस्तुत किए हैं, एक अलग कर संहिता बनाने की आवश्यकता है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था सम्बन्धी लेनदेन के लिए अधिक पारदर्शिता ला सकती है । इसमें निम्न शामिल हो सकते हैं:

- डिजिटल अर्थव्यवस्था लेनदेन संबंधी मुद्दों को समय-समय पर संबोधित करने के लिए विशेष रूप से गठित एक तंत्र भी करदाता की विभिन्न शिकायतों का भी समाधान करेगा।
- लेन-देन सहित नवाचारकर्ताओं के लिए डिजिटल इकोनॉमी स्पेस का उपयोग कर करदाताओं के लिए अतिरिक्त कर प्रोत्साहन के साथ उद्योग के विकास को समर्थन प्रदान करना।
- संहिता की उद्योग विशेषज्ञों द्वारा निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए, और जैसे-जैसे नए प्रकारों का विकास हो उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3.8. राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग

(Ease Of Doing Business Rankings For States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की फाइनल रैंकिंग जारी की है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- DIPP और विश्व बैंक द्वारा आयोजित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक रैंकिंग के **तीसरे संस्करण** में, आंध्र प्रदेश व्यापार करने के लिए भारत में सबसे बेहतर राज्य रहा है।

- तेलंगाना और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर, जबकि मेघालय 36वें स्थान पर रहा है। झारखंड और गुजरात क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रहे हैं।
- रैंकिंग को निवेश आकर्षित करने और व्यापार परिवेश में सुधार के लिए राज्यों के बीच **प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से** प्रस्तुत किया गया था।

बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) के बारे में

- इस प्लान का उद्देश्य एक दक्ष, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से विभिन्न केंद्र सरकार नियामकीय कार्यों एवं सेवाओं के **वितरण में सुधार** करना है।
- 2017 तक रिफॉर्म प्लान 285 से 372 कार्य बिन्दुओं (एक्शन पॉइंट) तक विस्तारित हुआ है।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने श्रम, पर्यावरण स्वीकृति, सिंगल विंडो सिस्टम, निर्माण परमिट, अनुबंध प्रवर्तन, पंजीकृत संपत्ति और निरीक्षण करने जैसे क्षेत्रों में अपने नियमों एवं प्रणालियों को सरल बनाने के लिए सुधार किए हैं।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पंजीकरण और अनुमोदन पर समय-सीमा लागू करने के लिए **लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम** भी अधिनियमित किया है।
- BRAP 2017 के अंतर्गत वर्तमान मूल्यांकन संयुक्त स्कोर पर आधारित है जिसमें **सुधार संबंधी साक्ष्य स्कोर** शामिल हैं जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपलोड किए गए साक्ष्य पर आधारित होते हैं और **फीडबैक स्कोर** जो व्यवसायों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के वास्तविक उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित होते हैं।

3.9. रयथू बंधु योजना

(Rythu Bandhu Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **तेलंगाना** सरकार ने किसानों का समर्थन प्रदान करने के लिए **रयथू बंधु** (किसानों के मित्र) योजना प्रारंभ की है।

रयथू बंधु योजना से संबंधित तथ्य

- यह किसानों के लिए एक प्रकार की निवेश समर्थन योजना है, जिसमें किसानों को उनकी जोत (landholdings) के आधार पर चेक भुगतान शामिल है। सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान को प्रत्येक फसल के मौसम से पूर्व **4,000 रूपए प्रति एकड़ "निवेश समर्थन"** के रूप में प्रदान करेगी।
- इसका उद्देश्य किसान को **बीज, उर्वरक, कीटनाशक, और खेत संबंधी तैयारी पर** होने वाले व्ययों का एक बड़ा भाग पूरा करने में सहायता करना है।
- इस योजना में राज्य के 31 जिलों की 1.42 करोड़ एकड़ भूमि शामिल है, और **भू स्वामित्व वाला प्रत्येक किसान** इसका लाभ उठाने का पात्र है।

लाभ

- यह योजना प्रत्येक फसल के मौसम से पूर्व **धन के लिए साहूकारों की आवश्यकता को समाप्त करेगा** और 4-5 वर्षों में ऋण से मुक्त होने में सहायता करेगी।
- सरकार **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) बनाने के बजाय चेक जारी करेगी** जो कि बैंक द्वारा किसानों की पिछली देनदारियों के विरुद्ध DBT धन को समायोजित करने की संभावना को समाप्त करती है।
- यह **सामाजिक और कृषि नीति** के लिए आदर्श हो सकती है। इसे देश में **सार्वभौमिक बुनियादी आय (universal basic income) के लिए एक परीक्षण** के रूप में देखा जाता है।

चुनौतियां/दोष

- **उचित भूमि रिकॉर्ड के अभाव** के परिणामस्वरूप कई किसान इस योजना से बाहर रह गए हैं। नाम अथवा सर्वेक्षण संख्या में विसंगतियों के कारण कई चेक वापस कर दिए गए हैं।
- यह योजना **समृद्ध किसानों और समृद्ध भूस्वामियों को बाहर नहीं करती है।** इस योजना में एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत स्थानीय अधिकारियों को चेक वापस किया जा सकता है। परन्तु यह प्रावधान केवल स्वैच्छिक है।
- इस योजना में **पट्टेदार किसानों को वंचित रखा गया** है जो अनुमानित रूप से तेलंगाना की कृषि जनसंख्या का लगभग 40% हैं और अधिकांश सबसे निर्धन और वंचित पृष्ठभूमि से सम्बंधित हैं।

VISION IAS

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) के बारे में

यह आवधिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को बिना शर्त नकद हस्तांतरण है।

UBI के पक्ष में तर्क

- **निर्धनता और सुभेद्यता में कमी:** UBI के परिणामस्वरूप धन का न्यायसंगत वितरण होगा।
- **विकल्प:** नागरिक कल्याण व्यय को अपनी इच्छानुसार (जैसा बेहतर समझे) व्यय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बढ़ी हुई आय व्यक्तियों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि करेगी, क्योंकि अब उन्हें किसी भी कार्य संबंधी परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
- **बेहतर लक्ष्यीकरण:** चूंकि सभी व्यक्तियों को लक्षित किया जाता है, अपवर्जन संबंधी त्रुटि (किसी भी नागरिक के योजना से बाहर रहने की संभावना) नहीं होती है।
- **आघातों के विरुद्ध बीमा:** यह आय स्वास्थ्य, आय और अन्य आघातों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा।
- भुगतान के रूप में **वित्तीय समावेशन में सुधार -** हस्तांतरण वित्तीय सेवाओं की मांग में वृद्धि करेगा, जिससे बैंकों के सेवा नेटवर्क के विस्तार में निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **मनोवैज्ञानिक लाभ:** एक गारंटीकृत आय दैनिक आधार पर निर्वाह योग्य आय की खोज के दबाव को कम कर देगी।
- **प्रशासनिक दक्षता:** भिन्न सरकारी योजनाओं के स्थान पर UBI राज्य पर प्रशासनिक बोझ को कम कर देगी।

UBI के विपक्ष में तर्क

- **विशिष्ट व्यय:** परिवार इस अतिरिक्त आय को अनुचित गतिविधियों अथवा शराब, तंबाकू जैसी विलासितापूर्ण वस्तुओं पर व्यय कर सकते हैं।
- **नैतिकता संबंधी खतरे:** न्यूनतम गारंटीकृत आय लोगों को आलसी बना सकती है और श्रम बाजार से बाहर कर सकती है।
- **नकद द्वारा प्रेरित लिंग असमानता:** पुरुषों द्वारा UBI के खर्च पर नियंत्रण करने की संभावना है जो कि अन्य प्रकार के हस्तांतरण के संदर्भ में नहीं दिखता है।
- **निकास संबंधी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को प्रदत्त वित्तीय लागत:** वृहद जनसंख्या के आकार को देखते हुए, सरकार पर अत्यधिक राजकोषीय बोझ पड़ेगा। साथ ही, एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद विफलता के मामले में सरकार को UBI को समाप्त करना कठिन हो सकता है।
- **सार्वभौमिकता की राजनीतिक अर्थव्यवस्था - स्वैच्छिक अपवर्जन के लिए विचार:** समृद्ध व्यक्तियों को हस्तांतरण के प्रावधान से विरोध उत्पन्न हो सकता है क्योंकि यह गरीबों के लिए समता और राज्य कल्याण के विचार का उल्लंघन कर सकता है।

3.10 आर्थिक संकेतकों के लिए साझा डेटाबेस

(Common Database for Economic Indicators)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विशेषज्ञों के एक पैनल ने मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के लिए एक साझा डेटाबेस के लिए सुझाव दिया है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- IIT-मुंबई के प्रोफेसर **एन. एल. शारदा** की अध्यक्षता वाली 'एनालिटिक्स समिति' ने सरकार को सभी एकीकृत संकेतकों के लिए बड़ी कमी के रूप में मेटाडेटा या अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी की कमी का उदाहरण देते हुए एक **राष्ट्रीय एकीकृत डेटा सिस्टम (National Integrated Data System: NIDS)** स्थापित करने की अनुशंसा की है।
- प्रस्तावित NIDS, एक एकीकृत मानक प्रणाली के साथ पृथक डेटासेट्स को जोड़ने वाला एक एकीकृत डेटाबेस सिस्टम बनाएगा ताकि डेटा को आसानी से अंतरसंबंधित किया जा सके और डेटा एक्सचेंज और डेटा एक्सेस के लिए एक मानक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जा सके।

वर्तमान प्रणाली से संबंधित मुद्दे

- डेटा विश्लेषण की वर्तमान पद्धति में विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करके स्प्रेडशीट (spreadsheet) पर इसका विश्लेषण किया जाता है।
- आधिकारिक भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली को खण्डों (silo's) में विभाजित है, प्रत्येक की अपनी सूचना संरचना (इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर) है, तथा डेटासेट्स के सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम के मध्य अन्तरसंक्रियता का अभाव है।

VISION IAS

- यहां तक कि जब नियमित अन्तराल पर किसी एक ही विषय पर डेटा एकत्र किया जाता है, तब भी उपयोगकर्ताओं को ऐसे उचित डेटाबेस तक पहुंच नहीं प्राप्त होती है जो उपयोगकर्ता अनुरूप विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने में सहायक हो सके।
- मौजूदा सार्वजनिक डेटासेट्स में से कोई भी अंतिम उपयोगकर्ताओं को उसी समय मेटाडेटा (metadata) प्रदान नहीं करता है जब उनके द्वारा डेटा का उपयोग किया जाता है, जबकि वर्तमान तकनीक उसी समय किसी भी डेटा से संबंधित प्रासंगिक मेटाडेटा प्रदान करना संभव बनाती है जब उपयोगकर्ता द्वारा उस डेटा का उपयोग किया जा रहा हो।

इस कदम का महत्व

- **डेटा की विश्वसनीयता में वृद्धि करेगा:** यह भारत के विकास सम्बंधित आंकड़ो को विश्वसनीयता प्रदान करेगा और एक दूसरे के साथ समन्वय एवं पारदर्शिता और संरेखण के संबंध में आँकड़ों का परीक्षण करके महत्वपूर्ण आंकड़ों की सुसंगतता में सुधार करेगा।
- **वर्तमान कमियों को दूर करेगा:** प्रणाली में वर्तमान संकलन विधि की कमियों को दूर होने की आशा है, जिसमें उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रतिष्ठान-आधारित आँकड़े (establishment-based data) और MCA21 के उद्यम-स्तरीय आँकड़े एकीकृत नहीं हैं।
- **अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में सुदृढ़ अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा**: इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में कॉर्पोरेट क्षेत्र की कार्यप्रणाली के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- **आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों का एक एकल दृष्टिकोण प्रदान करेगा:** NIDS को एक एकीकरण फ्रेमवर्क के रूप में माना जा रहा है जो आधिकारिक आंकड़ों के उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों के संबंध में एकल दृष्टिकोण अपनाने हेतु सक्षम बनाता है, भले ही अंतर्निहित डेटाबेस विभिन्न केंद्रीय और राज्य विभागों द्वारा वितरित एवं प्रबंधित किए जाते हैं।
- यह नीति निर्माताओं और जन सामान्य के लिए डेटा को "जारी करने के समय" को निश्चित रूप से कम करेगा।

3.11. लॉजिस्टिक क्षेत्रक

(Logistic Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2018 जारी किया।

लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (Logistic Performance Index: LPI) 2018 के मुख्य बिंदु

- भारत की LPI रैंकिंग 2016 के 35वें स्थान से घटकर 2018 में 44वीं हो गई है।
- सभी छह LPI पैरामीटर के लिए भारत का स्कोर काफी कम हुआ है।
- LPI 2018 में जर्मनी प्रथम स्थान पर और स्वीडन द्वितीय स्थान पर रहा।

लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) 2018 के बारे में

- **विश्व बैंक** द्वारा इसे वर्ष में दो बार जारी किया जाता है। इसके तहत **160 देशों** की लॉजिस्टिक क्षेत्रक के प्रदर्शन के आधार पर तुलना की जाती है।
- इस सूचकांक के अंतर्गत 1 से 5 तक के स्कोर दिए जाते है। उच्च स्कोर बेहतर प्रदर्शन को इंगित करता है |
- लॉजिस्टिक उद्योग $ 4.3 ट्रिलियन का है। 2018 के LPI ने देशों को इस आधार पर रैंक प्रदान की है कि उनके द्वारा वस्तुओं को सीमा के भीतर और बाहर कितनी कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है।
- लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) छह संकेतकों के माध्यम से देशों का विश्लेषण करता है:
  - कस्टम
  - अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट
  - माल की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग
  - अवसंरचना
  - लॉजिस्टिक क्षमता
  - प्रेषित माल की समयबद्धता

लॉजिस्टिक क्या है?

लॉजिस्टिक उन सेवाओं का एक नेटवर्क है जो वस्तुओं के भौतिक आवागमन, सीमाओं के पार और सीमाओं के भीतर व्यापार का समर्थन करते हैं। लॉजिस्टिक में परिवहन से इतर कई गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें वेयरहाउसिंग, ब्रोकरेज, एक्सप्रेस डिलीवरी, और टर्मिनलों जैसी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं शामिल हैं।

भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्रक का महत्व

- **रोजगार:** यह 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और ये 15% की दर से बढ़ रहा है, कुछ उप-क्षेत्रों में 30-40% की वार्षिक वृद्धि दर है।
- **सकल घरेलू उत्पाद**: भारत लॉजिस्टिक और परिवहन पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14.4% खर्च करता है।
- **विनिर्माण क्षेत्र:** लॉजिस्टिक क्षेत्र माल का कुशल और लागत प्रभावी प्रवाह प्रदान करता है जिस पर अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र निर्भर करते हैं।

भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र की चुनौतियां

- अत्यधिक मानव कार्यबल द्वारा चालित तथा असंगठित और विखंडित उद्योग संरचना के कारण अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त किया जा सका है।
- उच्च परिवहन शुल्क, टर्मिनल की गुणवत्ता में कमी और विभिन्न प्रकार के उत्पादों को लाने ले जाने में लचीलेपन की कमी के कारण **परिवहन लिंकेज** अत्यधिक संतृप्त हो चुके हैं।
- **प्रौद्योगिकी:** स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली, ऑनलाइन कार्गो समाधान, जीपीएस कार्गो ट्रैक इत्यादि जैसी तकनीक के संदर्भ में भारी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।
- **कर:** एक जटिल कर व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना करती है क्योंकि कई राज्यों और केन्द्रीय करों के भुगतान के परिणामस्वरूप पारगमन में लगने वाले समय और मालगोदाम स्थल के विखंडन के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

लॉजिस्टिक क्षेत्रक हेतु सरकारी प्रयास

- **अवसंरचना का दर्जा:** लॉजिस्टिक सेक्टर को 2017 में अवसंरचना (infrastructure) का दर्जा दिया गया। यह फंड से संबंधित और अन्य लॉजिस्टिकस बाधाओं को कम करेगा।
- एशियाई विकास बैंक की सहायता से सरकार ने **असम में लॉजिस्टिक हब** का प्रस्ताव किया है।
- **घरेलू सूचकांक**: राज्य स्तर पर लॉजिस्टिकस बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने **लॉजिस्टिक ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS)** नामक सूचकांक लॉन्च किया है।
- **लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम-** यह कार्यक्रम लॉजिस्टिक पार्क के प्रबंधन और विकास लिए और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए शुरू किया गया था।
- **जीएसटी (GST):** यह लॉजिस्टिक्स के लिए जटिल कर संरचना को आसान बनाएगा जिससे लॉजिस्टिक्स फर्म को प्रभावी निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

लॉजिस्टिक क्षेत्र में उभरती प्रवृत्तियां

- **कुशल मानव शक्ति :** उभरती कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के संदर्भ में, विशिष्ट कौशल से युक्त डोमेन विशेषज्ञता की भारी मांग होगी, खासकर विकासशील देशों में।
- **पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक**: लॉजिस्टिक प्रचालकों के लिए इको-फ्रेंडली शिपिंग विकल्प तलाशना अनिवार्य हो गया है क्योंकि- ऊर्जा संबंधित समस्त CO_2 उत्सर्जन का 23% परिवहन से ही सम्बद्ध है।
- **साइबर हमलों के प्रति लचीलापन:** लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में डिजिटल स्पेस के बढ़ते एकीकरण ने साइबर सुरक्षा में भारी निवेश की मांग है।

आगे की राह

- **आधारभूत संरचना नियोजन में समन्वय :**अर्थव्यवस्था में आदान-प्रदान की वर्तमान उच्च लागत को कम करने में मदद करेगा।
- **शहरी नियोजन में सुधार**: इसमें सड़क और परिधीय (चारों तरफ) अवसंरचना के संदर्भ में शहरी संकुल से जुड़ी समस्या शामिल है। इस समस्या हो हल किया जाना चाहिए, ताकि लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े समय एवं मौद्रिक लागत को कम किया जा सके।
- **सभी हितधारकों की भागीदारी :** ब्लूप्रिंट और नीतिगत नियम वैश्विक मानक पर आधारित होने चाहिए जिसमें विभिन्न हितधारकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। वर्तमान में, नीति कुछ हितधारकों जैसे सरकार और बड़े उद्योगों को शामिल करती है।यह नीतियों को उन खामियों के प्रति प्रवण बनाता है जिनसे बचा जा सकता था।
- **मूल्यवर्द्धन में निवेश**: भंडारण स्थल पर डस्ट-प्रूफिंग अभी भी भारत में उतनी लाभकारी नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता ऐसे प्रावधानों में निवेश नहीं करते हैं।

3.12 कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) और 'खान प्रहरी' ऐप

(Coal Mine Surveillance & Management System And 'Khan Prahari' App)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) तथा 'खान प्रहरी' मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गयी है।

पृष्ठभूमि

- सरकार द्वारा खनन हेतु वैध पट्टा प्राप्त किए बिना कोयला का निष्कर्षण या कोयला कंपनियों के लीज-होल्ड (लीज प्राप्त) क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में खनन करना अवैध खनन माना जाता है।
- अवैध कोयला खनन न केवल देश के संसाधनों को क्षति पहुंचाता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है।
    - यह छत गिरने, जल भराव, जहरीली गैस के लीक होने, भूमिगत आग आदि के कारण **अवैध खनन में संलग्न व्यक्तियों को दुर्घटनाओं और जीवन की हानि का सामना करना पड़ता है।**
    - **बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं होती है:** गैरकानूनी परिसंपत्तियों और काले धन का सृजन होता है और माफियाओं की भागीदारी प्रोत्साहित होती है।
    - अवैध खनन के स्थानों में और आस-पास के क्षेत्रों में **जल संतुलन बिगड़ जाता है।**
    - **बहुमूल्य जीवाश्म ईंधन के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और** पर्यावरणीय विनाश का कारण बनता है।
- 2017-18 में अवैध खनन से लगभग 17,603 टन कोयला प्राप्त किया गया है।
- अवैध कोयला खनन गतिविधियों का पता मुख्य रूप से सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट द्वारा लगाया जाता है, जिसमें अधिकृत पट्टे क्षेत्र के बाहर कोयला खनन गतिविधि को ट्रैक करने के लिए उपग्रह द्वारा डेटा स्कैन किया जाता है।
- चूंकि **कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है**, इसलिए खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत अवैध कोयला खनन पर नियंत्रण का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य और जिला प्रशासन का होता है।

कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (CMSMS)

- CMSMS का मूल उद्देश्य अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग, निगरानी और उपयुक्त कार्रवाई करना है।
- यह एक वेब आधारित GIS एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से अनधिकृत खनन हेतु साइटों की अवस्थिति का पता लगाया जा सकता है।
- सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला मुख्य प्लेटफार्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) का मानचित्र है जो ग्राम स्तर की सूचना प्रदान करता है।
- सिस्टम द्वारा उपग्रह डेटा का उपयोग उन परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किया जाएगा, जिनके द्वारा आवंटित पट्टे क्षेत्र से बाहर की अनधिकृत खनन गतिविधि का पता लगाया जा सके और उन पर उचित कार्रवाई की जा सके।
- कोल इंडिया को आवंटित कोयले की खानों से सम्बंधित शिकायतों पर कोल इंडिया कार्यालयों में कार्यवाही की जाएगी और परन्तु कोल इंडिया को आवंटित नहीं किए गए कोल ब्लॉक से उत्पन्न शिकायतें सीधे राज्य सरकार के अधिकारियों के पास जाएंगी तथा प्रत्येक शिकायत के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और जिले के पुलिस अधीक्षक के पास भी अलर्ट भेजा जाएगा।

खान प्रहरी

- यह अवैध कोयला खनन जैसे- रैट होल माईनिंग, कोयले की चोरी आदि से संबंधित किसी भी गतिविधि की रिपोर्टिंग हेतु एक साधन है।
- कोई भी व्यक्ति इन घटनाओं से संबंधित जिओ-टैग्ड तस्वीरों को टेक्स्ट सूचना के साथ सीधे सिस्टम पर अपलोड कर सकता है।
- शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी।

कोयले के अवैध खनन के प्रमुख कारण:

- व्यापक पैमाने पर ग्रामीण बेरोजगारी और निर्धनता।
- कोयला माफिया/प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा नियंत्रित **संगठित विपणन नेटवर्क।**
- पुरानी, परित्यक्त, अप्रयुक्त, बंद कोयले की खानों की सरल उपलब्धता।
- कोयला भंडार के भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए, पृथक परिधीय खंड।
- राज्य सरकार के अधिकारियों की उदासीनता।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अपर्याप्त अवसंरचना।

VISION IAS

कोयले के अवैध खनन को रोकने हेतु सुझाए गए उपाय

- खनन गतिविधियों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीणों की सहकारी समिति को कोयला/रेत परिवहन का कार्य प्रदान करना।
- वैध पट्टे के इलाकों के बाहर, अवैध खनन सामान्य तौर पर सतह कम गहराई पर स्थित कोयला भंडारों के कुछ हिस्सों पर होता है। कुछ कोल ब्लॉकों को केंद्र सरकार द्वारा नामांकन आधार पर राज्य सरकारों को आवंटित किया जा सकता है। राज्य सरकार खान के निकट रहने वाले ग्रामीणों द्वारा गठित ग्रामीणों की सहकारी समिति के माध्यम से खनन करा सकती है।
- कोयला माफिया को नियंत्रित करने के साथ-साथ सख्त पेट्रोलिंग हेतु उचित अवसंरचना और आधुनिकीकरण के द्वारा राज्य पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- अवैध खनन में उपयोग किए गए उपकरणों को जब्त करने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।

3.13. 'पेट्रोलियम' की परिभाषा में संशोधन

(Amendment In The Definition of 'Petroleum')

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम,1959 में संशोधन कर 'पेट्रोलियम' को पुनः परिभाषित किया है।

नई परिभाषा में परिवर्तन

- पेट्रोलियम का अर्थ "प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला हाइड्रोकार्बन है, जो प्राकृतिक गैस के रूप में या तरल, चिपचिपे या ठोस रूप में, या इसके मिश्रण होते हैं, लेकिन इसमें पेट्रोलियम या कोयला या शेल के साथ प्राप्त होने वाला कोयला, लिग्नाइट और हीलियम शामिल नहीं हैं।"
- पुरानी परिभाषा में "मुक्त अवस्था" शब्दावली का उल्लेख था, जिसमें निजी अभिकर्ताओं द्वारा शेल के अन्वेषण पर प्रतिबंध लगाया गया था, यह केवल ONGC जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए आरक्षित था। 'मुक्त' शब्द को हटाकर, अब यह अवशोषित अवस्था वाले हाइड्रोकार्बन जैसे- शेल के अन्वेषण की भी अनुमति प्रदान करती है।

निहितार्थ

- यह संशोधन एक ही फील्ड में परम्परागत तेल एवं गैस, शेल, कोल बेड मीथेन एवं हाइड्रेट सहित सभी हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण की अनुमति देगा। यह नई **हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP)** के अनुरूप है।
- इससे हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हो और आयात को कम किया जा सके।
- हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं:
  - प्राकृतिक गैस का GST के दायरे से बाहर रहना, बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बाधा बना हुआ है क्योंकि न तो उत्पादक और न ही उपभोक्ता अपने इनपुट और आउटपुट पर चुकाए गए करों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं।
  - देश में शेल के वास्तविक भंडार सम्बन्धी वर्तमान आंकड़ों का अभाव एक अन्य बाधा हो सकती है।

3.14. क्रिसिल ड्रिप इंडेक्स

(Crisildrip Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, क्रिसिल द्वारा रेनफॉल पैरामीटर इंडेक्स जारी किया गया। **इसे DRIP (डेफिसेंट रेनफॉल इंपैक्ट पैरामीटर)** इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है।

क्रिसिल ड्रिप इंडेक्स से संबंधित तथ्य

- ड्रिप इंडेक्स केवल वर्षा के आयतन संबंधी डेटा को मापने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुभेद्यता (सिंचाई) और मौसम संबंधी आघातों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष के मध्य अंत:क्रिया का भी अध्ययन करता है।
- क्रिसिल ड्रिप स्कोर जितना उच्च होगा, कम वर्षा (deficient rains) का प्रभाव उतना ही अधिक प्रतिकूल होगा।

सूचकांक के मुख्य बिंदु

- सूचकांक से स्पष्ट है कि चार राज्य - बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश - तथा पांच फसलें - ज्वार, सोयाबीन, तूर, मक्का और कपास - को कम वर्षा के कारण अत्यधिक क्षति पहुँचती हैं।
- ड्रिप (DRIP) के परिणाम मध्य प्रदेश में कुछ दबाव प्रदर्शित करते हैं, जहां वर्षा अभी भी सामान्य है (9% की कमी के साथ)। लेकिन कमजोर सिंचाई प्रणाली के कारण बुवाई के प्रभावित होने की संभावना है।
- गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी वर्षा संबंधी दबाव परिलक्षित होता है, जहां ड्रिप स्कोर न केवल 2017 (जो की वर्षा के संदर्भ में एक बेहतर वर्ष था) की तुलना में अधिक है बल्कि यह विगत पांच वर्षों के औसत से भी अधिक है। इसलिए व्यापक रूप से, इन चार राज्यों में अधिक दबाव परिलक्षित हो रहा है।

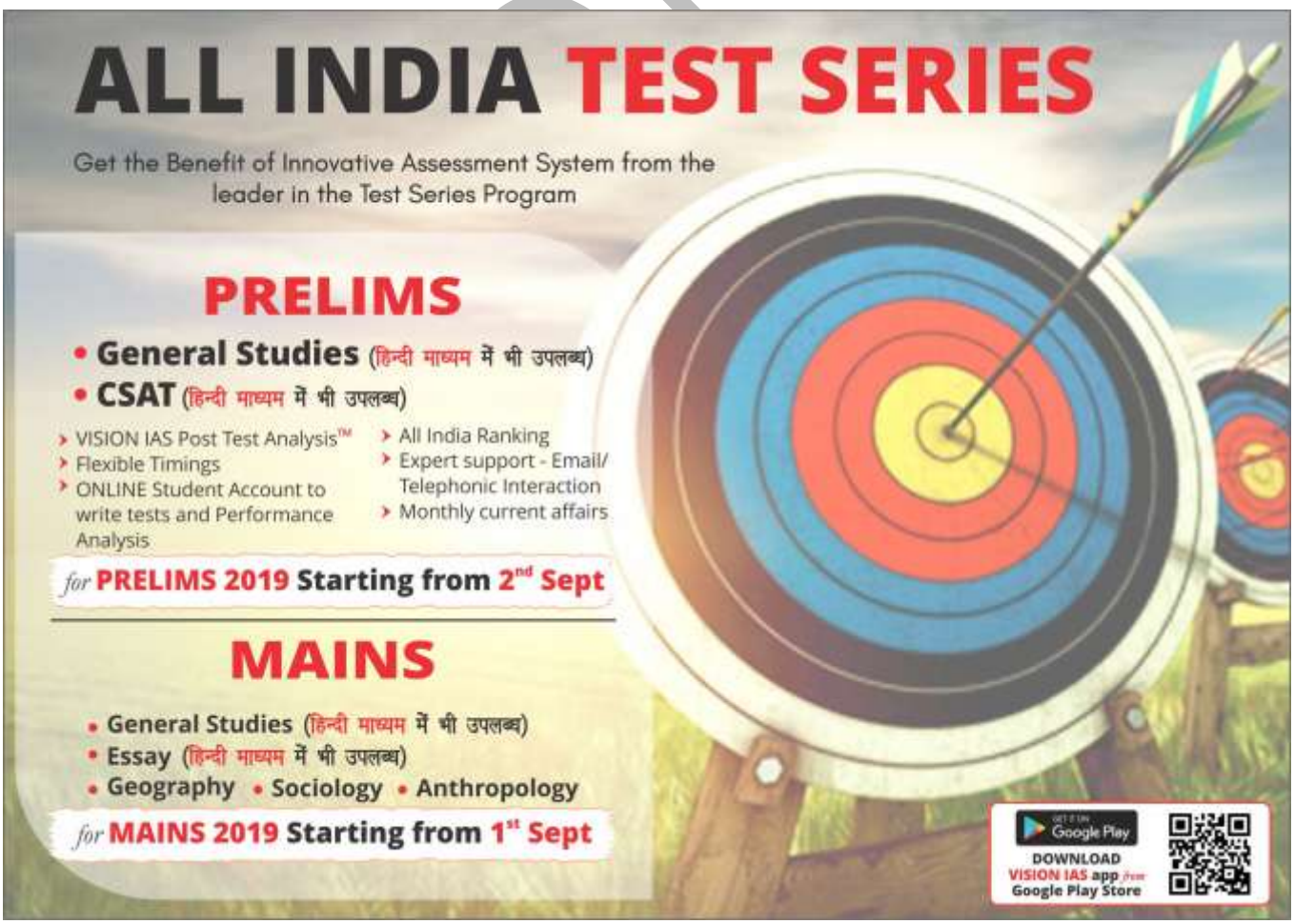

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. डेटा प्रोटेक्शन

(Data Protection)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बी. एन. श्रीकृष्ण समिति ने डेटा प्रोटेक्शन पर एक मसौदा विधेयक तथा डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

डेटा प्रोटेक्शन के बारे में

- डेटा प्रोटेक्शन का आशय डेटा को सुरक्षित करने की प्रक्रिया से है तथा इसमें डेटा एवं प्रौद्योगिकी के संग्रह और प्रसार के मध्य संबंध शामिल है।
- इसका लक्ष्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए डेटा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हुए व्यक्ति की निजता के अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करना है।
- चूंकि इंटरनेट पर डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है और **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा** जैसी नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार से डेटा के दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होता है इसलिए यह आवश्यक है।
- किसी भी डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को अपने पूरे जीवन चक्र - डेटा संग्रह, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा उपयोग, डेटा शेयरिंग एवं डेटा विनाश, में डेटा सुरक्षित करना चाहिए।
- विभिन्न देशों ने डेटा प्रोटेक्शन पर समर्पित कानूनों का निर्माण किया है यथा जापान का प्रोटेक्शन ऑफ़ पर्सनल इनफार्मेशन एक्ट। हाल ही में, यूरोपीय संघ ने **जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018** को अपनाया है।

डेटा प्रोटेक्शन से सम्बंधित चुनौतियां / बाधाएं

- अधिकांश **डेटा स्टोरेज कंपनियां विदेशों में** स्थित होती हैं। वे अन्य देशों को भी डेटा निर्यात करती हैं जिससे भारतीय कानूनों को लागू करना कठिन हो जाता है।
- देश के भीतर डेटा संग्रह हेतु भारत में **डेटा स्थानीयकरण (data localization)** की क्षमता नहीं है।
- डेटा गतिकी में **सैकड़ों निजी अभिकर्ता** शामिल होते हैं जिससे यूनिफ़ॉर्म डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
- सामान्यतः, **एप्लिकेशंस में** नियमों और शर्तों की स्वीकृति के संबंध में उपयोगकर्ताओं से पूछते समय **सहमति के सन्दर्भ में प्री-टिक्ड बॉक्स** का उपयोग किया जायेगा।
- अधिकांशतः डेटा गोपनीयता पर हमला करने वाले **अपराधी का पता लगाना मुश्किल** होता है।

डेटा प्रोटेक्शन और भारत

- भारत में लगभग 40 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता और 25 करोड़ सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं जो अपना महत्वपूर्ण समय ऑनलाइन व्यतीत करते हैं। भारत में डेटा उल्लंघन के लिए औसत लागत 11.9 करोड़ रूपए है जिसमें 2017 से 7.9% की वृद्धि हुई है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस.पुट्टास्वामी मामले में **निजता के अधिकार को एक मूल अधिकार** घोषित किया है। इसलिए व्यक्ति की निजता की रक्षा राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है।
- भारत में डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई समर्पित वैधानिक ढांचा नहीं है। वर्तमान में कुछ अधिनियम सामान्य रूप से डेटा प्रोटेक्शन को कवर करते हैं:
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 A** उपयोगकर्ताओं के डेटा के दुरुपयोग से सुरक्षा करती है **लेकिन यह केवल कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होती है, सरकारी एजेंसियों पर नहीं।** इसके अतिरिक्त यह नियम केवल संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा **(चिकित्सकीय इतिहास, बॉयोमीट्रिक सूचना आदि)** तक ही सीमित है।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2015, कॉपीराइट 1957** आदि अन्य अधिनियम भी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने का प्रयास करते हैं।
- डेटा प्रोटेक्शन के विभिन्न प्रयासों में शामिल हैं-
  - डेटा प्राइवेसी पर **जस्टिस ए.पी शाह पैनल** ने डेटा प्रोटेक्शन के लिए सिद्धांतों की अनुशंसा की थी।
  - 2017 में, संसद में एक **डेटा प्राईवेसी एंड प्रोटेक्शन बिल** प्रस्तुत किया गया था।
  - हाल ही में भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डेटा सुरक्षा के लिए अपने दिशानिर्देश दिए हैं।

VISION IAS

- **न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्णा समिति ने डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क** और **मसौदा विधेयक** तैयार करने के लिए हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। फ्रेमवर्क के आधार पर, समिति ने एक **ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018** भी तैयार किया है।

श्री कृष्णा समिति द्वारा तय किये गए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

- **पारस्परिक विश्वास (Fiduciary relationship):** व्यक्ति और सेवा प्रदाता के मध्य पारस्परिक विश्वास का सम्बन्ध होना चाहिए। इस प्रकार डेटा प्रोसेस करने वाले सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे और उसे केवल अधिकृत उद्देश्यों के लिए प्रयोग करे।
- **पर्सनल डेटा की परिभाषा:** पर्सनल डेटा का अर्थ ऐसे डेटा से है, जिससे कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पहचाना जाता हो या पहचाना जा सकता हो। समिति ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को संवेदनशील पर्सनल डेटा (उदाहरण के लिए, जाति, धर्म और व्यक्ति का यौनिक रुझान) के प्रोटेक्शन से अलग करने की मांग की है, क्योंकि संवेदनशील डेटा की प्रोसेसिंग से व्यक्ति को अधिक नुकसान हो सकता है।
- **सहमति-आधारित डेटा प्रोसेसिंग:** इन चार मामलों को छोड़कर:
  - जब सरकार को लोक कल्याण के कार्य के लिए डेटा को प्रोसेस करना हो,
  - जब भारत में कानूनी या अदालती आदेशों का पालन करना हो,
  - जब तत्काल कार्य करने की आवश्यकता हो (उदाहरण के लिए, जीवन रक्षा हेतु),
  - कुछ मामलों में, रोजगार के कॉन्ट्रैक्ट्स की सीमित परिस्थितियों में (जैसे, जब सहमति हासिल करने के लिए नियोक्ता को अकारण ही अत्यधिक प्रयास करने पड़ें)।
- **पर्सनल डेटा का स्वामित्व:** विभिन्न अधिकारों यथा डेटा तक पहुँच, उसके प्रमाणन और संशोधन का अधिकार, डेटा प्रोसेसिंग पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार तथा भुला दिए जाने का अधिकार (एक बार प्रयोग किए जाने के पश्चात किसी व्यक्ति का डेटा मिटा दिया जाए या उस डेटा को अनाम बना दिया जाए) आदि के माध्यम से पर्सनल डेटा का स्वामित्व सुनिश्चित करना।
- **नियामक प्राधिकरण:** इसे डेटा प्रोटेक्शन की प्रणाली का उल्लंघन करने पर जांच करने का अधिकार होगा। यह कुछ ऐसी फिडयूशरीज़ (विश्वसनीय संस्था) को महत्वपूर्ण डेटा फिडयूशरीज के रूप में भी वर्गीकृत कर सकता है, जो कि लोगों को अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। ऐसी फिडयूशरीज पर अधिक बाध्यताएँ आरोपित की जाएँगी।
- **अन्य कानूनों में संशोधन:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जनगणना अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत अधिकृत देश में सभी डेटा प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम डेटा प्रोटेक्शन मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

डेटा सुरक्षा के लिए TRAI के दिशानिर्देश

- लोगों को उनकी निजता के रक्षोपाय के रूप में **पसंद, सहमति और भुलाए जाने का अधिकार** दिया जाना चाहिए।
- डेटा का स्वामित्व व्यक्तियों के पास है जबकि डेटा संग्रहकर्ता और डेटा प्रोसेसर "केवल संरक्षक" हैं एवं नियमों के अधीन हैं।
- डिजिटल इको-सिस्टम में शामिल वे सभी इकाइयाँ जो डेटा को नियंत्रित या प्रोसेस करती हैं, उन्हें व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए मेटाडेटा का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वास्तव में, डिजिटल सिस्टम में पर्सनल डेटा के ऐनोनिमाईज़ेशन / डी-आइडेंटिफिकेशन के मानकों को तैयार किया जाना चाहिए।
- **संग्रहकर्ता और प्रोसेसर दोनों ही उपयोगकर्ता** के "अनपेक्षित नुकसान (unintended harm)" के लिए **उत्तरदायी** होने चाहिए।
- संस्थाओं को सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम डेटा एकत्र करने के लिए **डेटा न्यूनीकरण** के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) पर लागू मौजूदा गोपनीयता कानूनों को "डिजिटल इको सिस्टम में सभी इकाइयों" जैसे उपकरणों (मोबाइल और कंप्यूटर), ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन और ओवर-द-टॉप (OTT) सर्विस प्रोवाइडर पर भी लागू किया जाना चाहिए जो इंटरनेट पर प्रवाहित सूचनाओं को मीडिया को वितरित करते हैं।

ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 के प्रमुख प्रावधान

- **उद्देश्य:** डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को संतुलित करना और वैधानिक व्यवस्था के तहत व्यक्तियों के मध्य संचार के साधन के रूप में डेटा का उपयोग करना जोकि राज्यों और निजी संस्थाओं द्वारा अतिक्रमण से व्यक्तियों की स्वायत्तता की रक्षा करेगा।
- **व्यक्ति के अधिकार:** यह विधेयक किसी व्यक्ति के कुछ अधिकार निर्धारित करता है। इनमें शामिल हैं: फिडयूशरी से इस बात की पुष्टि करने का अधिकार कि क्या उसके पर्सनल डेटा को प्रोसेस किया गया है; गलत, अधूरे या आउट-ऑफ़-डेट पर्सनल डेटा में संशोधन की मांग करने का अधिकार; तथा विशेष परिस्थितियों में दूसरे डेटा फिडयूशरी को पर्सनल डेटा ट्रान्सफर करने का अधिकार।

VISION IAS

- **डेटा फिडयूशरी की बाध्यताएं:** डेटा प्रोसेसिंग के संबंध में नीतियों का कार्यान्वयन, अपनी डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली में पारदर्शिता बरतना, सिक्योरिटी सेफगार्ड लागू करना (जैसे-डेटा एन्क्रिप्शन), और एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना ताकि व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों से निपटा जा सके।
- **डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी:** व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने, पर्सनल डेटा का दुरुपयोग रोकने तथा विधेयक के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए।
- **डेटा स्थानीयकरण:** यह डेटा फिडयूशरी द्वारा भारत में कम से कम डेटा की एक कॉपी के स्थानीयकरण को अनिवार्य बनाता है।
- **पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के आधार:** विधेयक के अंतर्गत, सहमति मिलने पर फिडयूशरी को डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति दी गई है हालांकि फ्रेमवर्क में कुछ मामलों में व्यक्ति की सहमति के बिना भी डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है।
- **संवेदनशील पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के आधार:** संवेदनशील डेटा की प्रोसेसिंग के लिए व्यक्ति की स्पष्ट सहमति मिलना आवश्यक है। हालाँकि इसके कुछ अपवाद भी हैं यथा यदि यह संसद अथवा राज्य विधायिका के किसी कार्य के लिए आवश्यक हो या किसी अदालती आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के लिए इसकी आवश्यकता हो, आदि।
- **संवेदनशील पर्सनल डेटा को परिभाषित करना:** इसमें पासवर्ड, वित्तीय डेटा, अनुवांशिक डेटा, जाति, धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा, या ऐसी कोई भी श्रेणी शामिल है जिसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- **भारत के बाहर डेटा का स्थानांतरण:** उन विशेष स्थतियों में पर्सनल डेटा (संवेदनशील पर्सनल डेटा के अतिरिक्त) भारत के बाहर स्थानांतरित किया जाता है, जब केंद्र सरकार ने यह निर्दिष्ट किया हो कि किसी विशेष देश में डेटा स्थानांतरण की अनुमति है, या जब प्राधिकरण ने आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरण को मंज़ूरी दे दी हो।
- **अनुपालन से छूट:** यह कुछ उद्देश्यों, जैसे **पत्रकारिता की गतिविधियों, कानून प्रवर्तन, राज्य की सुरक्षा** के **लिए पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग** हेतु छूट भी प्रदान करता है।
- **अपराध और जुर्माना:** प्राधिकरण द्वारा फिड्यूशरी पर विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है यथा कर्तव्यों को निभाने में असफल रहना, विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए डेटा प्रोसेसिंग करना और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करना आदि। उदाहरण के लिए, विधेयक के अंतर्गत, फिड्यूशरी से यह अपेक्षा की जाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा का अतिक्रमण होता है, जिससे उसके नुकसान की आशंका हो तो वह प्राधिकरण को सूचित करे अन्यथा फिड्यूशरी पर 5 करोड़ रुपये तक का या उसके वैश्विक टर्नओवर की राशि के 2% का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **अन्य कानूनों में संशोधन:** यह विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और RTI अधिनियम में निजी जानकारी का खुलासा न करने की अनुमति के लिए संशोधन करता है बशर्ते व्यक्ति का नुकसान सार्वजनिक हित से अधिक महत्व रखता हो।
- **गोपनीयता को मूल अधिकार के रूप महत्व देना:** इसमें पर्सनल डेटा को इनफ़ॉर्मेशन प्राइवेसी के एक आवश्यक पहलू के रूप में सुरक्षित रखने का प्रावधान है।
- **निगरानी प्रावधान: डेटा प्रोटेक्शन इम्पेक्ट एसेसमेंट,** लेखा परीक्षा और **डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी** की नियुक्ति की आवश्यकताएं भी बिल में शामिल हैं। डेटा का निरंतर संग्रहण आवश्यक है या नहीं, यह जांचने के लिए **आवधिक समीक्षा** होनी चाहिए।

GDPR (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन) पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया मई 2018 के करेंट अफेयर का संदर्भ लीजिये।

विधेयक के सकारात्मक प्रभाव

- कानून व्यक्ति के अधिकारों और डिजिटल अर्थव्यवस्था से प्राप्त होने वाले जनहित के मध्य संतुलन स्थापित करेगा।
- अब तक देश भर में डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई समर्पित ढांचा नहीं है। प्रस्तावित कानून डेटा सुरक्षा संरचना और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा में सहायता करेगा।
- बिल नागरिकों की राज्य द्वारा निगरानी किये जाने पर नज़र रखेगा और उनके भुक्तभोगी होने पर राज्य के विरुद्ध उनकी सहायता करेगा।

विधेयक से सम्बंधित मुद्दे

- डेटा फिड्यूशरी द्वारा **किस प्रकार के सुरक्षा मानकों** का पालन किया जाना चाहिए इस पर **कोई स्पष्टता नहीं है।**
- अब तक विभिन्न मानकों का पालन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, वित्तीय डेटा से निपटने वाली भुगतान कंपनियां PCI-DSS (भुगतान कार्ड उद्योग-डेटा सुरक्षा मानक) का पालन करती हैं तथा स्वास्थ्य कंपनियां वैश्विक स्तर पर HIPPA (स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम) का पालन करती हैं।
- विनियमन **लोगों को इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करने से हतोत्साहित कर सकता है। यह** यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) के मामले में देखा गया है जो कि प्रत्येक EU नागरिक का डेटा यूरोपीय संघ के भीतर संग्रहीत करने को अनिवार्य बनाता है। साथ ही फेसबुक और ट्विटर ने अपने राजस्व और विज़िटर्स की संख्या में गिरावट देखी है।

VISION IAS

- यह सरकार द्वारा उपयोगकर्ताओं के पर्सनल डेटा को बिना उनकी सहमति के प्रोसेस किये जाने पर उसके **उत्तरदायित्व** को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है।
- इसके साथ ही विधेयक आवधिक समीक्षा और कंपनियों की डेटा सुरक्षा लेखापरीक्षा करवाए जाने तथा फिड्यूशरी द्वारा की गई रिपोर्टिंग के लिए कोई **समय सीमा तय नहीं करता है।**
- **डेटा स्थानीयकरण से सम्बंधित मुद्दे**
  - इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि **डेटा स्थानीयकरण** डेटा की बेहतर गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - **उद्योगों को अतिरिक्त लागत का वहन करना होगा** क्योंकि विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि कंपनियों को पर्सनल डेटा की कम से कम एक प्रति का संग्रह, भारत में स्थित सर्वर या डेटा सेंटर में सुनिश्चित करना चाहिए।
  - **भारत में एक प्रति रखना वास्तव में सुरक्षा या गोपनीयता के उल्लंघन के विरुद्ध गारंटी प्रदान नहीं करता है।** वर्तमान में भारत के सर्वरों में संचित सरकारी लाभार्थियों के डेटा प्रकाशित किये जाने के मामले देखे गए हैं जोकि आधार अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।
- विधेयक में **RTI अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) को प्रतिस्थापित** करने का प्रावधान है। यह **प्रतिष्ठा के नुकसान एवं मानसिक आघात जैसे अस्पष्ट आधारों पर सूचना अनुरोध को अस्वीकार किये जाने का खतरा उत्पन्न कर सकता है** और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित पब्लिक रिकॉर्ड तक पहुंच सुनिश्चित करने में अधिनियम को अप्रभावी बना सकता है।
- राज्य की सुरक्षा के आधार पर दी जाने वाली छूट बहुत व्यापक हो सकती है और नागरिकों के डेटा तक राज्य को व्यवस्थित पहुँच तथा राज्य द्वारा उसकी निगरानी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

4.2. सोशल मीडिया की निगरानी

(Monitoring Social Media)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब बनाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

हब के बारे में

इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया था जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे:

- सरकार को ट्विटर, फेसबुक, गूगल+, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इत्यादि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर **निगरानी रखने की अनुमति प्रदान करना** और सभी प्लेटफार्मों में किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक पोस्ट को ट्रैक करने की क्षमता के साथ सार्वजनिक मनोदशा का आभास करने का प्रयास करना।
- यह सभी कोर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे समाचार, ब्लॉग और फोरम्स से **डिजिटल मीडिया चैटर एकत्रित करने** और सरकार को रियल-टाइम इनसाइट, मैट्रिक्स और अन्य महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने की क्षमता रखता है।
- यह **विभिन्न सरकारी नीतियों और घोषणाओं के प्रति सार्वजनिक भावनाओं पर नज़र रखेगा, उनका विश्लेषण करेगा** और प्रभावी व्यक्तियों को ट्रैक करेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में संवाद को ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना के संदर्भ में, यह एक नया विचार है। लेकिन सरकार सोशल मीडिया के रुझानों का आकलन करने के लिए अन्य तरीकों का भी उपयोग कर रही है। उदाहरण के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का न्यू मीडिया विंग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गतिविधियों पर नजर रखने में सरकार की विभिन्न शाखाओं को सहायता प्रदान कर रहा है।

सोशल मीडिया की निगरानी की आवश्यकता

- सरकार ने समय-समय पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सावधानीपूर्वक सुरक्षा के साथ सोशल मीडिया की निगरानी की आवश्यकता के लिए अपनी चिंताओं को उठाया है क्योंकि समाज में हिंसा फैलाने के लिए समूहों और व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के प्लेटफार्मों के "विनाशकारी प्रभाव (disastrous effect)" का दुरुपयोग किया जा रहा है।
- अफवाहों के आधार पर लोगों की हत्या (लिंचिंग), फेक न्यूज़ का प्रसार, आतंकवादी समूहों के लिए ऑनलाइन भर्ती, कट्टरपंथीकरण (radicalization), हेट स्पीच और एक निश्चित समुदाय के विरुद्ध हिंसा को उत्तेजित करने सहित विभिन्न घटनाएं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की आवश्यकता को व्यक्त करती हैं।

निगरानी से सम्बंधित चिंताएं

- यदि सरकार को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यक्तियों के सभी पर्सनल डेटा तक पहुंच प्राप्त हो जाती है, **तो इससे राज्य द्वारा वृहद पैमाने पर निगरानी की जा सकेगी।** इस तरह की निगरानी हमारे देश के नागरिकों के **अभिव्यक्ति और निजता की स्वतंत्रता** के अधिकार का अतिक्रमण करेगी।

VISION IAS

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव (chilling effect) के अतिरिक्त, इस टूल का उपयोग सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की **"प्रोफाइलिंग और डेटा बेसिंग"** के लिए भी किया जाएगा तथा इस सन्दर्भ में पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व का अभाव होगा।
- इसके अतिरिक्त, ऐसे उपकरण के निर्माण के लिए **कोई अंतर्निहित सांविधिक आधार नहीं** है और यह एक अतिरिक्त कानूनी इकाई होगी।

सोशल मीडिया की निगरानी से सम्बंधित चुनौतियां

- **उत्तरदायित्व सम्बन्धी मुद्दे -** व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अग्रेषित संदेशों (forwarded messages) जैसे मामलों में मध्यस्थों के उत्तरदायित्व को तय करने सम्बन्धी चुनौतियां विद्यमान हैं।
- **क्षेत्राधिकार सम्बन्धी चुनौतियां -** क्षेत्राधिकार सम्बन्धी जटिलताएं भी विद्यमान हैं यथा फेसबुक आदि विदेशी इंटरनेट कंपनियों की सहायक कंपनियों के रूप में कार्य करती हैं, जो भारत के बाहर स्थित हैं।
- **अनामिता -** पुलिस अधिकारियों ने फेक प्रोफाइल की बड़ी संख्या पर चिंता व्यक्त की है जो अपराधियों को ट्रैक करना और भी मुश्किल बनाती हैं।
- इंटरनेट ट्रैफिक मॉनिटरिंग और प्राइवेसी की चिंताएं, सेंसरशिप से भय और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संकट आदि **कानूनी चुनौतियां** विद्यमान हैं। अभी तक, भारत में कानून ब्लैंकेट टैपिंग की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, हालाँकि अलग-अलग मामलों के आधार पर वारंटों को प्राप्त करने से पूर्व इसे किया जा सकता है।

सोशल मीडिया की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए हालिया कदम-

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **साइबर अपराधों की निगरानी करने** और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा शिकायतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक **पैनल गठित** करने का निर्णय लिया है।
- इसका उद्देश्य **कानून प्रवर्तन एजेंसियों को** दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए **संवेदनशील बनाना है। दूरसंचार विभाग** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में IT अधिनियम के उल्लंघन को रेखांकित करने के लिए नोडल निकाय है।
- MHA ने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रदर्शित होने वाली दुर्भावनापूर्ण सामग्री (जैसे-हेट स्पीच और आतंकवाद से सम्बंधित वीडियो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और फेक न्यूज) को फ़िल्टर करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करने के लिए गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे **सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की है।**

आगे की राह

सोशल मीडिया से निपटने वाली सरकारी एजेंसियों के लिए जुड़ाव, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और कानूनी चुनौतियों के मुद्दों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के माध्यम से सुलझाना होगा। हालांकि, जिन ठोस क़दमों को संभवतः शीघ्र ही उठाया जा सकता है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **एक राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति के लिए ब्लूप्रिंट को संस्थागत बनाना:** भारतीय तंत्र को इस माध्यम को पहचानने और इसे कानूनी स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता है। यही तरीका है जिसके द्वारा इससे उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।
- **सोशल मीडिया इंगेजमेंट पर दिशानिर्देशों के फ्रेमवर्क को कार्यान्वित और संस्थागत बनाना:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशानिर्देशों के फ्रेमवर्क ने सरकारी एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया में सहभागिता के सन्दर्भ में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। यह उद्देश्यों, इंगेजमेंट प्रोटोकॉल, प्लेटफॉर्म के प्रकार, संचार रणनीति, प्रतिक्रिया मानदंड और एजेंसियों के लिए कानूनी सीमाओं को माध्यम और हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए अपनी संबंधित रणनीतियों को तैयार करने पर चर्चा करता है। देश भर में इस नीति का तत्काल प्रभाव से प्रवर्तन और संस्थागतकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इसे नम्य भी होना चाहिए जिससे प्रत्येक संस्थान की आवश्यकताओं के आधार पर इसे अनुकूलित किया जा सके।
- **सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर जागरूकता उत्पन्न करना:** सोशल मीडिया तकनीक का उपयोग मैलवेयर के प्रसार, फ़िशिंग, साइबर क्राइम और गलत सूचना के प्रसार के अभियान के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में सोशल मीडिया के दुरुपयोग की संभावना पर नागरिकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उच्च स्तरों के मध्य जागरूकता का अभाव है।
- **सार्वजनिक-निजी साझेदारी के दायरे का विस्तार और इसे परिभाषित करना:** सरकार पहले से ही इस बात को मान्यता प्रदान कर चुकी है कि निजी क्षेत्र सरकार की तुलना में इंटरनेट का एक बड़ा उपयोगकर्ता है, इसलिए उचित अवसंरचना में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सहभागिता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र में विशाल प्रतिभा पूल विद्यमान है जिसका सरकार लाभ उठा सकती है।
- **देश भर में "सोशल मीडिया लैब्स" की प्रतिकृति स्थापित करना:** भविष्य में सोशल मीडिया लैब्स की सफलताओं का प्रयोग कर तथा उनकी सीमाओं पर कार्य कर देश भर में राज्य और संघीय स्तरों पर सर्वोत्तम पद्धतियों को शामिल करना।

VISION IAS

4.3. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(Border Area Development Programme: BADP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

17 राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (2015-16 में 990 करोड़ रुपये से 2017-18 में 1,100 करोड़ रुपये) के तहत अपने परिव्यय में वृद्धि की है।

BADP के बारे में

- भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नस्तरीय पहुंच, अपर्याप्त अवसंरचना, निराशाजनक आर्थिक विकास, अत्यधिक गरीबी और लोगों के मध्य असुरक्षा की भावना जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को सीमा प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस ओर महत्वपूर्ण कदम के रूप में, 1987 में एक **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में BADP का प्रारंभ किया गया था।
- इसके तीन प्राथमिक उद्देश्य हैं: (a) **अवसंरचना निर्माण** (b) **सीमावर्ती लोगों को आर्थिक अवसर प्रदान करना**, और (c) **उनके मध्य सुरक्षा की भावना का सृजन करना।**
- अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सीमावर्ती जनसंख्या की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए BADP में 17 राज्यों के **111 सीमावर्ती जिलों** को शामिल किया गया है।
- प्रारंभ में, इस कार्यक्रम को सीमावर्ती सुरक्षा बल की तैनाती की सुविधा के लिए अवसंरचनात्मक विकास पर बल देते हुए **पश्चिमी सीमा राज्यों में** लागू किया गया था।
- बाद में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य संबद्ध क्षेत्रों जैसे अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल करने के लिए इसकी परिधि में विस्तार किया गया।
- BADP का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त परिषदों और स्थानीय निकायों के माध्यम से **सहभागिता और विकेन्द्रीकरण के आधार** पर किया जाता है।

BADP योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं

- इसके पहले चरण को सीमावर्ती क्षेत्रों से 0-10 किमी की सीमा में लागू किया जाना है। जब इस क्षेत्र के लिए सभी विकास कार्य पूर्ण हो जायेंगे, तब राज्य सरकार 10 किमी से आगे के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर सकती है। यह समस्यात्मक है क्योंकि प्रथम चरण में शामिल क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए **अल्पविकसित क्षेत्रों** से होकर गुज़रना होगा (जिन्हें बाद के चरण में शामिल किया जाएगा) जिससे परियोजना की लागत में वृद्धि हो जाएगी।
- इसके साथ ही, BADP योजना में यह अनिवार्य किया गया है कि 10 किमी से आगे के क्षेत्र को तब तक आवंटित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि 0-10 किमी (सीमा से) तक का क्षेत्र **'संतृप्त'** न हो जाए; इसके अतिरिक्त यह निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड नहीं है कि क्षेत्र संतृप्त है या नहीं।
- दूरस्थ क्षेत्रों में, वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा और शीत ऋतु के दौरान बर्फ़बारी से योजना के कार्यान्वयन, विशेष रूप से **निर्माण कार्य, में बड़ी कठिनाई** उत्पन्न होती है।
- **योजना के अंतर्गत धन** को अवसंरचना पर व्यय किया जाता है जिससे अन्य संरचनाओं का भी निर्माण किया जाता है । जिससे BADP के विशिष्ट लक्ष्यों का प्रभाव कम होता जा रहा है।
- वित्त के आवंटन के लिए **कोई उचित व्यवस्था/प्रणाली नहीं है**। यह व्यक्तिपरकता और एकाधिकार की सम्भावना में वृद्धि करता है। वस्तुतः सीमा से दूरी के अनुसार एक वित्त आवंटन अनुपात का निर्धारण किया जाना चाहिए।

BADP के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अनुशंसाएं

NITI आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं में से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं-

- **कार्यक्रम का निरीक्षण और निगरानी-** ऐसी विकास योजनाओं की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए समस्त देश में एकसमान प्रारूप होना चाहिए। वर्तमान में, इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य का अपना प्रारूप है। साथ ही, BADP के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को तैयार करने और प्रस्ताव भेजने तक प्रत्येक चरण में प्रखंडों (ब्लॉक्स) को शामिल किया जाना चाहिए।
- **रोजगार और कौशल सृजित करने वाली योजनाएं-** कृषि क्षेत्र संतृप्त बन चुका है तथा शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जो यह अनुभव करते हैं कि इस योजना के तहत मजदूरी कम है। छोटे पैमाने पर उद्योग संवर्धन जैसे गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक विविधता होनी चाहिए।

VISION IAS

- **राजनीतिक भागीदारी को कम किया जाना चाहिए-** यद्यपि राजनीतिक और लोकप्रियता का दबाव होता है जो कार्य के चयन को सूचित और प्रभावित करता है, तथापि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्यों के विविधीकरण के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है।
- **BADP के बारे में जागरूकता-** विभिन्न मुख्य विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के साथ-साथ सभी चयनित जिलों और प्रखंडों में BADP के तहत कवर की गई विभिन्न संपत्तियों के संबंध में जागरूकता निर्माण अभियानों की तात्कालिक आवश्यकता विद्यमान है।
- **सभी मौसमी सड़कों का निर्माण (all-weather Roads)- इन गाँवों के सड़क मार्ग से जुड़े न होने के कारण** वित्त की अपर्याप्तता और केंद्र से धन के सीमित प्रवाह की समस्या और गंभीर हो जाती है। किसी आपात स्थिति में इन गाँवों के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच अत्यधिक कठिन हो जाती है।
- **अधिक फण्ड / समय पर निधि जारी करना-** BADP के तहत कार्य के समय पर पूरा होने के लिए यह एक प्रमुख बाधा बनी हुई है।
- **नियोजन में पंचायतों को शक्ति प्रदान करना-** सीमावर्ती गांवों की पंचायत समिति को कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन में शामिल होना चाहिए। वस्तुतः वे सभी स्तरों पर शामिल एजेंसियों के कार्य का मूल्यांकन करने के साथ-साथ जिले में BDO और नोडल अधिकारियों को सभी जानकारी अग्रेषित करने के लिए सबसे उपयुक्त होंगे।
- **लोगों के मध्य विश्वास का सृजन-** सामाजिक-आर्थिक तनाव के कारण, विकास के लिए योजना बनाने में सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेष ध्यान दिए जाने की अर्थात त्वरित और एकीकृत संधारणीय विकास की आवश्यकता होती है। यहां, आत्मविश्वास निर्माण उपायों को इन क्षेत्रों में सफल होने की सम्भावना की जाने वाली किसी भी विकास रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है।

योजना का प्रभाव

- **विभिन्न राज्यों में योजना का प्रभाव** अलग-अलग है। उदाहरण के लिए-
  - मणिपुर के 32% लोग, मिजोरम के 54% लोग और हिमाचल प्रदेश में 100% लोग योजना के **सामुदायिक विकास कार्यों के प्रभाव** से संतुष्ट थे।
  - त्रिपुरा के 82% लोगों और नागालैंड के 14% स्थायी लोगों ने कहा कि वे सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। गुजरात के 100% स्थायी लोगों ने कहा कि वे **सुरक्षित महसूस** करते हैं।
  - लगभग सभी क्षेत्रों में (हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त) **महिलाओं की भागीदारी** अलग-अलग और असंतोषजनक रही है।
- इसके अतिरिक्त, अन्य **योजनाओं के साथ अभिसरण** के संदर्भ में, यह अधिक सफल नहीं है क्योंकि क्लस्टर में से कोई भी इससे संतुष्ट नहीं हुआ है।
- जैसा कि देखा गया है, अधिकांश कार्य ग्राम पंचायत वाले बड़े गांवों में किए जाते हैं जबकि उस ग्राम पंचायत से सम्बंधित छोटे गांवों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, **धन के वितरण के** लिए किसी सूत्र की आवश्यकता है। BADP के तहत कार्य की स्वीकृति में **राजनीतिक संपर्क** की प्रमुख भूमिका है।

BADP में हालिया बदलाव

- सीमावर्ती गांवों के व्यापक और समस्त विकास के लिए, **61 मॉडल गांवों को विकसित** करने का निर्णय लिया गया है।
- प्रत्येक मॉडल गांव सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत रूप से रहने में सक्षम बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केंद्र, कनेक्टिविटी, जल निकासी, पेयजल इत्यादि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।
- BADP के तहत विभिन्न परियोजनाओं के बेहतर नियोजन, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए **BADP ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली** प्रारंभ की गई है।
- सीमावर्ती राज्य अपनी संबंधित **वार्षिक कार्य योजनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत** कर सकते हैं और **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** से गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा और योजना और कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

4.4. रणनीतिक साझेदारी मॉडल

(Strategic Partnership Model)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रणनीतिक साझेदारी मॉडल के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

रणनीतिक साझेदारी मॉडल क्या है?

- इस मॉडल की अवधारणा को प्रथम बार **धीरेंद्र सिंह समिति** द्वारा सुझाया गया था। यह कुछ निजी कंपनियों को रणनीतिक साझेदार (SPs) के रूप में नामित करने की परिकल्पना करता है जो न केवल सिस्टम इंटीग्रेटर्स की भूमिका को अपनाएँगे बल्कि एक सुदृढ़ रक्षा उद्योग की नींव भी रखेंगे।
- रणनीतिक साझेदारी मॉडल का उद्देश्य **रक्षा औद्योगिक परिवेश को पुनर्जीवित करना** और सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जटिल **हथियार प्रणालियों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना है।**
- इसका उद्देश्य **स्वदेशी निजी क्षेत्र और वैश्विक रक्षा प्रमुखों के मध्य संयुक्त उद्यमों (Joint ventures) को बढ़ावा देना है।**
- सरकार का लक्ष्य **2025 तक सैन्य वस्तुओं और सेवाओं में 1,70,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर को प्राप्त करना है।**

दिशा-निर्देश

- **स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करना:** इनमें क्षेत्र-विशिष्ट तकनीक (niche technology) के हस्तांतरण के प्रोत्साहन पर बल दिया गया है और यह भारत में उत्पादित सैन्य उपकरणों में उच्च स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करता है।
- **प्रमुख वैश्विक कंपनियों (global Majors) को प्रोत्साहित करना:** भारत को एक क्षेत्रीय / वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रमुख वैश्विक कंपनियों और भारतीय सहयोगियों की साझेदारी को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- **अधिकारप्राप्त परियोजना समितियां (Empowered Project Committees :EPC):** रणनीतिक साझेदारी (SP) मॉडल के तहत समस्त खरीददारी विशेष रूप से गठित EPC द्वारा निष्पादित की जाएगी।
- **मानदंड निर्दिष्ट करना:** दिशानिर्देशों ने विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट विनिर्माण परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए मानदंड भी निर्दिष्ट किए हैं।

लाभ

- यह **स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित** करके एवं 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ रक्षा क्षेत्र को जोड़कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा जिससे आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।
- EPC से परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा तथा उनका **समय पर निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।** इस प्रकार, सशस्त्र बलों को समय पर उपकरणों की आपूर्ति की जा सकेगी।
- यह **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, क्षमता में वृद्धि करेगा तथा प्रौद्योगिकी के तीव्र और अधिक महत्वपूर्ण समावेशन** की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह एक **व्यापक कौशल आधार का विकास** सुनिश्चित करेगा **और नवाचार को बढ़ावा देगा।**
- यह मॉडल भारतीय निजी क्षेत्र और रक्षा मंत्रालय के मध्य **दीर्घकालिक विश्वास अंतराल को कम करने** में भी सहायता करेगा।

चुनौतियां

- **संस्थागत क्षमता का अभाव:** संस्थागत क्षमता के अभाव के कारण विगत वर्षों में किए गए विभिन्न आशाजनक उपाय, विशेष रूप से 'मेक' और 'बाई एंड मेक (इंडियन)' प्रक्रियाओं से सम्बंधित वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सके हैं।
- **संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों का अभाव:** खरीद और उत्पादन से संबंधित संरचनाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधारों के अभाव ने एक सुदृढ़ रक्षा उद्योग के विकास को अवरुद्ध किया है।
- **IPR सम्बन्धी मुद्दे:** बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) का संवेदनशील मुद्दा उन कारणों में से एक है जिनसे विदेशी विक्रेता सामान्यतः प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं।
- **व्यवहारिकता सम्बन्धी मुद्दा:** सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को प्राप्त विशेषाधिकार स्थिति के कारण वृहद पैमाने पर दीर्घकालिक अवधि के लिए व्यवहार्यता के सन्दर्भ में रणनीतिक साझेदारों की चिंताएँ भी व्याप्त हैं। विगत वर्षों में भी, रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुबंधों के संबंध में निष्पक्षता की कमी देखी गयी है तथा उसके द्वारा रक्षा PSU और ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों को नामांकित कर बड़े ऑर्डर्स सौंपे गए हैं।

इस प्रकार, सरकार को क्षमता निर्माण और अनुबंध करने में योग्यता के सिद्धांत के प्रयोग के साथ मॉडल को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

4.5. पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति

(Appointment of DGPs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से सम्बंधित विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं।

DGPs की नियुक्ति के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश:

- सर्वोच्च न्यायालय ने UPSC से परामर्श के बिना राज्य सरकारों को DGPs की नियुक्ति करने से रोक दिया है। यह 2006 के प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी सात निर्देशों में से एक दिशानिर्देश है।
- संबंधित राज्य सरकार को मौजूदा DGP के सेवानिवृत्त होने से तीन माह पूर्व संभावित उम्मीदवारों के नाम UPSC को भेजना होगा। तत्पश्चात UPSC दो वर्षों की स्पष्ट सेवा की उपलब्धता के आधार पर तीन अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगी जिसमें मेरिट एवं वरिष्ठता पर समुचित ध्यान दिया जायेगा।
- राज्य UPSC द्वारा चुने गए व्यक्तियों में से एक को तत्काल नियुक्त करेगा, जो सेवानिवृत्ति की तारीख तक उचित अवधि के लिए पद धारण करेगा।
- किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा निर्मित ऐसा कोई भी कानून अथवा नियम, जो इन दिशानिर्देशों से असंगत है, स्थगित हो जायेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का महत्व

- **उच्च स्तरीय नियुक्तियों में पक्षपात और राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करना। इससे यह** सुनिश्चित होगा कि राज्य के DGP की नियुक्ति-प्रक्रिया में कोई विकृति नहीं है।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में दिए गए निर्देशों में से केवल एक के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अन्य निर्देशों को भी (यथा राज्य सुरक्षा आयोग) सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से लागू किये जाने की आवश्यकता है।
- कानून को लागू करने के लिए पुलिस को कार्यात्मक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। भारत को एक वैश्विक शक्ति का दर्जा प्राप्त करने हेतु इसके पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

4.6. दिल्ली के लिए मिसाइल शील्ड

(Missile Shield For Delhi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत दिल्ली और मुंबई सहित लगभग सभी प्रमुख नगरों में हवाई क्षेत्र को अभेद्य बनाने के लिए एक मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- परियोजना के एक भाग के रूप में स्वदेश विकसित मिसाइलों को तैनात करने के अतिरिक्त सरकार अमेरिका, रूस और इज़राइल से मिसाइल, लॉन्चर और कमांड-एंड-

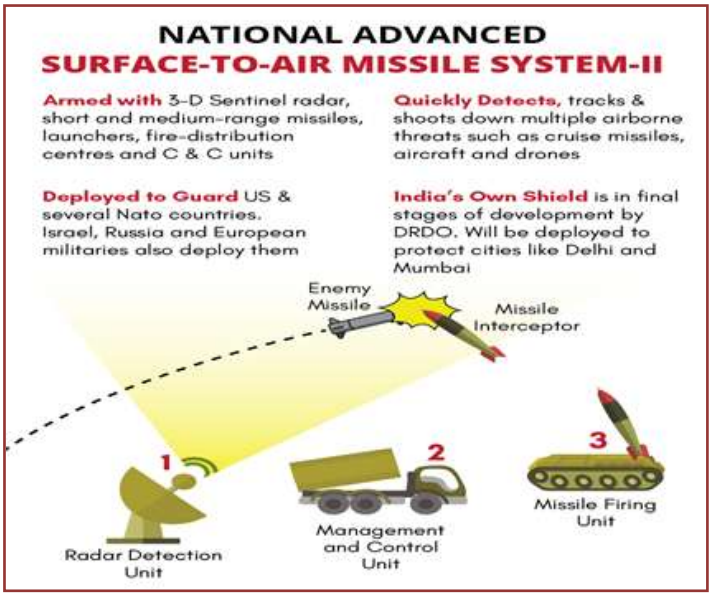

VISION

कंट्रोल इकाइयों सहित विभिन्न प्रकार की वायु रक्षा प्रणालियों की खरीददारी कर रही है।

- हाल ही में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम -II (NASAMA) के अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

4.7. बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक

(Rim Of Pacific Multinational Naval Exercise: RIMPAC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय नौसेना ने हवाई में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक (RIMPAC) में भाग लिया है।

विवरण

- यह यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमांड (INDOPACOM) द्वारा आयोजित RIMPAC का 26वां संस्करण था। RIMPAC विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है।
- RIMPAC 2018 का विषय "सक्षम, अनुकूल, भागीदार (Capable, Adaptive, Partners)" है।
- पहली बार ब्राजील, इज़राइल, श्रीलंका और वियतनाम RIMPAC में भाग ले रहे हैं।
- स्वदेशी निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट, **INS सह्याद्री**, ने RIMPAC में भाग लिया।
- चीन ने इस वर्ष भाग नहीं लिया है क्योंकि इसे दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य कार्यों का हवाला देते हुए अमेरिका ने इसे भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया था।
- भारतीय नौसेना ने अभ्यास के 2006, 2010 और 2012 के संस्करणों में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी। 2014 में, INS सह्याद्री को अभ्यास के 24वें संस्करण के लिए तैनात किया गया था, जबकि INS सतपुड़ा ने 2016 में हिस्सा लिया था।

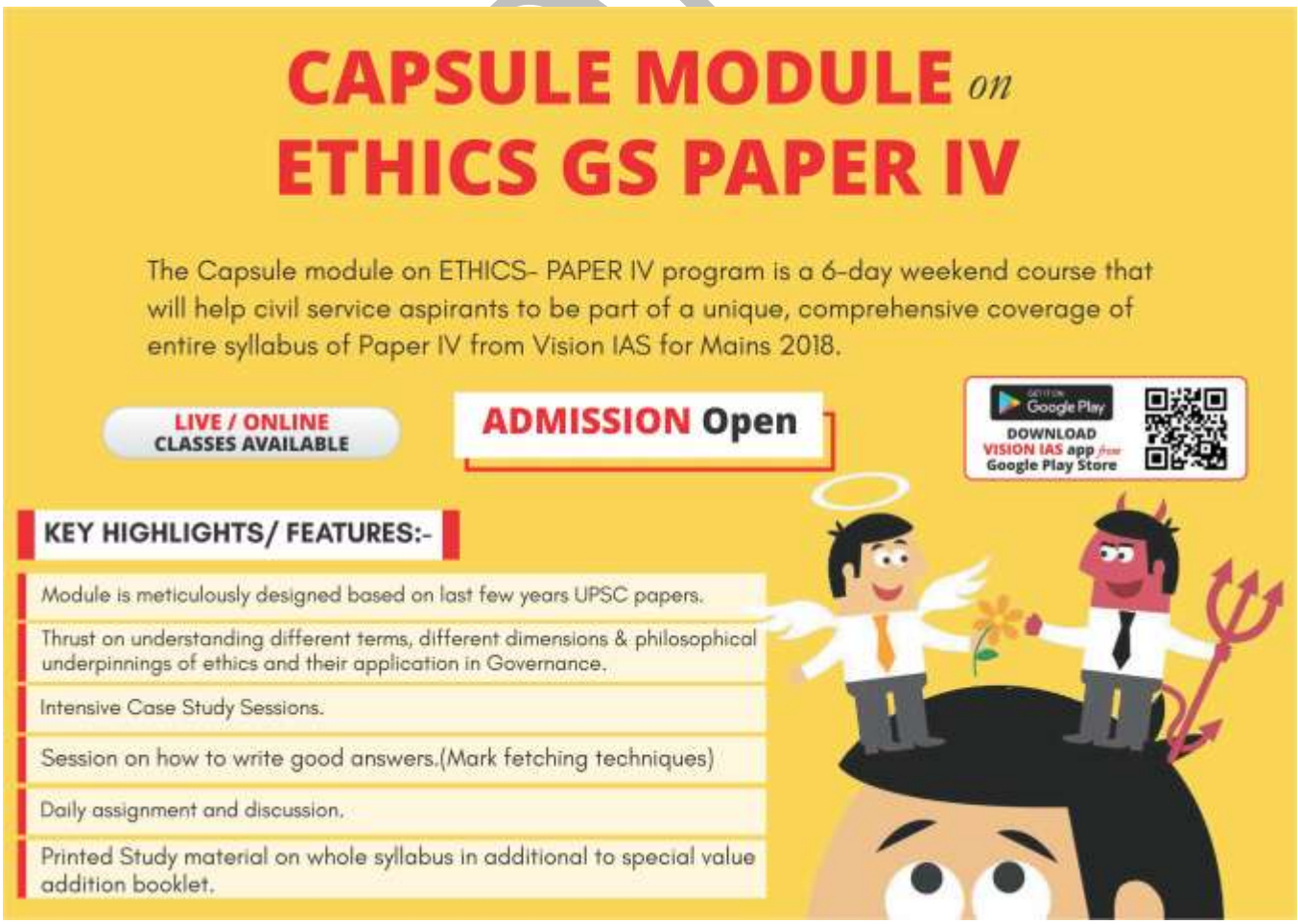

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. ग्रीन बॉन्ड (Green Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्याज दरों में वृद्धि और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण भारत से अत्यधिक संख्या में जारी ग्रीन बॉन्ड फंस गए हैं।

ग्रीन बॉन्ड क्या है?

- ग्रीन बॉन्ड, सामान्य बॉन्ड के समान ऋण उपकरण हैं, परंतु इनसे संबंधित निवेश का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, अथवा पारिस्थितिक रूप से संधारणीय सेवाओं में किया जाता है।
- ये बॉन्ड स्वैच्छिक होते हैं तथा किसी वित्तीय संस्थान, सरकार या यहां तक कि किसी कंपनी द्वारा धन जुटाने हेतु एक निर्धारित अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं।
- 2015-17 की अवधि में संपूर्ण एशिया से $65 बिलियन के ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए और चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला प्रमुख देश है।

ग्रीन बॉन्ड क्यों?

- ये पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं जो अन्यथा निवेश नहीं करते हैं।
- संधारणीय एवं निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के वित्त-पोषण हेतु सुलभ और शक्तिशाली उपकरण।
- प्रोजेक्ट डेवलपर्स द्वारा ग्रीन बॉन्ड को सामान्यत: एक किफायती और सुविधाजनक वित्तपोषण मॉडल के रूप में देखा जाता है।
- ये किसी कंपनी को पर्यावरणीय दृष्टि से जागरूक संगठन के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता कर, उसके ब्रांड मूल्य में वृद्धि करते हैं।

इंडियन ग्रीन बॉन्ड मार्केट

- **BSE** ने **कार्बन-एफिसिएंट लाइव इंडेक्स, ग्रीनेक्स** नामक ग्रीन इंडेक्स लॉन्च किया है।
- भारत ने 2015 में ग्रीन बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया। यस बैंक द्वारा नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया।
- ग्रीन बॉन्ड बाजार, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों, राज्य स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों, निगमों और बैंकिंग क्षेत्र में उत्तरोत्तर विस्तारित हुआ है।
- भारत में ग्रीन बॉन्ड से संबंधित निवेश में वृद्धि होना अपेक्षित है क्योंकि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर सौर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित वृहद परियोजनाएं ,निजी कंपनियों को सौंप रही है।
- हालांकि, इंडियन ग्रीन बॉन्ड बाजार स्वयं, वित्तपोषण के लिए पूंजी की प्रकृति में विविधता प्रदान करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अभी भी इसका 'विशुद्ध परिचालन' (pure play) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर ही केंद्रित है।

ग्रीन बॉन्ड पर SEBI के दिशा-निर्देश

जनवरी 2016 में, SEBI ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले भारतीयों के लिए ग्रीन बॉन्ड संबंधी अपनी आधिकारिक आवश्यकताओं को प्रकाशित किया है। इस प्रकार भारत इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर के दिशानिर्देश जारी करने वाला दूसरा देश (चीन के बाद) बन गया है।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋण प्रतिभूति को 'ग्रीन' या 'ग्रीन डेबिट सिक्योरिटीज' माना जाना चाहिए, यदि ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग निम्नलिखित में से किसी भी व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली परियोजना(ओं) और परिसंपत्तियों के लिए किया जा रहा हो:

- पवन, सौर, बायोमास ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित ऊर्जा के अन्य स्रोत इत्यादि सहित नवीकरणीय और संधारणीय ऊर्जा से सम्बंधित परियोजना।
- सामूहिक / सार्वजनिक परिवहन इत्यादि सहित स्वच्छ परिवहन।
- स्वच्छ जल या पेयजल, जल पुनर्चक्रण, आदि सहित संधारणीय जल प्रबंधन। विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और इंडेक्स हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है:
    - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन।
    - दक्ष और हरित भवन, आदि सहित ऊर्जा दक्षता।
    - पुनर्नवीनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण, अपशिष्ट का कुशल निपटान आदि सहित सतत अपशिष्ट प्रबंधन।
    - सतत वानिकी एवं कृषि, वनीकरण, आदि सहित सतत भूमि उपयोग।
    - जैव विविधता संरक्षण।

चुनौतियां

- **अविकसित बॉन्ड बाजार:** RBI और सरकार द्वारा कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार विकसित करने हेतु उठाए गए हालिया कदमों के बावजूद भी विशेष रूप से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार अविकसित अवस्था में है।
- **"ग्रीन" के रूप में निवेश को परिभाषित करना:** यह संभावना है कि "ग्रीन" की परिभाषाओं का एक निर्देशात्मक मानक समुच्चय प्रत्येक निवेशक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा।
- **इस नए (ग्रीन बॉन्ड) उपकरण के समर्थन हेतु केंद्रित उपायों का अभाव:** इसके निहितार्थों के नयेपन एवं इनसे से संबंधित समझ के अभाव के कारण, औसत घरेलू निवेशक इनमें निवेश करने में सावधानी बरतते है, और उन्हें उच्च जोखिम वाले निवेश के रूप में मानते है।
- ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए **अतिरिक्त लागत** की आवश्यकता होती है, जबकि इनसे प्राप्त होने वाला रिटर्न एक सामान्य बॉन्ड के समान होता है। इन लागतों में ग्रीन मानकों को परिभाषित करने, ग्रीन के रूप में की गई निवेश की निगरानी एवं रखरखाव, और बांड के जीवनकाल में निवेशकों के प्रदर्शन को पारदर्शी रूप से संचारित करने हेतु अतिरिक्त व्यय शामिल हो सकता है।

आगे की राह

- निम्नलिखित कदमों के माध्यम से ग्रीन बॉन्ड की पूर्ण क्षमता के उपयोग हेतु सरकारी सहायता की आवश्यकता है:
    - मानकीकरण के स्तर के साथ प्रकटीकरण और पारदर्शिता संबंधी पक्ष को सुदृढ़ करना।
    - कर छूट सहित अन्य रियायतें प्रदान करना; एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया जा सकता है।
- अप्रयुक्त क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए समूहन के तत्वों और क्रेडिट वृद्धि के साथ परियोजनाओं को डिजाइन करने हेतु राष्ट्रीय विकास बैंक, सिडबी (SIDBI) और नाबार्ड (NABARD) को भी शामिल किया जा सकता है।
- अपरंपरागत निवेश के क्षेत्रों उदाहरण के लिए वानिकी और समुद्री संरक्षण, नवोन्मेषी परिवहन जैसे विस्तृत क्षेत्रों में ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाने की वृहद संभावना मौजूद है।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) द्वारा वित्तीय समर्थन के साथ संयोजन से ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ताओं को मूल्य निर्धारण लाभ प्रदान करने के लिए व्यावसायिक मॉडल विकसित करना।
- RBI, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सम्बन्धी अपने दिशानिर्देशों का विस्तार करने पर विचार कर सकता है ताकि वे वर्तमान में SEBI के दिशानिर्देशों का भाग बन सकें जिससे वे बॉन्ड जारीकर्ताओं के लिए आकर्षण का क्षेत्र बन जाएगें।

5.2. वन्यजीव संरक्षण हेतु निजी भागीदारी

(Private Participation In Wildlife Conservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक ने निजी भूमि के माध्यम से वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए **निजी संरक्षण नियमों** का प्रारूप तैयार किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन नियमों के तहत, जिनके पास राष्ट्रीय उद्यान के निकट कम से कम 100 एकड़ भूमि है, वे इसे "वन्यजीव निजी संरक्षण" क्षेत्र में परिवर्तित कर सकते हैं।
- इस भूमि के 5% का उपयोग इको टूरिज्म हेतु भवनों का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है; शेष को वनस्पतियों और जीवों के लिए रखा जाना चाहिए।

वन्यजीव संरक्षण में निजी भागीदारी की आवश्यकता

- **वित्त:** संरक्षण गतिविधियों जैसे, कानून के प्रवर्तन, संघर्ष के न्यूनीकरण, आवास समेकन, गाँवों के पुनर्वास और अनुसंधान एवं निगरानी के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से विकासशील देशों में संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर वर्तमान व्यय बहुत ही कम है। निजी क्षेत्र, वित्तपोषण के इस अंतराल को कम करने में सहायता कर सकता है।
- **विशेषज्ञता और कुशल प्रबंधन:** निजी क्षेत्र, विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है जिसका सरकारी एजेंसियों में के पास प्राय:अभाव रहता है। साथ ही, सरकार का नौकरशाही प्रबंधन गैर-सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कम लचीला हो सकता है, यह उन्हें महंगा और उद्यान प्रबंधन के परिचालन पक्ष के संबंध में अकुशल बनाता है।
- **वन्यजीव संरक्षण के लिए बफर जोन:** संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र, वन्यजीव संरक्षण के लिए बफर की भूमिका निभा सकते हैं और यह दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले विस्तारित गलियारे के रूप में भी कार्य कर सकते हैं जो बाघ, हाथी आदि जैसे बड़े जीवों के संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- **आय और रोजगार का सृजन:** वन्यजीव प्रबंधन और इको टूरिज्म के अवसरों से संबद्ध विभिन्न गतिविधियां आय और रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी तथा वनवासी समुदायों के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक होगी और उनके संकटग्रस्त प्रवास को प्रतिबंधित करेगी।
- **पारंपरिक वनों पर दबाव कम करना:** वाणिज्यिक उद्देश्य से लकड़ी काटने (lumbering) हेतु स्टॉक में वृद्धि से पारंपरिक वनों पर दबाव में कमी आएगी। वनों का वाणिज्यिक विकास कृषि विस्तार के लिए वनों की कटाई को भी कम कर सकता है।
- **अन्य लाभ:** यह वन क्षेत्र (वर्तमान 21% से निर्धारित लक्ष्य 33% की ओर) के प्रतिशत में वृद्धि करेगा; वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और निकटवर्ती जल निकायों एवं मृदा का संरक्षण जो उनके संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है; कार्बन प्रच्छादन क्षमताओं में वृद्धि आदि।

चिंताएं

- **वन्यजीवों के आवास का विखंडन:** सड़कों, होटलों, इको टूरिज्म के विकास के लिए खेल जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने वाले अवसंरचना के विकास के कारण प्राकृतिक आवास का विखंडन होगा और यह वन्यजीवों की गतिविधियों को बाधित करेगा।
- **संरक्षण का संकीर्ण दृष्टिकोण:** संरक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें इसके साथ संबद्ध विभिन्न साझीदारों के हितों को शामिल किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्ति है, इस प्रकार उनकी भागीदारी मूलभूत वास्तविकताओं की उपेक्षा करते हुए संरक्षण के टॉप डाउन मैकेनिकल तरीके में परिवर्तित हो सकती है।
- **अवैध शिकार और अवैध व्यापार:** निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित बफर जोन, स्पष्ट नियमों के अभाव के कारण वन्यजीवो के अवैध शिकार और अवैध व्यापार तथा वन्यजीव से सम्बन्धित अन्य अपराधों जैसे कि आखेट के स्थल के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- **वनवासी समुदायों का बहिष्करण:** वनों का वाणिज्यिक विकास उनके आसपास निवास करने वाले पारंपरिक समुदायों को और पृथक कर सकता है क्योंकि वे राजनीतिक-नौकरशाही और निजी क्षेत्र के गठबंधन के कारण दृढ़तापूर्वक अपने अधिकारों की मांग नही कर पाएंगे।
- **मोनोकल्चर का विकास:** वाणिज्यिक उद्देश्य से वनों के विकास के कारण मोनोकल्चर का विकास हो सकता है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं का अभाव होगा।
- **नैतिक मुद्दे:** वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु वन्यजीवों के उपयोग में कुछ नैतिक मुद्दे निहित हैं जो एक जीवित इकाई के वस्तुकरण (ऑब्जेक्टीफीकेशन) करने के समान है।

अमेजन संरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम (ARPA): वन्यजीव संरक्षण में निजी भागीदारी का एक मॉडल

- अमेजन बेसिन में 100 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों के परिरक्षण हेतु $1 बिलियन वित्त जुटाने के लिए WWF द्वारा निजी निगमों, लोक-हितैषी व्यक्तियों और ब्राजील सरकार को एक साथ लाया गया है।
- निजी क्षेत्र द्वारा इस निधि में पूंजी का योगदान किया जाता है, परंतु वित्त केवल तभी जारी किया जाता है जब सरकार द्वारा ऐसे समझौते का अंतिम रूप से समर्थन कर दिया जाता है, जो सार्वजनिक निधि और प्रबंधन के अनुरूप होता है।
- WWF विशेषज्ञता प्रदान करता है कि किन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए और नए क्षेत्रों को सर्वोत्तम तरीके से किस प्रकार प्रबंधित किया जाए।

आगे की राह

- संरक्षण, वाणिज्य (पर्यटन), समुदायों (भूस्वामियों और कौशल आपूर्तिकर्ताओं), और सरकार (प्राय:, एक पर्यवेक्षक के रूप में) के मध्य भागीदारी से होना चाहिए। इन तीनों के मध्य उचित संतुलन के अभाव में कोई भी हितधारक गलत कदम उठा सकता है जिससे संरक्षण प्रक्रिया को क्षति पहुंच सकती है।

VISION IAS

- निजी भागीदारी को अनुमति प्रदान करने वाले देशों में, इस भागीदारी के संबंध में सुस्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। उन देशों में जहां सरकारी प्राधिकार कमजोर है। उदाहरण के लिए, कोलंबिया के टायरोना नेशनल नेचुरल पार्क में कंपनी द्वारा संचालित पर्यटक पर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर रियायत दर पर भूमि प्राप्त करने और विवादास्पद विकास का आरोप लगाया गया है।

5.3. वायु प्रदूषण से निपटने करने के लिए कार्य-योजना

(Action Plan to Deal with Air Pollution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नीति आयोग ने दिल्ली, कानपुर और वाराणसी सहित देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 'ब्रीद इंडिया (Breathe India)' नामक 15- सूत्री कार्य-योजना का प्रस्ताव दिया है।

प्रसंग

- हाल ही में WHO (2018) ने डेटाबेस के आधार पर भारत के अनेक ऐसे शहरों की पहचान की है, जहां वायु प्रदूषण का उच्चतम स्तर व्याप्त है। कानपुर, फरीदाबाद, गया, वाराणसी और पटना विश्व के शीर्ष पांच सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वैश्विक वायु प्रदूषण डेटाबेस के अनुसार, 2.5 PM सांद्रता के मामले में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 15 शहरों में से 14 शहर भारत के है।
- राष्ट्रों के स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार, 2016 में भारत में कुल रोगों के 5% के लिए इंडोर वायु प्रदूषण उत्तरदायी था, और 6% के लिए आउटडोर वायु प्रदूषण उत्तरदायी था।

Top 10 most polluted cities in India based on pm 2.5

CITY	PM 2.5 (Annual mean, ug/m³)
Kanpur	173
Faridabad	172
Gaya	149
Varanasi	146
Patna	144
Delhi	143
Lucknow	138
Agra	131
Gurgaon	120
Muzaffarpur	120

Source: WHO Database, as on 21 May 2018.

14, of the world's 15 most polluted cities are in India. :WHO, 2018

कार्य-योजना के बिंदु

1. शून्य-उत्सर्जन वाहनो (ZEVs) के माध्यम से ड्राइव मोबिलिटी: विद्युत और हाइब्रिड वाहनों के वितरण को बढ़ावा देना

- केंद्र सरकार के उपयोग और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए **विद्युत वाहनों (EVs) की खरीद** को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **विद्युत चालित दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों को प्रोत्साहन देना ।**

2. वाहन उत्सर्जन को रोकने के लिए सुदृढ़ उपायों को लागू करना:

- **2020 से बड़े पैमाने पर फीबेट (Feebate) प्रोग्राम लागू करना:** फीबेट एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से अक्षम अथवा प्रदूषणकारी वाहनों पर अधिभार आरोपित किया जाता है जबकि कुशल वाहनों को इससे छूट प्राप्त होती है।
- **वाहन स्वामित्व और उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी करना :** निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए संकुलन मूल्य निर्धारण (कंजेशन प्राइसिंग), करों और बीमा प्रीमियम में वृद्धि, पार्किंग शुल्क में वृद्धि आदि जैसे उपायों को नियोजित करने की आवश्यकता है।
- इंजन उत्सर्जन के लिए **भारत VI मानकों** को लागू करना और **कम सल्फर(10 ppm) वाले ईंधन का उपयोग।**
- **एक स्क्रैपिंग नीति का शुभारम्भ करना और वाहनों के बेड़े का आधुनिकीकरण सुनिश्चित करना।**

3. विद्युत क्षेत्र को अनुकूलित कर उत्सर्जन को कम करना:

- पुराने और अक्षम विद्युत ऊर्जा संयंत्रों को तत्काल रणनीतिक रूप से बंद करना।
- रूफटॉप सौर ऊर्जा और वितरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना।
- विद्युत संयंत्रों के लिए उच्च कोटि के कम प्रदूषणकारी कोयले के उपयोग को सुनिश्चित करना।
- DG सेट के परिचालन को समाप्त करने के लिए शहरी क्षेत्रों में बेहतर विद्युत विश्वसनीयता पर बल दिया जाना।

4. औद्योगिक वायु प्रदूषण के लिए विनियामक ढांचे में सुधार

- **मानकों और पद्धतियों का पुनरीक्षण करना:** CPCB के परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के साथ-साथ औद्योगिक उत्सर्जन की व्यक्तिगत श्रेणियों के पुनरीक्षण हेतु विचार किया जाना चाहिए।
- **कानून प्रवर्तन को प्रोत्साहित करना:** इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना, वायु प्रदूषण के विरुद्ध सुधारात्मक कार्रवाई में तीव्रता लाने हेतु महत्वपूर्ण होगा।
- लेखांकन प्रक्रिया में सुधार।

5. स्वच्छ निर्माण पद्धतियों को अपनाना

- निर्माण परियोजनाओं के लिए **पर्यावरण जोखिम आकलन को अनिवार्य बनाना।**
- निर्माण प्रक्रिया को शामिल करने के लिए **ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के मानकों का पुनरीक्षण करना।**
- **धुएं मुक्त टावरों को स्थापित करना:** यह पूरे यूरोप में स्थापित एक नवोन्मेषी तकनीकी समाधान है, जो आसपास के क्षेत्र में प्रदूषित वायु को स्वच्छ करता है।

6. शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा मैकेनिकल डस्ट रिमूवल और शमन उपायों को अपनाकर **शहरी धूल से निपटना।** उदाहरण के लिए, सड़कों पर धूल को अवशोषित करने और जल छिड़कने वाले वाहनों, अथवा सड़क की सफाई करने वाली यंत्रीकृत मशीनों का उपयोग करना।

7. फसल अवशेष का उपयोग करने हेतु एक व्यापार मॉडल कार्यान्वित करना:

- बड़ी कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन कंपनियों द्वारा **फसल अवशेष की प्रत्यक्ष खरीद।**
- **एक अंतर-राज्यीय व्यापार मॉडल को अधिदेशित करना**: केंद्र को पायलट आधार पर, धान के अवशेष के अंतर-राज्यीय व्यापार को निर्देशित करना चाहिए।
- **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के आधार पर PRIs को पुरस्कृत करना।**

8. राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली का कार्यान्वयन : 'प्रदूषण कर्ताओं द्वारा भुगतान (पॉल्यूटर्स पे)' की अवधारणा के आधार पर नियामक ढांचे के अंतर्गत बाजार-आधारित उपकरणों को प्रस्तुत करना चाहिए।

9. एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन

- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लागू करना:** यह उत्पादकों को अपने उत्पादों के सुरक्षित निपटान हेतु उत्तरदायी बनाता है और यह उत्पादकों को कम प्रदूषक सामग्री का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
- **लैंडफिल टैक्स और विनियमन को अपनाना:** यह अधिक लैंडफिलिंग प्रक्रिया को कम कर निस्तारण/प्रसंस्करण विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है।
- **अपशिष्ट से ऊर्जा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना।**
- **अपशिष्ट प्रसंस्करण को विकेंद्रीकृत करना:** लैंडफिलिंग के वैकल्पिक रूप उदाहरण स्वरूप, बेंगलुरू में अपशिष्ट का पृथक्करण, अलाप्पुझा में पाइप एंड एरोबिक कंपोस्टिंग इत्यादि को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सकता है।

10. वनाग्नि से निपटने वाले प्रयासों को एकीकृत करना

- **वनाग्नि को रोकने के उपायों को शामिल करना:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा तैयार की जा रही वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति को तत्काल अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- **वनाग्नि के शमन को सुनिश्चित करना:** वनाग्नि के प्रसार में अवरोधक के रूप में कार्य करने वाले फायर ब्रेक्स और फायर लाइन्स का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

11.खाना बनाने की स्वच्छ पद्धतियों को प्रोत्साहित करना

- **स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना:** इसमें LPG, बायोगैस, सौर ऊर्जा और विद्युत जैसे ईंधन शामिल हैं।
- **ईंधन दक्ष चूल्हों को बढ़ावा देना और उसका वितरण करना:** इसे परिवारों के लिए लक्षित किया जाना है।
- इमारतों की डिज़ाइन के लिए दिशानिर्देशों और प्रावधानों को तैयार कर **हवादार घरों का निर्माण सुनिश्चित करना।**

VISION IAS

12. व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से सार्वजनिक स्वामित्व को आगे बढ़ाना

- **कृषि संबंधी प्रदूषण:** मौजूदा **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs)** के माध्यम से किसानों को इन-सीटू मल्चिंग और ऑन-फार्म मैनेजमेंट तकनीकों जैसे सूचना उपकरणों को प्रदान करने हेतु एक अभियान चलाया जाना चाहिए।
- **इंडोर प्रदूषण (Indoor Pollution):** स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में जनता को सूचित करके परिवारों के बीच भोजन बनाने की स्वच्छ संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **शहरी धूल (City Dust):** निर्माण अपशिष्ट के उत्पादन को रोकने के लिए निर्माण कंपनियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

13. सुसंगत और मात्रात्मक राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और क्षेत्रीय योजनाओं का विकास

- उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कार्य योजना को उचित ढंग से डिज़ाइन और उचित ढंग से अनुसंधान किए गए राज्य स्तरीय और शहर-स्तरीय योजनाओं के साथ पूरक किया जाना चाहिए।

14. वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली में सुधार

- वायु प्रदूषण के स्तर की सटीक और व्यापक निगरानी करना।
- डेटा की निगरानी के आधार पर वायु प्रदूषण के न्यूनीकरण सम्बन्धी योजनाओं का विकास।

5.4. जलवायु परिवर्तन और भारतीय तट-रेखा

(Climate Change and Indian Coastline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

IIT बॉम्बे के एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया कि तटीय तलछट परिवहन, तटरेखा क्षरण और समग्र तटीय सुभेद्यता के मामले में भारतीय तटों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, पूर्व की तुलना में अत्यधिक गंभीर हो सकते हैं।

अध्ययन के बारे में

- अनुसंधानकर्ताओं द्वारा **भविष्य के लिए बड़ी संख्या में जलवायु चरों** के अनुमानों पर जारी किए गए नए आंकड़ों का उपयोग किया गया, जिसमें भारतीय तट रेखा के चारों ओर वायु-जनित लहरें एक प्रमुख चर के रूप में शामिल हैं।
- अध्ययन के अनुसार विभिन्न स्थानों को **विभिन्न प्रकार के प्रभावों** का सामना करना पड़ेगा।
- पवनों की गति और अधिक प्रचंड हो जाएगी जिसके कारण भविष्य में पुलिनों एवं समुद्री तटों पर हमारी कल्पना से कही अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

भारतीय तटों की सुभेद्यता

भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है जिसमे तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है क्योंकि तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि तथा बस्तियों, शहरीकरण और कृषि का विस्तार हो रहा है। इन परिवर्तनों सहित जलवायु परिवर्तन की एक समग्र घटना विभिन्न अन्य चिंताओं को जन्म देती है जैसे-

- **बारंबार आपदाओं के प्रति सुभेद्यता:** तटीय समुदाय के लिए आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे तूफान महोर्मि, समुद्री जल स्तर में वृद्धि और बाढ़, हीट वेव्स, चक्रवात और भूमंडलीय तापन में वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली अन्य चरम मौसम परिघटनाओं का जोखिम निरंतर बना रहता है।
  - बढ़ते समुद्री जल स्तर के साथ **सशक्त लहरें और तरंगे;** जो तटरेखा के आकार को पुनः परिवर्तित कर सकती हैं और संभवतः कई निचले क्षेत्रो को जल-मग्न कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप तटरेखा का क्षरण भी हुआ है जो बंगाल की खाड़ी की अशांत प्रकृति के कारण पूर्वी तट पर अधिक है।
- **चरम तापमान वृद्धि के प्रति सुभेद्यता:** *इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज* (IPCC) के अनुसार, ऐसा अनुमान है कि 2030 तक भारत में चरम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी तथा साथ ही तटीय क्षेत्रों के तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने का भी अनुमान है।
- **अत्यधिक जनसंख्या वाले तटीय क्षेत्र:** भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 14% भाग भारत के तटवर्ती क्षेत्र के 50 किलोमीटर के भीतर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महत्वपूर्ण शहरों में निवास करता है जो कि इस क्षेत्र की सुभेद्यता में वृद्धि करता है।
- **आर्थिक महत्व:** भारत की आर्थिक संवृद्धि और विकास के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण गतिविधियां तटीय क्षेत्रों में संचालित है, जिनमें तेल और गैस उद्योग, ऊर्जा संयंत्र, पत्तन एवं बंदरगाह, जलीय कृषि, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन और खनन इत्यादि शामिल हैं।

- **तट के साथ संलग्न पारिस्थितिक तंत्र की विस्तृत श्रृंखला:** जैसे मैंग्रोव, सीग्रास बेड, साल्ट मार्श, प्रवाल भित्ति, लैगून, एश्चुअरी और अन्य महत्वपूर्ण तटीय और सागरीय पर्यावास एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का भाग हैं। चूँकि ये क्षेत्र कार्बन भंडार का निर्माण करते हैं, अतः ये आजीविका के अवसरों, आपदाओं के विरुद्ध तटरेखा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन में सहायता के रूप में विभिन्न पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करते हैं।
    - जल के तापमान में वृद्धि और महासागरीय अम्लीकरण, प्रवाल भित्तियों की पारिस्थितिकी को निम्नीकृत कर सकते हैं और कई समुद्री तटीय समुदायों के लिए सजावटी और वाणिज्यिक रूप से उपयोगी मत्स्यन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:** मानसूनी वर्षा की परिवर्तनशीलता और अप्रत्याशितता में वृद्धि, समुद्री जल स्तर की वृद्धि के कारण लवणीय जल का तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कृषि संबंधी गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, फलस्वरूप इससे कारण खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी।
    - जलवायु परिवर्तन **समुद्री मत्स्यन संसाधनों** के प्रवासी प्रतिरूप, जलीय पर्यावास की गुणवत्ता और जलीय प्रतिस्पर्धियों, शिकारियों और बीमारियों का वितरण और प्रचुरता पर भी प्रभाव उत्पन्न करता है।

संबंधित तथ्य

पवन वेक्टर तरंग की ऊंचाई और दिशा तथा धाराओं को भी प्रभावित करता है जो कि तटीय तलछट परिवहन और क्षरण की दरों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक के उडुपी तट पर, पवन की औसत गति में 25% की वृद्धि के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में लहर की औसत ऊंचाई में 35% की वृद्धि हुई है। तलछटों के वृहद परिवहन के परिणामस्वरूप अगले 30 वर्षों में क्षरण में पिछले तीन दशकों की तुलना में 1.5 गुना वृद्धि होगी।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

2004 में आई सुनामी के पश्चात, प्राधिकरणों द्वारा तटीय क्षेत्र प्रबंधन दिशानिर्देशों को विकसित किया गया हैं। इनके तहत जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारकों द्वारा तटीय बाढ़ के जोखिम को कम करना शामिल है। विभिन्न अन्य कदम अग्रलिखित हैं-

- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) परियोजना:** इस परियोजना के अंतर्गत सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट (SICOM) की स्थापना की गई। SICOM चार घटकों का क्रियान्वयन करेगा, अर्थात् (i) राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम; (ii) ICZM-पश्चिम बंगाल; (iii) ICZM-उड़ीसा; (iv) ICZM-गुजरात।
- **व्यापक सुभेद्यता मानचित्रण:** भारत अपनी तट रेखा का एक व्यापक सुभेद्यता मानचित्रण तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसका उपयोग तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज **(INCOIS)** द्वारा तटीय सुभेद्यता सूचकांक तैयार किया गया।
- **नया राष्ट्रीय तटवर्ती मिशन:** इसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के तहत स्थापित किया जा रहा है जिसमें तटीय क्षेत्रों में **अनुकूलन के लिए पारिस्थितिक तंत्र केंद्रित और समुदाय आधारित दृष्टिकोण** शामिल होंगे। इसके उद्देश्यों में सुभेद्यता मानचित्रण, धारणीय तटीय विकास, प्रत्यास्थ समुदायों एवं बस्तियों, पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के शमन को बढ़ावा देना शामिल है।

चुनौतियां

- हालांकि समय-समय पर संशोधित तटीय क्षेत्र के नियमों का उद्देश्य समुद्र तट का संरक्षण करना है, तथापि **उनका उचित कार्यान्वयन नहीं किया गया है।**
- विश्व के अधिक विकसित क्षेत्रों के विपरीत अन्य देशों में, जलवायु जोखिमों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता, विशिष्ट जनसंख्या की विशेष सुभेद्यता और शमन कार्यों के प्रति व्यक्तियों और समूहों की भागीदारी बहुत कम हैं।
- ऊर्जा की आवश्यकताओं, जल उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के लिए पूर्वानुमान संबंधी पैटर्न यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकीय सेवाओं पर दबाव अत्यधिक बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त भी एक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि **तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास में रुचि** ने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं या पर्यावरण की गुणवत्ता के संबंध में चिंताओं की अवहेलना की है।
- जन सामान्य के मध्य जागरूकता के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद, **विचार-विमर्श और चर्चा का स्तर अभी भी निम्न** है।
- एक स्तर (स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय) पर राजनीतिक विचार प्रायः अन्य स्तरों पर और सामाजिक अथवा पर्यावरणीय जैसे अन्य क्षेत्रों पर प्रभावों की उपेक्षा करते हैं। यह अनुकूलन अनुक्रियाओं के लिए शासन, प्रबंधन और उत्तरदायित्वों से संबंधित संघर्ष को बढ़ावा देता है।

VISION IAS

NAPCC, भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन और विशेष रूप से मानसून व्यवहार का अनुकरण करने हेतु बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के लिए एक एयर-ओशन सर्कुलेशन मॉडलिंग सिस्टम का विकास करना।
- विशेष रूप से हिंद महासागर सहित उष्णकटिबंधीय महासागरों में हाई रिज़ॉल्यूशन ओशन-ऐटमोस्फीयर का अध्ययन करना।
- तटीय क्षेत्रों के लिए एक हाई-रिज़ॉल्यूशन स्टॉर्म सर्ज मॉडल का निर्माण करना।
- फसल की लवण-सहनशील किस्मों का विकास करना।
- तटीय आपदाओं और आवश्यक कार्रवाई पर सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाना।
- समय पर पूर्वानुमान और चक्रवात एवं बाढ़ चेतावनी प्रणाली की स्थापना।
- वन रोपण में वृद्धि तथा मैंग्रोव और तटीय वनों का पुनरुद्धार करना।

आगे की राह

उठाए गए विभिन्न कदमों के अतिरिक्त, अन्य कार्रवाइयों की आवश्यकता बनी हुई है, जैसे -

- अनुमानित आंकड़ों के आधार पर तथा अध्ययन और संभावित प्रभावों के बेहतर मूल्यांकन के लिए नए और परिष्कृत जलवायु मॉडल का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु ब्लू कार्बन स्टोरेज और कार्बन प्रच्छादन की निगरानी के साथ तटीय क्षेत्रों में बेहतर तरीके से योजनाबद्ध शहरीकरण और सतत विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- वर्तमान नियमों के कठोर प्रावधानों जैसे कि तटीय विनियमन क्षेत्र के नियमों का अनुकूलन के साथ अनुपालन किया जाना चाहिए, इससे जलवायु परिवर्तन प्रभावों की दीर्घकालिक लागत को कम करने में सहायता मिल सकती है।

5.5. भारत के भूमिगत जल में यूरेनियम संदूषण

(Uranium Contamination of Ground Water in India)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में भारत के 16 राज्यों में भूमिगत जल के जलभृत (aquifers) में अत्यधिक यूरेनियम संदूषण पाया गया है।

संबंधित तथ्य

- 1990 के दशक के आरम्भ से पंजाब में भूमिगत जल में यूरेनियम संदूषण एक निरतंर समस्या बना हुआ है।
- पंजाब के मालवा क्षेत्र में तापीय विद्युत् संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्पन्न फ्लाई ऐश को मृदा और भूमिगत जल प्रदूषण का संभावित कारण माना जाता है, जिसमें यूरेनियम और राख का स्तर उच्च होता है।

अध्ययन से संबंधित अन्य तथ्य

- राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में यूरेनियम स्तर उच्च पाया गया।
- इन परिणामों से यह स्पष्ट हैं कि राजस्थान और गुजरात में परीक्षण किए गए अधिकांश कुओं में WHO द्वारा अनुशंसित 30 माइक्रोग्राम/लीटर की सीमा से अधिक यूरेनियम विद्यमान था। राजस्थान के कुछ कुओं (लगभग 10) में यूरेनियम का स्तर लगभग 300µg/L पाया गया।
- उत्तर पश्चिमी भारत के अन्य जिलों एवं दक्षिणी भारत में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी संदूषण का स्तर उच्च पाया गया।
- यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत भूगर्भिक है, अर्थात यूरेनियम का मुख्य स्रोत ग्रेनाइट है, जो हिमालयी क्षेत्र में सामान्य रूप से उपलब्ध है। संभवतः वर्षों से, यूरेनियम का रिसाव धीरे-धीरे जल में हो गया होगा।
- हालांकि, कृषि सिंचाई के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण नाइट्रेट प्रदूषण जैसे मानवीय कारकों ने यूरेनियम संदूषण में और अधिक वृद्धि की है।

यूरेनियम संदूषण से संबंधित मुद्दे

- **भारतीय मानक ब्यूरो के पेयजल विनिर्देशों में** यूरेनियम के लिए किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है जो कि भूजल स्तर की गुणवत्ता की निगरानी को असंभव बनाता है।
- पेयजल में यूरेनियम न केवल रेडियो सक्रियता बल्कि यह मुख्य रूप से रासायनिक विषाक्तता, असाध्य किडनी की समस्या आदि के कारण भी चिंता का विषय है।

5.6. वैश्विक पर्यावरण सुविधा

(Global Environment Facility: GEF)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, छठा GEF परिषद शिखर सम्मेलन जून, 2018 में दा नांग, वियतनाम में आयोजित हुआ।

GEF के बारे में

- यह 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तहत स्थापित एक वित्तीय तंत्र है। यह हमारे ग्रह की सर्वाधिक गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में सहायता करता है।
- इसे विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- वर्तमान में 183 देश, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, नागरिक समाज संगठन और निजी क्षेत्र इसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदार हैं। ये वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करते हैं।
- **काउंसिल**, GEF का मुख्य शासी निकाय है। इसमें GEF सदस्य देशों में से नामित 32 सदस्य देश (विकसित देशों में से 14, विकासशील देशों में से 16 और संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में से 2 सदस्य) शामिल होते हैं।
- GEF असेंबली सभी 183 सदस्य देशों से मिलकर बनी है तथा सामान्य नीतियों की समीक्षा और GEF के संचालन एवं सदस्यता की सुविधा के लिए प्रत्येक चार वर्ष में इसकी बैठक होती हैं।
- **GEF वित्तीय तंत्र के तहत पर्यावरण सम्मेलन**
  - यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायो डाइवर्सिटी (United Nation Convention on Bio Diversity:UNCBD)
  - यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन (United Nation Convention to Combat Desertification:UNCCD)
  - यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाईमेंट चेंज (UNFCCC)
  - स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट
  - मिनामाटा कन्वेंशन
  - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (समर्थन प्रदान करता है)

इसका महत्व

- इसकी स्थापना के बाद से, GEF द्वारा अनुदान के तहत 17.9 बिलियन डॉलर के साथ परियोजना की पूर्ण श्रृंखला के लिए सह-वित्तीयन हेतु 93.2 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने, निम्नीकृत भूमि को पुनःबहाल करने के साथ जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है।
- इसके लघु अनुदान कार्यक्रम द्वारा विभिन्न विकासशील देशों में किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेष रूप से जल की कमी के अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान की गई है।
- यह देश में उपयुक्त क्षमता निर्माण और दक्षता में सुधार के लिए GEF भागीदारी में राष्ट्रीय एजेंसियों को सम्मिलित करने का दृढ़ समर्थन करता है।
- **GEF की जेंडर मेनस्ट्रीम पॉलिसी** द्वारा संचालन में अधिक व्यवस्थित तरीके से लैंगिक भूमिका को सुदृढ़ता प्रदान की गई है।

शिखर सम्मेलन के संबंध में विस्तृत जानकारी

- 2014 में 4.4 बिलियन डॉलर के वित्तीयन में कटौती कर 4.1 बिलियन डॉलर की GEF की आपूर्ति की घोषणा की गई। यह प्रथम बार होगा जब इसकी स्थापना के पश्चात GEF के बजट कमी की गई।
- इस कटौती का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा GEF में अपने योगदान को लगभग आधे से अधिक कम करना है।
- GEF द्वारा अमेरिका के वित्तीयन कटौती के आलोक में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं:
  - सह-वित्तीयन की आवश्यकता सर्वाधिक निर्धन देशों के लिए मूल अनुदान के **5 गुणा** और विकासशील देशों के लिए **9 गुणा** तक बढ़ा दी गई है।
  - एक निश्चित बिंदु से ऊपर देशों की वित्तीयन तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया **"विकास सूचकांक"** विकसित किया गया है।
  - बड़े देश जिनके औसत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पिछले चार वर्षों मे 5% से अधिक है, वे कोई भी GEF वित्तीयन प्राप्त करने के लिए अयोग्य है।

VISION IAS

- 2009 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा आरंभ **बे ऑफ़ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem:BOBLME)** परियोजना के लिए 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान राशि को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड 8 तटवर्ती देश सम्मिलित हैं।
    - BOBLME परियोजना का लक्ष्य सतत मत्स्यन को बढ़ावा देना, समुद्री प्रदूषण को कम करना और तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लगभग 400 मिलियन लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
- सम्मेलन के इतर, ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) और GEF, विकासशील देशों की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त प्रवाह में सुधार हेतु संयुक्त कदम उठाने पर भी सहमत हुए हैं।

GEF से संबंधित मुद्दे

- वित्तीयन में कटौती एक गंभीर समस्या है क्योंकि GEF विकासशील देशों के लिए ग्रीन फंडिंग के लिए विश्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है।
- प्रस्तावित नए विकास सूचकांक को औद्योगिक देश, उनके द्वारा की जाने वाली वैश्विक क्षति के प्रति अपने **उत्तरदायित्वों के उन्मूलन** के एक और प्रयास के रूप में देखते हैं।
- **विनिमय दर में अस्थिरता का जोखिम**: GEF के कारण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में 15 प्रतिशत की कमी आई है क्योंकि GEF के पास इन जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए किसी प्रकार का वित्तीय तंत्र उपलब्ध नहीं है।
- **परिचालन प्रतिबंध और GEF के संबंध में जागरूकता के अभाव** के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के साथ सफल जुड़ाव की संभावना को सीमित रूप से या पूर्णतया अनुभव नहीं किया गया है।
- वैश्विक पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बेहतर स्थिति में होने के लिए अन्य देशों की संबद्धता और वित्तीयन से अपनी संबद्धता और वित्तीयन को पृथक करने की आवश्यकता है:
    - सलाहकार सेवाओं, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के लिए अधिक संसाधनों को संबद्ध करना।
    - विभिन्न फोकस क्षेत्रों पर किये जा रहे धन के व्यय पर ध्यान देने के स्थान पर प्राप्त परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना।
    - देश के भीतर संसाधनों के आवंटन में अधिक लचीलापन और परस्पर विनिमेयता को ध्यान में रखना।
    - GEF को अधिक दक्ष और प्राप्तकर्ता मांगों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए परिचालन दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि करना।
    - विकसित देशों से **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम बनाना।**

5.7. मेघालय युग (Meghalayan Age)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के भू-गर्भिक इतिहास में एक नए युग **मेघालय युग** की खोज की है।

भूवैज्ञानिक समय-मान (Geological Time Scale)

- भूवैज्ञानिक समय-मान, पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं की एक "सारिणी" है।
- संपूर्ण समय-मान को (कालावधि के घटते हुए क्रम में) - **ईओन (Eon), महाकल्प (Era), कल्प (Period), युग (Epoch) और काल (Age)** नामक अमूर्त समय खंडों में उप-विभाजित किया गया है।
- **ईओन (Eon)** भूवैज्ञानिक समय का सबसे बड़ा अंतराल है और इसकी कालावधि सैंकड़ों मिलियन वर्षों की होती हैं। उदाहरणार्थ फैनेरोजोइक ईआन सबसे नवीनतम ईआन है और इसका आरंभ 500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है।
- ईआन को **महाकल्प (Era)** नामक अपेक्षाकृत लघु समय अंतरालों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, फैनेरोजोइक ईआन को तीन महाकल्पों (era) - सेनोज़ोइक (Cenozoic), मेसोज़ोइक (Mesozoic) तथा पेलियोज़ोइक (Paleozoic) में विभाजित किया गया हैं।
    - पृथ्वी पर जीवन के विकास के प्रमुख परिवर्तनों को दर्शाने के लिए महाकल्पों को: पेलियोज़ोइक (पुराजीवी), मेसोज़ोइक (मध्यजीवी) तथा सेनोज़ोइक (नवजीवी) नाम दिए गए थे।
- महाकल्प को **कल्प (period)** में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए पेलियोज़ोइक को पर्मियन, पेंसिल्वेनियन, मिसिसिपियन, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविसयन और कैम्ब्रियन **कल्प** में विभाजित किया गया है।

- **कल्प (period)** को **युग (epoch)** में विभाजित किया जाता है, जिसे **काल (age)** में विभाजित किया जाता है।
    - प्रत्येक कल्प (period) महत्वपूर्ण घटनाओं के अनुरूप होता है जैसे महाद्वीपीय विखंडन, जलवायु परिवर्तन और विशिष्ट प्रकार के जंतुओं एवं पादपों का उद्भव होना।
- भूवैज्ञानिक समय मान की सभी इकाइयां समय के साथ जमा अवसादी परतों पर आधारित हैं।

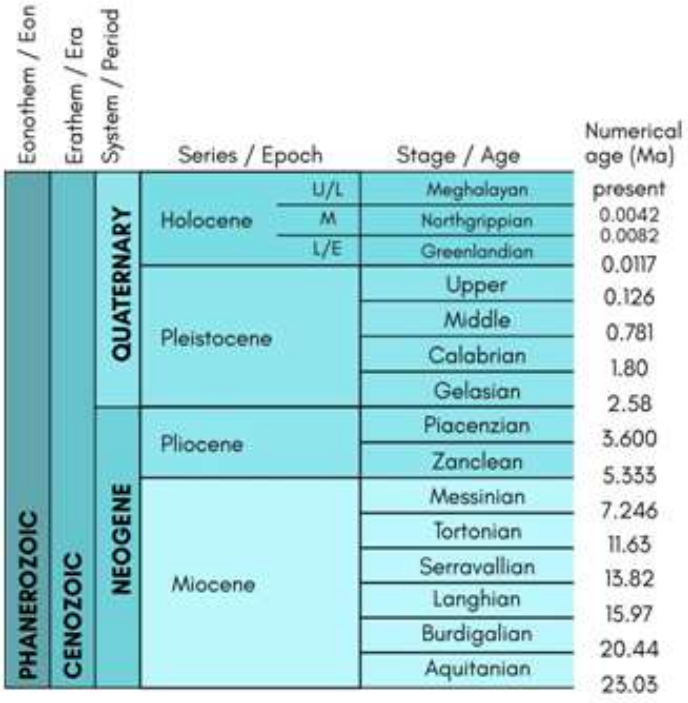

मेघालय युग

- मेघालय युग जो की होलोसीन युग का एक उप-विभाजन है, इस युग का आरंभ 4200 वर्ष पूर्व हुआ था।
- इस युग को अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन **इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ जियोलॉजिकल साइंसेज (IUGS)** द्वारा भूवैज्ञानिक समय-मान की नवीनतम इकाई के रूप में आधिकारिक रूप से अनुमोदित किया गया है।
- भूवैज्ञानिक समय-मान के मानकीकरण हेतु उत्तरदायी **इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटीग्राफी**, ने इस घटना के समय के आधार पर भूवैज्ञानिक समय-मान की सबसे छोटी इकाई के आरंभ संबंधी परिभाषा को स्वीकृति प्रदान की है।
- आयोग ने इन प्रस्तावों पर विचार करने एवं अनुमोदन के लिए इन्हे अपने मूल निकाय, IUGS को अग्रेषित किया है।
- होलोसीन युग के अन्य दो उप-वर्गों- प्रारंभिक होलोसीन ग्रीनलैंडियन (11,700 वर्ष पूर्व), मध्य होलोसीन नॉर्थग्रिपियन (8300 वर्ष पूर्व) को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- मेघालय युग को **मावम्लुह गुफाओं (Mawmluh Cave)** (ये चेरापूंजी, मेघालय में स्थित भारत की सबसे लंबी एवं गहरी गुफाएँ हैं) के स्टैलेगेमाइट में एक विशिष्ट स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - इस युग के आरंभ को 200 वर्ष के गंभीर सूखे के साथ चिह्नित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मिस्र, यूनान, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और यांग्त्ज़ी नदी घाटी जैसी प्रमुख सभ्यताओं और यहाँ होने वाले मानव प्रवास का पतन हुआ।
- ग्रीनलैंडियन तथा नॉर्थग्रिपपियन चरणों की निचली सीमा को ग्रीनलैंड आइस कोर के विशिष्ट स्तरों पर परिभाषित किया गया है।
- आइस कोर और स्टैलेगेमाइट दोनों को वर्तमान में "अंतर्राष्ट्रीय भू-मानक (इंटरनेशनल जिओ स्टैंडर्ड)" के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- पृथ्वी के इतिहास के समयक्रम को दर्शाने वाले प्रसिद्ध डायग्राम **इंटरनेशनल क्रोनोस्ट्रेटिग्राफिक चार्ट** को भी अपडेट किया जाएगा।

5.8. सभी जीवों को विधिक इकाई का दर्जा

(Legal Entity Status for All Animals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने "पक्षियों एवं जलीय जीवों सहित संपूर्ण जीव जगत" को विधिक इकाई का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- न्यायालय ने वर्ष 2014 में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए अपना निर्णय दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने भारत एवं नेपाल के मध्य उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा से घोडा बघी या तांगों के आवागमन को प्रतिबंधित करने की मांग की थी।
- हालांकि, उच्च न्यायालय ने जीवों के संरक्षण एवं कल्याण को बढ़ावा देने हेतु व्यापक जन हित में याचिका के दायरे में वृद्धि की थी।
- इस निर्णय में राज्य में जीवों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। उदाहरणार्थ, इसने राज्य को निर्दिष्ट किया कि "जीवों को क्षति, सूजन, घर्षण या गंभीर पीड़ा से बचाने के लिए" सम्पूर्ण राज्य में किसी भी प्रकार के "तेज धार वाले उपकरण" का उपयोग प्रतिबंधित होगा तथा भारत तथा नेपाल के मध्य घोड़ों सहित अत्यधिक भार ढोने वाले किसी भी पशु का आवागमन नहीं होगा इत्यादि।

VISION

संबंधित जानकारी

- सामान्य विधि न्यायशास्त्र दो प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख करता हैं - **प्राकृतिक व्यक्ति** या मनुष्य; और **कृत्रिम व्यक्ति**, ये न्यायिक व्यक्ति, न्यायिक इकाई अथवा विधिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं तथा ये प्राकृतिक व्यक्ति के अतिरिक्त पाई जाने वाली इकाई है।
- **विधिक अथवा न्यायिक व्यक्ति**, कानून द्वारा घोषित किए जाते है तथा इन्हे विधिक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की जाती हैं और इसके कर्त्तव्यों और अधिकारों के अतिरिक्त इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान, विधिक व्यक्तित्व होता है। इसमें निजी व्यापारिक फर्म या इकाई, गैर-सरकारी अथवा सरकारी संगठन, ट्रस्ट एवं समाज तथा अन्य सम्मिलित हो सकते हैं।

5.9. वन्यजीव प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम

(Recovery Programme for Wildlife Species)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife: NBWL) ने चार प्रजातियों- **द नॉर्दन रिवर टेरापिन, क्लाउडेड लेपर्ड, अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल एवं रेड पांडा** को क्रिटिकली एनडेंजर्ड प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम में सम्मिलित किया है।

रिकवरी कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी

- यह केंद्र प्रायोजित योजना समन्वित वन्यजीव पर्यावास विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats: IDWH) के विभिन्न घटकों में से एक है- जो वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से संबंधित गतिविधियों के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है।
- इसके अन्य दो प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
  - संरक्षित क्षेत्रों (**बाघ रिज़र्व को छोड़कर** राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षित रिज़र्व तथा सामुदायिक रिज़र्व) को समर्थन।
  - संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण करना।
- IDWH अन्य गतिविधियों को भी कवर करता है, जिसमें सम्मिलित हैं:
  - प्रबंधन नियोजन एवं क्षमता निर्माण
  - एंटी-पोचिंग और अवसंरचनात्मक विकास
  - पर्यावासों का पुनःस्थापन
  - इको-डेवलपमेंट एवं सामुदायिक उन्मुख गतिविधियाँ
- हाल ही में, रिकवरी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 17 प्रजातियों के अतिरिक्त चार अन्य प्रजातियों को शामिल किया गया है, पूर्व में रिकवरी कार्यक्रम में शामिल 17 प्रजातियां- हिम तेंदुआ, बस्टर्ड (फ्लोरिकांस समेत), डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरि ताहर, समुद्री कछुआ, डुगोंग, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, एशियाई जंगली भैंस , निकोबार मेगापोड, मणिपुरी ब्रो-एंटलर्ड डीयर, गिद्ध, मालाबार सिवेट, इंडियन राइनोसेरोस, एशियाटिक शेर, स्वाम्प डीयर और जॉर्डन कर्सर।
  - **कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:** अंतिम चरण में प्रजातियों की निम्न रिकवरी की संभावना होती है क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया 2-3 वर्षों की योजना के पश्चात आरंभ होती है, साथ ही संरक्षण प्रयासों को निष्प्रभावी करने हेतु विनाशकारी मानवजनित गतिविधियां, पर्यावरणीय रूप से अकुशल सरकारी नीतियां (जैसे तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना) इत्यादि।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife: NBWL) के बारे में

- यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है।
- इसकी **अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं**, जबकि इसके उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं।
- इसका गठन नीति निर्माण करने, वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने और वन्यजीवों के शिकार एवं अवैध व्यापार को नियंत्रित करने हेतु किया गया है।
- यह राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना एवं प्रबंधन तथा इन क्षेत्रों में गतिविधियों को प्रतिबंध करने संबंधी अनुशंसाएँ देता है।
- पर्यटक लॉज के निर्माण, संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन, बाघ रिज़र्वों की अधिसूचना इत्यादि के लिए इसकी सहमति की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

- यह एक स्थायी समिति की नियुक्ति कर सकता है जो संरक्षित क्षेत्रों के निकट या गुजरने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती है।

प्रजातियों के बारे में (About the Species)

- **नॉर्दन रिवर टेरापिन (Northern River Terrapin),** यह पूर्वी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में पाए जाने वाले नदी कछुए की एक प्रजाति है, मांस एवं कवच के लिए इनका शिकार किया जाता है। यह बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया की एक स्थानिक प्रजाति है। **(IUCN- क्रिटिकली एनडेंजर्ड)**
- **क्लाउडेड लेपर्ड (Clouded Leopard)**, यह हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पाया जाता है, यह प्रजाति पर्यावास की क्षति, चर्म के लिए शिकार तथा जीवित पालतू व्यापार(लाइव पैट ट्रेड) के कारण भी खतरे की स्थिति में है। **(IUCN-वल्नरेबल)**
- **अरेबियन सी हंपबैक व्हेल (Arabian Sea Humpback Whale),** सभी प्रमुख महासागरों में पाई जाने वाली व्हेल की एक प्रजाति है, परंतु समुद्री जहाजों से टकराने, फिशिंग गियर तथा भूकंपीय अन्वेषणों के कारण इनकी स्थिति पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। **(IUCN-एनडेंजर्ड)**
- **रेड पांडा (Red Panda)**, यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय वनों के सघन बाँस-झुंडों में पाए जाते हैं। मांस, दवाइयों के लिए इनका शिकार और पालतू पशु के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। **(IUCN-एनडेंजर्ड)**

5.10. गांगेय डॉल्फिन (Gangetic Dolphin)

सुर्खियों में क्यों?

विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य में गांगेय डॉल्फिन की आबादी 2015 में 207 से कम होकर 154 हो गई है।

गंगा नदी डॉल्फिन

- गंगा नदी डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश के गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफूली-सांगु नदी तंत्र में पायी जाती है।
- गांगेय डॉल्फिन विश्व में स्वच्छ जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन की चार प्रजातियों में से एक है - अन्य तीन यांग्त्ज़ी नदी डॉल्फिन (चीन), सिंधु (पाकिस्तान) की 'भुलन' और अमेजन नदी की 'बोटो' (लैटिन अमेरिका) डॉल्फिन हैं।
- यह **भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है**।
- इसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में **इंडेंजर्ड** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसे **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972)** की अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षण प्रदान किया गया है।
- एक लम्बी पतली थूथन (स्नाउट), गोलाकार पेट और बड़ा पंख (मीन-पक्ष) गंगा नदी डॉल्फ़िन की विशेषताएं हैं।
- यह एक स्तनधारी जीव है और जल में श्वांस नहीं ले सकती है, इस कारण यह प्रत्येक 30-120 सेकंड में सतह पर आती है। श्वांस लेते समय यह ध्वनि उत्पन्न करती है जिस कारण इस जीव को 'सुसु' के रूप में जाना जाता है।
- डॉल्फिन की उपस्थिति नदी तंत्र के अच्छे स्वास्थ्य और जैव विविधता की ओर संकेत करती है।
- बिहार में **विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य (VGDS)** गांगेय डॉल्फिन के लिए भारत का एकमात्र अभयारण्य है।

संख्या में कमी के कारण

- **आवास की क्षति एवं निम्नीकरण:** मानव हस्तक्षेप में वृद्धि के कारण। बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से नदी में अवसाद के जमाव और जल स्तर में कमी के कारण इनके आवास पर प्रभाव पड़ा है।
- **प्रदूषण:** औद्योगिक अपशिष्ट और कीटनाशकों से; नगरपालिका सीवेज डिस्चार्ज और पोत यातायात से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण ने गांगेय डॉल्फिन की आबादी के समक्ष संकट उत्पन्न किया है। डॉल्फ़िन की **प्रभावी अंधापन और इकोलोकेशन पर निर्भरता** के कारण, गांगेय डॉल्फ़िन बड़े जहाज प्रणोदकों और ड्रेजिंग द्वारा द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की समस्या से पीड़ित होती हैं।
- **निर्देशित उत्पादन (directed harvest)**: डॉल्फ़िन तेल (जिसे मछली को आकर्षित करने और औषधीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है) के लिए इनका अवैध रूप से शिकार करना।
- गिलनेट्स और लाइन हुक में फंसकर मुख्य रूप से गैर-चयनित मत्स्यन हेतु उपकरणों का व्यापक उपयोग भी इस उप-प्रजाति की मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है।

उठाए गए कदम

- **गंगेटिक डॉल्फिन कन्जर्वेशन एक्शन प्लान, 2010-2020** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। इसकी अनुसंशाएँ निम्नलिखित हैं:
  - गंगा नदी तंत्र में **गहन डॉल्फ़िन संरक्षण के लिए संभावित स्थलों** का निर्धारण किया जाना चाहिए।
  - गांगेय डॉल्फिन आबादी वाले प्रत्येक राज्य में उत्तरदायी नोडल एजेंसी के संचालन के साथ एक **क्षेत्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र होना** चाहिए।
  - डॉल्फिन की आबादी वाली नदियों के जल स्तर में कमी होने पर इनमें **नायलॉन मोनोफिलमेंट मत्स्यन गिलनेट्स** का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए।
  - **डॉल्फिन अनुसंधान कार्यक्रम विकसित करने** हेतु विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - गांगेय डॉल्फिन के लिए सीमा-पार संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना हेतु भारत, नेपाल और बांग्लादेश के मध्य भी विचार किया जा सकता है।
  - नदी घाटी में प्रस्तावित गहन विकास परियोजनाएं जिनका डॉल्फिन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा तथा इस कारण उनके पर्यावासों की पहचान किए जाने आवश्यकता है। ऐसी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impacts Assessments: EIA) का डॉल्फिन पर प्रस्तावित गतिविधियों के संभावित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने और इंगित करने की आवश्यकता है।
  - सभी नदी डॉल्फिन पर्यावासों **के लिए महत्वपूर्ण जल प्रवाह और न्यूनतम गहराई** निर्धारित की जानी चाहिए और इस तरह के प्रवाह और गहराई को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन कार्यों को स्थापित किया जाना चाहिए।
- गंगा नदी बेसिन में जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों में **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga: NMCG)** गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना पर कार्य कर रहा है और विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय करने के लिए कदम उठाए गए हैं:
  - गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण और प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण;
  - मत्स्यन इंटरफेस और गंगा नदी डॉल्फिन के आकस्मिक रूप से पकड़े जाने को कम करना;
  - विकास परियोजनाओं के प्रभाव की समाप्ति अथवा कम करके नदी डॉल्फिन पर्यावास को पुनर्बहाल करना;
  - गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण में सतत प्रयासों के लिए समुदायों और हितधारकों को सम्मिलित करना ;
  - शिक्षित करने और जागरूकता उत्पन्न करने के साथ लक्षित अनुसंधान की शुरुआत करना।

5.11. नीलगिरि तहर (Nilgiri Tahr)

सुर्खियों में क्यों?

इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 2030 के दशक तक नीलगिरि तहर के पर्यावास का लगभग 60% हिस्सा नष्ट हो सकता है।

नीलगिरि तहर के बारे में

- नीलगिरी तहर दक्षिण पश्चिमी घाटों के 1200 से 2600 मीटर (सामान्यत: 2000 मीटर से ऊपर) की ऊंचाई पर खुले मोंटेना घास के मैदानों में निवास करता है।
- इनका पर्यावास स्थल उत्तर से दक्षिण तक 400 किमी से अधिक क्षेत्र में विस्तारित है और इनकी सर्वाधिक आबादी एराविकुलम नेशनल पार्क में निवास करती है।
- यह वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 और **IUCN** रेड लिस्ट में **इंडेंजर्ड** के रूप में सूचीबद्ध है।
- वयस्क नर तहर के पीठ पर हल्के भूरे रंग का हिस्सा या "सैडल" होता है और इसलिए उन्हें "**सैडलबैक**" कहा जाता है।

अन्य संबंधित जानकारी

- वैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के बावजूद केरल में चिन्नार, एराविकुलम और परांबिकुलम जैसे क्षेत्र अभी भी तहर के लिए स्थायी पर्यावास स्थल हैं।
- तमिलनाडु के कलक्कड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व के कुछ भागों और पेपारा, नेय्यार, शिंदुरुनी और श्रीविल्लिपुथुर के वन्यजीव अभ्यारण्य सहित अन्य क्षेत्रों में भविष्य में गंभीर आवास क्षति का अनुभव किया जा सकता है।

संरक्षण के मुद्दे

- अत्यधिक आवास विखंडन और अवैध शिकार के कारण नीलगिरि तहर केवल सीमित रूप में पृथक आबादी में विद्यमान है। परिणामस्वरूप, ये स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने के लिए सुभेद्य हैं।
- विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण, इमारती लकड़ी वाले वृक्षों की कटाई और यूकेलिप्टस और वाटल जैसे वृक्षों हेतु मोनोकल्चर प्लांटेशन के कारण नीलगिरी तहर की प्रजातियां सदैव गंभीर रूप से तनावग्रस्त रही हैं।
- ये समस्त विकास गतिविधियां, विशेष रूप से प्लांटेशन गतिविधियां तहर के आवास (शोला-घास भूमि) को प्रभावित करती हैं।

5.12. हैरियर पक्षी (Harrier Birds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हैरियर पक्षी एक प्रवासी रैप्टर प्रजाति है। इस पक्षी की भारतीय उपमहाद्वीप में कम होती संख्या पर चिंता व्यक्त की गई है।

हैरियर पक्षी के बारे में

- हैरियर पक्षी एकमात्र दिनचर 'रैप्टर समूह या शिकारी पक्षी' है, जो घोंसला बनाने के साथ-साथ जमीन पर भी बसेरा बनाता है।
- ये पक्षी मध्य एशिया की अत्यधिक ठंड से बचने के लिए शीतकाल के दौरान नियमित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल घास के मैदानों की यात्रा करते हैं।
- विश्व में पायी जाने वाली 16 हैरियर प्रजातियों में से छह प्रतिवर्ष भारत में प्रवास करती हैं, ये (i) यूरेशियन मार्श हैरियर (ii) पूर्वी मार्श हैरियर (iii) हेन हैरियर (iv) पैलीड हैरियर (v) पाइड हैरियर (vi) मोंटगुए के हैरियर हैं।
- मोंटगुए, मार्श और पैलीड हैरियर भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं जबकि पाइड और पूर्वी मार्श हैरियर भारत के पूर्वी भागों तक ही सीमित हैं। वही हेन हैरियर सामान्यत: उत्तरी भारत में और पूर्वी भारत में असम के ऊपरी भागों तक देखे जा सकते हैं।

पारिस्थितिकीय भूमिका

- **शिकारी पक्षी के रूप में:** शीर्ष स्तर के शिकारी होने के कारण, ये पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण संकेतक हैं, विशेष रूप से घास के मैदान और आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र में।
- **प्राकृतिक नियंत्रण एजेंट:** कृंतक, टिड्डी और पक्षी जो उनके प्रमुख खाद्य आधार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनकी संख्या में कमी से कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है।

संख्या में कमी के कारण

- **आवास विखंडन:** तीव्र नगरीकरण, बड़े पैमाने पर मोनोकल्चर (एकल फसल या एकल पशुपालन), आर्द्रभूमि का व्यापक परिवर्तन एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण घास के मैदानों का विनाश हो रहा है, जिससे भारत के कई भागों में उनके लिए उपयुक्त चारागाह और आवासों की कमी होती जा रही है ।
- **कीटनाशकों का व्यापक उपयोग:** खेतों एवं आवास स्थलों के निकट, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों के जैव संचयन (bioaccumulation) से पक्षियों की मृत्यु में वृद्धि हो रही है।

5.13. रेड सैंडर्स इंडेंजर्ड श्रेणी से बाहर

(Red Sanders Not Endangered Anymore)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ने रेड सैंडर्स (टेरोकार्पस सेंटेलिनस) को इंडेंजर्ड श्रेणी से हटाकर नियर थ्रीटेनेड (near threatened) श्रेणी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है।

रेड सैंडर्स (लाल चंदन)

- यह **दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एक स्थानिक वृक्ष है।**
- **आंध्र प्रदेश** के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रृंखला के **उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों** के साथ-साथ ही इनका विस्तार **तमिलनाडु और कर्नाटक** में भी पाया जाता है।
- ये 88-105 सेमी वर्षा के साथ **उष्ण और शुष्क जलवायु** वाले स्थानों में पाए जाते हैं।
- इनके लिए लेटेराइट और बजरी युक्त मृदा उपयुक्त है तथा ये बिलकुल भी जल जमाव सहन नहीं कर सकते हैं।
- इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि **प्रतिरक्षक चिकित्सा, फर्नीचर, विकिरण अवशोषक, संगीत वाद्ययंत्र**, खाद्य रंजकों एवं मसालों, आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सा, सजावटी वस्तुओं एवं आभूषणों आदि के लिए किया जाता है।

- यह एक दुर्लभ प्रकार का चंदन है, इसकी लाल रंग की लकड़ी के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक मांग है। इस लकड़ी के प्रमुख बाजार - चीन, जापान, मध्य-पूर्व, श्रीलंका, भूटान और नेपाल हैं।
- **CITES (Convention on International Trade in Endangered Species: CITES)** और **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के अनुसार भारत में इसका निर्यात प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने **रेड सैंडर्स एंटी-स्मगलिंग टास्क फोर्स (Red Sanders Anti–Smuggling Task Force: RSASTF)** नामक संयुक्त कार्य बल का गठन किया। हालांकि, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में इसकी व्यापक स्तर पर तस्करी होती है।

5.14 कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व

(Khangchendzonga Biosphere Reserve)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम (Man and Biosphere: MNB) के तहत यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (World Network of Biosphere Reserve: WNBR) में शामिल किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में 23 अन्य नई साइटों को जोड़े जाने की भी घोषणा की।
- वर्तमान में MNB कार्यक्रम के तहत, बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या बढ़कर 686 तक पहुंच गई है।

कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में

- यह विश्व के सर्वाधिक **ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों** में से एक है जो पूर्व में भारत (सिक्किम), पश्चिम में नेपाल सीमा और उत्तर-पश्चिम में तिब्बत (चीन) के एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है।
- यह विश्व के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल में से एक है।
- कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (Khangchendzonga National Park: KNP) (जिसमें KBR का मुख्य क्षेत्र भी शामिल है) को 2016 में भारत की पहली **'मिश्रित विश्व धरोहर स्थल'** के रूप में चिन्हित किया गया था।
- उत्तरी सिक्किम में जोंगू घाटी में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले औषधीय पौधों की 118 से अधिक प्रजातियों की चिकित्सकीय उपयोगिता है।
- **जीव-जंतु:** रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर और शाकाहारी मस्क डियर, ग्रेट तिब्बतियन शीप, ब्लू शीप, बोरिअल और बार्किंग डियर।
    - मोनाल फिजेंट्स, ट्रैगोपान फिजेंट्स और ब्लड फिजेंट्स (स्टेट बर्ड) सहित 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और उप-प्रजातियां; भी इस रिजर्व में पाई जाती हैं।

संबंधित जानकारी

UNESCO: MAB कार्यक्रम

- MAB 1971 में आरंभ किया गया, एक **अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम** है, जिसका उद्देश्य लोगों और पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करने हेतु एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।
- यह मानव आजीविका और **लाभों के न्यायसंगत साझाकरण** के साथ **प्राकृतिक और प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्र** की रक्षा के लिए प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं शिक्षा को समेकित करता है।

वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (WNBR) और भारत

इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रत्येक को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, जो लोगों और प्रकृति के मध्य संबंध में संतुलन स्थापित करता है।

- भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 11 को WNBR में शामिल किया गया है।
- **नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व**, देश का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व था, जिसे WNBR में शामिल किया गया।

भारत में अन्य MAB-WNBR साइट

- मन्नार की खाड़ी - तमिलनाडु
- सुंदरबन - पश्चिम बंगाल
- नंदा देवी -उत्तराखंड
- नोकरेक - मेघालय
- पंचमढ़ी -मध्य प्रदेश

VISION IAS

- सिमलीपाल -उड़ीसा
- अचानकमार-अमरकंटक - मध्य प्रदेश
- ग्रेट-निकोबार- अंडमान और निकोबार द्वीप
- अगस्त्यमाला - (पश्चिमी घाट) केरल और तमिलनाडु

5.15. गंगा वृक्षारोपण अभियान

(Ganga Vriksharopan Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga: NMCG) के तहत गंगा नदी बेसिन वाले पांच प्रमुख राज्यों - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में "गंगा वृक्षारोपण अभियान" का शुभारंभ किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **यह अभियान नमामि गंगे कार्यक्रम** के घटक, **गंगा किनारे वनरोपण (वानिकी हस्तक्षेप)** के एक भाग के रूप में आरंभ किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के कायाकल्प के लिए वनीकरण के महत्व के संबंध में **लोगों एवं अन्य हितधारकों के मध्य जागरूकता को बढ़ाना** है।
- अभियान को जन आंदोलन का रूप प्रदान करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विभागों से 'एक पौधे को गोद लें (Adopt a Plant) का अनुरोध किया गया है।
- संबंधित राज्यों के **राज्य वन विभागों** को अभियान के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **नोडल एजेंसी** बनाया गया है।
- अभियान के संचालन के लिए जिला स्तर पर मंडलीय वन अधिकारियों (Divisional Forest Officers: DFOs) को तथा राज्य स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों (Chief Conservator of Forest: CCF) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
- उत्तर प्रदेश में, इसे गंगा हरीतिमा अभियान के साथ संबद्ध किया गया है।

गंगा बेसिन में वनीकरण का महत्व-

- वनों के कारण उच्च वर्षा होती है जिससे नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है।
- नदियों के किनारे स्थित सघन वन नदियों को स्वत: स्वच्छ होने की क्षमता प्रदान करते हैं।
- बड़ी मात्रा में वृक्षों से गिरने वाली पत्तियां और छाल वर्षा जल को तीव्र गति से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जिससे वह धीरे-धीरे भूमि के अंदर रिसता जाता है, जिससे जल-चक्र की प्रक्रिया सुगमता पूर्वक संचालित होती रहती है।

नमामि गंगे कार्यक्रम:

- यह एक एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण के प्रभावी न्यूनीकरण, संरक्षण तथा कायाकल्प के दोहरे उद्देश्य को पूरा किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं:
  - रिवर फ्रंट का विकास
  - जलीय जीवन (Aquatic life) एवं जैव विविधता का संरक्षण
  - गंगा नदी के तट पर स्थित बस्तियों में सीवरेज संबंधी अवसंरचना के कवरेज क्षेत्र में सुधार
  - घाटों एवं नदी सतह पर प्रवाहित ठोस अपशिष्टों का संग्रह तथा नदी के ऊपरी सतह की सफाई।
  - वनीकरण
  - औद्योगिक प्रवाह की निगरानी (Industrial Effluent Monitoring)।
  - गंगा ग्रामों का विकास।
  - जन जागरूकता सृजन करना।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के तत्वावधान में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (State Programme Management Groups: SPMGs), राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (ULB) एवं पंचायती राज्य संस्थाएं (PRI) इस परियोजना में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):

- NMCG का उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (National Ganga River Basin Authority: NGRBA) के अधिदेश को पूरा करना है:
  - व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने हेतु नदी बेसिन दृष्टिकोण को अपनाकर गंगा नदी प्रदूषण के प्रभावी न्यूनीकरण और कायाकल्प को सुनिश्चित करना और

VISION IAS

- जल की गुणवत्ता एवं पर्यावरणीय रूप से संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखना है।

- उदेश्यों की प्राप्ति के लिए NMCG निम्नलिखित प्रमुख कार्यों को पूर्ण करेगा अर्थात्:
  - राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (NGRBA) के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना
  - विश्व बैंक द्वारा समर्थित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को कार्यान्वित करना।
  - NGRBA के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को समन्वित करना और उनका पर्यवेक्षण करना।
  - गंगा नदी के संरक्षण क्षेत्र में MoWR, RD & GR द्वारा आवंटित किए जा सकने वाले किसी भी अतिरिक्त कार्यों का दायित्व लेना।

5.16. सागर निधि (Sagar Nidhi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

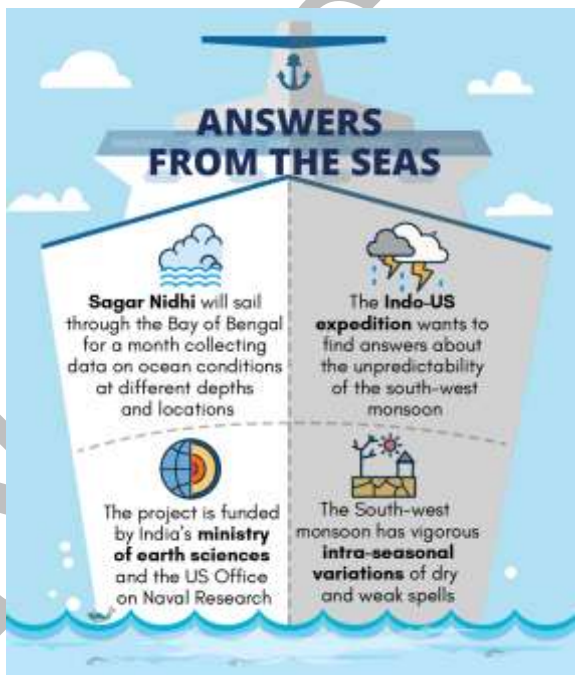

हाल ही में, इंडियन ओशन रिसर्च व्हीकल (Indian Ocean Research Vehicle: IORV) सागर निधि को इंडिया-US एक्सपीडिशन के एक भाग के रूप में बंगाल की खाड़ी की अनियमितताओं के कारणों का पता लगाने एवं दक्षिण-पश्चिम मानसून की परिवर्तनशीलता को समझने के लिए हिंद महासागर में स्थापित किया गया।

इंडिया- US मिशन के बारे में

- सागर निधि विभिन्न गहराई एवं स्थानों पर महासागरीय स्थितियों पर डेटा एकत्रित करने तथा वायुमंडलीय और महासागरीय संपर्क सतह के मध्य अंत:क्रिया में अंतर्निहित सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए बंगाल की खाड़ी की जलयात्रा (sail) करेगा। इसके द्वारा मौसम विज्ञान संबंधी डेटा एकत्रित करने के लिए रेडियोसोंड (ध्वनि तरंगों) का भी प्रयोग किया जाएगा।

महत्व

- **मानसून के लिए बेहतर तैयारी में सहायता:** भारत में मानसून की अंतर-मौसमी परिवर्तनशीलता एक प्रमुख समस्या है, जहाँ लंबी शुष्क अवधि सूखे से संबंधित है, जबकि लंबी आर्द्र अवधि बाढ़ से संबंधित है जिससे भूस्खलन, जीवन एवं संपत्ति की क्षति होती है। इन विभिन्न पैटर्न का कुशल पूर्वानुमान अधिकारियों को वार्षिक मॉनसून के लिए बेहतर तैयारी में सहायता प्रदान कर सकता है।
- **वर्तमान मॉडलों की त्रुटियों को कम किया जाना:** वर्तमान में, महासागरों सहित उच्च मेघों एवं वायुमंडलीय अंत:क्रिया के मॉडल, कंप्यूटर मॉडलों में बेहतर तरीके से सूचना को प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस प्रकार ये पूर्वानुमान क्षमताओं को सीमित करते हैं।
- **नीति निर्माताओं एवं किसानों के लिए महत्वपूर्ण:** भारत बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न दक्षिण पश्चिम मॉनसून से अपनी वार्षिक वर्षा का 70% भाग प्राप्त करता है, इस प्रकार बेहतर पूर्वानुमान के फलस्वरूप बेहतर योजनाओं तथा नीतियों का निर्माण किया जा सकेगा। 230 मिलियन से अधिक भारतीय किसानों के लिए मानसून पूर्वानुमान आवश्यक है, क्योंकि देश में आधे से अधिक कृषि-कार्य वर्षा जल पर निर्भर हैं।

भारत में मानसून का पूर्वानुमान कठिन क्यों है?

- **मानसून की अत्यधिक परिवर्तनशीलता:** विभिन्न कारक मानसून की अवधि और तीव्रता पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **एल-नीनो दक्षिणी दोलन (El Nino Southern Oscillation: ENSO):** यह पूर्वी प्रशांत महासागर के तापन से संबंधित एक जलवायु-संबंधी परिघटना है। अन्य कारक जैसे **इंडियन ओशन डायपोल (Indian Ocean Dipole:** IOD) एल-नीनो के प्रभाव की तीव्रता और तापमान में वृद्धि करते हैं। IOD अरब सागर के निकटवर्ती पश्चिमी हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती पूर्वी भाग के मध्य महासागरीय सतह के तापमान की भिन्नता से संबंधित परिघटना है। एक गर्म पश्चिमी ध्रुव (warmer western pole) सकारात्मक IOD को दर्शाता है जो एल-नीनो के लिए एक तटस्थकारी कारक के रूप में कार्य करता है, परिणामस्वरूप सामान्य वर्षा होती है। अन्य कारकों में निम्न शामिल हैं - इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन (Equatorial Indian Ocean Oscillation: EQUINOO), मैडेन जूलियन ऑसिलेशन इत्यादि। इसके अतिरिक्त, ये जटिल रूप से अंतर्संबंधित होते हैं और इस तरह से ये परिदृश्य को और अधिक जटिल बनाते हैं।

VISION

- **मानवजनित उत्सर्जन का वर्षा के प्रतिरूप पर प्रभाव**: गर्म वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से मानसून की अधिक परिवर्तनशीलता से संबंधित होता है।
- **वायु प्रदूषण:** सूर्य के प्रकाश से अंतः क्रिया करने वाले ब्लैक कार्बन जैसे एयरोसोल, वर्षा की परिवर्तनशीलता को जटिल बनाते हैं जिसके परिणामस्वरूप सूर्य के प्रकाश का या तो प्रकीर्णन होता है अथवा अवशोषण होता है। प्रकीर्णन पृथ्वी की सतह को गर्म होने से रोकता है, जबकि ये अवशोषित कणों के चारों ओर की वायु के तापन का कारक बनते हैं, जिसके कारण वायुमंडल का तापन प्रतिरूप परिवर्तित हो जाता है तथा यह महासागरों की तुलना में भूमि का अधिक तापन करते हैं।
- **वन आवरण:** पूर्वी भारत के वृहद बेसिन में वर्षा की एक-चौथाई मात्रा अगस्त एवं सितंबर में प्रमुख रूप से वनों में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से भूमि पर प्राप्त होती है। संपूर्ण विश्व में बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन भारतीय मॉनसून में 18% की गिरावट का कारण हो सकता है।
- **अन्य कारक:** उदाहरण के लिए उत्तरी अफ्रीका तथा अरब प्रायद्वीप के ऊपर धूल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, जिससे वायु गर्म हो जाती है और पूर्व की ओर प्रवाहित आर्द्र वायु को सशक्त बनाती है। यह भारत में अत्यधिक वर्षा का कारण बनता है। इस प्रकार यह जलवायु परिवर्तन की घटना को और अधिक जटिल बनाता है।

- **मानसून अवदाब:** ये अवदाब बंगाल की खाड़ी में निर्मित होते हैं तथा इनके कारण मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है। हाल के वर्षों में, समुद्र की सतह के तापमान में तीव्र वृद्धि के कारण पश्चिमी हिन्द महासागर पर अनियमित आर्द्रता के अभिसरण के कारण इसमें कमी आ रही है।
- **भारतीय मानसून में जेट स्ट्रीम की भूमिका को बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है:** मानसून के दौरान, भूमि की सतह से 1.5 किमी की ऊंचाई पर भारत के दक्षिणी भाग के निकट **लो लेवल मानसून जेट स्ट्रीम** नामक तीव्र पवनें प्रवाहित होती है। इसी प्रकार, लगभग 14 किमी ऊंचाई (समताप मंडल के निकट) पर एक और जेट स्ट्रीम पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है। इन दोनों जेट स्ट्रीम का उत्तरी एवं दक्षिण संचलन, भारतीय क्षेत्र में वर्षा के वितरण को नियंत्रित करती है।

संबंधित जानकारी:

CUSAT स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर-205 रडार:

- कोचीन में स्थित, यह पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित रडार है। यह हिंद महासागर पर वायु एवं मानसूनी पवनों के संचलन का पता लगाने के लिए समताप मंडल का अवलोकन करता है।
- मौसमी रडार पवनों के विचलन एवं वायुमंडल के जल की मात्रा का पता लगाता है। CUSAT-ST रडार वायुमंडल का त्रि-आयामी चित्र बनाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करके अंतरिक्ष का अवलोकन करता है। यह अवलोकन वायु की सघनता का एक स्पेक्ट्रम बनाता है, जिससे वास्तविक पवनों की गणना करना संभव हो जाता है। ST रडार से अवलोकनों की परिशुद्धता 99% से भी अधिक हो सकती है, जो मौसम, विशेष रूप से मानसून अवलोकन की परिशुद्धता को बढ़ाएगा।

5.17. डीप ओशन मिशन

(Deep Ocean Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र द्वारा पांच वर्षों के लिए आरंभ डीप ओशन मिशन (DOM) का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। यह इसरो के सैटेलाइट डिजाइन एवं प्रक्षेपण की तर्ज़ पर समुद्र के गहरे संसाधनों का अन्वेषण करने की योजना है। इसकी लागत 8000 करोड़ है।

DOM ब्लूप्रिंट के बारे में :

DOM का लक्ष्य गहरे महासागरों में गहरे समुद्री खनन संबंधी संभावनाओं का अन्वेषण करना है। इसका फोकस डीप सी माइनिंग, अंडर वाटर व्हीकल, अंडर वाटर रोबोटिक्स तथा ओसियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज हेतु तकनीकों पर होगा।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख घटक:

- **अपतटीय ज्वारीय ऊर्जा विलवणीकरण संयंत्; यह** ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से कार्य करेगा।
- **एक पनडुब्बी यान को विकसित** किया जाएगा जो 3 लोगों को साथ ले जाने के साथ कम से कम 6000 मीटर की गहराई तक अन्वेषण संबंधी कार्य करेगा।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल अधिकरण :

- ISBA एक अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त प्राधिकरण है,जो किंग्स्टन, जमैका में अवस्थित है।
- यह अंतरराष्ट्रीय महासागरों में समुद्री निर्जीव संसाधनों की खोज तथा उनके दोहन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1994 में

"यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी"(UNCLOS) के तहत स्थापित किया गया था।

पॉली-मेटेलिक नोड्यूल:

- पॉलिमेटेलिक नोड्यूल को मैंगनीज नोड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कोर के चारों ओर लौह और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड केंद्रित परतों का निर्माण चट्टानों के आपस में जुड़ने के कारण होता है।
- एक अनुमान के आधार पर केंद्रीय हिंद महासागर के समुद्री के तलों के अंदर 380 मिलियन मीट्रिक टन PMN प्राप्त हो सकते है। यदि इसका केवल 10% भाग भारत को प्राप्त हो जाए, तो इसकी 100 वर्षों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है।
- भारत विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिसे गहरे समुद्र में खनन अन्वेषण के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रदान किया गया था। वर्ष 1987 में भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन में पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण हेतु अनन्य क्षेत्र प्राप्त हुआ था।

भारत के लिए DOM का महत्व:

- भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 2.2 मिलियन Km2 तक विस्तृत है। EEZ वह विशेष अधिकार है, जो UNCLOS द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत समुद्री संसाधनों के अन्वेषण एवं उनके उपयोग के संदर्भ में राज्य को प्रदान किए जाते हैं।
- पॉलीमेटेलिक नोड्यूल (PMN) के दोहन हेतु *UN इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी* द्वारा मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में भारत को 75,000 Km2 का क्षेत्र आवंटित किया गया है। इसमें से 18,000 Km2 के क्षेत्र के साथ प्रथम पीढ़ी खनन-स्थल (First Generation Mine-site: FGM) को रेखांकित किया गया है। जहां से प्राप्त खनिजों से धातुओं के निष्कर्षण हेतु नवीनतम तकनीकों का विकास किया जाएगा।
- महासागरीय सतह से सम्बंधित शोध एवं अध्ययन से हमें जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सूचित निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी।
- इसके द्वारा अंडर वाटर वेहिकल्स (underwater vehicles) एवं अंडर वाटर रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों से सम्बंधित प्रौद्योगिकियों के नवाचार में सहायता मिलेगी तथा महासागरीय अनुसंधान क्षेत्र में भारत की स्थिति में सुधार होगा।
- इससे महासागर विज्ञान के क्षेत्र में वृहद रोज़गार एवं व्यावसायिक अवसरों का सृजन होगा।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(Science And Technology)

6.1. RBI द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध

(RBI BAN ON CRYPTOCURRENCY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने एक वक्तव्य जारी करते हुए **तीन माह के भीतर** आभासी मुद्राओं (virtual currencies) के लेन-देन में शामिल व्यक्तियों और व्यवसायों के साथ किसी प्रकार के लेन-देन को रोकने के लिए बैंक सहित सभी विनियमित संस्थाओं को निर्देशित किया है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

- क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल मुद्रा का एक प्रकार है जो सुरक्षा उपायों और जालसाजी को रोकने के उपायों के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है।
- यह सामान्यतः किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती है, अतः यह सरकारी हस्तक्षेप अथवा परिचालन से मुक्त होती है।
- प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी पर **ब्लॉकचेन** नामक डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (distributed ledger technology) के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है।
- बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल इत्यादि इसके उदाहरण हैं।

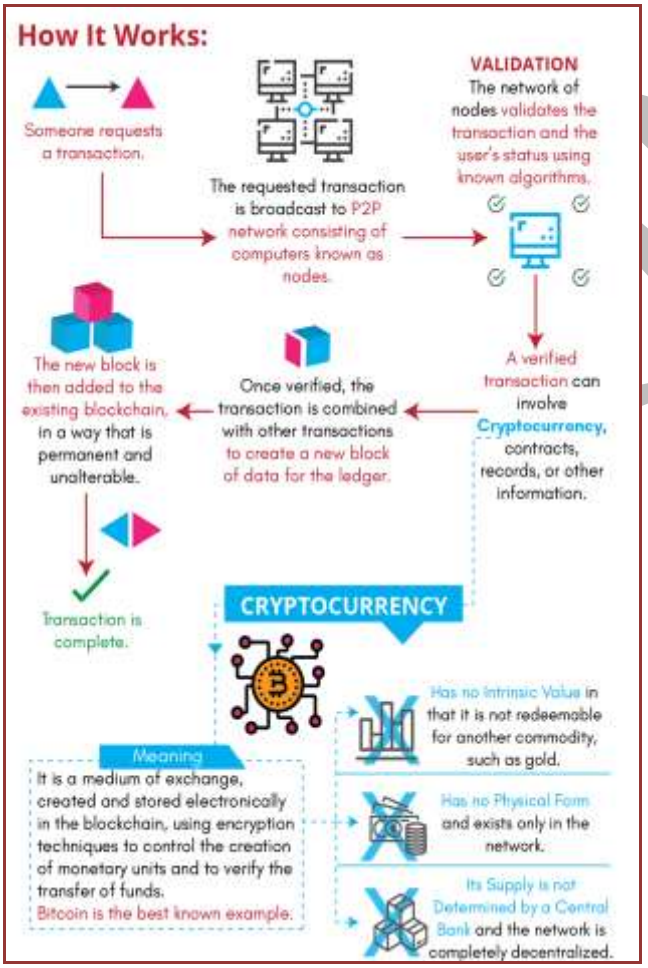

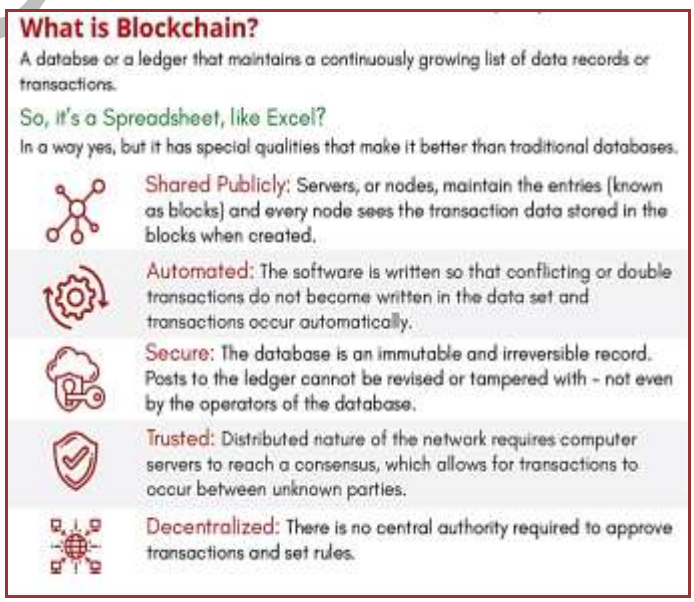

क्रिप्टोकरेंसी के अतिरिक्त ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोग

इसमें वित्तीय प्रक्रियाओं से लेकर कृषि तक, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा तक विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों को परिवर्तित करने की शक्ति है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- **ब्लॉकचेन संचालित स्मार्ट अनुबंध** व्यवसाय करने में सुगमता को प्रोत्साहित करेंगे, अनुबंध की विश्वसनीयता, परिशुद्धता एवं दक्षता में वृद्धि तथा धोखाधड़ी के जोखिम को कम करेंगे। इन अनुबंधों में सूचना का प्रत्येक खंड ट्रेस करने योग्य और अपरिवर्तनीय तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है।
- **संपत्ति सौदे** अभी भी कागजातों पर आधारित हैं, अतः इनके विवाद-ग्रस्त होने की संभावना रहती है। इन सौदों में इस प्रणाली में अंतर्निहित पारदर्शिता, ट्रेस करने की क्षमता और दक्षता के माध्यम से सुधार किया जा सकता है।
- **वित्तीय सेवाएं:** उदाहरण के लिए, यस बैंक ने अपने ग्राहकों में से किसी एक के लिए विक्रेता वित्तीयन को पूरी तरह से डिजिटाइज करने के लिए इस तकनीक को अपनाया है। यह रियल टाइम में लेन-देन की स्थिति को ट्रैक करते हुए भौतिक दस्तावेजों और मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना विक्रेता भुगतान के समयबद्ध परिचालन को सक्षम बनाता है। यहां तक कि NITI आयोग भी जन-धन-योजना, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी का लाभ उठाने के लिए एक साझा, भारत-विशिष्ट ब्लॉकचेन अवसंरचना 'इंडियाचेन' नामक एक मंच का निर्माण कर रहा है।
- **हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स:** इसमें अत्यधिक संवेदनशील क्लिनिकल डेटा शामिल हैं जो एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली की मांग करते हैं।
- **बीमा क्षेत्र:** यह बीमा दावों के मामलों में धोखाधड़ी के जोखिम को कम करके स्वास्थ्य या कृषि बीमा दावों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **शिक्षा क्षेत्र:** सत्यापन को आसान बनाने के लिए छात्रों के पास-आउट और नौकरी के रिकॉर्ड के समय-मुद्रित रिपॉजिटरी को सुनिश्चित करना।

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क

- **वित्तीय स्थिरता**: यदि ये एक क्रांतिक (क्रिटिकल) आकार से अधिक वृद्धि करती हैं, तो वित्तीय स्थिरता के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकती हैं क्योंकि वे उपभोक्ता संरक्षण, बाजार अखंडता और सट्टेबाजी में उनके उपयोग किए जाने से संबंधित समस्याओं में वृद्धि करती हैं।
- **निवेशक सुरक्षा:** चूंकि क्रिप्टोकरेंसी आभासी मुद्रा हैं और इनकी कोई सेंट्रल रिपॉजिटरी नहीं है, अतः क्रिप्टोकरेंसी के स्वामित्व की बैकअप प्रति उपलब्ध नहीं होने पर डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी राशि को कंप्यूटर क्रैश द्वारा नष्ट किया जा सकता है।
- **कीमतों में अस्थिरता:** उदाहरण के लिए: वर्तमान में बिटकॉइन अपनी अधिकतम कीमत $ 19,000 से अधिक की तुलना में $ 7,000 से कम कीमत पर व्यापार कर रहा है, अर्थात् इसके मूल्य में लगभग दो-तिहाई की कमी हुई है।
- हैकिंग, पासवर्ड चोरी होने, मैलवेयर हमलों आदि जैसे **सुरक्षा संबंधी जोखिम**। क्रिप्टोजैकिंग साइबर हमले का एक रूप है जिसमें हैकर अपने स्वामित्व में क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग के लिए एक टारगेट की प्रोसेसिंग पावर को हाइजैक करता है।
  - वर्ष 2017 की तुलना में इस वर्ष की पहली छमाही में एक्सचेंजों से क्रिप्टोकरेंसी की चोरी तीन गुना अधिक हुई।
- **अवैध गतिविधियां**: इसका उपयोग मनी लांडरिंग, टैक्स अपवंचन इत्यादि के लिए किया जा सकता है। वास्तव में, अज्ञात प्रकृति और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में केंद्रीय नियामक के अभाव के कारण विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों जैसे कि पोर्नोग्राफी, ड्रग डीलिंग, गन सप्लाई आदि के लिए फंडिंग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:** चीन और दक्षिण कोरिया आदि जैसे देशों ने भी नियामकीय कड़ी कार्यवाही प्रारंभ की है।

क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिबंध के विरुद्ध तर्क

- **भुगतान उद्योग में तीव्र परिवर्तन के साथ अनुरूपता:** निजी डिजिटल टोकन का प्रचलन और फिएट पेपर / मैटेलिक मनी के प्रबंधन की बढ़ती लागत।
- वित्तीय समावेशन और वित्तीय प्रणाली की दक्षता में वृद्धि के लिए **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी** अथवा डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी **के संभावित लाभों** का उपयोग करना। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, क्रिप्टोकरेंसी का मुख्य आधार है।
- भौतिक मुद्रा की तुलना में क्रिप्टो करेंसी की **जालसाजी करना कठिन** है।
- **लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं:** सामान्यत: क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों हेतु लेनदेन शुल्क नहीं होते हैं क्योंकि माइनर्स को नेटवर्क द्वारा प्रतिफल दे दिया जाता है।
- **व्यापार का भारत के बाहर स्थानांतरित होना:** इन मुद्राओं में व्यापार जारी रखने के लिए लाखों डॉलर देश के बाहर जा सकते हैं।
- **ग्राहकों के लिए लाभ:** क्रिप्टोकरेंसी का प्रचलन, सामान्य लोगों को बाजार में विद्यमान विभिन्न मुद्राओं के मध्य चयन का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। यह लोगों को किसी उद्देश्य के लिए फण्ड एकत्रित करने में भी सहायता कर सकता है।
- **प्रतिबंध समाधान नहीं है:** क्योंकि जो लोग अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर रहे हैं, वे भूमिगत तरीके से व्यापार कर सकते हैं जहां इसे नकदी या अन्य अवांछित वस्तुओं के माध्यम से क्रय किया जाएगा।

VISION IAS

आगे की राह

डिजिटलीकरण के इस युग में, क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करना कठिन है। उदाहरण के लिए, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने मुद्रा-से-मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म (currency-to-currency trading platforms) के माध्यम से प्रतिबंध को अप्रभावी करने का मार्ग तलाश लिया है, जो वास्तव में नियामकों को बाईपास करता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रतिबंध लगाने के बजाए क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करें। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं:

- धोखाधड़ी और डेटा लीक के विरुद्ध सुरक्षित होने के लिए **प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उन्नयन**।
- असामाजिक तत्वों, आतंकवादियों और शत्रु देशों द्वारा इस नई मुद्रा के दुरुपयोग किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा के लिए **वैश्विक निगरानी व्यवस्था** की स्थापना करना।
- भविष्य में इन मुद्राओं के परिचालन को आरंभ करने के लिए **उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना** और कर-अधिकारियों के साथ इंटरफ़ेस को बढ़ाना।
- इस क्षेत्र में **स्थिरता को बढ़ावा देना**, उदाहरण के लिए - IBM, US-आधारित वित्तीय सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में अमेरिकी डॉलर समर्थित एक नई क्रिप्टो करेंसी का समर्थन कर रहा है जो इस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा प्रदान करता है।

6.2. नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार विभाग में उच्चतम निर्णय लेने वाले निकाय, दूरसंचार आयोग ने पिछले वर्ष TRAI द्वारा अनुशंसित नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान की है।

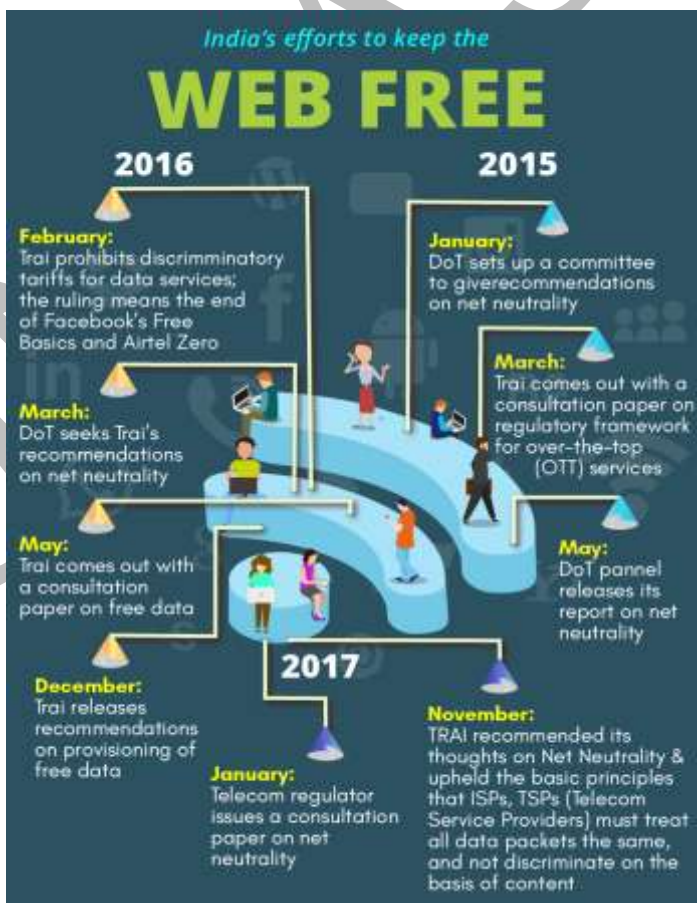

नेट न्यूट्रैलिटी क्या है?

- नेट न्यूट्रैलिटी का मूलभूत सिद्धांत यह है कि इंटरनेट पर किसी का कोई भी स्वामित्व नहीं है और यह सभी के लिए नि:शुल्क और मुक्त है तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को कंटेंट (content) या सामग्री के प्रकार, स्रोत या गंतव्य या इसके संचरण के माध्यम से संबंधित सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ अनिवार्य रूप से समान व्यवहार करना चाहिए।
- TRAI के नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांतों के अनुसार, कंटेंट के साथ व्यवहार में भेदभाव अथवा हस्तक्षेप का कोई भी रूप यथा, गति को अवरुद्ध करने, घटाने, धीमा करने या किसी भी कंटेंट के लिए वरीयता गति या व्यवहार प्रदान करने जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया है।

महत्व

- **इंटरनेट के मुक्त संचलन के लिए बड़ी जीत**: विशेष रूप से ऐसे समय में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में नेट न्यूट्रैलिटी नियमों का निरसन किया है।
- **भारत में इंटरनेट के भविष्य हेतु निहितार्थ:** भारत में 500 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता होने की उम्मीद है; इसलिए नेट न्यूट्रैलिटी नियमों की स्वीकृति भारत में इंटरनेट के भविष्य के लिए अत्यधिक दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करेगी।
- **एक प्रगतिशील कदम:** सरकार का निर्णय प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि मोबाइल ऑपरेटरों, ISPs और सोशल मीडिया कंपनियां कंटेंट के अधिमानी व्यवहार में शामिल नहीं हो सकती हैं, अथवा इसके लिए प्रयास नहीं कर सकती हैं, इस प्रकार यह किसी भी ऑपरेटर अथवा ISP को इंटरनेट पर एकाधिकार बनाने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।
- **नवाचार और व्यापार करने में सुगमता के लिए महत्वपूर्ण:** नवाचार, प्रतिस्पर्धा और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए नेट न्यूट्रैलिटी महत्वपूर्ण है जो कंटेंट प्रदाताओं और स्टार्ट-अप्स को समान अवसर प्रदान करती है।
- **महत्वपूर्ण, नई और उभरती हुई सेवाओं के लिए अपवाद**: जैसे- ऑटोनोमस ड्राइविंग, टेली-मेडिसिन, आपदा प्रबंधन, इत्यादि को प्राथमिकता प्राप्त इंटरनेट लेन और सामान्य गति से अधिक तीव्र गति की आवश्यकता हो सकती है। एक समिति महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए संभावित अपवादों पर विचार करेगी।

- **प्रवर्तन और निगरानी तंत्र प्रदान करता है:** सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी की निगरानी और प्रवर्तन के लिए बहु-हितधारक निकाय बनाने का निर्णय लिया है।

आगे की राह

- किसी भी इकाई द्वारा बाधित हुए बिना इंटरनेट को एक मुक्त मंच के रूप में बना रहना चाहिए ताकि उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों के पास उनकी पसंद की कंटेंट तक पहुंच का विकल्प हो।
- भारत को मुक्त इंटरनेट को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ सम्मिलित होना चाहिए। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत ने नेट न्यूट्रैलिटी को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

6.3. WIPO संधियां

(Wipo Treaties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **WIPO कॉपीराइट संधि** और **WIPO परफॉरमेंस एंड फोनोग्राम्स संधि** में प्रवेश के संबंध में DIPP (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन)

- यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेषीकृत एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है।
- इसका उद्देश्य औद्योगिक संपत्ति (आविष्कार, ट्रेडमार्क, और डिज़ाइन) और कॉपीराइट सामग्री (साहित्यिक, संगीत, फोटोग्राफिक, और अन्य कलात्मक कार्य) दोनों की विश्वव्यापी सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

WIPO कॉपीराइट संधि (WCT) के बारे में

- यह बर्न कन्वेंशन (साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए) के तहत एक विशेष समझौता है जो डिजिटल परिवेश में लेखकों के कार्यों और उनके अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है।
- यह निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:
  - वितरण का अधिकार
  - किराये पर देने का अधिकार
  - लोगों तक संचार का एक व्यापक अधिकार
- किसी भी अनुबंध पक्ष को **साहित्यिक और कलात्मक कार्यों का संरक्षण** के मूल उपबंधों का अनुपालन करना होगा।
- WCT ने कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किये गए दो विषयगत मामलों का उल्लेख किया है: कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा संकलन, जो बौद्धिक सृजन को सम्मिलित करते हैं।
- किसी भी प्रकार के कार्य के लिए सुरक्षा अवधि कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए।

WIPO परफॉरमेंस एंड फोनोग्राम्स संधि के बारे में

- यह विशेषकर डिजिटल परिवेश में दो प्रकार के लाभार्थियों के अधिकारों से संबंधित है:
  - कलाकार (अभिनेता, गायक, संगीतकार आदि); तथा
  - फोनोग्राम्स के निर्माता (व्यक्ति या कानूनी संस्थाएं जो पहल करती हैं तथा साउंड रिकॉर्डिंग की ज़िम्मेदारी लेती हैं)
- यह उन्हें आर्थिक अधिकार प्रदान करता है: पुनरुत्पादन का अधिकार; वितरण का अधिकार; किराये पर देने का अधिकार; और उपलब्ध कराने का अधिकार।
- सुरक्षा की अवधि कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए।

इन दो संधि में प्रवेश के लाभ

- यह इंटरनेट और डिजिटल परिवेश में कॉपीराइट का कवरेज बढ़ाता है तथा यह डिजिटल परिवेश में आत्मविश्वास उत्पन्न करेगा और रचनात्मक कार्यों के वितरण की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति, 2016 में निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।** इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स के व्यावसायिक अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करके व्यावसायीकरण के माध्यम से IPR के लिए मूल्य प्राप्त करना है।
- यह अन्य देशों में समान अवसर प्रदान करके **घरेलू अधिकार धारकों के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण** को सुगम बनाएगा क्योंकि भारत पहले से ही विदेशी कार्यों में सुरक्षा को विस्तृत कर रहा है।
- यह लेखकों, कलाकारों और फोनोग्राम्स के निर्माताओं को कानूनी उपचार के लिए सहायता प्रदान करके **ऑनलाइन पायरेसी के खतरे का सामना करने** की सुविधा प्रदान करेगा।

VISION IAS

6.4. अंतरिक्ष में न्यूट्रिनो के नए स्रोत की खोज

(New Source Of Neutrinos In Space Discovered)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दक्षिण ध्रुव पर आइसक्यूब ऑब्जर्वेटरी (IceCube observatory) ने यह खोज की है कि एक आकाशगंगा "ब्लैज़र" भी न्यूट्रिनो उत्पन्न करती है। इसके केंद्र में एक अति विशाल ब्लैक होल है।

आइसक्यूब (IceCube)

- दक्षिण ध्रुव पर आइसक्यूब प्रयोग, आकार में एक घन किलोमीटर है और न्यूट्रिनो के लक्ष्य के रूप में गहरी आर्कटिक बर्फ का उपयोग करता है।
- जब कभी-कभी न्यूट्रीनो बर्फ का निर्माण करने वाले मूल कणों के साथ अंत:क्रिया करते हैं तो वे आवेशित कणों का उत्पादन कर सकते हैं।
- आइसक्यूब में, यह परिणामी कण बर्फ से होकर गमन करता है और क्षीण प्रकाश एक ट्रेल (trail) उत्पन्न करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- न्यूट्रीनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक हैं।
- इनका **पता लगाना अत्यधिक कठिन** है चूंकि ये पदार्थ के साथ अत्यधिक कम अंत:क्रिया करते हैं।
- इनमें **विद्युत आवेश नहीं** होता है।
- चूंकि न्यूट्रिनो विद्युत् उदासीन होते हैं, इसलिए वे इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले विद्युत-चुंबकीय बलों से प्रभावित नहीं होते हैं। न्यूट्रिनो केवल विद्युत चुम्बकत्व की तुलना में अत्यंत कम परास वाले "क्षीण" उप-परमाणु बल से प्रभावित होते हैं, और इसलिए इससे प्रभावित हुए बिना पदार्थ में बहुत लम्बी दूरी तय करने में सक्षम होते हैं।
- तीन प्रकार के न्यूट्रीनो ज्ञात हैं। न्यूट्रिनो का प्रत्येक प्रकार या "रूप" आवेशित कणों - इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाऊ से संबंधित है।
- चूँकि ये गतिशील होते हैं अतः एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूट्रिनो ऑसिलेशन (neutrino oscillation) कहा जाता है और यह एक असामान्य क्वांटम परिघटना है।
- अब तक **केवल सुपरनोवा (विस्फोटक सितारों) और सूर्य से** न्यूट्रिनो के उत्पन्न होने को अवलोकित किया गया है। परन्तु वे सौर मंडल के बाहर से आने वाली कॉस्मिक किरणों और बिग बैंग (जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी) से भी उत्पन्न हुए हैं।
- न्यूट्रीनो को **कृत्रिम रूप से भी निर्मित** किया जा सकता है। ये रेडियोधर्मी क्षय और परमाणु रिएक्टरों में उत्पादित होते हैं।

6.5. नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम

(National Viral Hepatitis Control Program)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम' लॉन्च किया है।

वायरल हेपेटाइटिस

- हेपेटाइटिस का तात्पर्य **लिवर (यकृत) की सूजन** से है। यह प्राय: वायरस और पांच भिन्न हेपेटाइटिस संक्रमण (A,B,C,D,E) के दो मुख्य प्रकारों हेपेटाइटिस B और C के कारण होता है, जो कि हेपेटाइटिस से होने वाली कुल मृत्युओं के 96% के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- **2015 में वायरल हेपेटाइटिस के कारण 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु** हुई। यह संख्या तपेदिक (TB) के कारण होने वाली मृत्युओं के लगभग बराबर और **HIV के कारण होने वालों की मृत्युओं की तुलना में अधिक** है।

	हेपेटाइटिस B	हेपेटाइटिस C
यह कैसे फैलता है?	जब हेपेटाइटिस B वायरस से संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य, अथवा शरीर के कुछ अन्य द्रव पदार्थ किसी असंक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं।	जब हेपेटाइटिस C वायरस से संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी असंक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है।
टीका (Vaccine)	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

VISION IAS

- हेपेटाइटिस वायरल भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ का प्रमुख कारण है। प्रत्येक वर्ष लगभग पांच मिलियन से अधिक भारतीय हेपेटाइटिस से संक्रमित होते हैं और प्रत्येक वर्ष लगभग एक लाख लोगों की इससे मृत्यु हो जाती है।
- भारत, उन 11 देशों में सम्मिलित है जो कुल मिलाकर क्रोनिक हेपेटाइटिस (chronic hepatitis) के वैश्विक बोझ का लगभग 50% वहन करते हैं।
- **संक्रमित व्यक्ति की उनकी दीर्घकालिक वाहक स्थिति से अनभिज्ञता** और **दशकों से अन्य लोगों को संक्रमित करने की उनकी क्षमता** क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करने में चुनौती है।
  फलत: समाज को उत्पादक कार्यबल में कमी से होने वाला नुकसान उठाना पड़ता है तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर लिवर फेलियर, क्रोनिक लिवर रोग और कैंसर के उपचार के खर्चों से सम्बंधित बोझ में वृद्धि होती है।
  - लिवर कैंसर के मामलों में से कम से कम 60% वायरल हेपेटाइटिस B और C के विलम्बित परीक्षण और उपचार के परिणाम हैं।
- संक्रमित माताओं से उनके नवजात बच्चों में हेपेटाइटिस B वायरस (HBV) संचरण की रोकथाम, HBV नियंत्रण और अंततः उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में हेपेटाइटिस से सामना करने के लिए अन्य पहलें

- भारत सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.3 प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसका लक्ष्य अन्य बीमारियों के साथ वायरल हेपेटाइटिस का मुकाबला करना है।
- भारत 2030 तक हेपेटाइटिस वायरल को समाप्त करने की दिशा में **WHO ग्लोबल हेल्थ सेक्टर स्ट्रैटेजी ऑन वायरल हेपेटाइटिस 2016-2021** का समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव का हस्ताक्षरकर्ता है।
- सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में अनेक घटक विद्यमान हैं जैसे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हेपेटाइटिस B के लिए टीकाकरण; स्वच्छ भारत मिशन; रक्त और रक्त उत्पादों की सुरक्षा; सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, जो प्रत्यक्ष अथवा या परोक्ष रूप से हेपेटाइटिस वायरल के प्रति अनुक्रिया से संबंधित हैं।
- नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम

नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम

- इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस वायरल के कारण रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रणनीतियां हैं:
  - **जागरूकता निर्माण** पर ध्यान केंद्रित करने के साथ निवारक और प्रोत्साहन संबंधी हस्तक्षेप।
  - **सुरक्षित इंजेक्शन प्रणाली** और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाएँ।
- **स्वच्छता और आरोग्यता,** जैसे-स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, संक्रमण नियंत्रण और टीकाकरण।
  - विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय और सहयोग।
  - हेपेटाइटिस वायरल के **परीक्षण और प्रबंधन तक पहुंच में वृद्धि।**
  - हेपेटाइटिस B और C के उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मानकीकृत परीक्षण और प्रबंधन प्रोटोकॉल के माध्यम से हेपेटाइटिस B और C के रोगियों के लिए निदान को बढ़ावा देना और उपचार में सहायता प्रदान करना।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तक राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर और उप-जिला स्तर पर क्षमता निर्माण करना।
- **उद्देश्य**
  - केंद्र में **राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई** की स्थापना करना जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हेपेटाइटिस सेल के रूप में कार्य करेगी।
  - **राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई** की स्थापना करना जो प्रथम वर्ष में राज्य समन्वय इकाई भी होगी और मौजूदा राज्य स्वास्थ्य प्रशासन संरचना अर्थात् राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के अंतर्गत हैपेटाइटिस सेल के रूप में कार्य करेगी।
  - हेपेटाइटिस वायरल के परीक्षण के लिए आवश्यक नैदानिक कार्यों हेतु राज्य में **मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना**। इस कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस B और C के लिए **नि:शुल्क दवाएं और निदान** सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र में **665 परीक्षण केंद्रों की स्थापना करना** जो 3 वर्षों में गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय परीक्षण तक पहुँच और हेपेटाइटिस के निदान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

VISION IAS

- सार्वजनिक क्षेत्र में कम से कम **100 उपचार स्थलों की स्थापना करना** जो 3 वर्षों में हेपेटाइटिस C के उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हेपेटाइटिस वायरल के गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय प्रबंधन तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। इसका लक्ष्य तीन वर्ष की अवधि में हेपेटाइटिस C के कम से कम 3 लाख मामलों का उपचार करना है।

6.6. मानव पर रंगीन एक्स-रे

(Coloured X-Ray on Human)

सुर्ख़ियों में क्यों?

न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव पर पहली बार 3-D, कलर एक्स-रे का प्रयोग किया।

रंगीन एक्स-रे के बारे में

- यह डिवाइस पारंपरिक ब्लैक-एंड-व्हाइट एक्स-रे पर आधारित है और CERN's के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के लिए विकसित पार्टिकल-ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग करता है।
- **मेडिपिक्स (Medipix)** नामक CERN तकनीक एक कैमरे की तरह है जो शटर खुला होने पर पिक्सल के साथ टकराने वाले अलग-अलग सब-एटॉमिक कणों की पहचान और गणना करती है। इससे हाई-रिज़ॉल्यूशन, हाई-कंट्रास्ट पिक्चर प्राप्त होती है।
- जब एक्स-रे मानव शरीर से होकर गुजरती हैं, तो वे सघन सामग्री (हड्डियों) द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और विरल (मांसपेशियों और अन्य ऊतकों) से बिना अवशोषित हुए सीधे गुजर जाती है। जिन स्थानों पर एक्स-रे नहीं गुजर पाती है वे ठोस सफेद रंग के दिखाई देते हैं।
- एक्स-रे के शरीर से गुजरने अथवा हड्डियों से अवशोषित होने को रिकॉर्ड करने के बजाय, यह स्कैनर बेहतर होता है क्योंकि यह शरीर में प्रत्येक कण से टकराने पर एक्स-रे के सटीक ऊर्जा स्तर को रिकॉर्ड करता है। इसके पश्चात् यह उन मापों को हड्डियों, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न रंगों में परिवर्तित करता है।
- इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से हड्डियों, मांसपेशियों और उपास्थि के मध्य अंतर तथा कैंसर ट्यूमर की स्थिति एवं आकार को भी प्रदर्शित करता है।
- अन्य लाभों में शामिल हैं
  - **अधिक सटीक रोग-निदान** चूंकि यह अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट और सटीक चित्रों को उत्पन्न करेगा।
  - भावी संस्करण मानव की सम्पूर्ण छवि (इमेज) के निर्माण में सक्षम हो सकता है, जो **क्षतिग्रस्त अथवा खराब अंगों की 3-D प्रिंटिंग** में सहायता कर सकता है।
  - **व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित चिकित्सा देखभाल** क्योंकि यह न केवल फ्रैक्चर, समीपवर्ती ऊतकों, रक्त और तंत्रिका आपूर्ति को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उनको ठीक उसी रूप में निर्मित भी करता है जैसे वे हैं।

6.7. 'P NULL' फीनोटाइप

('P NULL' Phenotype)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंगलुरु स्थित कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज (KMC) के डॉक्टरों की एक टीम ने भारत में पहली बार "pp" या "P null" फीनोटाइप नामक दुर्लभ रक्त समूह की पहचान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ABO और Rh, रक्त समूह प्रणालियों के सामान्य प्रकार हैं। हालांकि, A, B और Rh के अतिरिक्त 200 से अधिक माइनर ब्लड ग्रुप एंटीजन ज्ञात हैं।
- यदि कोई रक्त समूह 1,000 में से एक से कम लोगों में उपस्थित है तो रक्त का यह प्रकार दुर्लभ माना जाता है। एक व्यक्ति को दुर्लभ रक्त समूह वाला कहा जाता है जब उसमें उच्च आवृत्ति एंटीजन या विभिन्न सामान्य एंटीजनों की कमी होती है।
- 'P null' रक्त समूह में एंटी-PP1Pk एंटीबॉडी पाया जाता है जिसमें असंगत रक्त आधान के मामले में तीव्र इंट्रावैस्कुलर हीमोलाइटिक प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यह एंटीबॉडी महिलाओं में आवर्ती गर्भपात हेतु उत्तरदायी कारण के रूप में भी जाना जाता है।
- एक सुस्थापित दुर्लभ रक्तदाता समूह के बिना ऐसे मामले के लिए संगत रक्त समूह की खोज एक असंभव कार्य है, इसलिए ऐसे मामलों के प्रबंधन के लिए दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री का अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

6.8. फॉर्मलीन

(Formalin)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मत्स्य शेल्फ लाइफ (सामग्री के भंडार और उपयोग होने तक की अवधि) को बढ़ाने के लिए मत्स्यन उद्योग में फॉर्मलीन का उपयोग किया जाता है।

विवरण

- फॉर्मलीन (फार्मल्डिहाइड) एक एंटी-डीकम्पोजीशन एजेंट (anti-decomposition agent) है।
- यह एक रंगहीन ज्वलनशील रसायन है जो काष्ठ उत्पादों, कपड़े, इन्सुलेशन सामग्री में उपयोग किया जाता है।
- इसे कवक-नाशी, रोगाणु-नाशी और कीटाणु-नाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
- शवगृहों में शव के विघटन को रोकने हेतु शरीर और अंगों के लिए एक परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
- आंखों से लगातार पानी आना, खांसी, श्वास लेने में कठिनाई, मतली और त्वचा संबंधी जलन आदि फार्मल्डिहाइड से होने वाली अल्प-कालिक हानियाँ हैं।
- कैंसर पर अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और US FDA दोनों फार्मल्डिहाइड को मानव कैंसरजन्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यह ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर इत्यादि के खतरे में वृद्धि करता है।
- फॉर्मलीन के उपयोग का सबसे सामान्य कारण सुलभ उपलब्धता, हार्वेस्ट सेंटर पर अच्छी गुणवत्ता वाली बर्फ की अनुपलब्धता, घरेलू परिवहन के दौरान अपर्याप्त इन्सुलेशन और मत्स्य के थोक भंडारण के लिए गोदामों की सुविधा का अभाव है।

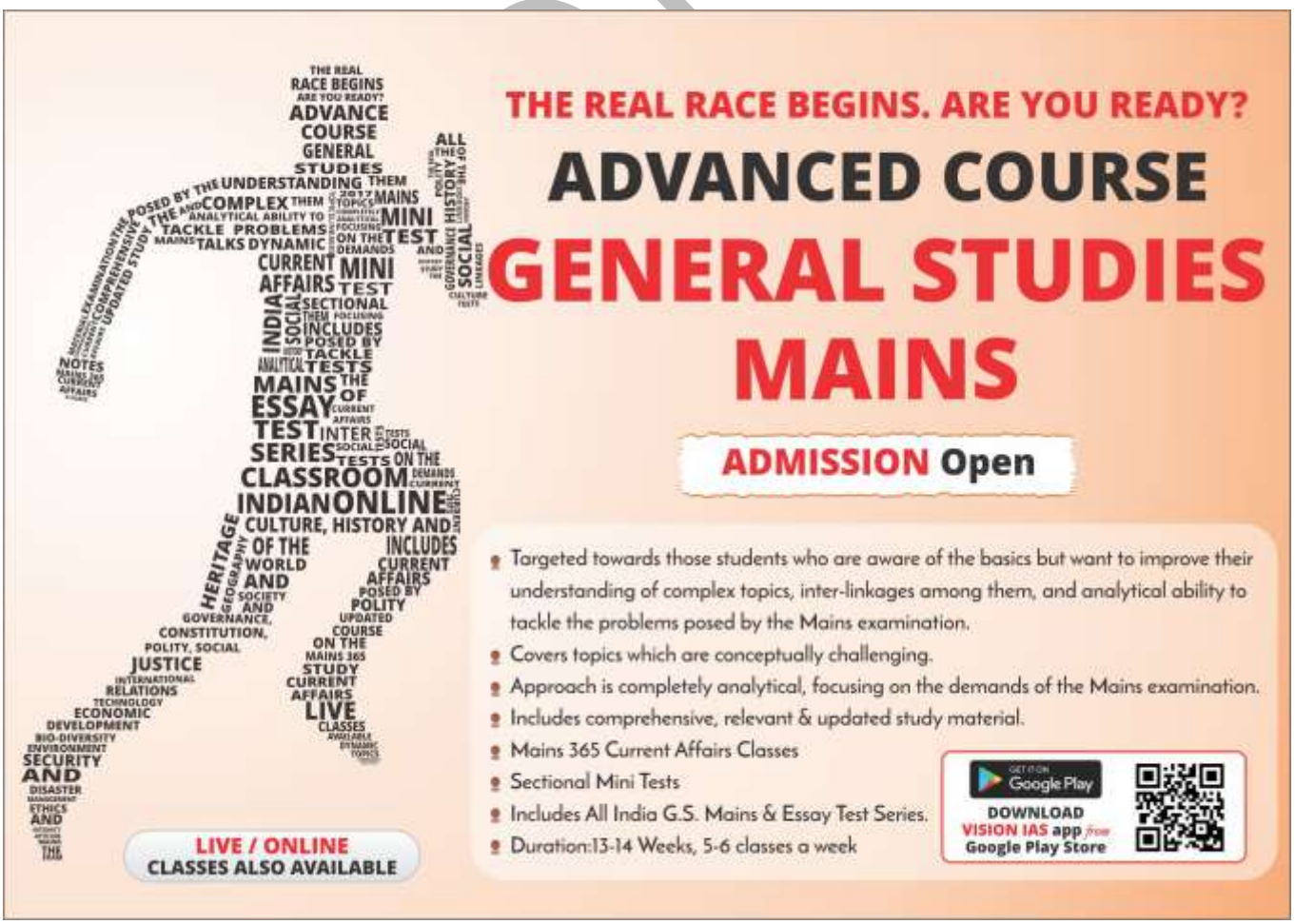

7. सामाजिक (Social)

7.1. मॉब लिंचिंग

(Mob Lynching)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने सम्पूर्ण देश में भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए अनुशंसाएं करने हेतु केंद्रीय गृह सचिव **राजीव गौबा** की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

भारत में मॉब लिंचिंग

- मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा हिंसा का तात्पर्य, **वास्तविक अथवा कथित अपराधों के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भीड़ द्वारा सज़ा के रूप में किसी को जान से मारना या उसे हिंसक दंड देना है।**
- भारत संभवतः **विश्व का एकमात्र स्थान है** जहां मोबाइल के संदेश, इस प्रकार की हत्या और बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बने हैं।
- सितंबर 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश दिए थे परन्तु इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।
- हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने मॉबोक्रेसी **(भीड़तंत्र) द्वारा किए जाने वाले ऐसे भयावह कृत्यों** की निंदा की है और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं।
  - राज्यों द्वारा जिलों में नोडल अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।
  - कमजोर और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान।
  - इन क्षेत्रों में राजमार्गों पर अधिक कुशलतापूर्वक गश्त करना।
  - तत्काल FIR दर्ज़ करना।
  - पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति योजनाएं।
  - ऐसे अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का निर्माण।
  - वैसे पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहते हैं।
  - संसद द्वारा **एक विशेष कानून** तैयार किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत लिंचिंग को एक अलग अपराध माना जाए।

एक अलग कानून की आवश्यकता

- **कोई मौजूदा कानून नहीं:** वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भीड़ द्वारा की गई हत्या को एक अलग अपराध मानता हो।
- **निवारक के रूप में:** इससे सम्बंधित विशेष कानून इस तरह के गंभीर अपराध के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेगा।
- **शासन प्रणाली को सुनिश्चित करना :** भीड़ द्वारा अपने न्याय के प्रवर्तन किसी की हत्या कर देने की घटनाएँ, लोकतांत्रिक समाज और राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं पर प्रश्न चिह्न लगाती हैं। अतः ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को दंडित करना आवश्यक है।
- **बहुआयामी चुनौतियों से निपटना:** जैसे समाज और संस्कृति के स्व-घोषित रक्षकों द्वारा कानून हाथ में लेना, अफवाह को सच मानकर भीड द्वारा की जाने वाली हिंसा आदि।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हिंसा करने वाली भीड़ कानून और व्यवस्था से सम्बंधित चुनौती है तथा IPC में इससे सम्बंधित पर्याप्त प्रावधान हैं। ये प्रावधान हत्या, हत्या के प्रयास, एक साझा इरादे के अंतर्गत कई लोगों द्वारा किए गए कृत्यों आदि से सम्बंधित हैं। इनके दृढ़तापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू होने पर इस तरह के जोखिमों से निपटा जा सकता है।

मॉब लिंचिंग से संबंधित मुद्दे

- **विधि के शासन के विरुद्ध:** निर्णय की प्रक्रिया न्यायालयों में होनी चाहिए सड़कों पर नहीं।
- **मानवाधिकार के विरुद्ध:** मॉब लिंचिंग एक ऐसा वातावरण बनाती है जहाँ मनुष्यों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा वाक्, अभिव्यक्ति एवं व्यक्तिगत रूचि की स्वतंत्रता तथा बहुलता एवं विविधता को अस्वीकृत कर दिया जाता है।
- **सांप्रदायिकता और जातिवाद को उकसाना:** अधिकांश मामलों में पीड़ित समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग के लोग होते हैं - जिनमें घुमंतू जनजातियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यक, निम्न जातियां आदि शामिल हैं।

VISION IAS

- **रुझानों का विश्लेषण करने हेतु कोई डेटाबेस नहीं:** गृह मंत्रालय के अनुसार भीड़ द्वारा की गई हिंसा से संबंधित कोई रिकॉर्ड विद्यमान नहीं है। इस प्रकार कोई निष्कर्ष निकालना तथा समस्या का संभावित समाधान खोजना कठिन हो गया है।
- **ऐसी घटनाओं की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले कारणों में वृद्धि**
  - विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के शासन की न्यायिक / लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास में कमी। इसलिए वे अपने तरीके से तत्काल न्याय देने का प्रयास करने लगे हैं।
  - **सामाजिक-राजनीतिक ढांचा:** इसमें सम्मिलित हैं-ऐसे लोग जिनके पास शिक्षा नाममात्र की है या बिलकुल नहीं है, गहरी दरारें और अविश्वास, संकीर्ण राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संरक्षण, बढ़ती असहिष्णुता और बढ़ता ध्रुवीकरण इत्यादि।
  - **फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से गलत सूचना और प्रचार :** उदाहरण के लिए हाल ही में बच्चा चोरी की अफवाहों ने सम्पूर्ण देश में हिंसा के कई आवेगपूर्ण और अनियोजित कृत्यों को भड़काया हैं।
  - **कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अक्षमता / अनिच्छा** से भीड़ द्वारा किए जा रहे अपराधों को नियंत्रित करने की उनकी अक्षमता के कारण कानून को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में लोगों का मनोबल बढ़ा है। पूर्णतः सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आरोप लगाने की अपेक्षा सार्वजनिक अधिकारियों और पुलिस विभागों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
  - जहाँ सामान्यतः किसी व्यक्ति द्वारा किये गए अपराध का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का होता है, वहीं ऐसी घटनाओं में अपराधबोध तथा उत्तरदायित्व बंट जाता है और कोई अपने आप को दोषी नहीं मानता।

आगे की राह

- **अभियोजन और दंड सुनिश्चित कर उदाहरण प्रस्तुत करना:** भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या न्याय वितरण में राज्य की क्षमताओं के प्रति विश्वास में कमी को दर्शाती है। अतः, बार-बार होने वाली ऐसी क्रूरताओं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकारों पर होने वाले हमलों का दमन करने और इसके उत्तरदायी लोगों को दंडित करने की आवश्यकता है। इससे अपराधियों में यह भावना आएगी कि वे ऐसे कार्यों को करने के बाद बच नहीं सकते।
- **सामाजिक/अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना:** शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदायों तक पहुंच स्थापित करना, अराजक तत्वों को अफवाह फ़ैलाने से रोकना, तथा सिविल सोसाइटी की सहायता से बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर सोशल मीडिया के दुरुपयोग के विषय में जागरूकता का प्रसार करना।
- **राज्य संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाना:** स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना, तीव्रगामी पुलिस प्रतिक्रिया, अफवाहों के प्रति सजग रहना आदि।
- **सोशल मीडिया प्लेटफार्म को जवाबदेह बनाना:** व्हाट्सएप को दो व्यक्तियों के मध्य भेजे गए संदेशों में गोपनीयता को बनाये रखने और व्हाट्सऐप ग्रुपों में सार्वजनिक किये गए अग्रेषित (फ़ॉरवर्डेड) संदेशों के मूल स्त्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने प्लेटफार्म में आवश्यक बदलाव करने चाहिए।
- **विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गयी उन्नत प्रक्रियाओं को अपनाना जैसे:**
  - **तेलंगाना पुलिस** ने फ़ेक न्यूज़ के जोखिम से निपटने हेतु 500 पुलिस अधिकारियों की एक टीम को प्रशिक्षित किया है। ये अधिकारी सामाजिक मुद्दों के विषय में जागरूकता के प्रसार के लिए गांव जाते हैं। पुलिस कर्मियों को स्थानीय व्हाट्सएप समूहों में भी जोड़ा गया है ताकी ऐसी अफवाहों को चिह्नित किया जा सके जो हिंसा भड़काने में सक्षम हों।
  - **पश्चिम बंगाल पुलिस ने** ट्विटर पर फैली उन अफवाहों पर त्वरित रूप से प्रतिक्रिया देते हुए उसका खंडन किया जिनमें ईद के अवसर पर सरकार द्वारा पांच दिन की छुट्टी को स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गयी थी। इस प्रकार सांप्रदायिक तनाव को भड़काने वाले प्रयासों को विफल कर दिया गया।

7.2. व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018

[The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018]

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में लोकसभा ने व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पारित कर दिया है।

व्यक्तियों का दुर्व्यापार या मानव तस्करी क्या है ?

- 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल आर्गनाइज्ड क्राइम' (UNTOC) द्वारा दी गयी परिभाषा के अनुसार:
  - किसी व्यक्ति को डराकर, बलप्रयोग कर या,
  - अपहरण, धोखाधड़ी, शक्ति के दुरुपयोग, व्यक्ति की सुभेद्यता का लाभ उठाकर, उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मौद्रिक या अन्य लाभ देकर उसके शोषण की अनुमति प्राप्त कर, अथवा
  - उस व्यक्ति की दोषपूर्ण तरीके से **भर्ती, उसको कहीं ले जाना या उसे शरण में रखने की गतिविधि को मानव तस्करी के अंतर्गत शामिल किया जाता है।**

- शोषण में सम्मिलित हैं-दूसरों को वेश्यावृत्ति के लिए विवश करना या यौन शोषण के अन्य रूप, बलात श्रम या सेवाएं, दासता या दासता के समरूप व्यवहार अथवा अंगों के अवैध व्यापार या भिक्षावृत्ति के लिए मनुष्य के बाह्य या आतंरिक अंगों को उसके शरीर से अलग करना।
- मानव तस्करी व्यक्ति के विरुद्ध एक अपराध है क्योंकि इसमें पीड़ित के निर्बाध आवागमन के अधिकार का हनन किया जाता है तथा उनका वाणिज्यिक शोषण किया जाता है।
- यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है।

व्यक्तियों के दुर्व्यापार के प्रति सुभेद्यता को बढ़ाने वाले कारक

- **राजनीतिक अस्थिरता:** इससे अस्थिर स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनमें लोग जीवन या आय अर्जन के सीमित विकल्पों के साथ लगातार भय की अवस्था में रहते हैं।
    - यह बलात प्रवासन का कारण बन सकती है। बलात प्रवासन के कारण आश्रयहीनता, बेरोजगारी और अन्य अभावों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे तस्कर, प्रभावित लोगों की दयनीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
- **गरीबी:** तस्कर, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर जीने वाले समुदायों को लक्षित करते हैं ताकि उन व्यक्तियों को उनकी परिस्थितियों में सुधार के झूठे स्वप्न दिखाए जा सकें। माता-पिता को प्रायः गरीबी के कारण अपने बच्चों को बेचने के लिए विवश किया जाता है।
- **लैंगिक असमानता:** लैंगिक असमानता महिलाओं को तस्करी के लिए अत्यधिक सुभेद्य बनाती है।
- **व्यसन:** तस्करों द्वारा तस्करी करके लाए गए व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें मादक पदार्थों पर निर्भर और उनका व्यसनी बना दिया जाता है। कुछ तस्कर जानबूझकर सुभेद्य व्यक्तियों को ड्रग्स की आपूर्ति करते है जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाए और उन्हें जबरन श्रम या यौन व्यापार के लिए बाध्य किया जा सके।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें अलगाव, अपनी सहमति देने या न देने अथवा सूचित सहमति देने के विषय में निम्न संज्ञानात्मक क्षमता और जोखिम का आकलन करने एवं ग़लत इरादों का पता लगाने की सीमित क्षमता सम्मिलित है। तस्कर इन सुभेद्यताओं का पता लगाने और उनका अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में दक्ष हैं।
- **ऑनलाइन सुभेद्यता:** तस्कर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बनाये रखते हैं। ये सुभेद्य वयस्कों और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकें, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच सकें और उन तस्वीरों को फैलाने की धमकी देते हुए उनसे अपनी मांगें मनवा सकें।

व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 की मुख्य विशेषताएं:

- **राष्ट्रीय तस्करी विरोधी ब्यूरो (NATB)** की स्थापना की जाएगी जिससे तस्करी के मामलों में समन्वय, निगरानी और अनुवीक्षण किया सके। यह अंतर-राज्यीय अपराधों से निपटने में सहायक होगा।
- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर **तस्करी विरोधी सहायता और पुनर्वास समिति** की स्थापना की जाएगी। ये समितियां निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगी: (i) पीड़ितों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना, (ii) पीड़ितों का प्रत्यावर्तन और (iii) समाज में पीड़ितों का अन्य लोगों के साथ पुनः एकीकरण।
- **राज्य तस्करी विरोधी अधिकारी:** ये अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे: (i) राज्य विरोधी तस्करी समिति के निर्देशानुसार विधेयक में उल्लिखित अनुवर्ती कार्यवाही करना (ii) राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। राज्य सरकार को राज्य और जिला स्तर पर एक नोडल पुलिस अधिकारी भी नियुक्त करना होगा।
- **तस्करी विरोधी इकाइयाँ (ATU):** ATU तस्करी सम्बन्धी अपराधों की जांच एवं अभियोजन के साथ-साथ इन अपराधों से संबंधित पीड़ितों और गवाहों की निरुद्धता, बचाव और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों को देखेंगी। वैसे जिलों में जहां ATU कार्यरत नहीं है वहाँ यह जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा निभाई जाएगी।
- **संरक्षण और पुनर्वास:** केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा संरक्षण गृह स्थापित करने की आवश्यकता है। ये संरक्षण गृह पीड़ितों को आश्रय, भोजन, परामर्श और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे।
- प्रत्येक जिले में **नामनिर्दिष्ट न्यायालयों (डेज़िग्नेटेड कोर्ट)** की स्थापना की जाएगी जिन्हें **निर्धारित समयावधि में (एक वर्ष के अंदर)** अपना निर्णय देना होगा। विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने की भी बात कही गई है।

विश्लेषण:

- विधेयक में एक सुदृढ़ नीतिगत फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है जो रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के दृष्टिकोणों को एक साथ जोड़ता है। इसके साथ ही यह भिक्षावृत्ति, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम तकनीक से किसी और के शिशु को गर्भ में धारण करना और हार्मोन सम्बन्धी

दवाएं देना (ताकि यौन परिपक्वता शीघ्र प्राप्त की जा सके) आदि जैसे **'तस्करी के विकृत रूपों' (एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ़ ट्रैफ़िकिंग)** की अवधारणा को प्रस्तुत करता है।

- विधेयक **गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ** कैमरे के माध्यम से कार्यवाही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि द्वारा गोपनीयता को बनाये रखने का प्रावधान भी करता है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक समयबद्ध सुनवाई का भी प्रावधान करता है।
- **इसका उद्देश्य** पूंजी, आधारभूत संरचना, शिक्षा और कौशल विकास प्रदान कर **पीड़ितों की क्षमता का निर्माण** करना है ताकि न्याय तक उनकी पहुंच सुगम हो सके और भविष्य में उनकी तस्करी को रोकने के लिए उन्हें सशक्त बनाया जा सके। यह उद्देश्य आसूचना तंत्र के माध्यम से प्रकार्यात्मक आसूचना के संग्रहण, संयोजन और प्रसार में सुधार द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
- हालांकि, अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है जैसे-
  - **इसे स्थायी समिति को नहीं भेजा गया है जबकि** कई लोगों द्वारा इसकी मांग की गयी थी।
  - चूंकि IPC की धारा 370 अभी भी विद्यमान है अतः यह भी माना जाता है कि यह मौजूदा कानूनों में बिना कोई स्पष्ट परिवर्तन किये केवल उनके पुनर्कथन के समान है। विभिन्न तस्करी विरोधी नौकरशाही निकायों का निर्माण **इन कानूनों के प्रवर्तन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा।**
- विभिन्न अस्पष्ट वाक्यांश और प्रावधान, जैसे "कोई भी दुष्प्रचार सम्बन्धी सामग्री जो किसी व्यक्ति की तस्करी को बढ़ावा देती है या किसी भी तरह से तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण को बढ़ावा देती है" व्यापक व्याख्याओं की संभावना उत्पन्न करते हैं। ये संभावित व्याख्याएं वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सिफारिशों के अनुरूप नहीं होने के कारण भी इसकी आलोचना की गई है।
- ये प्रावधान सुरक्षा उपायों के अभाव में **ट्रांसजेंडर समूहों के उत्पीड़न** का कारण बन सकते हैं। विधेयक में 'एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ हॉर्मोन ' (हॉर्मोन की खुराक) जैसे वाक्यांशों का उपयोग ट्रांसजेंडरों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि उनमें से कई लोग नए लिंग के लक्षणों की पूर्णतः अभिव्यक्ति के लिए हार्मोन की खुराक लेते हैं।
- संपत्ति को जब्त करने जैसे कुछ प्रावधान उन यौन श्रमिकों को क्षति पहुंचाएंगे **जो स्वेच्छा से इस पेशे में संलग्न हैं।** विधेयक पुलिस द्वारा "बचाव हेतु छापे"(rescue raids) को बढ़ावा देता है और पुनर्वास के नाम पर पीड़ितों को संस्थागत बनाने की प्रवृत्ति पर बल देता है।

भारत में मानव तस्करी

- हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडें यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2016 में सम्पूर्ण भारत में मानव तस्करी के 8,000 से भी अधिक मामले सामने आए है।
- पश्चिम बंगाल (बांग्लादेश और नेपाल के साथ छिद्रिल सीमाओं के कारण) मानव तस्करी का केंद्र बन चुका है। वर्ष 2016 में कुल पीड़ितों में से एक तिहाई इसी क्षेत्र से थे।
- भारत दक्षिण-पूर्वी एशिया के मानव तस्करी उद्योग में एक स्रोत, पारगमन क्षेत्र होने के साथ-साथ एक उपभोक्ता देश भी है।

मानव तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- भारत ने 2011 में UNTOC की पुष्टि की।
- **देश में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को लागू किया गया है**। इसके साथ ही IPC की धारा 370 और 370A मानव तस्करी; किसी भी रूप में शारीरिक शोषण हेतु बच्चों की तस्करी; या यौन शोषण, दासता, जबरन दासता या अंगों की तस्करी आदि मामलों के लिए पहले से ही कठोर दंड का प्रावधान करती हैं।
- इसके अतिरिक्त, ऐसे कई अन्य कानून और प्रावधान हैं जो लोगों को शोषण से बचाने में मदद करते हैं, जैसे-
  - भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 23 (1)** मानव तस्करी और बलात श्रम को प्रतिबंधित करता है,
  - **वाणिज्यिक यौन शोषण** हेतु मानव **तस्करी** से बचने के लिए **अनैतिक** व्यापार (निवारण) **अधिनियम**,1956।
  - बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976,
  - बच्चो को यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (POSCO) अधिनियम, 2012।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मानवाधिकारों और मानव तस्करी पर अनुशंसित दिशा-निर्देश:

- **मानव अधिकारों का प्रचार और उनका संरक्षण:** तस्करी विरोधी उपायों द्वारा मानव अधिकारों और व्यक्तियों की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। विशेष रूप से, तस्करी के शिकार लोगों, प्रवासियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों,

VISION IAS

शरणार्थियों और शरण लेने वालों के अधिकारों पर तस्करी विरोधी उपायों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

- **तस्करी किए गए व्यक्तियों और तस्करी करने वालों की पहचान करना।** किसी तस्करी किए गए व्यक्ति की सही पहचान करने में विफलता के परिणामस्वरूप यह संभव है कि भविष्य में उस व्यक्ति के अधिकारों को अस्वीकार कर दिया जाए।
- **प्रभावी और यथार्थवादी तस्करी विरोधी रणनीतियों** को सटीक और वर्तमान सूचनाओं, अनुभव और विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए।
- एक पर्याप्त कानूनी फ्रेमवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर कानूनी परिभाषाओं, प्रक्रियाओं और सहयोग में समन्वयन की तत्काल आवश्यकता है ताकि इन्हें संयुक्त रूप से अन्तराष्ट्रीय मानकों से सुसंगत बनाया जा सके।
- तस्करी के प्रति प्रभावी **कानूनी प्रवर्तन प्रतिक्रिया, तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों और अन्य गवाहों के सहयोग पर निर्भर करती है।** विधि प्रवर्तन **अधिकारियों** को भी तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के प्रति **संवेदनशील होना चाहिए।**
- **बिना किसी भेदभाव** के तस्करी से पीड़ित सभी व्यक्तियों को उचित सुरक्षा और समर्थन दिया जाना चाहिए।
- तस्करी को रोकने संबंधी रणनीतियों में असमानता, गरीबी और किसी भी प्रकार के भेदभाव और पक्षपात जैसे **मूल कारणों** के समाधान को महत्व दिया जाना चाहिए।
- **तस्करी से पीड़ित बच्चों** को उचित सहायता और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनके विशेष अधिकारों एवं आवश्यकताओं को महत्व दिया जाना चाहिए।
- तस्करी के पीड़ितों के मध्य **उपचारों के अधिकारों** के विषय में जागरूकता की कमी संबंधी समस्या को दूर करने हेतु, विधिक और अन्य सामग्रियों तक उन्हें पहुँच प्रदान की जानी चाहिए। इसके फलस्वरूप तस्करी से पीड़ित व्यक्ति पर्याप्त और समुचित उपचार प्राप्त करने संबंधी अपने अधिकार के प्रति सजग हो पाएंगे और साथ ही उन अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे।
- **राज्य, अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठन अपने अधीन** कार्यरत लोगों की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हैं और इसलिए इनका कर्तव्य है कि अपने नागरिकों और कर्मचारियों को तस्करी और इससे संबंधित शोषण से पीड़ित होने या इसमें संलिप्त होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।
- तस्करी से संबंधित गतिविधियों का सामना करने में **अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोग** महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार के सहयोग तस्करी के दुष्चक्र के विभिन्न चरणों में शामिल देशों के मध्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

7.3.घरेलू कामगारों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति

(Proposed National Policy For Domestic Workers)

सुर्खियों में क्यों ?

सरकार द्वारा हाल ही में घरेलू कामगारों से सम्बंधित नीति की मुख्य विशेषताएं प्रस्तावित की गयी हैं जिस पर वर्तमान में चर्चा जारी है।

घरेलू कामगारों के लिए विधायन हेतु किए गए पूर्व प्रयास

घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच ने **घरेलू कामगारों के कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2016** का प्रारूप तैयार किया है। इसमें घरेलू कामगारों के विनियमन हेतु नियोक्ताओं और कामगारों का जिला बोर्ड के साथ पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया हैं।

घरेलू कामगारों से संबंधित मुद्दे

- **इनकी वास्तविक संख्या के संबंध में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं:** रोजगार एवं बेरोजगारी से संबंधित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office:NSSO) सर्वेक्षण के 68 वें चक्र में इनकी संख्या लगभग 3.9 मिलियन होने का संकेत मिलता है। हालांकि अधिकारिक रूप से यह संख्या अधिक हो सकती है।
- **वर्तमान में इनके अधिकारों की पहचान करने वाला कोई कानूनी ढांचा नहीं है**: यद्यपि भारत में घरेलू कामगारों की चिंताओं के समाधान हेतु दो कानून हैं जो अप्रत्यक्ष तरीके से उन्हें 'श्रमिक' मानते हैं। इनमें असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निदान) अधिनियम, 2013 सम्मिलित हैं। किन्तु इनमें से कोई भी ऐसे कामगारों के अधिकारों को मान्यता नहीं देता।
- **घरेलू कामगारों के प्रति राज्य सरकारों का उदासीन दृष्टिकोण**: राज्य, रोजगार से संबंधित कार्यक्रमों में घरेलू कामगारों को सम्मिलित करने में विफल रहे हैं।
- **व्यापक क्षेत्र होने के बावजूद इसे अभी भी आर्थिक गतिविधि में नहीं गिना जाता है:** श्रम कानूनों के दायरे में घरेलू कामगारों के कार्यों जैसे-खाना पकाने, सफाई, बच्चों की देखभाल आदि की''कार्य' के रूप में पहचान नहीं की जाती है। मातृत्व लाभ,पेंशन और बीमा सहित आधारभूत सामाजिक सुरक्षा लाभों तक उनकी पहुंच नहीं है।

- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के दायरे में घरेलू कामगार शामिल नहीं हैं**: इसके परिणामस्वरूप अल्प मजदूरी प्राप्त कामगारों के मामले में शिकायत निवारण की दर अत्यंत निम्न होती है।
- **सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे सम्मिलित हैं**, जो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
- भारत **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 189 वें अभिसमय** का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसे घरेलू कामगारों के अभिसमय के रूप में जाना जाता है। हालांकि अभी तक इस अभिसमय को पुष्ट नहीं किया गया है।

नीति की आवश्यकता क्यों है?

- **घरेलू कामगारों में एक संगठित यूनियन का अभाव है:** वे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार वे एक दबाव समूह के रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं तथा अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतों को रखने में अक्षम हो जाते हैं।
- **प्रवासी कामगार:** इनमें से अधिकतर कमज़ोर समुदायों - आदिवासियों, दलितों या भूमिहीन अथवा अन्य पिछड़े वर्ग से हैं और लगभग सभी प्रवासी हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए कार्य की आवश्यकता होती है। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक हैं।
- **दुर्व्यवहार के पीड़ित :** इनके साथ प्रायः मौखिक रूप से या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है। कई बार उन्हें यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के व्यवहार कार्यस्थल को असुरक्षित बनाते हैं।
- **अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर:** ये तीव्र आर्थिक विकास और समृद्धि के लाभों का उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं।

घरेलू कामगारों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं

- विद्यमान कानूनों में घरेलू कामगारों को सम्मिलित करना।
- घरेलू कामगारों का पंजीकरण।
- स्वयं के संघों, ट्रेड यूनियनों का निर्माण करने का अधिकार।
- न्यूनतम मजदूर, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार।
- अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने का अधिकार।
- दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से घरेलू श्रमिकों की सुरक्षा।
- घरेलू कामगारों की न्यायालयों, न्यायाधिकरणों आदि तक पहुंच।
- प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन के लिए एक तंत्र की स्थापना।

राज्यों द्वारा किये गए प्रयास

- राजस्थान, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसी कई राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में घरेलू कामगारों को सम्मिलित किया है और इसलिए कामगार इस संबंध में कोई भी शिकायत संबंधित अधिकारियों के समक्ष दर्ज करा सकते हैं।
- महाराष्ट्र में प्रचलित **माथादी बोर्ड मॉडल**: माथाडी बोर्ड इसलिए स्थापित किए गए थे ताकि कामगारों को उचित मजदूरी का भुगतान किया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाये।

प्रस्ताव का महत्व

- इसका लक्ष्य न्यायसंगत वेतन और उचित रोजगार शर्तों, दुर्व्यवहार / उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना और उनकी शिकायतों एवं विवादों का समाधान करना है।
- यह प्रस्ताव घरेलू कामगारों हेतु नियुक्ति एजेंसियों को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए राज्य बोर्ड / ट्रस्ट स्थापित करने की मांग करता है। बोर्ड, कार्य संबंधी घंटों, न्यूनतम मजदूरी और अवकाश उन्मुक्तियों पर सिफारिशें करेगा तथा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देगा।
- यह स्पष्ट रूप से अंशकालिक, पूर्णकालिक और नियोक्ता के घर में रह कर काम करने वाले कामगारों, नियोक्ताओं और निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को परिभाषित करता हैं।
- घरेलू कामगारों को अब श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किये जा रही सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा संहिता मे सम्मिलित किया जाएगा। इससे उन्हें चिकित्सा बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ और अनिवार्य अवकाश जैसे लाभ प्राप्त होंगे।
- घरेलू कामगारों के औपचारीकरण में यह एक अगला कदम होगा।

7.4. जनजातीय समूहों का विकास प्रेरित विस्थापन

(Development Induced Displacement Of Tribals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अनुच्छेद 338 के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना के कारण विस्थापित जनजातीय परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कई बड़ी विकास परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। उदाहरण के लिए बांधों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' की संज्ञा दी गयी है।
- इनमें से कई परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय समूहों के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित की गई हैं। ये वे समूह हैं जो पारंपरिक रूप से अपनी जीविका के लिए साझा संपत्ति संसाधन अर्थात मुख्य रूप से वन भूमि पर निर्भर हैं।
- **'विकास प्रेरित विस्थापन और पुनर्वास (DIDR)'** को आर्थिक विकास के उद्देश्यों हेतु समुदायों और व्यक्तियों को उनके घरों या जन्म-स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।
- विस्थापन के प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई क्षतिपूर्ति और पुनर्वास नीतियां प्राय: असफल रही हैं। इसका मुख्य कारण निचले स्तर के नौकरशाहों का भ्रष्टाचार, संसाधनों के मूल्य को कम आंकना, विस्थापित लोगों की मौजूदा सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों की जटिलताओं को पहचानने में योजनाकारों की विफलता तथा नियोजन प्रक्रिया में विस्थापित व्यक्तियों की भागीदारी की कमी इत्यादि रहे हैं।

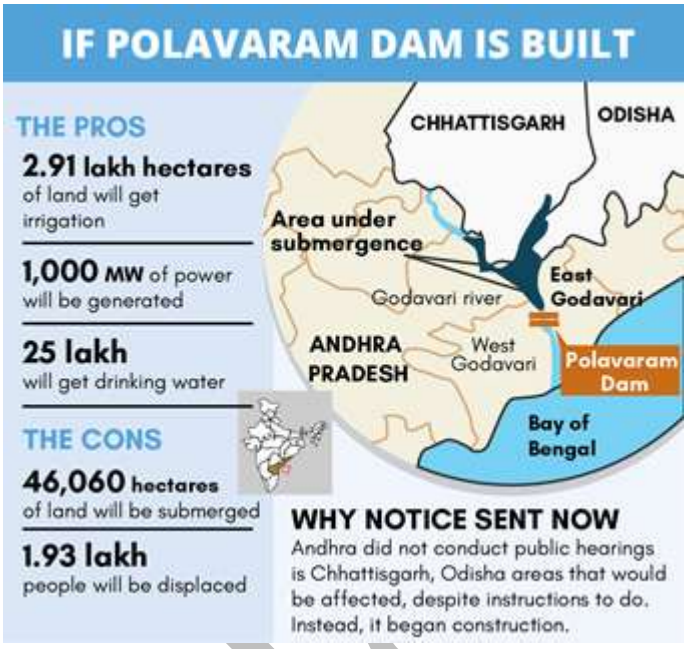

विस्थापित परिवारों के समक्ष व्याप्त मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं:

- कई बार परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावित समुदायों पर उसके परिणामों को लेकर उनसे कोई **परामर्श नहीं किया जाता है।** उदाहरण के लिए नर्मदा पर निर्मित बरगी परियोजना के मामले में यह कहा गया था कि इससे 104 गांव प्रभावित होंगे, जबकि वस्तुतः 162 गांव जलमग्न हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा था।
- **क्षतिपूर्ति का कम-आकलन करना:** भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, जनजातीय समूहों में निरक्षरता तथा विभिन्न अन्य समस्याओं के कारण, लोगों के साथ छल किया जाता है तथा उन्हें दिया जाने वाला मुआवजा उनको होने वाले नुकसान की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है।
- **नक़द मुआवजे का बेहतर उपयोग करने में असमर्थ:** धोखाधड़ी, पुराने ऋण की अदायगी, शराब और अन्य अनावश्यक उपभोगों के कारण उन्हें प्रदत्त धन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उनकी जीवन भर की आजीविका सुरक्षा या आश्रय कुछ ही महीनों, कभी-कभी कुछ सप्ताह में ही समाप्त हो जाती है। इससे विस्थापित व्यक्तियों में निश्चित और अपरिवर्तनीय गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने में विफलता:** एक व्यापक पुनर्वास योजना की अनुपस्थिति, क्षतिपूर्ति का कम आकलन और धन के लिए समझौता करने में असमर्थता आदि से संबंधित समस्याएं, विस्थापित भू-स्वामियों के लिए वैकल्पिक कृषि योग्य भूमि को प्राप्त करने में गंभीर रूप से बाधक होते हैं।
- **कष्टप्रद, बलपूर्वक और विलंबित पुनर्वास:** परियोजना प्राधिकरणों का मुख्य उद्देश्य परिवारों का पुनर्वास तथा उनके नए आवासों में क्रमिक रूप से और कम कष्टप्रद स्थानांतरण को सुगम बनाना एवं विस्थापितों की सहायता करना नहीं होता, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य जलमग्न होने वाले क्षेत्र पर विद्यमान मानवीय बोझ (विस्थापितों) को वहाँ से हटाना होता है।
- **पुनर्वास स्थलों से संबंधित समस्याएं:** पुनर्वास स्थल प्राय: कई प्रकार से वास योग्य नहीं होते (छोटे घर, अस्थायी संरचनाएं, आधारभूत सुविधाओं, स्कूलों और कॉलेजों आदि का अभाव) हैं। पुनर्वास स्थलों को आजीविका के अवसरों की उपलब्धता या विस्थापित व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर विचार किये बिना चुना जाता है।
- **बार-बार विस्थापन:** सरकारी कार्यालयों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण, विस्थापन दो या तीन अथवा इससे भी अधिक बार किये जाते हैं तथा इसके लिए ग्रामीणों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है।
- **वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने में विफलता:** भूमि के बदले भूमि की नीति का शायद ही कभी संचालन हो पाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी विस्थापित लोगों को गैर-भूमि आधारित सतत आजीविका प्रदान करने में असमर्थ होते हैं।
- **मेजबान समुदायों की समस्याएं:** अनधिवासित क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण पहले से ही अधिवासित बस्तियों में ही पुनर्वास किया जाता है। इससे सीमित उपलब्ध संसाधनों और नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप मेजबान समुदाय विस्थापित लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं।

VISION IAS

- विस्थापन के दौरान वर्ग, जाति, लिंग, आयु आदि के कारण **विशेष सुभेद्यताएँ** भी देखी जाती हैं। विस्थापितों की आजीविका, उनके परिवार, रिश्तेदारी, सांस्कृतिक पहचान और अनौपचारिक सामाजिक नेटवर्क गंभीर रूप से प्रभावित एवं बाधित हो जाता है। इस मामले में महिलाओं की स्थिति और भी भयावह है। नीतिगत ढांचे एवं सामाजिक सुरक्षा की कमी ने उन्हें असुरक्षित और मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यधिक कमजोर बना दिया है।

विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए अनुशंसाएं:

- **कृषि भूमि:** राज्य सरकार को उचित सिंचाई सुविधाओं सहित सिंचाई परियोजना के कमांड एरिया के भीतर विस्थापित परिवार को उपयुक्त कृषि योग्य भूमि प्रदान करनी चाहिए।
  - आदिवासी लोगों को मुआवजा प्रदान करते समय, **"भूमि के लिए भूमि" नीति** का पालन अवश्य करना चाहिए।
  - भूमि की 2.5 एकड़ के सीलिंग संबंधी प्रावधानों से जनजातीय लोगों को छूट प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें पोलावरम जैसी सिंचाई परियोजना के मामले में कमांड एरिया के भीतर उनकी भूमि के बराबर या कम से कम 2.5 एकड़ भूमि प्रदान की जानी चाहिए।
- **आजीविका के साधन:** राज्य सरकार को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान कर उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनके पास भूमि (जो आजीविका के लिए सूक्ष्म वन उत्पादों पर निर्भर हैं) नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार, विस्थापित परिवारों को रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए पुनर्वास क्षेत्र के आस-पास एक औद्योगिक एस्टेट / केंद्र विकसित करने पर विचार कर सकती है।
- **आवासन:** सरकार को विस्थापित लोगों की समस्याओं को कम करने हेतु उन नवनिर्मित घरों को शीघ्र ही पुनर्निर्मित करना चाहिए जो अचानक आई बाढ़ के कारण नष्ट हो गए हैं।
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए **क्षतिपूर्ति पैकेजों** को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- **अवसंरचना:** पुनर्वास कॉलोनियों में विस्थापितों के भू स्वामित्व सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, AIIMs के पैटर्न पर मेडिकल कॉलेजों, कला और संगीत अकादमियों/केंद्रों, विश्वविद्यालय, स्टेडियम आदि जैसी सामाजिक अवसंरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **अग्रिम निर्माण और मुआवजा:** राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना के अंतर्गत उस क्षेत्र को जलमग्न करने अथवा परियोजना के प्रवर्तन या परियोजना से प्रभावित परिवारों के विस्थापन (जो भी पहले हो) से कम से कम चार माह पूर्व पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) का कार्य पूर्ण हो चुका हो और विस्थापित परिवारों को मुआवजा प्रदान किया जा चुका हो।
- **प्रक्रिया की निगरानी:** NCST ने अनुशंसा की है कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कम से कम 5 वर्षों की अवधि के लिए विकास गतिविधियों और अन्य कल्याणकारी उपायों की निगरानी के लिए पुनर्वास क्षेत्र में R&R अधिकारियों की एक समर्पित टीम होनी चाहिए।
- **वैकल्पिक समाधान** जैसे **जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करना** (इसने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में कार्य किया है, किसानों की आर्थिक स्थिति को परिवर्तित किया है तथा इस क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं को भी समाप्त किया है), **आधुनिक वर्षा जल संचयन मॉडल** को लागू करना और छोटे चेक डैम का निर्माण करना, सटीक सिंचाई विधियों, टिकाऊ खनन आदि को बड़ी परियोजनाओं के स्थान पर अपनाया जा सकता है।

संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) का गठन भारत के संविधान के **अनुच्छेद 338** में संशोधन और **संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से एक नए अनुच्छेद 338A** के अंतर्वेशन के परिणामस्वरूप किया गया था। आयोग को अन्य विषयों के साथ-साथ, संविधान के अंतर्गत, तत्समय प्रभावी किसी क़ानून के अंतर्गत अथवा सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त विभिन्न रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा उन रक्षोपायों के कामकाज का मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है।
- अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की स्थापना करता है। यह अनुसूचित जातियों और संविधान के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि पर उन सुरक्षा उपायों के संचालन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है।
- विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे से निपटने वाला एक प्रमुख कानून भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 है।

VISION IAS

- जनजातीय विकास के लिए अन्य कानूनों में पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA), वन अधिकार अधिनियम 2006 और संविधान की पांचवीं अनुसूची सम्मिलित हैं।

भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रावधान:

- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण, अधिग्रहण के प्रयोजन को व्यक्त करने वाली प्रारंभिक अधिसूचना, अधिग्रहण की घोषणा और एक निश्चित समय में मुआवजा प्रदान करना शामिल है। सभी अधिग्रहणों के अंतर्गत अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की आवश्यकता होती है।
- अधिनियम में उस 'सार्वजनिक उद्देश्य' को परिभाषित किया गया है जिसके लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित की जा सकती है।
- इस अधिनियम में स्कूलों एवं खेल के मैदानों, स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों एवं बिजली के कनेक्शन और प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षित पेयजल के सुनिश्चित स्रोतों के लिए भी प्रावधान किये गए हैं।
- **ग्राम सभा की भूमिका** को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है और सरकार के लिए इससे परामर्श करना आवश्यक है।
- अधिग्रहित भूमि के स्वामियों को प्रदान किये जाने वाला मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्रों के मामले बाजार मूल्य का दो गुना होगा।
- निजी कंपनियों या सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु विस्थापित लोगों के 80 प्रतिशत की सहमति की आवश्यकता होगी। निजी कंपनियों द्वारा भूमि के बड़े भाग की खरीद के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करना आवश्यक होगा।
- अधिनियम में बहुफसली सिंचित क्षेत्र के अधिग्रहण पर रोक लगायी गयी है। हालांकि इस प्रकार के अधिग्रहण को अंतिम उपाय के रूप में अनुमति प्रदान की जा सकती है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिला या राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए समग्र ऊपरी सीमा के आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त स्थिति के अतिरिक्त, जब भी बहु-फसली सिंचित भूमि अधिग्रहित की जाएगी, तो राज्य द्वारा उतनी ही बंजर भूमि को कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा।

7.5. नेशनल हेल्थ स्टैक

(National Health Stack)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने **साझा डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, नेशनल हेल्थ स्टैक** की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

NHS के बारे में

- **लक्ष्य:** स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना को सुव्यवस्थित करने और इसके प्रभावी प्रबंधन को सुगम बनाने हेतु देश के सभी नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना।
- **कार्यक्षेत्र:** नेशनल हेल्थ स्टैक के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य विषय शामिल हैं:
  - प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल तंत्र में निजी चिकित्सालयों और निजी चिकित्सकों का प्रवेश;
  - गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases: NCD) पर ध्यान केंद्रित करना; रोग निगरानी; स्वास्थ्य योजना प्रबंधन प्रणाली; पोषण प्रबंधन; स्कूल स्वास्थ्य योजनाएं; आपातकालीन प्रबंधन; स्वास्थ्य, टेलीहेल्थ, टेली-रेडियोलॉजी के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म; नैदानिक उपकरण; हेल्थ कॉल सेंटर आदि।
- यह भारत की प्रथम अत्याधुनिक राष्ट्रीय स्तर की साझा डिजिटल हेल्थकेयर अवसंरचना होगी जो **केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में** उपयोग योग्य होगी।
- यह क्लाउड-बेस्ड सेवाओं का एक संग्रह है।
- यह एक तंत्र प्रदान करेगा जिसके माध्यम से प्रणाली में भाग लेने वाले प्रत्येक उपयोगकर्ता को **विशिष्ट रूप से पहचाना** जा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति सिस्टम में अन्य उपयोगकर्ताओं या हितधारकों के साथ वार्ता करते समय अपनी गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए वर्चुअल हेल्थ ID बना सकता है।
- इसका निर्माण PM- RSSM (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन) के संदर्भ में किया जाएगा, परंतु सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की मौजूदा एवं भावी स्वास्थ्य पहलों के समर्थन हेतु इसे 'RSSM से अलग' डिजाइन किया जाएगा।

NHS के घटक

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन :** देश में स्वास्थ्य डेटा के लिए एकल स्रोत का निर्माण करना ।
- **कवरेज और एक दावा मंच:** बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का समर्थन करने के लिए, राज्यों द्वारा धोखाधड़ी को पता लगाने वाली ठोस एवं पुख्ता तरीकों से राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा मिशन (RSSM) के क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर विस्तार को सक्षम बनाना ।
- **एक संघीय व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स (Personal Health Records:PHR) ढांचा:** रोगियों द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य डेटा तक पहुंच और चिकित्सा अनुसंधान के लिए स्वास्थ्य डेटा की उपलब्धता की जुड़वां चुनौतियों का समाधान करना जो मानव स्वास्थ्य की समझ को उन्नत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य विश्लेषिकी मंच :** उदाहरण के लिए,उन्नत पूर्वानुमान विश्लेषिकी के माध्यम से,कई स्वास्थ्य पहलों पर सूचना एकत्रित करने और स्मार्ट नीति बनाने में सहायता करने हेतु समग्र दृष्टिकोण लाना।
- **अन्य क्षैतिज घटक: इसे** विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य ID,हेल्थ डेटा डिक्शनरी और ड्रग्स, भुगतान गेटवे इत्यादि तक सीमित न करते हुए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को भी सम्मिलित कर सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में साझा करना।

नेशनल हेल्थ स्टैक के लाभ

Benefits of the NHS

इस तकनीकी दृष्टिकोण को अपनाने से ,स्वास्थ्य पर सरकार की नीतियां के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राप्त किया जा सकता हैं:

- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में सूचना प्रवाह की निरंतर देखभाल हेतु स्टैक के रूप में समर्थन करना।
- स्वास्थ्य सुरक्षा की भविष्य की लागत को कम करने हेतु बीमारी से कल्याण की तरफ ध्यान केंद्रित करना।
- गरीबों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **कैशलेस केयर**
- सेवा प्रदाताओं को वैज्ञानिक पैकेज दरों पर **समय पर भुगतान**, सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक सुदृढ़ पकड़
- धन रिसाव को रोकने के लिए पुख्ता तरीके से धोखाधड़ी का पता लगाना
- स्वास्थ्य नीतियों में प्रभाव के उपयोग और माप पर समय पर रिपोर्टिंग तक पहुंच के माध्यम से बेहतर नीति बनाना
- अस्वीकार योग्य लेनदेन लेखा परीक्षा ट्रायल के माध्यम से विश्वास बहाली एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित NHS की आलोचना

- यद्यपि दस्तावेज़ सहमति-संचालित विचार-विमर्श को सुनिश्चित करता है, तथापि यह इस बात का विस्तृत वर्णन नहीं करता है कि स्वास्थ्य डेटा की धारक (fiduciaries) सरकार होगी या निजी निकाय।
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा पर आधारित हेल्थ स्टैक का होना कई प्रश्नों को जन्म देता है जैसे इसका स्वामी कौन है, इस तक कौन पहुंच सकता है और इस प्रकार के डिजिटल डेटा को कौन नियंत्रित कर सकता है।
- संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा के लीक होने के मामले में किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बीमा कंपनियां स्वास्थ्य डेटा के आधार पर दावा अस्वीकार कर सकती हैं या दावा प्रस्तुत कर सकती हैं।
- कानून की अनुपस्थिति में, सहमति की आवश्यकता किसी कंपनी या सरकारी विभाग का निर्णय होगा, जो विवेकपूर्ण, स्वेच्छाचारी और पर्याप्त लोकतांत्रिक वैधता के बिना होगा।
- एक डिजिटल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर का तात्पर्य यह नहीं है कि अच्छे डेटा उपलब्ध होंगे क्योंकि लोग (रोगी और डेटा रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति दोनों) अपने ज्ञान और राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर झूठे तथ्य प्रस्तुत कर कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा मिशन

- 2003 में इसे तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विद्यमान वहनीय /विश्वसनीय उपलब्धता के क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार लाने और देश में चिकित्सा शिक्षा गुणवत्ता की सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था।
- इसके दो घटक हैं, जैसे-
  - नए AIIMS की स्थापना
  - सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन

7.6. पंजाब में बढ़ता मादक पदार्थों का खतरा

(Punjab Drug Menace)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पंजाब सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस (NDPS) अधिनियम में संशोधन कर पहली बार अपराध करने वालों के लिए भी मृत्युदंड की मांग की है। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मादक पदार्थों के प्रयोग से सम्बंधित परीक्षण को अनिवार्य बना दिया है।

पंजाब में मादक पदार्थों की समस्या से संबंधित तथ्य:

- डोडा/भुक्की/अफीम की भूसी का कई राज्यों में किसानों और श्रमिकों द्वारा नशे के लिए उपभोग किया जाता है और पंजाब में कम से कम 1/3 ग्रामीण जनसंख्या इसका उपभोग करती है। इस प्रकार के उपभोग को मादक पदार्थ के व्यसन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।
- पंजाब ओपिओइड निर्भरता सर्वेक्षण (PODS) के अनुसार, 2015 में राज्य 90% हेरोइन व्यसन की समस्या का सामना कर रहा था। पंजाब की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ निकटता (जिनके साथ यह अपनी सीमा साझा करता है) के कारण यह मादक पदार्थों की तस्करी के **गोल्डन क्रिसेंट** में एक प्रमुख पारगमन मार्ग है। हेरोइन की आसान उपलब्धता का यह एक प्रमुख कारण है।
- नारकोटिक आतंकवाद,1980 और 1990 के दशक में राज्य में मौजूद हिंसक अलगाववादी आतंकवाद के प्रभाव के बाद उत्पन्न हुआ था।

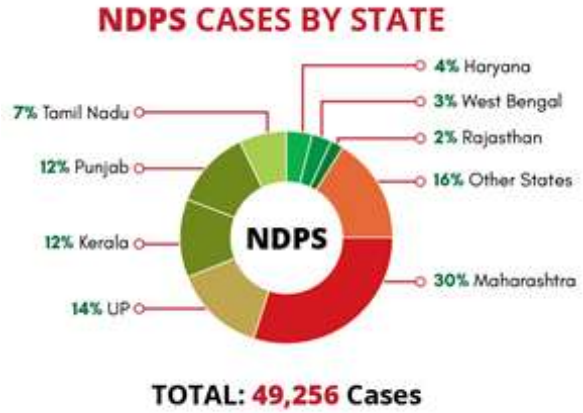

NDPS अधिनियम, 1985

- इसे मादक पदार्थों की कृषि करने और अधिकार में रखने को अपराध घोषित करने हेतु 1985 में पारित किया गया था।
- नार्को-टेररिज्म को रोकने के लिए 1989 में अधिनियम के अंतर्गत मृत्युदंड को पुरःस्थापित किया गया था।
- इस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अनिवार्य सजा का प्रावधान किया गया है। इसका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा पाई जाती है तो उसे मादक पदार्थो का तस्कर माना जाएगा।
- कानून के अंतर्गत, मादक पदार्थों को अपने अधिकार में रखना ही पर्याप्त है। अत: अभियोजन पक्ष को अपने प्रयोजन की दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि प्रयोजन को अकेले एक आपराधिक कृत्य से सिद्ध करना कठिन है अतः कठोर देयता उच्च दोषसिद्धि सुनिश्चित करती है।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रभाव

- **परिवार पर:** मादक पदार्थों के दुरुपयोग से पारस्परिक अन्तर्वैयक्तिक संबंधों में समस्याएँ, परिवार में अस्थिरता, हिंसा, बाल शोषण, आर्थिक असुरक्षा, स्कूली शिक्षा से वंचित होना और HIV संक्रमण सहित यौन संक्रमित रोगों (STD) के खतरे जैसी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है।
- **स्वास्थ्य पर:** स्वास्थ्य समस्याएं पारिवारिक जीवन और उत्पादक रोजगार को हानि पहुंचा सकती हैं, जीवन की गुणवत्ता में कमी कर सकती हैं और जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
- **अपराध पर:** अपराध और मादक पदार्थ कई तरीकों से अंतर-संबंधित होते हैं। प्रथम, मादक पदार्थों का अवैध उत्पादन, विनिर्माण, वितरण या उन पर अधिकार होने से अपराधों को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा, मादक पदार्थ अन्य गैर-मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की घटना की संभावना में वृद्धि कर सकते हैं जैसे-बंदूकों का अवैध उपयोग, विभिन्न प्रकार की हिंसा और आतंकवादी घटनाएँ इत्यादि। तीसरा, धन अर्जित करने हेतु मादक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप मनी लॉन्डरिंग में वृद्धि हो सकती है।

हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा मादक पदार्थों के खतरे से निपटने हेतु किए गए अन्य उपाय:

- **टास्क फोर्स का गठन:** पंजाब सरकार द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसे "राज्य से मादक पदार्थों को समाप्त करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने" के लिए अधिदेशित किया गया है।
- **सामुदायिक परियोजना:** जागरूकता बढ़ाने के लिए ड्रग एब्यूज़ प्रिवेंशन ऑफिसर (DAPO) परियोजना नामक एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम आरंभ किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि उसके सभी कर्मचारी और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य DAPOs के पदेन सदस्य होंगे।
- **बडी प्रोजेक्ट (BUDDY PROJECT):** परियोजना का उद्देश्य छात्रों में जागरूकता का प्रसार करना है। इस परियोजना में शिक्षकों, छात्रों और माता-पिता को शामिल किया गया हैं एवं इसका लक्ष्य STF अधिकारियों, मनोचिकित्सकों और शिक्षा अधिकारियों की एक विशेष टीम द्वारा प्रशिक्षित किये गए शिक्षकों को भी शामिल करना है।

VISION IAS

- **आउट पेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT):** इस कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मई के महीने से अब तक अफीम और हेरोइन के आदी लोगों के लिए 81 OOAT क्लीनिक खोले गए हैं। मादक पदार्थों के आदी लोगों को ब्युप्रेनॉर्फिन (buprenorphine) दिया जाता है जो ओपिऑइड का एक विकल्प है।
- हाल ही में पंजाब में **डॉक्टर के पर्चे के बिना सिरिंज की बिक्री पर प्रतिबंध** लगा दिया गया है।

उठाए गए नए कदमों की आलोचना

- NDPS के अंतर्गत पहले से ही एक धारा 31A है (जिसे 2001 में जोड़ा गया था) जिसमें बार-बार अपराध करने वाले कुख्यात अपराधियों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में इसे "असंवैधानिक" माना था, इसके परिणामस्वरूप 2014 के एक संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। NDPS अधिनियम का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ है अत: मृत्युदंड को इसमें शामिल करना और अधिक समस्या उत्पन्न कर सकता है।
- मादक पदार्थों के व्यसन के सन्दर्भ में कर्मचारियों की जाँच करना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा। इसके अतिरिक्त सरकार के लगभग 3.5 लाख कर्मचारी हैं और इन सभी जाँच करना एक लम्बी प्रक्रिया होगी।
- जाँच यह निर्धारित नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति मादक पदार्थों का आदी है या नहीं। जाँच केवल लिए गए नमूनों के अंदर मादक पदार्थों की उपस्थिति की पुष्टि कर सकती है। उदाहरण के लिए, हेरोइन के एक नियमित उपयोगकर्ता के जाँच का परिणाम नकारात्मक हो सकता है यदि वह तीन-चार दिनों तक इसका उपयोग नहीं करता है।
- यह सुविख्यात है कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अधिकांश लोग बेरोजगार युवा हैं। केवल सरकारी कर्मचारियों के बजाय युवाओं के इस वर्ग को अग्रसक्रिय और निवारक उपायों के लिए लक्षित किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- भारत के अधिकांश क्षेत्र में, गांजे (त्योहारों के दौरान शिव भक्तों द्वारा) और अफीम (पंजाब और राजस्थान में) की खपत की को व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त है। इसलिए, नीतियों को एक शौकिया उपयोगकर्ता और इसके आदी व्यक्ति के मध्य **उचित अंतर** करना चाहिए।
- वैश्विक स्तर पर, लोगों का मत धीरे-धीरे मादक पदार्थों के नियंत्रण हेतु पुलिस आधारित, प्रवर्तन और दंड आधारित दृष्टिकोण के विरुद्ध परिवर्तित हो रहा है। ग्लोबल कमीशन ऑन ड्रग पॉलिसी द्वारा 2011 की अपनी रिपोर्ट में **पूर्ण गैर-अपराधीकरण (डिक्रिमिनलाइजेशन) का समर्थन** किया गया है।
- मादक पदार्थों के आदी मज़बूर लोगों (Compulsive addicts) को घृणित अपराधियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उन्हें देखभाल और परामर्श की आवश्यकता वाले मनुष्यों के रूप देखा जाना चाहिए।
- पंजाब को मादक पदार्थों के बड़े आपूर्तिकर्ताओं को समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसे सीमा पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए जहां से से कुछ आपूर्तिकर्ता प्रवेश कर जाते हैं।
- व्यसन से निपटने के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य-आधारित नीति का निर्माण करना चाहिए, जिसमें आदी लोगों की गणना, सरकारी गैर-व्यसन केंद्रों में दीर्घकालिक उपचार कराने वाले रोगी, इस प्रकार के रोगियों के लिए एक पुनर्वास योजना और एक युवा आयु से जागरूकता निर्माण कार्यक्रम शामिल हों।

7.7. उत्कृष्ट संस्थान

(Institutions of Eminence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) द्वारा छह शैक्षणिक संस्थानों (तीन सार्वजनिक क्षेत्र के और तीन निजी क्षेत्र के) को उत्कृष्ट संस्थान (IoE) का दर्जा प्रदान किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसी को भी 2017 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ था।बजट 2016 में भी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी थी ताकि उन्हें विश्व स्तर के शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया जा सके।
- इस संदर्भ में, सरकार द्वारा एन. गोपालस्वामी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (EEC) का गठन किया गया था जिसने 6 संस्थानों की उत्कृष्ट संस्थान के रूप में सिफारिश की थी।

IOE क्या है?

- IOE उन संस्थानों को दिया गया एक टैग है जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (अपनी श्रेणी में) में शीर्ष 50 संस्थानों में से एक हैं या टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रैंकिंग में शीर्ष 500 में से एक हैं। इनमें विदेशी और घरेलू दोनों स्तर के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होती है तथा साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित अवसंरचना होती है। इसके अतिरिक्त इसका दृष्टिकोण बहु-अनुशासनात्मक होता है।

IOE के लाभ

- **वित्तीय सहायता:** इस योजना के अंतर्गत 'उत्कृष्ट संस्थान' के रूप में चुने गए प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान को पांच वर्ष की अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **स्वायत्तता:** इन संस्थानों को निम्न प्रकार से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी:
  - कुल छात्रों के 30% तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति;
  - ऐसे संस्थान कुल शिक्षकों के 25% तक विदेशी शिक्षकों को भर्ती कर सकेंगे;
  - अपने कार्यक्रमों का 20% तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना;
  - UGC की अनुमति के बिना विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग कर सकता है;
  - बिना किसी रोक के विदेशी छात्रों के लिए शुल्क का निर्धारण और शुल्क की वसूली;
  - डिग्री प्राप्त करने हेतु क्रेडिट घंटे और वर्षों की संख्या के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम संरचना में सुविधा प्रदान करना;
  - पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम आदि को निर्धारित करने की पूर्ण स्वायत्तता आदि।
- **विश्व स्तरीय संस्थान:** इन्हें अधिक कौशल और गुणवत्ता में सुधार के साथ अपने परिचालन को बढ़ाने का अधिक अवसर प्राप्त होगा ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर के संस्थान बन सकें।
- **विश्व रैंकिंग:** यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त चयनित संस्थान 10 वर्षों में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 में और अंततः विश्व रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

इस पहल की आलोचना

- उच्च शिक्षा क्षेत्र का मॉडल राज्य के संरक्षण पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, अब सबसे महत्त्वपूर्ण चिंता वैश्विक शिक्षा दौड़ में प्रवेश करना बन सकती है तथा अन्य उद्देश्य गौण हो सकते हैं।
- परिणामों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखे बिना, मुख्य रूप से अपनी संभावित रैंकिंग द्वारा संस्थानों का आकलन करना, न्यूनकारी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
- चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है जिसे बेंचमार्क और दिशा-निर्देशों के सार्वजनिक साझाकरण के माध्यम से सुधारा जा सकता है।
- ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में केवल बहु-अनुशासनात्मक विश्वविद्यालय ही शामिल नहीं होते हैं जबकि वर्तमान परिदृश्य में विश्वविद्यालय केवल IoE टैग के लिए अर्हता प्राप्त करना चाह रहे हैं।
- समता के हित और अवसर खोने के डर; दोनों के संदर्भ में भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे क्षेत्रक आधारित संस्थानों को समायोजित करने हेतु एक अलग श्रेणी का निर्माण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क

- इसे 2015 में लॉन्च किए गया था। यह फ्रेमवर्क देश भर में संस्थानों की रैंकिंग करने हेतु एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मानकों की पहचान करने हेतु इस कार्यप्रणाली का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित कोर कमेटी की व्यापक समझ आधारित समग्र अनुसंशाओं द्वारा किया गया है।
- ये मानदंड व्यापक रूप से "शिक्षण, अधिगम और संसाधन," "शोध और व्यावसायिक पद्धतियों", "स्नातक परिणाम," "पहुँच और समावेशन" और "समझ" को शामिल करते हैं।

VISION IAS

उच्चाधिकार समिति के समग्र निष्कर्ष जिनके आधार पर IOE टैग दिए जाने की अनुशंसाएं की गयी हैं:

- IOE के लिए आवेदन करने वाले अधिकांश संस्थान नये हैं (20 वर्ष से कम पुराने) और ये संस्थान फीस पर अत्यधिक निर्भर हैं। वे "अभी तक पूर्णरूप से स्थापित नहीं" हो सके हैं क्योंकि नये निजी संस्थानों में पूर्व छात्र (alumni) कम संख्या में हैं जिसके कारण इन संस्थानों के पास "वित्तीय स्थिरता" की कमी है। अगले 10 वर्षों में विश्व रैंकिंग में 500 के भीतर स्थान प्राप्त करना "असंभव" प्रतीत होता है।
- **'विशेषीकृत संस्थान'** केवल वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए IOE स्थिति प्राप्त करने के प्रति आकर्षित हो सकते हैं।
- राज्य नियंत्रित विश्वविद्यालयों में वित्त की कमी के कारण नई भर्ती प्रक्रिया सुचारु रूप से नहीं चल रही है। इसलिए इन विश्वविद्यालयों में **शिक्षकों की कमी** बनी हुई है।
- IOE के लिए आवेदन करने के लिए **मौजूदा फ्रेमवर्क** इस संदर्भ में दोषपूर्ण इसलिए है कि IIM अहमदाबाद, TISS जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान इसके योग्य नहीं बन पाए हैं। प्रबंधन संस्थानों की भी अलग से रैंकिंग की जानी चाहिए।
- उच्च शिक्षा के लिए तमिलनाडु स्थित गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान जैसे कुछ संस्थानों के लिए और अधिक **स्वायत्तता एवं धन** प्रदान किया जाना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए कृपया फरवरी 2018 की करेंट अफेयर की पत्रिका देखें।

8. संस्कृति (Culture)

8.1.रामानुजाचार्य की प्रतिमा

(Statue of Ramanujacharya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शीघ्र ही हैदराबाद में वैष्णव संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।

प्रतिमा के बारे में

- यह थाईलैंड की विशाल बुद्ध प्रतिमा (302 फीट) के पश्चात, **विश्व की दूसरी सबसे ऊंची** प्रतिमा बन जाएगी। इसे **"समानता की प्रतिमा (स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी)"** के रूप में जाना जाएगा।
- यह प्रतिमा **पञ्चलौह** (सोना, चांदी, तांबा, पीतल और टिन से निर्मित मिश्रधातु) से निर्मित है। इस प्रतिमा के आधार वाले भाग पर 36 हाथियों और 27 फीट ऊँची कमल की पंखुड़ियों को चित्रित किया गया है।
- प्रतिमा के निकट नियमित रूप से पूजा हेतु 120 किलो सोने से निर्मित संत की एक और प्रतिमा का भी निर्माण किया जाएगा।

रामानुजाचार्य के बारे में

- **रामानुजाचार्य या इलैया पेरुमल** एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण धर्मशास्त्री एवं दार्शनिक थे। ये हिंदूधर्म की **भक्ति परम्परा** के सबसे प्रभावशाली विचारक थे।
- वे भक्ति संत थे तथा उन्होंने **समानता** के संदेश का भी प्रसार किया था। उनके दर्शन को **विशिष्टाद्वैतवाद (विशिष्ट+अद्वैत)** के रूप में जाना जाता है। भक्तिवाद के उनके दार्शनिक आधार ने भक्ति आंदोलन को अत्यधिक प्रभावित किया था।
- उनके शिष्य संभवतया शाट्यायनीय उपनिषद जैसे ग्रंथों के लेखक थे। उन्होंने स्वयं भी कई प्रभावशाली ग्रंथों जैसे- ब्रह्मासूत्र और भगवद्गीता पर भाष्यों की रचना की थी। इन सभी की रचना संस्कृत भाषा की गई थी।
- उन्होंने अपनी तीन प्रमुख टीकाओं में भक्ति (भक्तिमय पूजा) मार्ग को अपनाने के लिए बौद्धिक आधार प्रदान किये। ये टीकाएँ हैं: **वेदार्थ-संग्रह, श्रीभाष्य और भगवद्गीता-भाष्य** ।

विशिष्टाद्वैतवाद (विशिष्ट+अद्वैत) -

- इसके अनुसार सभी जीव गुणात्मक रूप से ब्रह्म के साथ एक हैं जबकि मात्रात्मक रूप से उनमें भिन्नताएँ व्याप्त हैं। रामानुज के अनुसार सभी जीवों के मात्रात्मक रूप से भिन्न होने का आशय यह है कि वे ब्रह्म का एक हिस्सा होने के कारण ब्रह्म पर ही निर्भर हैं लेकिन वे स्वयं ब्रह्म नहीं बन सकते हैं।
- इस दर्शन के अनुसार सभी जीवों की एक विशिष्ट सत्ता है। इसी प्रकार ब्रह्म भी है किन्तु यह एक सर्वोच्च सत्ता है।
- **भौतिक जगत** परमसत्ता की रचना है और इस भौतिक जगत के निर्माण के क्रम में परमसत्ता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।
- दसवीं शताब्दी के अंत तक दक्षिणी भारत में दर्शन की विशिष्टाद्वैत प्रणाली सुस्थापित हो चुकी थी और इस मत के अनुयायी महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिरों के प्रभारी बन गए थे।

8.2. तंजौर चित्रकला

(Thanjavur Paintings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्तमान में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि तंजौर चित्रकला में प्रयुक्त सोना एवं रत्न असली हैं अथवा नहीं।

संबंधित अन्य तथ्य

- तंजौर चित्रकला **लघु चित्रकला** का एक रूप है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विकसित हुई थी। हालांकि, इसकी उत्पत्ति 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानी जा सकती है।

VISION IAS

- **इस चित्रकला की विशेषताओं में अर्द्ध-कीमती पत्थरों, मोती और कांच के टुकड़ों का उपयोग तथा सुदृढ़ आरेखण, छायाकरण की तकनीकें और शुद्ध एवं चटकीले वर्णों का प्रयोग शामिल हैं।**
- लघु चित्रकला में दिखने वाला शंक्वाकार मुकुट वास्तव में तंजौर चित्रकला की एक प्रतीकात्मक विशेषता है।
- तंजौर चित्रकला में बड़ी मात्रा में सोने का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी चमक इस चित्रकला को अधिक आकर्षक बना देती है। साथ ही इसके प्रयोग से चित्र की जीवन अवधि में भी वृद्धि हो जाती है।
- इसे **भौगोलिक संकेतक (GI)** टैग भी प्रदान किया गया है।

रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी

- रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक कंपन और क्रिस्टल संरचनाओं पर सूचनाएं प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों में से एक है।
- इस तकनीक में किसी नमूने को प्रकाशित करने के लिए लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है और रमन प्रकीर्णित प्रकाश का एक अतिसूक्ष्म अंश उत्पन्न किया जाता है। इसे रमन स्पेक्ट्रम के रूप में जाना जाता है।

रमन प्रकीर्णन (रमन प्रभाव)

- जब किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो लगभग सम्पूर्ण प्रकीर्णन एक प्रत्यास्थ प्रक्रिया (रैले स्कैटरिंग) के रूप में होता है जिसके कारण ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।
- किन्तु, प्रकीर्णन का एक अत्यंत सूक्ष्म भाग अप्रत्यास्थ प्रक्रिया (रमन स्कैटरिंग) के रूप में होता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में प्रकीर्णित विकिरण में आपतित विकरण से भिन्न ऊर्जा होती है।

8.3. बेदीनखलम महोत्सव

(Behdiengkhlam Festival)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मेघालय के जयंतिया हिल्स जिले के जौई गाँव में बेदीनखलम महोत्सव मनाया गया।

विवरण

- बेदीनखलम एक परंपरागत त्यौहार है जो **बुआई के बाद अच्छी उपज की प्राप्ति** और प्लेग एवं अन्य बीमारियों को दूर करने के लिए मनाया जाता है। ("बेदीन का अर्थ है छड़ी के द्वारा भगाना और "खलम" का तात्पर्य है प्लेग या महामारी।)
- यह त्योहार **'पनार' (Pnars)** लोगों द्वारा मनाया जाता है जो परंपरागत मान्यता "नियामतर" (Niamtre) में विश्वास करते हैं।
- इस त्यौहार के दौरान युवा पुरुष प्रतीकात्मक रूप से बांस के डंडे से प्रत्येक घर की छत को को पीटकर दुष्ट आत्माओं को दूर भगाते हैं।
- महिलाएं नृत्य में शामिल नहीं होती हैं और पूर्वजों की आत्माओं को बलि के रूप में भोजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
- इस त्योहार की मुख्य विशेषता **"दीन खलम"(Dein Khlam), "सिम्मलेंड" (Symlend) और "खनोंग"(Khnong)** का निर्माण है। ये गोलाकार, पॉलिशदार और ऊँचे तने के समान होते हैं।
- लोग 'रॉट्स' (रंगीन कागज और टिनसेल से सजाए गए लंबे बांस की संरचना) को बनाकर अपना कलात्मक कौशल भी प्रदर्शित करते हैं।
- उत्सव के एक भाग के रूप में, फुटबॉल के समान **डट-ला-वाकर (dat la wakor)** नामक एक खेल का भी आयोजन किया जाता है जिसमें प्रत्येक टीम द्वारा लकड़ी की गेंद के द्वारा गोल करने की कोशिश की जाती है।
    - जो पहली बार गोल करता हैं, वह विजेता होता है और यह भी माना जाता है कि विजेता के यहाँ अत्यधिक फसल उपज होगी।

जयंतिया जनजाति

- इन्हें **सिंटेन्ग और पनार** भी कहा जाता है।
- ये मेघालय के पूर्वी भाग में निवास करते हैं और ये ऑस्ट्रो-एशियाटिक मूल के हैं।
- इनका समाज **मातृसत्तात्मक** होता हैं क्योंकि यहाँ बच्चे अपनी पहचान या पारिवारिक उपाधि माँ से प्राप्त करते हैं।

VISION IAS

- जयंतिया लोगों में, सबसे **छोटी बेटी संपत्ति की उत्तराधिकारी** होती है और उसी पर परिवार की देखभाल करने और उनका ध्यान रखने का दायित्व होता है।
- यह जनजाति कलात्मक बुनाई, लकड़ी की नक्काशी और बेंत एवं बांस के कार्य के लिए प्रसिद्ध है।
- इस जनजाति के पुरुष जिम्फोंग और धोती पहनते हैं जबकि महिलाएं कपड़ों के कई टुकड़ों को शरीर पर लपेटती हैं ताकि शरीर को ढकने के लिए बेलनाकार आकार दिया जा सके। त्योहारों के दौरान वे चांदी और सोने के मुकुट पहनते है जिसके पीछे एक चोटी लगी होती है।
- बेदीनखलम त्योहार के अतिरिक्त, लाहो नृत्य त्योहार भी जयंतिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार हैं।

N IAS

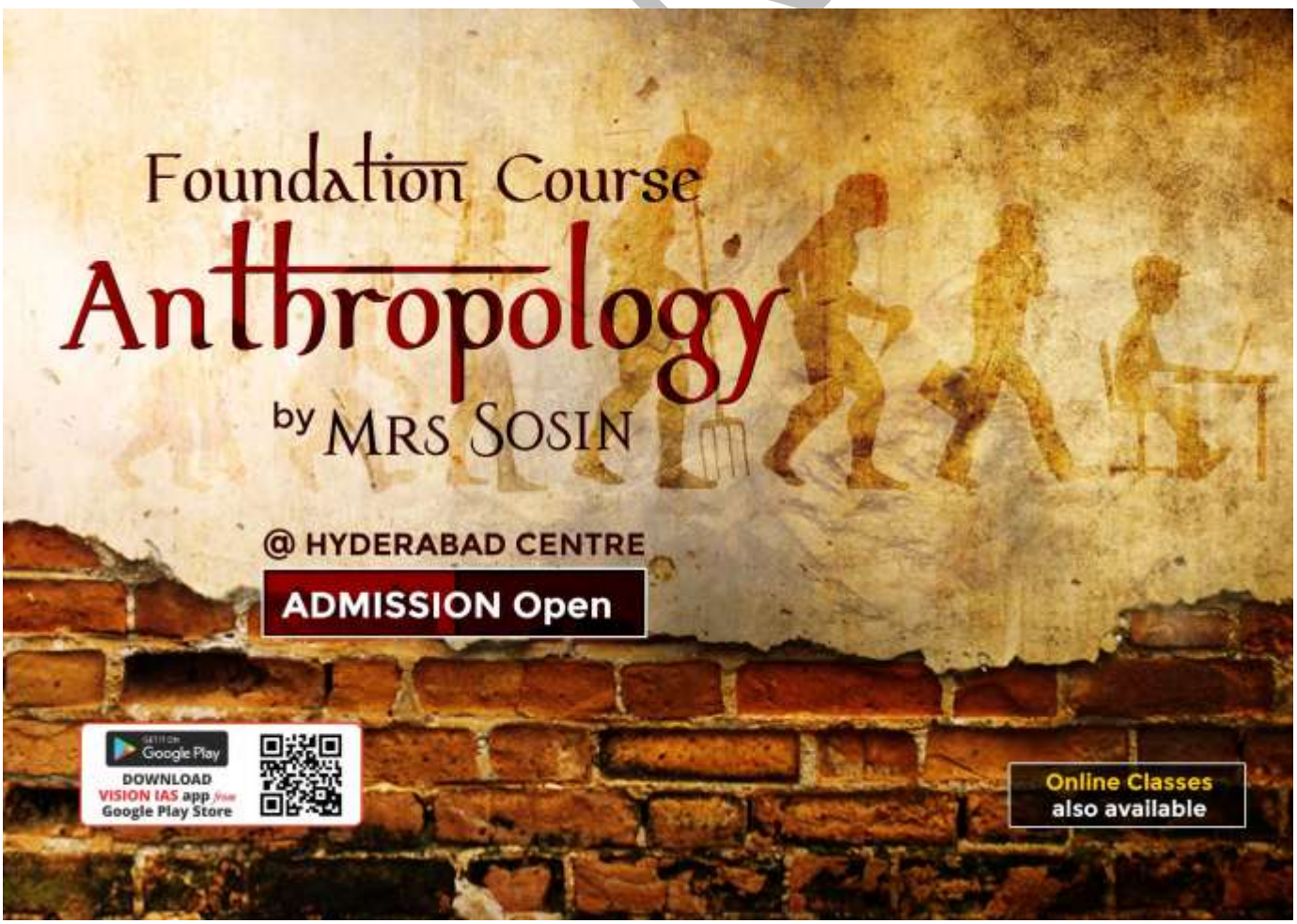

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. लॉबिंग एवं नीतिशास्त्र

(Lobbying And Ethics)

लॉबिंग क्या है?

लॉबिंग का आशय किसी अन्य व्यक्ति, संगठन या समूह की ओर से नीति निर्माताओं पर पक्षसमर्थन के विभिन्न रूपों के माध्यम से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु जानबूझकर किये जाने वाले प्रयासों से है। भारत में, लॉबिंग के संबंध में कोई विनियमन नहीं है। हालांकि, आवधिक अनियमितताओं और एयर एशिया में होने वाली भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं ने लोकतंत्र में लॉबिंग की भूमिका पर एक प्रश्न चिह्न खड़ा किया है।

लॉबिंग में शामिल नैतिक मुद्दे

- इसके अंतर्गत नीति निर्माता को अपने पक्ष में मतदान करने के बदले भुगतान करना अथवा महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त करने हेतु मतदान के बाद उसे पुरुस्कृत करना शामिल है। इस प्रकार यदि इस प्रथा को अनुमति प्राप्त हो जाती है, तो धनी व्यक्ति और संगठन की हमेशा जीत होगी। इसके अतिरिक्त यह एक लोक सेवक के निष्पक्षता और निःस्वार्थता के मानदंडों के विपरीत भी है।
- **निष्पक्षता संबंधी प्रश्न** तब उठता है जब कुछ लॉबिंग करने वालों (उदाहरणार्थ वे जिन्होंने पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य किया था और बाद में निजी क्षेत्र में शामिल हो गए) की अन्य की तुलना में विधि निर्माताओं तक आसान पहुंच होती है।
- स्थानीय स्तर पर **निष्पक्षता का सद्गुण** कमजोर पड़ जाता है। नीति निर्माताओं से प्राय: उन लोगों द्वारा लॉबिंग की जाती है जिनके साथ उनके सामाजिक सम्बन्ध एवं मित्रता होती है।
- लॉबिस्ट पक्षसमर्थक होते हैं और किसी मुद्दे के एक **विशेष पक्ष को ही प्रस्तुत** करते हैं, जबकि विधि निर्माता **लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि** होते हैं। इसलिए, उनके निर्णय को किसी के पक्ष या कुछ विशेष लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- अपने ग्राहकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, लॉबिस्ट प्राय: **महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट नहीं करते हैं।** यह प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रभावकारिता को प्रभावित करता है।
- **अनैतिक लॉबिंग** प्राय: हितों के टकराव को बढ़ावा देती है और गोपनीय सूचनाओं का दुरुपयोग करती है।

नैतिक-लॉबिंग के लिए सरकार को किस प्रकार का फ्रेमवर्क उपलब्ध कराना चाहिए?

OECD द्वारा लॉबिंग हेतु पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों को विकसित किया गया है जिनका पालन सरकारों द्वारा भी किया जाना चाहिए। ये निम्नलिखित हैं:

- सभी हितधारकों को सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन तक निष्पक्ष और न्यायोचित पहुंच प्रदान कर, उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए।
- लॉबिंग पर दिशानिर्देशों को व्यापक नीति और विनियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप होना चाहिए।
- लॉबिंग के लिए नियमों और दिशानिर्देशों को विकसित करते समय 'लॉबिंग' और 'लॉबीस्ट' शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- देशों को पर्याप्त पारदर्शिता प्रदान करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोक सेवक, नागरिक और व्यावसायिक वर्ग लॉबिंग से संबंधित गतिविधियों पर पर्याप्त सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- सिविल सोसायटी संगठनों, व्यावसायिक वर्गों, मीडिया और जन सामान्य सहित सभी हितधारकों को लॉबिंग गतिविधियों की जांच करने हेतु सक्षम बनाना।
- लोक सेवकों के आचरण के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश प्रदान करके सार्वजनिक संगठनों और निर्णयन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
- आवधिक आधार पर लॉबिंग से संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों की कार्य पद्धति की समीक्षा करना।

निष्कर्ष

लॉबिंग निर्णय निर्माताओं को महत्वपूर्ण सूचना और डेटा उपलब्ध करा सकती है तथा साथ ही हितधारकों को सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन तक पहुंच प्रदान कर सकती है। हालांकि, लॉबिंग सार्वजनिक हितों और प्रभावी सार्वजनिक नीतियों को हानि पहुँचाने हेतु अनुचित प्रभाव, अनुचित प्रतिस्पर्धा और नियामक प्रक्रिया पर अधिकार जैसी स्थितियों को बढ़ावा भी दे सकती है। इसलिए, सार्वजनिक निर्णयन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा की रक्षा हेतु लॉबिंग के क्षेत्र में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने वाला एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

10.विविध (Miscellaneous)

10.1.मिशन सत्यनिष्ठा

(Mission Satyanishtha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में **रेल मंत्रालय** द्वारा मिशन सत्यनिष्ठा का आरंभ किया गया।

संबंधित विवरण

- इस मिशन का उद्देश्य सभी रेलवे कर्मचारियों को नैतिकता का पालन करने और कार्य के दौरान सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के संदर्भ में **संवेदनशील बनाना है।**
- इस मिशन के उद्देश्य हैं:
  - प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता और मूल्य को समझने के लिए प्रशिक्षित करना।
  - जीवन एवं लोक शासन में नैतिक दुविधाओं से निपटना।
  - भारतीय रेल की नैतिकता और सत्यनिष्ठा से संबंधित नीतियों को समझने और इसे बनाए रखने में कर्मचारी की भूमिका को समझने में सहायता करना।
  - आंतरिक संसाधनों का दोहन कर आंतरिक अभिशासन विकसित करना।

10.2. पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स

(Public Affairs Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (PAI) 2018 जारी किया गया है।

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स

- यह बेंगलुरू स्थित एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक **पब्लिक अफेयर्स सेंटर** द्वारा जारी किया जाता है। इसके अध्यक्ष डॉ के. कस्तूरीरंगन हैं।
- यह **अभिशासन की गुणवत्ता (quality of governance)** के आधार पर भारत के 30 राज्यों (दिल्ली सहित) को रैंक प्रदान करने हेतु एक डेटा आधारित मंच है।
- PAI 2018 में **10 व्यापक थीम्स,** 30 फोकस विषयों और 100 संकेतकों की एक सूची शामिल है।
- व्यापक थीम्स में आवश्यक बुनियादी ढांचा, मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं, कानून एवं व्यवस्था, पर्यावरण, आर्थिक स्वतंत्रता आदि का समर्थन शामिल है।
- PAI मुख्य रूप से **द्वितीयक डेटा** पर आधारित है जिसे केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों से प्राप्त किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **केरल** लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में प्रथम स्थान पर है।
- **बिहार** राज्य सबसे निचले स्थान (30वें) पर है।
- शीर्ष पांच राज्यों में चार दक्षिणी राज्य शामिल हैं।
- छोटे राज्यों (2 करोड़ से कम आबादी वाले) में हिमाचल प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष सूची में शीर्ष पर रहा (समग्र रूप से चौथे स्थान पर) और मेघालय सबसे निचले (समग्र सूची में 29वें) स्थान पर रखा गया।
- इस वर्ष के PAI में **राज्यों की बच्चों के प्रति अनुकूलता (child-friendliness of states)** को मापने के लिए भी एक सूचकांक शामिल किया गया है। केरल ने इस सूचकांक में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जबकि झारखंड इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है।

10.3. ई-गवर्नमेंट इंडेक्स

(E-Government Index 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनाइटेड नेशन्स ई-गवर्नमेंट सर्वे रिपोर्ट, 2018 में यूनाइटेड नेशन्स ई-गवर्नमेंट इंडेक्स, 2018 जारी किया गया।

VISION IAS

यूनाइटेड नेशन्स ई-गवर्नमेंट सर्वे से संबंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र **प्रत्येक दो वर्ष में** इस सर्वेक्षण को जारी करता है। इस वर्ष की थीम **"गियरिंग ई-गवर्नमेंट टू सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड रिज़िल्यन्ट सोसाइटीज"** है।
- यह डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचारों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों तथा लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में आने वाले परिवर्तनों का मापन करता है।
- सर्वेक्षण में **ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स (EGDI)** शामिल है जो राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नमेंट के विकास की प्रगति का आकलन करता है। यह तीन सूचकों पर आधारित एक समग्र सूचकांक है:
  - इसका एक तिहाई, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित, **टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (TII)** से व्युत्पन्न है।
  - एक तिहाई यूनेस्को द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित **मानव पूंजी सूचकांक (HCI)** से व्युत्पन्न है।
  - एक तिहाई एक स्वतंत्र सर्वेक्षण प्रश्नावली से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित **ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स (OCI)** से व्युत्पन्न है।
- **ई-भागीदारी सूचकांक (e-participation index: EPI):** इसे यू.एन. ई-गवर्नमेंट सर्वे के एक पूरक सूचकांक के रूप में निर्मित किया गया है। यू.एन. ई-गवर्नमेंट सर्वे, ई-सूचना साझाकरण, नीतियों और सेवाओं के संबंध में ई-परामर्श एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में संलग्नता पर केंद्रित है।
- ई-गवर्नमेंट इंडेक्स में **डेनमार्क** शीर्ष पर है जबकि **भारत 96वें** स्थान पर है। वहीं ई-पार्टिसिपेशन इंडेक्स में भारत 15वें स्थान पर है और उप-क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है।
  - इस संदर्भ में भारत की स्थिति में सुधार, ऑनलाइन जानकारी की अधिक उपलब्धता, अधिक लोगों तक इसकी पहुंच, नीति निर्माण और निर्णय लेने में लोगों द्वारा ई-पार्टनरशिप तथा अधिकाधिक ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को इंगित करता है। GST नेटवर्क जैसी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के साथ अब व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से लगभग सभी करों का भुगतान कर सकता है, रिटर्न फाइल कर सकता है तथा रिफंड क्लेम कर सकता है आदि।
  - हालांकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और भूमि अभिलेख आदि जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति रुक गई है। प्रमाणन के लिए आधार जैसे पहचान उपकरण के लगभग सार्वभौमिकरण के बावजूद, कई सरकारी विभाग अभी भी भौतिक फॉर्म (प्रपत्र) और हस्ताक्षरों पर बल देते हैं।

10.4. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स

(Global Innovation Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) के तहत भारत को विश्व के 57वें सर्वाधिक नवोन्मेषी राष्ट्र के रूप में स्थान प्रदान किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- GII को कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इन्सिएड एवं जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।
- GII 80 संकेतकों के आधार पर **126 अर्थव्यवस्थाओं** को रैंक प्रदान करता है। इन संकेतकों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग दरों से लेकर मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण, शिक्षा संबंधी व्यय और वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकाशन शामिल हैं।

10.5. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व ग्राम का दर्ज़ा

(Revenue Village Status Under FRA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तीन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्ज़ा प्रदान किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सहारनपुर जिले के वनों के आस-पास के तीन गाँवों भगवतपुर, कालूवाला, सोढ़ीनगर को **वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA)** के तहत राजस्व ग्राम का दर्ज़ा प्रदान किया गया है। ये गांव अब वन विभाग के बजाय राजस्व विभाग के अधीन होंगे। इनमें टोंगिया जनजाति के लोग निवास करते हैं।
- **FRA की धारा 3(1)(h)** वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को प्रदत्त वन अधिकारों में से एक के रूप में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना संभव बनाती है ताकि इन क्षेत्रों तक नागरिक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
- जनगणना 2011 के अनुसार, आधिकारिक तौर पर 4526 वन ग्राम विद्यमान हैं। इन गाँवों की कुल आबादी 22 लाख से अधिक है जिसमें लगभग 13.32 लाख आदिवासी जनसंख्या निवास करती है।

वन ग्राम

- FRA के अनुसार, वन ग्राम "किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यों हेतु वनों के भीतर स्थापित की गयी बस्तियां या वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में परिवर्तित हो गई बस्तियां हैं। इनमें फारेस्ट सेटलमेंट विलेज भी शामिल हैं।"

राजस्व ग्राम

- एक राजस्व ग्राम छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है। इसकी राजस्व उद्देश्यों के लिए एक निश्चित सर्वेक्षित सीमा होती है। प्रत्येक ग्राम जिला प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पृथक ग्राम खातों के साथ, एक अलग प्रशासनिक इकाई है और इसमें कई छोटी बस्तियां शामिल हो सकती हैं।

वन ग्रामों से संबंधित मुद्दे

- **भूमि/निवास स्थल को वन के रूप में दर्ज़ किया जाता है (न कि गांवों के रूप में)।**
- **किसी भी स्थानीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर:** केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा राजस्व ग्रामों में ज़मीनी स्तर पर लागू विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक वनवासियों की पहुंच नहीं होती है। वन भूमि पर केवल वन विभाग द्वारा सीमित विकास कार्य किए जाते है।
- **मूलभूत अधिकारों का अभाव:** कुछ राज्यों में वन ग्रामों के निवासियों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होते हैं (जोकि राजस्व विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं) और यहां तक कि वे मतदान अधिकारों से भी वंचित होते हैं।

10.6. नीलकुरिंजी पुष्प

(Neelkurinji Flowers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नीलकुरिंजी पुष्प, मुन्नार के निकट अन्नामलाई पहाड़ियों में खिलेंगे। ये फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं।

VISION IAS

नीलकुरिंजी पुष्प से संबंधित तथ्य

- नीलकुरिंजी, उष्णकटिबंधीय पौधों की एक प्रजाति है जोकि सामान्यतः एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।
- यह स्ट्रोबाइलेंथीज (Strobilanthes) वर्ग से संबंधित है जिसमें लगभग 450 प्रजातियां विद्यमान हैं। इनमें से 146 भारत में और उनमें से लगभग 43 केरल में पाई जाती हैं।
- ये बैंगनी फूल, तितलियों, मधुमक्खियों और अन्य कीड़ों के लिए एक आकर्षक आहार हैं। इनमें बड़ी मात्रा में पराग होता है, जो विशेष रूप से मधुमक्खी को आकर्षित करता है।
- प्रत्येक छोटा पौधा अपने जीवनकाल में एक बार प्रजनन करता है और पुष्पण (flowering) के बाद नष्ट हो जाता है।
- इन पौधों को पुनः अंकुरित होने में 12 वर्ष का समय लगता है और ये 30 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं।
- 2006 में सरकार द्वारा इन पौधों एवं इस पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए कुरिंजी माला अभयारण्य की स्थापना की गयी थी।

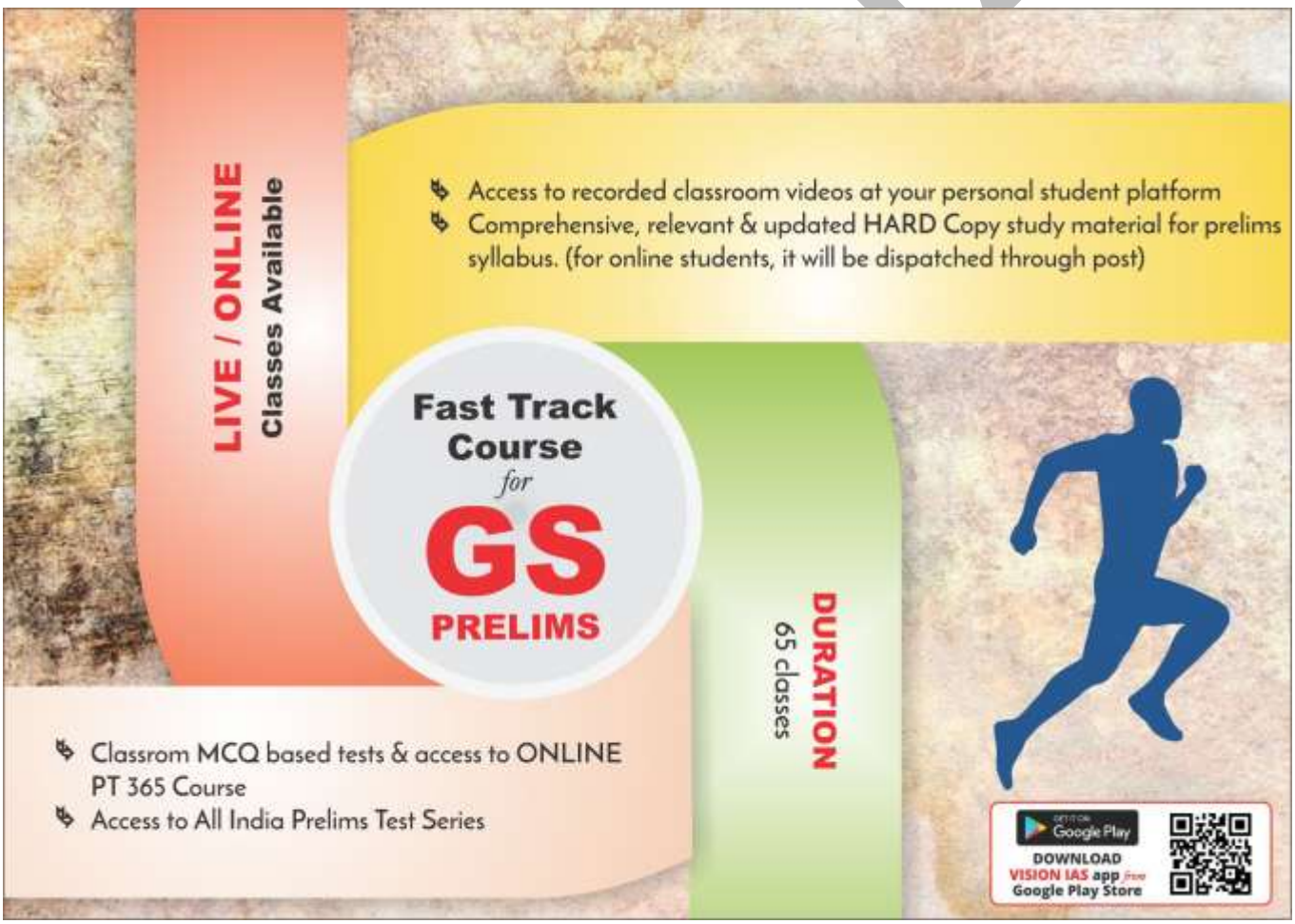

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS